लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 5th

LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

[खंड 16 में अंक 51 से 57 तक हैं
Vol. XVI contains Nos. 51 to 57]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 56, बुधवार 31 मई, 1972/10 ज्येष्ठ, 1894 (शक)

No. 56, Wednesday, May 31, 1972/ Jyaistha 10, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	Member Sworn	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1063 सिनेमाघरों में राष्ट्रीय गान की धुन का बजाया जाना	Playing of National Anthem in Cinema Houses	... 1
1064 बर्दवान जिले में कटवा स्टेशन पर सीमा सुरक्षा दल के एक सब-इंस्पैक्टर द्वारा कालेज के एक छात्र को मार दिये जाने की जाँच	Inquiry into Death of a College Student by a B.S.F. Sub-Inspector at Katwa Station in Burdwan District	... 4
1065 डाक क्षेत्रों का पुनर्गठन	Reorganisation of Postal Areas	... 5
1066 कार्मिक प्रशासन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	A.R.C's Recommendations on Personnel Administration	6
1068 अमरीका की इंटरनेशनल टेलीफोन एण्ड टेलीग्राफ कारपोरेशन के साथ ठेका	Contract with ITT of USA	... 7
1069 पंजाब में शिक्षित बेरोजगारों के लिए योजनाएँ	Schemes for educated unemployed in Punjab	... 10
1070 समुद्री उपयोग के लिए आणविक बिजली प्रोप्लशन के विकास सम्बन्धी प्रयोग	Experimental work for Developing Nuclear Power Propulsion for Marine Application	... 11
1071 पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त	Indicators for Identifying backward Areas	... 13
1072 छोटा नागपुर में सी० आई० ए० की गतिविधियाँ	Activities of CIA in Chhotanagpur	... 16
1074 अहमदाबाद में डाक का देर से वितरण किया जाना	Late Distribution of Post in Ahmedabad	... 17
1076 चलचित्रों में अश्लीलता, अशिष्टता और हिंसा को समाप्त करने के लिए फिल्म सैंसर बोर्ड की कार्यवाही	Film Censor Board to Curb obscenity vulgarity and violence in Films	18

किसी नाम पर अंकित यह —+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign—+marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अल्प-सूचना प्रश्न	**Short Notice Question**	
6. उड़ीसा में खाद्यान्न की भारी कमी	Acute Shortage of Foodstuff in Orissa	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1061 आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण सीमा क्षेत्र	Broadcasting Range of Bhopal AIR	28
1062 जीपों का मूल्य	Price of Jeeps	29
1067 मैसर्ज मारूति प्राइवेट लिमिटेड द्वारा छोटी कार के निर्माण के लिए आयात की गई मशीनों का मूल्य	Value of Machinery Imported by M/s Maruti Private Ltd. for manufacture of Small Car ...	29
1073 तमिलनाडु का औद्योगिक विकास	Industrial Development of Tamil Nadu ...	29
1075 दी अग्ली अमेरीका इन मद्रास नामक पुस्तिका	Booklet 'The Ugly American in Madras' ...	30
1077 क्षेत्रीय परिषदों का गठन	Creation of Zonal Councils	31
1078 सरकारी क्षेत्र में स्कूटरों का निर्माण	Scooter Manufacture in Public Sector	31
1079 जाली मनीआर्डर	Bogus Money Orders	31
1080 स्वतंत्रता रजत जयंती समारोह के दौरान स्वतन्त्रता सेनानियों को सहायता	Assistance to Freedom Fighters during Silver Jubilee Celebrations of Independence	32
अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.		
8038 गुजरात में नई कम्पनियाँ स्थापित करने के लिए लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Licences for setting up new Companies in Gujarat ...	32
8039 मोटरकारों में ईंधन की खपत कम करने के लिए अविष्कार	Invention for Reducing Conjumption of fuel in cars ...	33
8040 विदेशों में रह रहे भारतीय तकनीशनों का वैज्ञानिक पूल बनाना	Creation of a Scientists Pool of Indian Technicians staying abroad ...	34
8041 चलचित्र वित्त निगम के सदस्यों को ऋण	Loans to Members of Film Finance Corporation	34
8042 शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग	Use of Atomic Technology for peace ful purposes ...	35
8043 प्राइवेट व्यक्तियों के नाम से सरकारी क्वार्टरों में टेलीफोन	Telephone in Government Quarters in the name of Private Persons ...	35
8044 केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सिलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के लिए तालिका बनाया जाना	Panels for promotion to Selection Grade of Central Secretariat Service ...	36
8045 केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सिलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के लिए चयन सूची बनाना	Preparation of Select List for promotion to the Selection Grade of Central Secretariat Service	37
8046 केन्द्रीय संस्थापन बोर्ड और विभागीय पदोन्नति समिति के कृत्य	Functions of the Central Establishment Board and the Departmental Promotion Committee ...	37

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
8047	आंध्र प्रदेश में ग्राम्य उद्योग परियोजना कार्यक्रम	Rural Industries Project Programme in A.P.	... 38
8048	भूतपूर्व शासकों के परिवारों के सदस्यों द्वारा भत्तों का लिया जाना	Allowances drawn by Members of Families of Former Rulers	... 40
8049	केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के कार्यालय के लिये फर्नीचर खरीदा जाना	Purchase of Furniture for the Office of Central Translation Bureau	... 40
8050	डाक तथा तार विभाग के अधिकारियों की इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज नैनी में प्रतिनियुक्ति	P & T Officers on Deputation to I T I Naini	.. 40
8051	देश में विज्ञान स्नातक	Science Graduates in the country	... 41
8052	देश में समाचार पत्रों का विकेन्द्रीकरण	Diffusion of Press in the country	... 41
8053	व्यास बाँध परियोजना के कर्मचारियों का पंजाब. हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों में बाँटा जाना	Allocation of Staff of Beas Dam Project among the States of Punjab Haryana and Himachal Pradesh	42
8054	दिल्ली में पुलिस के निष्क्रिय होने का आरोप	Alleged Indifference of Police in Delhi	... 42
8055	केरल में गैर योजना व्यय में अन्तर	Difference in Non-Plan Expenditure in Kerala	... 42
8056	केरल में आर्थिक संकट	Financial Crisis in Kerala	... 43
8057	अपोलो स्कूटर का निर्माण	Manufacture of Apolo Scooter	... 44
8058	कुड्डापा आकाशवाणी केन्द्र	AIR Cuddapah	... 44
8059	फिल्मों के सम्पादन में सेंसर बोर्ड का कार्य	Operation of Censor Board in Film Editing	... 44
8060	लघु औद्योगिक क्षेत्र में मशीनरी के लिये लगाई जाने वाली पूंजी की अधिकतम सीमा निर्धारित करना	Ceiling on Investment in Small Sector for Machinery	45
8061	इंजीनियरी और परियोजनाओं की प्रबन्ध सम्बन्धी गोष्ठी	Symposium on Engineering and Management of Projects	... 45
8062	खारापन दूर करने वाला पायलट संयंत्र	Pilot Deasalination Plant	... 46
8063	आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट कारखाने का निर्माण कार्य	Construction work of Cement Factory in Andhra Pradesh	... 46
8064	बंगला देश के स्वतन्त्रता संग्राम सम्बन्धी चलचित्र	Fiims on Freedom Struggle of Bangla Desh	... 47
8065	आई. सी. एस. और आई. ए. एस. अधिकारियों के विरुद्ध जांच	Enquiries Against I C S and I A S Officers	48
8066	योजनाबद्ध परियोजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों को दी गई राशि	Amounts given to various States for Plan Projects	... 48
8067	अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को लाभ	Benefits to Scheduled Caste Persons	... 49
8068	बड़े एकाधिकार गृहों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of big Monopoly Houses	... 50

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
8069 संगम के सम्पादक, श्री गुलाम सर्वर की नजरबन्दी	Detention of Shri Gulam Sarvar, Editor of Sangam	50
8070 मिलावट वाली शराब बेचने वाले व्यक्तियों को दण्ड का बढ़ाया जाना	Enhanced Punishment for selling Adulterated Liquor	50
8071 औद्योगिक विकास निगम के कार्यालय का नरिमन प्वांइट बम्बई में स्थानान्तरण	Shifting of Offices of Industrial Development Corporation to Nariman Point Bombay ...	51
8072 उच्चतर शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजे गए भारतीय अधिकारी	Indian Officers sent abroad for Higher Studies and Training ...	52
8073 मध्य प्रदेश में चम्बल के बीहड़ों सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन दल	High Level Study Team for Chambal Ravines in M. P. ...	52
8074 आपातकालीन कमीशन के सेवामुक्त अधिकारियों का वेतन निर्धारण	Pay Fixation of Released Emergency Commissioned Officers ...	52
8075 डाक तथा तार महानिदेशालय द्वारा मनमाने ढंग से टेलीफोन कनेक्शन काटना	Disconnection of Telephone by D. G. P & T ...	53
9076 दिल्ली-उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण	Demarcation of Boundary between Delhi-Uttar Pradesh and Haryana Uttar Pradesh ...	54
8077 आसाम और नागालैंड में कागज मिलों की स्थापना पर व्यय	Expenditure in setting up of paper Mills in Assam and Nagaland ...	54
8078 आकाशवाणी और टेलीविजन पर वियटकांग का उल्लेख	Reference to Vietcong Over AIR and T. V. ...	55
8079 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मई दिवस की सार्वजनिक छुट्ठी	May Day as Public Holiday for Central Government Employees	54
8080 पावर बोर्ड ब्लेम एच. ई. एल. एण्ड बी. एच. ई. एल. शीर्षक के अन्तर्गत समाचार	Power Boards blame H. E. L. and B. H. E. L. ...	55
8081 केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड के कर्मचरियों के वेतन भत्ते आदि	Emoluments of Staff of Central Government Employees Consumer Cooperative Society Ltd. ...	56
8082 दुर्गापुर और तिरूची में वायलर प्लांट का विस्तार	Expension of boiler plants at Durga pur and Tiruchi ...	56
8083 वर्ष 1972-73 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत उड़ीसा के लिए नियत राशि	Allocations to Orissa under annual Plan for 1972-73 ...	57
8084 क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला, जोरहाट द्वारा लकड़ी के बुरादे से आक्सेलिक एसिड तैयार करने की विधि का निकास	Technique developed by regional research Laboratory Jorhat for preparing Oxolic acid from wood powder	57
8085 पिछड़े क्षेत्रों के लिए उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial assistance to U. P. for backward areas ...	58

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
8086	अधिकृत पाकिस्तानी क्षेत्रों का प्रशासन चलाने में स्थानीय लोगों द्वारा कियागया सहयोग	Cooperation extended by local people in running the administration of captured areas of Pakistan	... 58
8087	भारत अधिकृत क्षेत्रों में रहने वाले सिन्धियों का भारत आने-जाने की अनुमति	Movement of Sindhis living in areas under Indian Occupation	... 59
8088	आंसू गैस गोले फेंकने के लिये स्वदेशी गन का विकास	Development of Indigenous Gun for Lobbing Tear Gas Shell	... 59
8089	अपने अधिकार में लिए गए पाकिस्तानी क्षत्रों का प्रशासन	Administration of areas captured from Pakistan	... 60
8090	प्रतिभा पंलायन को रोकने के प्रयास	Efforts to stop brain drain	60
8091	नमक उत्पादन के अन्तर्गत कुल भूमि	Total acreage under salt production	... 60
8092	नमक के गैर सरकारी उत्पादों को पट्टे पर भूमि की प्रणाली को बन्द किया जाना	Abolishing the system of leasing out land to private salt producers	... 61
8093	उड़ीसा में नमक उत्पादकों को केन्यद्री सहायता	Central assistance to salt producers in Orissa	... 61
8094	विदेशों मे चोरी छिपे ले जाई गई कलाकृतियां	Art pieces smuggled to Foreign countries	... 61
8095	पूल अधिकारियों के रूप में इन्जीनियरों का पंजीकरण	Enrolment of engineering as Pool Officers	... 61
8096	त्रिचूर (केरल) में बड़े दुग्ध परिष्करण कारखाने के लिये लाइसेन्स	Licence for Large Scale Milk Processing Unit in Trichur (Kerala)	62
8097	डिस्क के उत्पादन के लिये कच्चा माल	Raw material for Manufacture—of DISC	... 62
8098	हार्वेस्टर कम्बाइनों का आयात	Import of Harvester Combines	63
8099	कृषि उपकरणों का निर्माण और इनकी मनमाने मूल्यों पर बिक्री	Manufacture and Sale of Agricultural Implements at Arbitrary Prices	63
8100	राज्यों में ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors in States	63
8101	भारतीय प्रशानिक सेवा तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए शिक्षा केन्द्र	Coaching Centres for Scheduled Castes and Scheduled Tribe candidates for IAS and other competitive Examinations	64
8102	पिछड़े वर्गों को लाभ	Benefits to Backward Classes	... 65
8103	गुजरात में पूर्जों को जोड़कर ट्रैक्टर बनाने के कारखाने को स्थापित करना	Setting up of Plant for Tractor Assembly in Gujarat	... 66
8104	खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि	Rise in prices of Foodstufls	... 66

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
8105 ट्रैक्टरों के उत्पादन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से सहायता	Aid from USA for Production of Tractors	... 67
8106 भारत में किसानों का मार्गदर्शन करने और प्रशिक्षण देने के लिए उपग्रह के उपयोग के लिए नासा के साथ करार	Agreement with NASA for the use of Satellite to Guide and Educate Farmers in India	... 67
8107 सूती कपड़ा उद्योग से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी देने के लिये मिश्र के साथ करार	Agreement with Egypt to provide Textile Know-how	68
8108 मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए योजना	Scheme for solving Unemployment problem in Madhya Pradesh	... 69
8109 मध्य प्रदेश के पिछड़े हुए क्षेत्र	Backward areas in Madhya Pradesh	... 69
8110 हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के प्रसार के लिये समिति की स्थापना	Setting up of a Committee reg. Promotion of Hindi and other Languages	69
8111 चौथी योजना के दौरान बिहार में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Bihar during Fourth Plan	... 70
8112 राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक	Meeting of the National Development Council	... 71
8113 तमिलनाडु पर हिन्दी को थोपे जाने के बारे में तमिलनाडु के मुख्य मंत्री का वक्तव्य	Statement of Tamil Nadu Chief Minister re. Imposition of Hindi on Tamil Nadu	... 72
8114 संगीत और नाटक विभाग के कलाकारों के वेतन मान	Pay Scales of Artistes of Song and Drama Division	... 72
8115 गैर सरकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Setting up of Industries in Private Sector	... 72
8116 हिन्दी के एकांकी नाटकों का चयन	Selection of Hindi One Act Plays	73
8117 हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे कर्मचारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Employees working under Hindi Training Scheme	... 73
8118 पंजाब में संयुक्त क्षेत्र में टायर ट्यूब बनाने का कारखाना	Tyre Tube Factory in Punjab in Joint Venture	... 73
8119 पत्र आदि प्राप्तकर्ताओं के पास पहुँचने वाली बिना मुहर की डाक टिकटें	Postage Stamps reaching Addressess without Defacing	... 74
8120 तांबे के तार की चोरी	Stealing of Copper Wire	74
8121 नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन में चोरी	Theft in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi	... 75
8122 हैदराबाद के सोशलिष्ट यूथ फार्म और डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस के प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों के बारे में प्रधान मन्त्री को प्रस्तुत किया गय ज्ञापन	Memorandum on R. R. S. Activities submitted to P.M. by Representative of Socialist Youth Forum and District Youth Congress of Hyderabad	... 75

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
8123	बिहार वेहिकल्स लि. फुलवारी, पटना का बन्द होना	Closure of Bihar Vehicles Ltd. Phulwari Patna	... 75
8814	बिहार सर्किल में इन्जीनियरिंग सुपर-वाइजर	Engineering Supervisors in Bihar Circle	... 76
8125	अस्थाई पदों को स्थाई पदों में बदलने के लिये डाक तथा तार विभाग के नियम	P & T Rules governing Conversion of Temporary posts into permanent ones	... 77
8126	डाक तथा तार कर्मचारियों को वर्दियों की सप्लाई	Supply of Uniforms to P & T Employees	... 77
8127	कार्मिक संघों तथा राजनीतिक दलों के नेताओं को राजनीतिक बन्दी समझा जाना	Treating of Leaders of Trade Unions and Political Porties as Political Prisoners	... 78
1828	मैसर्स यूनियन कारबाइड का विस्तार कार्यक्रम	Expansion Programme of M/S Union Carbide	... 7
8129	प्रखण्ड विकास समिति	Block Development Committees	... 79
8130	ग्रामीण तथा लघु उद्योग के लिये प्रौद्योगिकी ज्ञान उपलब्ध करने के लिए सैल	Cell to provide Technology for Village and Small Industry	... 79
8131	बाराचकिया बाजार, बिहार में टेलीफोन एक्सचैंज	Telephone Exchange at Barachakia Bazar, Bihar	... 80
8132	लघु उद्योग सेवा संस्थाओं द्वारा तकनीकी आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना	Techno-economic Reports by Small Industries Service Institutes	... 80
1833	कथैया उप-डाकघर, बिहार के लिये सरकारी भवन का निर्माण	Construction of Govt. Building for Kathaiyah Sub-post Office, Bihar	... 81
8134	बंगला देश की टेलीविजन व्यवस्था का कलकत्ता के टेलीविजन केन्द्र के साथ प्रस्तावित सम्बन्ध	Proposed Link up of Bangladesh T. V. with T. V. in Calcutta	... 81
8135	उत्तर प्रदेश के शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये दी गई धन राशि	Funds Provided to Government of U. P. for Providing Employment to Educated Persons	... 81
8136	गुजरात राज्य के लाइसेन्सों के लिये विचाराधीन आवेदन पत्र	Pending Applications from Gujarat for Licences	... 82
8137	उन गैर सरकारी फर्मों को विदेशी मुद्रा देना जिन्हें बिना विदेशी मुद्रा से उद्योगों की स्थापना के लिए आश्रय पत्र जारी किए गए हैं	Foreign Exchange to Private Parties to whom Letters of Intent issued for wetting up of Industries without Foreign Exchange	... 83
8138	दिल्ली में टेलीफोन उपभोक्ताओं के टेलीफोनों का दुरुपयोग	Misuse of Subscribers' Telephones in Delhi	... 84
8139	उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत केन्द्रीय सलाहकार परिषद्	Central Advisory Council under Industries (Developmend and Regulation) Act, 1951	... 84
8140	फिल्म अनुसन्धान निकाय	Film Research Body	... 85

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
8141	सरकारी उपक्रमों में काम कर रहे आई. सी. एस. और आई. ए. एस. अधिकारी	ICS and IAS Officers working in public Undertakings ...	85
8142	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मासिक, पाक्षिक और त्रैमासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन	Information and Broadcasting Ministry Publication of Monthly, Fortnightly and Quarterly Magazines	86
8143	खादी की बिक्री	Sale of Khadi	86
8144	सौदों को सट्टे-बाजी पर रोक	Ban on forward trading in Commodities ...	86
8145	कलकत्ता में टेलीविजन केन्द्र के लिए क्षेत्र का चयन	Area Selection for T. V. in Culcutta ...	87
8146	आकाशवाणी से हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के पाठों का प्रसारण	Lessons in Hindi and other languages over AIR	87
8147	योजना आयोग में अनुश्रवण और सूचना डिवीजन	Monitoring and Information Division in the Planning Commission ...	87
8148	आकाशवाणी और टेलीविजन केन्द्र में स्टेशन निदेशक की कार्यावधि	Tenure of Station Director, etc. in AIR and T. V. Centre ...	88
8149	फिल्मों के निर्माण, आयात और निर्यात के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की स्थापना	Public sector undertaking for Production, Import and Export of films ...	88
8150	उत्तर प्रदेश में शिक्षित और तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के लिये रोजगार कार्यक्रम	Employment programme for educated and technically qualified unemployed persons in Uttar Pradesh ...	88
8151	पुलिस पर 3.60 लाख रुपए के गबन का आरोप	Police charged with Swindling 3.60 lakhs ...	90
8152	आकाशवाणी के केन्द्रों से विज्ञापन कार्यक्रमों का प्रसारण	Advertisement Programme Broadcast from AIR Stations ...	90
8153	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति	Achievement of targets by States during Fourth Plan ...	90
8154	बिहार का औद्योगिक सर्वेक्षण	Industrial Survey of Bihar	91
8155	पुस्तकों के जाली संस्करणों की बिक्री	Sale of Fictious editions of Books ...	91
8156	भारत पाकिस्तान के युद्ध में मारे गए जवानों की विधवाओं और आश्रितों को डाक तथा तार विभाग में रोजगार देना	Appointment of widows and Dependents of Jawans killed in Ind-Pak. War in P & T Department ...	92
8157	समाचार पत्रों को विज्ञापन देना	Release of Advertisements to News Papers ...	92
8158	मध्य प्रदेश में स्विचिंग उपकरणों का कारखाना	Switching Equipment Factory in Madhya Pradesh	92
8159	टेलीविजन सेटों के उत्पादन और निर्यात में विदेशी सहयोग	Foreign collaboration in Production and Export of T. V. Sets ...	93

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
8160	डाक तार विभाग में सहकारी कैंटीनों को राज सहायता देना	Subsidy to Co-operative Canteens in P & T Department	93
8161	राष्ट्रीय फिल्म परिषद्	National Film Council	93
8162	डाकुओं द्वारा आत्मसमर्पण	Surrender by Dacoits	94
8163	विदेशी स्वामित्व वाले बागान तथा अन्य भूमि (अधिग्रहण) अध्यादेश, 1971	Foreign Owned Plantation and other Lands (Acquisition) Ordinance, 1971 ...	95
8164	तारापुर आणविक विद्युत केन्द्र	Tarapur Atomic Power Station	95
8165	इन्डियन रेअर अर्थस द्वारा 1971-72 के दौरान उपार्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Earned by Indian Rare Earths during 1971-72 ...	95
8166	मंत्रियों द्वारा आयातित कारों का प्रयोग	Use of Imported Cars by Ministers	96
8167	परमाणु अनुसन्धान के क्षेत्र में विकास	Development in the Field of Atomic Research	96
8168	औद्योगिक विकास मंत्री का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता	TA/DA of industrial Development Minister ...	97
8169	समाचार पत्रों को 10 पृष्ठों के प्रतिबन्ध के बारे में न्यायालय का निर्णय	Court Verdicts on 10 page restriction of Newspapers	98
8170	दिल्ली में नये टेलीफोन एक्सचेंज	New Telephone Exchanges in Delhi	99
8171	पुलिस द्वारा बरामद किए गए माल का विवरण रखना	Entries in Statement showing Recoveries made by Police, of various Articles ...	100
8172	शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए बिहार को दिया गया धन	Funds provided to Bihar for providing Employment to Educated Unemployed ...	100
8173	चौथी योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था करने हेतु अतिरिक्त धन राशि की आवश्यकता	Additional amount required for Financing Fourth Plan ...	101
8174	विदेशी मुद्रा का अनुचित रूप से व्यापार करने के कारण हुई वार्षिक हानि	Annual Loss as a result of Illegal dealings in Foreign Exchange ...	102
8175	सेवा विमुक्त किये गये आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों की अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति और अनुभाग अधिकारी के रूप में सीधी नियुक्ति के अधिकारियों के वेतन में अन्तर	Difference in pay of released ECOs. appointed as Section Offirers and Direct Recruit Section Officers ...	102
8176	अमरीकी सहयोग से रिकार्डों का निर्माण	Manufacture of Records with U.S. Collaboration ...	103
8177	मान्यता प्राप्त भारतीय तथा विदेशी संवाददाता	Accredited Indian and Foreign Correspondents ...	104

अता० प्र० संख्या U S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
8178	छोटे समाचार-पत्रों के प्रत्यायित प्रतिनिधि	Accredited Small Newspapers Representatives	... 104
8179	मैसर्स यूनियन कार्बाइड द्वारा लाइसेंस क्षमता से अधिक पीतल की चादरों का उत्पादन	Production beyond licensed capacity by M/S Union Carbide	... 105
8180	अन्तरिक्ष अनुसंधान कार्य-क्रम के सम्बन्ध में मास्को गया भारतीय प्रतिनिधि मण्डल	Indian Delegation gone to Moscow in connection with Space Research programme	... 106
8181	लक्षद्वीप द्वीपों का प्रशासकीय ढांचा	Administrative Set up in Laccadive Islands	... 106
	कालगेट पामोलिव (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड में लगाये गये कम्प्यूटर का लाभ एवं श्रमिकों पर प्रभाव	Effect of installation of Computer in Colgate Palmolive (India) Private Ltd. on profit	... 106
8183	आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र के मुअत्तिल कर्मचारी	Suspended Employees of AIR Delhi	... 107
8184	कालगेट पामोलिव (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड की बिक्री से आय	Sale proceeds of Colgate Palmolive (India) Private Ltd.	... 107
8185	कम सामान देकर कालगेट पामोलिव (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड द्वारा कमाया गया लाभ	Profits to Colgate Palmolive (India) Private Limited by underfilling the products	... 107
8186	यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते तथा अन्य भत्तों के रूप में मन्त्रियों द्वारा व्यय की गई धनराशि	Amount spent on Ministers by way of TA, DA and other Allowances	... 108
8187	ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति दैनिक आय में विषमता	Disparity in per capita Daily Income in Rural and Urban Areas	... 108
8188	भारत निर्मित ब्लेडों के मूल्य तथा किस्म	Price and quality of Blades manufactured in India	... 109
8189	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में भारतीय सांख्यिकीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को पुनः रोजगार देना	Re-employment of retired officrers of Indian Statistical Service ia National Sample Survey	... 109
8190	नागरिकों को नजरबंद करने के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	Judgement of Supreme Court on Detention of Citizens	... 109
8191	प्रधान मंत्री के अधीन विभिन्न विभागों में काम कर रहे अनुसूचित जातियों के अधिकारी	Scheduled Caste Officers working in various Departments under P.M.'s charge	... 110
8192	योजना आयोग के अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या	Number of Scheduled Caste Members of Planning Commission	... 110
8193	अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जातियों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाओं का दुरुपयोग	Misuse of Services of Class IV Scheduled Caste employees by Officers	... 110

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
8194	संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन तथा अन्य विदेशों में अन्य नियुक्तियों के लिए प्रायोजित किये गये अनुसूचित जाति के व्यक्ति / Scheduled Caste persons sponsored for UNO.' ILO and other foregin assignments	... 111
8195	संगणकों का आयात तथा निर्माण / Import and Manufacture of computer	... 112
8196	भारत के नियंत्रणाधीन क्षेत्रों में रहने वाले पाकिस्तानियों को राहत देने हेतु सहायता / Assistance for relief to people of Pakistan living in areas under India's control	... 112
8197	अपर्याप्त डाक कर्मचारी / Inadequate Postal Staff	... 113
8198	दृश्य, श्रव्य प्रचार निदेशालय द्वारा छोटे नागपुर के साप्ताहिक पत्रिकाओं को विज्ञापन देना / DAVP Advertisements to Chhotanagpur weeklies	... 113
8199	राष्ट्रीय डाक संहिता / National Postal Code	... 114
8200	वैज्ञानिकों की भर्ती / Recruitment of Scientists	... 114
8201	आकाशवाणी कार्यक्रम 'अपने देश की बात' / AIR programme [Apne Desh ki Bat]	... 115
8202	आकाशवाणी के विदेश सेवा कार्यक्रम विभाग में हिन्दी और नेपाली आलेखों को स्वीकार करना / Acceptance of Hindi and Nepali manuscripts in External Services Division of Akashvani	... 115
8203	नैनी स्थित इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज यूनिट में नौकरी के लिये उत्तर प्रदेश से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये अधिकारी / Officers on deputation from U. P. for Employment in ITI Naini	... 115
8204	टेलीविजन स्टाफ आर्टिस्टों के वेतनमानों का पुनरीक्षण / Revision of Pay Scales for T.V. staff Artistes	... 116
8205	उड़ीसा में मैडिकल बिलों की हेराफेरी करने वाला गिरोह / Medical Bills Racket in Orissa	... 116
8206	मैसर्स प्रजा शेकरी उद्योग भरतपुर द्वारा एकत्रित की गई शेयर पूंजी / Amount of share money collected by m/s Praja Shekari Udyog Bharatpur	... 117
8207	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की सूची / List of Scheduled Casts and Scheduled Tribes	... 117
8208	विदेशों द्वारा बड़े उद्योग स्थापित किया जाना और उनका पूंजी निवेश / Setting up a big Industry by Foreign Countries and their Capital Investment	... 118
8209	हिन्नी दैनिक अवन्तिका के परिचालन के बारे में चार्टर्ड एकाउन्टेंटों द्वारा गलत प्रमाण पत्र दिया जाना / Issue of wrong Certificates Reg. Circulation of Avantika by Chartered Accountants	... 118
8210	औद्योगिक विकास के लिए केरल से योजना / Scheme from Kerala for Industrial Development	... 119

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
8211	क्विलोन (केरल) में उद्योग स्थापित करना	Setting up of Industries in Quilon (Kerala)	... 119
8212	केरल के पिछड़े हुए जिले में उद्योग	Industries in backward District of Kerala	... 120
8213	रायल-सीमा के लिये तेलगाँना क्षेत्रीय समिति जैसी क्षेत्रीय समिति	Regional Committee for Rayalaseema on the Pattern of Telengana Regional Committee	... 120
8214	रायलसीमा (आंध्र प्रदेश) में उद्योग	Industries in Rayalaseema (A. P.)	... 121
8215	श्री टी० प्रकाशम पन्थूलू की जन्म शताब्दी के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी करना	Issue of Commemorative stamp of Shri T. Prakasam Panthulu to coincide with his birth Centenary	... 122
	आंध्र प्रदेश में परमाणु बिजली घर	Nuclear power plant in Andhra Pradesh	... 122
8217	लक्ष्मबर्ग में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की वर्कशाप स्थापित करने के बारे में प्रस्ताव	Proposal to set up HMT workshop in Luxemberg	... 122
8218	आंध्र प्रदेश द्वारा बनाई गई क्षेत्रीय-करण योजना	Regionalisation plan formulated by Andhra Pradesh	... 123
8219	विकसित तथा पिछड़े वर्गों के लिये लाइसेंस जारी करना	Issue of licences for doveloped and backward areas	... 123
8220	ग्रामीण क्षेत्रों को जल की सप्लाई	Supply of water to Rural Areas	... 124
8221	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में अनुसंधान तथा विकास कार्य	Research and dovelopment work in HMT	... 125
8222	उत्तर प्रदेश में फसल लूटे जाने के फलस्वरूप गोली चलना	Firing as a result of looting of crops in Uttar Pradesh	... 125
8223	6 महीने से कम कारावास का दण्ड भुगतने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को पैंशन	Grant of Pension to Freedom Fighters who underwent imprisonment for less than six months	... 125
8224	बीकानेर (राजस्थान) में गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी जासूसों से बरामद किये गये गुप्त दस्तावेज	Secret documents recovered from Pak spies arrested in Bikaner (Rajasthan)	... 126
8225	छूआछूत बरतने के मामले दर्ज करना और इस सम्बन्ध में दन्डित किए गए व्यक्ति	Registration of cases for practising untouchability and persons awarded punishment on this account	... 126
8226	मध्य प्रदेश में विज्ञान अकादमी की स्थापना	Opening of Science Academy in Madhya Pradesh	... 126
	दिल्ली के नागरिक सुरक्षा संगठन में स्टाफ कार के प्रयोग के सम्बन्ध में दिनांक 16 दिसम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4953 के उत्तर में शुद्धि	Correction of answer to USQ. No. 4953 dated December 16, 1970 re. use of staff car in Civil Defence Organisation of Delhi	...

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में (प्रश्न)	Re: Question of Privilege (Query)	... 127
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	... 129
वित्तीय समितियाँ-एक समीक्षा	Financial Committees--A Review	... 135
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajsa Sabha	... 135
विधेयकों पर सम्मति	Assent to Bills	... 136
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public undertakings	... 136
22 वाँ प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	Twenty-Second Report and Minutes	... 136
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	Committee on the welfare of Scheduled Casts and Scheduled Tribes	... 136
आठवां, नौवां और दसवां प्रतिवेदन	Eighth, Ninth and Tenth Reports	... 136
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति-दूसरा प्रतिवेदन	Joint Committee on Offices of Profit Second Report	... 137
विधेयक पुरःस्थापित	Bill Introduced	... 137
(एक) विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक	Disturbed Areas (Special Court) Bill	... 137
(दो) दंड विधि (संशोधन) विधेयक	Criminal Law (Amendment) Bill	... 137
अवक्रय विधेयक	Hire Purchase Bill	... 138
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider as passed by Rajya Sabha	... 138
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	... 138
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey	... 140
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan	... 140
श्री फूल चन्द वर्मा	Shri Phool Chand Verma	... 141
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhari	... 141
खंड 2 से 31 और 1	Clause 2 to 31 and 1	... 142
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	... 142
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक	Aligarh Muslim University (Amendment) Bill	... 149
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	... 149
प्रो० एस० नूरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan	... 150

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
कम्पनी विधि का उल्लंघन करके एक कंपनी द्वारा भारी संख्या में इश्तहार छपवाये जाने के आरोप के बारे में प्रस्ताव	Motion Re : Allegation of Publication of Large Number of Posters by a Company in Violation of Company Law	... 152
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	... 152
श्री प्रिय रंजनदास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	... 157
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	... 158
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	Shri K. P. Unnikrishnan	... 159
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	... 159
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	... 161
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	... 161
डा० हैनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin	... 162
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	... 163
श्री आर० के० सिंह	Shri R. K. Sinha	... 164
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty	... 164
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	... 166
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate	... 166
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	... 168
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim	... 170
श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey	... 171
श्री के० पी० रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy	... 173

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 31 मई, 1972/10 ज्येष्ठ, 1894 (शक)
Wednesday, May 31, 1972/ Jyaistha 10, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the chair*]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBER SWORN

श्री अरविन्द कुमार मोहन लाल पटेल (राजकोट)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सिनेमा घरों में राष्ट्रीय गान की धुन का बजाया जाना

*1063. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिनेमा घरों में राष्ट्रीय गान की धुन का बजाया जाना बन्द किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : I want to know whether the Hon. Minister is aware of the fact that proper respect is not paid to the National Anthem in the Cinema Houses ? It is an insult to the National Anthem. Taking this into consideration, I want to know whether Government will consider to playing of the National Anthem is Cinema Houses ?

श्रीमती नन्दिनी सतपथी : हमारा सिनेमा घरों में राष्ट्रीय धुन के बजाने को बन्द करने का कोई विचार नहीं है । यह सच नहीं है कि राष्ट्रीय धुन को सिनेमा घरों में उचित सम्मान नहीं दिया जाता । वास्तव में गत कुछ वर्षों से लोग इसके अभ्यस्त हो गये हैं और राष्ट्रीय धुन के बजाये जाने के समय खड़े हो जाते हैं और उसे पूरा सम्मान देते हैं । यह हो सकता है कि कुछ मामलों में कुछ व्यक्तियों ने इसके प्रति उचित सम्मान न दिखाया हो । इसका यह अभिप्राय नहीं है कि हमें राष्ट्रीय धुन बजाना बन्द कर देना चाहिये । ऐसा करने से उन्हें इसे सीखने का कभी भी अवसर नहीं मिलेगा ।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : The reply of the Hon. Minister is far from the facts. Everybody is aware of the fact that proper respect is not paid to the National Anthem is Cinema Houses. I want that the Hon. Minister should inspect Cinema Houses personally, and then re-consider the matter.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I want to know whether proper respect is not paid to the National Anthem is small cities. I would like to know whether arrangements are being made to Check the people from leaving Cinema Halls at the time of playing the National Anthem and if necessary to impose fines on them.

श्रीमती नन्दिनी सतपथी : वास्तव में हम यह चाहते हैं कि लोग राष्ट्रीय धुन के प्रति सम्मान प्रकट करना सीखें । यह हो सकता है कि कुछ स्थानों पर राष्ट्रीय धुन को उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा हो । इस सम्बन्ध में हम सब राजनीतिक दलों और उन लोगों से सहयोग चाहते हैं जो देश में जनता को शिक्षित करने के लिये उत्तरदायी हैं ।

Shri Nawal Kishore Sinha : I want to know whether it is a fact that doors of Cinema Houses are kept Closed till the films continue and they are immediately opened as soon as the National Anthem is played ? Will the Government issue instructions to the owners of Cinema Houses that gates of Cinema Houses should remain closed at the time of playing the Natic nal Anthem ?

श्रीमती नन्दिनी सतपथी : सिनेमा घरों से यह आशा की जाती है कि वे राष्ट्रीय धुन की समाप्ति तक दरवाजे बन्द रखें । ऐसा न करने की मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है । सिनेमा घर राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं । अनेक बार पहले ही राज्य सरकारों और विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों को इस पहलू पर ध्यान देने का अनुरोध किया गया है । हम उनसे इस ओर फिर ध्यान देने का अनुरोध करेंगे ।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हमारे देश की तुलना में अन्य देशों में राष्ट्रीय धुन को अधिक सम्मान दिया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : वह राय जानना चाहते हैं ।

श्री समर गुह : माननीय मंत्री ने बताया कि सिनेमा राज्य क्षेत्र का विषय है । लेकिन राष्ट्रीय धुन केन्द्र का विषय है ।

अध्यक्ष महोदय : वह कोई भी विषय केन्द्र का विषय बना सकते हैं।

श्री समर गुह : मुझे संदेह है कि माननीय मंत्री को कभी सिनेमा जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन यह उन लोगों का अनुभव है जो प्रतिदिन सिनेमा देखने जाते हैं और उन्हें विदित है कि राष्ट्रीय धुन के समाप्त होने से पूर्व ही लोगों की एक भीड़ दरवाजे की ओर दौड़ती है, जो बहुत बुरी बात है। यह एक हास्यास्पद देश भक्ति है। यह बात समझ में नहीं आती कि केवल सिनेमा घरों को ही इस प्रकार की हास्यास्पद देश भक्ति के लिये क्यों चुना गया है। अन्य सामुदायिक कार्य क्यों छोड़ दिये गये हैं ? क्या सरकार इस विषय पर पुनः विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल सिनेमा घरों से सम्बन्धित है।

श्रीमती नन्दिनी सतपथी : किसी भी जगह राष्ट्रीय धुन का अपमान नहीं किया गया है। लेकिन सिनेमा घर ऐसे स्थान हैं जहां सब प्रकार के लोग एकत्र होते हैं। चीनी आक्रमण के समय वर्ष 1963 में इसको लागू किया गया था। उस समय यह विचार व्यक्त किया गया था कि लोग राष्ट्रीय एकता की भावना को समझें और राष्ट्रीय धुन का सम्मान करना सीखें। सिनेमा घरों में सब प्रकार के लोग एकत्र होते हैं और इसीलिये यह निर्णय लिया गया था और सिनेमा घरों के मालिकों से अनुरोध किया गया था कि इसे फिल्म के अन्त में बजायें।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : जैसाकि मेरी सहयोगी ने बताया, इस बारे में चीनी आक्रमण के समय निर्णय लिया गया था। यह निर्णय किया गया था कि राष्ट्रीय धुन न केवल 'सिनेमा शो' समाप्त होने पर बजाई जाये बल्कि प्रत्येक समारोह के बाद भी बजाई जाये।

यह प्रत्येक कार्यक्रम के अन्त में बजाई जाती है। सिनेमा घरों में राष्ट्रीय धुन बजाने से बहुत बड़ी संख्या में उन लोगों को इसे सुनने और जानने का अवसर मिलता है जो वैसे इससे अनभिज्ञ रहते हैं। यह कोई नीति अथवा सिद्धान्त का मामला नहीं है। हम यह चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग राष्ट्रीय धुन को सीखें। केवल सुनने मात्र से ही उन्हें इसकी धुन और शब्दों को पहचानने में सहायता मिलती है। यदि यह अनुभव किया गया कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिये तो इस विषय पर फिर से विचार किया जा सकता है। लेकिन यह कहना उचित नहीं है कि यह केवल विनोद के लिये बजाई जाती है। यह सच है कि अनेक सिनेमा घर राष्ट्रीय धुन के समय सिनेमा के दरवाजे खोल देते हैं और मेरे विचार से इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी चाहिये लेकिन जब तक हमें संसद सदस्यों से, चाहे वे विरोधी दल के हों अथवा हमारे अपने दल के, सहयोग नहीं मिलेगा हम सिनेमा घरों के मालिकों को इसके लिये मजबूर नहीं कर सकते। राज्यों की नगरपालिकाएं अथवा निगम अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकरण इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकती हैं। श्री पीलू मोदी ने मजाक में कहा था कि क्या विरोधी नेताओं ने राष्ट्रीय धुन न बजाने का अनुरोध किया है। जहाँ तक टेलीविजन पर राष्ट्रीय धुन न बजाने का सवाल है ऐसा निर्णय उनके अनुरोध पर ही किया गया था।

श्री पीलू मोदी : युद्ध के दौरान जब हम एक बार मिले थे तो यह सुझाव दिया गया था कि सिनेमा घरों में राष्ट्रीय धुन का बजाया जाना बन्द किया जाना चाहिये और यदि मुझे ठीक प्रकार याद है तो आपने भी मेरे विचार को पसंद किया था। मैं इस बारे में यह सुझाव देना चाहूँगा कि आकाशवाणी पर राष्ट्रीय धुन बजाये जाने का विचार बुरा नहीं है, क्योंकि इससे बहुत से श्रोताओं

को इसे सुनने का अवसर मिलेगा। अभी परसों ही मैं विज्ञान भवन गया था जहां, संसद सदस्यों को एक फिल्म दिखाई जा रही थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी वहाँ उपस्थित थे। राष्ट्रीय धुन के बजाये जाने के समय भी अनेक व्यक्ति भवन छोड़ कर जा रहे थे।

यह बहुत असम्मानपूर्ण बात है। ऐसा करना उचित नहीं है।

अत. मैं यह अनुरोध करूंगा कि यदि प्रधान मंत्री इस बारे में बहुत उत्सुक हैं, तो वह इसे आकाशवाणी पर जारी रख सकती हैं लेकिन सिनेमा घरों में इसे बन्द किया जाना चाहिये।

Shri R. S. Pandey: I saw the Film 'Pakeeza' yesterday. At the end of the Show when the National Anthem was being plaged, all the people were standing. It is, therefore, not true to say that the people show disrespect to the National Anthem. I want to suggest is this respect that if the people are asked to show respect to the National Flag and National Anthem, they would pay more respect to it.

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है।

बर्दवान जिले में कटवा स्टेशन पर सीमा सुरक्षा दल के एक सब-इंस्पैक्टर द्वारा कालेज के एक छात्र को मार दिये जाने की जांच

\+

***1064. श्री पी० गंगादेब** :
श्री एम०एस० शिवस्वामी : } क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 मई, 1972 को बर्दवान जिले में कटवा स्टेशन पर सीमा सुरक्षा दल के एक सब-इंस्पैक्टर द्वारा कालेज के एक छात्र को मार दिये जाने और एक कालेज अध्यापक के घायल किये जाने के मामले की कोई जाँच कराई गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम निकला और उक्त सब-इस्पैक्टर के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : सीमा सुरक्षा दल के सब-इंस्पैक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा स्थानीय पुलिस द्वारा घटना से सम्बन्धित एक मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 (हत्या) के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा मामले की अभी जाँच-पड़ताल की जा रही है। सब-इंस्पैक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है तथा पुलिस द्वारा मामले में निर्णय लिये जाने के बाद आगे उपयुक्त विभागीय कार्यवाही की जायगी।

श्री पी० गंगादेब : क्या केन्द्रीय सरकार या पश्चिम बंगाल सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने देने के लिए सीमा सुरक्षा दल को कोई मार्गदर्शी निदेश दिए हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस संबंध में ऐसे निदेशों की कोई आवश्यकता नहीं है। जब यह घटना घटी वह सब-इंस्पैक्टर छुट्टी से लौट रहा था और यदि वास्तव में घटना इसी प्रकार घटी है तो यह बहुत ही गम्भीर मामला है। चूंकि मामला न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री पी० गंगादेब : क्योंकि ऐसी घटनाओं से स्पष्ट है कि छात्र वर्ग, जनता और पुलिस के संबंध इतने अच्छे नहीं हैं, तो पुलिस के प्रति जनता का सौहार्द बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस विशेष घटना से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में छात्रों और पुलिस के सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं । इस घटना का आरम्भ साधारण और आम है, सिवाय इस बात के कि अन्ततः गोली चली जिसके परिणामस्वरूप एक की मृत्यु हुई और एक व्यक्ति घायल हो गया । ऐसे झगड़े तो होते ही रहते हैं ।

Shri R. R. Sharma : I want to know under what section he is being prosecuted and whether he is under custody or on bail ?

Shri K. C. Pant : Under Section 302.

Mr. Speaker : Are the Offences under Section 302 bailable ?

Shri Ishaq Sambhali : Yes Sir.

Shri K. C. Pant : I do not know Whether he is on bail or not.

Shri Ishaq Sambhali : Will the Government find out whether he has managed the bail and whether Government would try to get it cancelled ?

Shri K.C. Pant : Government do not interfere in legal proceedings.

Shri Ishaq Sambhali : How can be say that Government daily go to appeal in Court cases ?

Reorganiation of Postal Areas

***1065. Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) Whether Government propose to reorganise the postal areas in the country ;

(b) if so, the number of postal areas in which Madhya Pradesh is proposed to be divided ; and

(c) whether certain districts of Madhya Pradesh fall under Uttar Pradesh postal zone at present ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) & (b) : Assuming that the term "Postal Areas" refers to Postal Divisions it may be said that the workload of the existing postal Divisions is being reviewed on the basis of the norms laid down by the Staff. Inspection Unit of the Ministry of Finance and new Divisions are created wherever justified. In Madhya Pradesh Circle, two new Postal Divisions have heen sanctioned since the adoption of the Staff Inspection Unit norms in June ; 1971.

(c) The Railway Mail Service Office at Gwalior is under the control of Uttar Pradesh P&T Circle.

Dr. Laxminarain Pandey : Two new postal Divisions have been sanctioned in view of work-load in Madhya Pradesh. I want to know whether the new Divisions have started functioning and if not, when and where their headquarters would be located ?

Shri H. N. Bahuguna : After the sanction, necessary orders were issued to the Post Master General in June, 1971. It is for him to locate their headquarters. I do not know whether they have started functioning or not but since orders were issued in June, 1971, these Divisions must have started functioning by now.

Dr. Laxminarain Pandey : Why R. M. S. Circle of Gwalior has been merged with U.P., when Generally all the Circles in a State are aligned to that State itself ?

Shri H. N. Bahuguna : R. M. S. Sub-Circles are not co-terminus with Zonal Circles. They are created according to railway connections and divisions in the Country in order to have better control on the situation arising from to and fro traffic from one place to another. Hence, Gwalior has been aligned with to Jhansi.

Dr. Laxminarain Pandey : Have the R. M. S. employees submitted a Memorandnm demanding non-alignment of Gwalior with Jhansi ?

Shri H. N. Bahuguna : They had submitted their demand to the Post Master General but according to Postal and telegraph facility, this very arrangement appears to be proper as has been the case in Orissa, Bengal, Bihar and Uttar Pradesh.

Shri A. B. Vajpayee : Is it a fact that certain Divisions are being reorganised and one office is being shifted from Gwalior to Guna due to which many employees shall have to leave Gwalior ? I want the hon. Minister to reconsider this shifting and want to know as to what necessitated this ?

Shri H. N. Bahuguna : The employees themselves want increase in the number of Divisions, so that their promotional evanues may increase. The new Division will have to be located with its headquarters at Guna and some employees shall have to be shifted there but we would ensure that they are disturbed the least.

'कार्मिक प्रशासन' के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

*** 1066. श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'कार्मिक प्रशासन' के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने कोई निश्चित कदम उठाए हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अब तक कितने प्रतिशत सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) Government have taken steps to implement those recommendations of the Administrative Reforms Commission on Personnel Administration, which have been accepted.

(b) Does not arise. Government have taken decisions on more than 50 per cent of the recommendations.

Shri K. C. Pandey : For this 1 heartily congratulate the Hon. Minister.

Shri Bhagwat Jha Azad : From the reply, it appears that Government have accepted the recommendations of A. R.C. but it is not clear as to what is the extent of their implementation ? I want to know whether acceptance includes implemention ?

Shri Ram Niwas Mirdha : The process of implementation starts after acceptance and this process has been started.

Shri Bhagwat Jha Azad : How many recommendations have been accepted and how many of them have been implemented ?

Shri Ram Niwas Mirdha : Further action has been initiated on all the accepted recommendations.

श्री पी० बेंकटासुब्बया : माननीय सदस्य ने मंत्री जी को 50 प्रतिशत सिफारिशें स्वीकार करने के लिए बधाई दी है । क्या इसका अर्थ है कि शेष 50 प्रतिशत को स्वीकार नहीं किया गया, यदि हां, तो क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न का भाग (ख) है ।

श्री राम निवास मिर्धा : सरकार द्वारा 50 प्रतिशत से अधिक सिफारिशों पर निर्णय करने का अर्थ यह नहीं है कि शेष सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया है । शेष सिफारिशों पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है और यथाशीघ्र शेष सिफारिशों पर निर्णय कर लिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : श्री जगन्नाथ राव जोशी-अनुपस्थित, श्री इन्द्रजीत गुप्त ।

अमरीका की इंटरनेशनल टेलीफोन एण्ड टेलीग्राफ कारपोरेशन के साथ ठेका

* **1068. श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री राम कवर : } क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चिली जैसे अनेक देशों में इन्टरनेशनल टेलीफोन एण्ड टेलीग्राफ कारपोरेशन की गुप्त जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के बारे में हाल ही में अमरीकी प्रैस में किये गये रहस्योद्घाटनों की जानकारी है;

(ख) क्या इन रहस्योद्घाटनों को ध्यान में रखते हुए इन्टरनेशनल टेलीफोन एण्ड टेलीग्राफ कारपोरेशन के साथ इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज के ठेके की अवधि को आगे बढ़ाने की मन्जूरी नहीं दी जायेगी ; और

(ग) भारत में काम कर रहे इन्टरनेशनल टेलीफोन एण्ड टेलीग्राफ कारपोरेशन के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) इस विषय पर हाल ही में छपी प्रैस रिपोर्टों को सरकार ने देखा है ।

(ख) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर द्वारा इण्टरनेशनल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन (आई० टी० टी० कार्पोरेशन की सह कम्पनी)तथा बैल टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बेलजियम (इण्टरनेशनल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन के सहयोगी) के साथ किये गए सहयोग करार की अवधि 20 मई 1972 को समाप्त हो गई है । इस करार की कालावधि बढ़ाने के निर्णय को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है ।

(ग) कुल मिलाकर 21 तकनीशियन भारत आए जिनका विवरण इस प्रकार है :—

जिस वर्ष तकनीशियन आए	आई० टी० टी० ——	वी० एम० टी० के कर्मचारी
1964	कोई नहीं	4
1965	कोई नहीं	6
1966	कोई नहीं	3
1971	कोई नहीं	7
1972 (पहली मई तक)	1	कोई नहीं

श्री इन्द्रजीत गुप्त : भाग (क) के उत्तर से मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय यह कहेंगे कि सरकार ने इन प्रकाशित समाचारों को देखा है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस तथ्य को देखते हुए कि इन समाचारों का खंडन नहीं किया गया है और इनका स्रोत वही सुप्रसिद्ध पत्रकार जैक एंडरसन है जो विभिन्न क्षेत्रों में अमरीकी गुप्तचर विभाग की कार्यवाहियों का पर्दाफाश कर रहा है, सरकार इस रहस्योद्घाटन के उपरान्त समाप्त हुए ठेके की अवधि और बढ़ाने की अपेक्षा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने और महत्वपूर्ण सरकारी उपक्रमों को संभावित विध्वंसक कार्यवाहियों से बचाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : मैं माननीय सदस्य की चिन्ता को समझता हूं और मैं उनको आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार पूरी तरह से तैयार है और समूची बात की जाँच कर रही है जिससे राष्ट्रीय हितों को इस प्रकार की हानि न पहुँचे, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और संचार मंत्रालय आपस में एक दूसरे से यह सुनिश्चित करने हेतु संपर्क बनाए हुए हैं कि इस प्रकार की घटना यहां न घटे। यह सच है कि इस कंपनी की अमरीकी गुप्तचर विभाग की कार्यवाहियों को उस कंपनी ने अथवा अधिकारिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति ने आपत्तिजनक नहीं बताया है परन्तु जहां तक हमारा संबंध है, इस करार की अवधि बढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि तकनीकी जानकारी अथवा बेलजियम द्वारा सप्लाई किया गया उपकरण अर्थात् बी० टी० एम० घटिया प्रकार का है और हम गत एक वर्ष से इस पर कार्य कर रहे हैं और अभी हम परिशोधन कार्यक्रम पर कार्य कर रहे हैं। यह पूरी बात परिशोधन कार्यक्रम के संपूर्ण हित में है जिस पर अभी कार्य चल रहा है और इसके कारण इस शर्त पर हमने इसे एक वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय किया है कि हम बी० टी० एम० को गत वर्ष का सहयोग शुल्क नहीं देंगे और उनको यहां रोकने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि परिशोधन कार्यक्रम पूरा हो जाये।

मैं माननीय सदस्य और सभा को एक बार पुनः आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार ऐसी बातों को अनुमति नहीं देगी जो राष्ट्र के हितों को हानि पहुंचाती हो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ये महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन हैं। श्रीमन्, आप सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के अध्यक्ष भी थे। मेरी आपसे अपील है, मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है आप उसकी महत्ता पर विचार कीजिये, यह बात मान ली गई है कि यह अमरीकी गुप्तचर विभाग की एजेंसी है फिर भी इसको हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी उपक्रम में तकनीकी सहयोगी के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है और गत 7 वर्ष के दौरान उन्होंने जो कुछ किया अर्थात अनुबंध की अवधि के दौरान जो कुछ उन्होंने किया उसकी सरकार पूर्व तिथि से किस प्रकार जांच कर सकती है कि उन्होंने पहले क्या गलत कार्य किये हैं।

मेरा दूसरा प्रश्न है कि औद्योगिक नीति संकल्प, जिसको संसद द्वारा पारित किया गया था, के किन प्रावधानों के अंतर्गत इन कंपनियां यथा बी० टी० एम० और आई० एस० ई० सी० को, जो दोनों आई० टी० टी० तथा आटोमैटिक टेलीफोन एंड इलेट्रिक कंपनी आफ लिवरपूल की सहायक कंपनियां हैं, यहां कार्य करने की अनुमति किस प्रकार दी गई है ? औद्योगिक नीति संकल्प के किस खड के अन्तर्गत इन विदेशी गैर सरकारी कपनियों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में शेयर खरीदने की अनुमति दी गई है जो एक मामले में 67 लाख रुपये की है तथा दूसरे मामले में 16 लाख रुपये की है ? यह एक अद्भुत बात है। ऐसी बात पहले कभी नहीं हुई है। एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को अपने 70 अथवा 80 लाख रुपये के मूल्य के शेयर गैर सरकारी विदेशी कंपनियों द्वारा, जो कतिपय एकाधिकारी अंतरराष्ट्रीय उपक्रमों से संबंधित है, खरीदने की अनुमति दे दी गई है, यह कैसे किया गया है ? क्या यह विध्वंस अथवा औद्योगिक नीति संकल्प, जिसमें सरकार का भी हाथ था, का जानबूझ कर किया गया उल्लंघन नहीं है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : हमने बी० टी० एम०, जो अमरीकी गुप्तचर विभाग की कार्यवाहियों में अन्तर्ग्रस्त नहीं पाई गई है, के साथ सहयोग किया हुआ है। यह सच है कि श्री जैक एंडरसन ने अपने पत्रों में, जो प्रकाशित हो गये हैं, आई० टी० टी० का उल्लेख किया है। जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि उन्हें उस समय बहुत कम मूल्य का शेयर दिया गया था जो कम्पनी की कुल शेयर पूंजी का 3.46 प्रतिशत है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह प्रतिशत में है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जी हां, यह 3.46 प्रतिशत है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसका मूल्य लगभग 60 लाख रुपये हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यह कुछ अधिक है, अर्थात लगभग 70.30 लाख रुपये है। और जहां तक इन्टरनेशनल कारपोरेशन, न्यूयार्क का सम्बन्ध है, उनका शेयर का मूल्य 12.7 प्रतिशत है, औद्योगिक नीति संकल्प के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया था कि कम मूल्य के साम्य शेयर खरीदे जा सकते हैं जिनकी मनाही नहीं हैं। अतएव 1964 में जब यह निर्णय मेरे पूर्वाधिकारी अथवा सरकार ने लिया था तो मेरे विचार में यह उल्लंघन नहीं है। निश्चय ही श्री इन्द्रजीत गुप्त इस विषय पर कुछ और अधिक कहना चाहते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकारी क्षेत्र में अल्प-भाजिता की अनुमति दी गई थी ?

श्री एस० एम० बनर्जी : इस विषय पर यहां चर्चा की गई थी और यह बार-बार कहा गया था कि इस विदेशी कम्पनी का सबसे बड़ी अमरीकी गुप्तचर विभाग व्यवस्था पर नियन्त्रण था। यह पाया गया था कि चिली में प्रधान मंत्री और हमारे देश के राष्ट्रपति की वार्ता को वे बीच में सुन रहे थे, उनको उन स्थानों से निकाल दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि इन सबके पीछे क्या मन्तव्य था, आप उनको समझौते के लिए क्यों आमंत्रित करते हैं ? इस समझौते के अंतर्गत कौन किसको सुधारेगा ? क्या वे स्वयं को सुधारेंगे अथवा क्या वे अमरीकी गुप्तचर विभाग के एजेन्ट को सुधारेंगे ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस अन्तिम समय पर इस समझौते को रद्द कर दिया जायेगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि इस सभा में 1964 में क्या चर्चा की गई थी, जब समझौता किया गया था, मुझे अभी उन तथ्यों पर जानकारी नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह संसदीय रिकार्ड में है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इस समय मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, परन्तु मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आई० टी० टी० चिली में गलत कार्य कर सकता है परन्तु वह यहां कुछ नहीं कर सकता है । वह चिली में समूची दूर संचार प्रणाली को चला रहा है । उनके वहां लगभग 8000 कर्मचारी हैं जिनमें से अधिकांश अमरीकी और वे आसानी से विध्वंस कार्य-वाहियों में संलग्न हो सकते हैं । यहां वे ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं और यहां जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वे जनवरी, 1973 को वापिस जा रहें हैं । हम उन्हें उस अवधि से आगे नहीं रखेंगे ।

पंजाब में शिक्षित बेरोजगारों के लिए योजनाएं

* 1069. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 के दौरान शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए पंजाब को कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ख) अब तक उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : शिक्षित बेरो-जगारों की समस्या से निपटने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई विभिन्न स्कीमों के लिए केन्द्रीय बजट में लगभग 25 करोड़ रुपये का जो प्रावधान किया गया था, उसमें से लगभग 35.49 लाख रुपये पंजाब सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली जैसी स्कीमों के लिए रखे गये थे । आबटित और वास्तविक रूप से किए गए धन का स्कीमवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

(लाख रुपये)

क्रम सं०	मंत्रालय/स्कीमें	निधियां	
		आबंटित	वस्तुतः मुक्त
1	2	3	4
1	**शिक्षा मंत्रालय**		
	प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार	2.14	2.14+
2	**औद्योगिक विकास मंत्रालय**		
	छोटे उद्यमियों को सहायता	30.00	30.00+
3	**कृषि मंत्रालय**		
	कृषि सेवा केन्द्र	2.45	शून्य
4	**जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय**		
	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सड़क निर्माण कार्यों के बारे में अन्वेषण सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही	0.20	शून्य
5	**स्वास्थ्य मंत्रालय**		
	ग्रामीण जल सप्लाई	0.70	शून्य
	जोड़:	35.49	32.14

+ वास्तविक खर्चे के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : पंजाब में भारी बेरोजगारी को देखते हुए 35 लाख रुपये बहुत कम हैं। मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि क्या पंजाब सरकार ने इस धनराशि को बढ़ाने के संबध में योजना मंत्री को लिखा है ?

श्री मोहन धारिया : ये योजनाएँ गत वर्ष की हैं। वर्तमान वर्ष में कई योजनाएं हाथ में ली गई हैं, और पंजाब सरकार ने हमें लिखा था और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा की थी और जब हमने वार्षिक योजना 1972-73 को अन्तिम रूप दिया था तो उन्होंने इसे योजना में शामिल कर लिया है।

Shri Lalji Bhai : I want to know the numbers of educated unemployed in Punjab and how many are going to be absorbed in the scheme and which plan is being finalised by the Government to absorb the rest of the educated unemployed ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न केवल पंजाब सरकार को आवंटित कुल धनराशि से संबंधित है।

Shri Lalji Bhai : I asked about the number of unemployed who were going to be absorbed in the scheme and what steps the Government were taking for the rest ?

Mr. Speaker : Do not ask irrelevant question. It does not arise out of this question.

समुद्री उपयोग के लिए आणविक बिजली प्रोपल्शन के विकास सम्बन्धी प्रयोग

*1070. **श्री समर गुह :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग ने भारत में समुद्री उपयोग के लिए आणविक बिजली प्रोपल्शन विकास सम्बन्धी प्रयोग कार्य प्रारम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत): (क) तथा (ख) : समुद्री उपयोग के लिए परमाणु बिजली चालित प्रोपल्शन के विकास के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग ने अब तक कोई प्रयोग कार्य शुरू नहीं किया है ; तथापि एक पारियोजना रिपोर्ट जिसमें समुद्री उपयोग के लिए परमाणु बिजली चालित प्रोपल्शन सम्बन्धी विकास कार्यों की एक रूप रेखा दी गई है, तैयार की गई है तथा वह नौसैनिक हैडक्वाटर को दे दी गई है।

श्री समर गुह : यह समाचार अच्छा ही है क्योंकि विशेषकर इस तथ्य के कारण कि परमाणु पनडुब्बी ·····।

अध्यक्ष महोदय : सीधा प्रश्न पूछिए।

श्री समह गुह : क्योंकि यह सच है कि परमाणु पनडुब्बी में जल प्रायः अन्दर नहीं जाता है····· ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री समर गुह : मैं यह कह चुका हूं कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये····· ।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुंए कि यह अनिश्चित काल तक पानी के अन्दर रह सकती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि रिएक्टर सम्बन्धी तकनीकी ज्ञान में हमारी दक्षता को देखते

हुए क्या नौसेना इन्जीनियरिंग विभाग तथा परमाणु ऊर्जा इन्जीनियरिंग विभाग ने भारतीय पनडुब्बियों में परमाणु प्रक्षेपक लगाने के बारे में कोई व्यवहार्यत-परियोजना तैयार की है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं कह चुका हूं कि इस सम्बन्ध में कोई परीक्षण कार्य नहीं किया गया किन्तु जलयानों में परमाणु प्रक्षेपक लगाने से सम्बन्धित विकास कार्य की रूप रेखा बनाने वाली परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। यह सच है कि परमाणु अस्त्रों युक्त पनडुब्बियों के कुछ लाभ अवश्य होते हैं। उनमें ओक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती जबकि किसी की अग्नेय इंजन में उसकी आवश्यकता होती है। हमनें इन्जन की बजाय रिएक्टर लगाया जाता है। यह भी सच है कि उनमे बहुत समय तक ईंधन नहीं बदलना पड़ता। इसी कारण उसका कार्य क्षेत्र भी अधिक है किन्तु फिलहाल उसकी लागत भी अधिक है। फिर भी उससे कुछ लाभ अवश्य होते हैं तथा मैंने अब तक किये गये कार्य का उल्लेख भी कर दिया है।

श्री समर गुह : मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया कि क्या हमारे पोत इन्जीनियरिंग विभाग तथा परमाणु ऊर्जा आयोग ने संयुक्त रूप से परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी बनाने के लिए कोई व्यवहार्यता परियोजना आरम्भ की है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सीधा प्रश्न करें तो मंत्री महोदय भी उसका सीधा उत्तर दें सकते हैं। आप आरम्भ कहीं से करते तथा अन्त कहीं करते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैंने साफ-साफ बता दिया है कि इस समय क्या स्थिति है। मैं इससे अधिक कुछ नहीं बता सकता।

श्री समर गुह : आपने बताया है कि एक रूप-रेखा तैयार की गई है। अतः यह आशा करना स्वाभाविक है कि इस रूप रेखा का व्यवहार्यता कार्यक्रम तैयार करने के लिए भी उपयोग किया गया होगा। क्या हमारे परमाणु ऊर्जा आयोग के पास ऐसी परियोजना तैयार करने के लिये अपेक्षित तकनीकी जानकारी तथा ईंधन है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जैसा कि मैं कह चुका हूं बी० ए० आर० सी० ने अभी तक कोई परीक्षण कार्य नहीं किया है। इस विषय का अध्ययन करने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। मैं यह संकेत कर चुका हूं कि उस प्रस्ताव में कुछ आकर्षण अवश्य है। इसको और अध्ययन किया जाएगा।

श्री बी० एन० पी० सिंह : क्या परमाणु पंडुब्बियों में ईंधन के लिये हमें उत्तम यूरेनियम की आवश्यकता होगी और यदि हाँ तो क्या परमाणु उर्जा आयोग की रिपोर्ट में उन सूत्रों का हवाला दिया गया है जहाँ से उत्तम यूरेनियम प्राप्त किया जाएगा क्योंकि हमारे देश में उत्तम यूरेनियम नहीं है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : वास्तव में यह इस बात पर आश्रित है कि रिएक्टर किस प्रकार का लगाया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि उत्तम यूरेनियम ही हो। रिएक्टर की उस किस्म के अतिरिक्त, जो माननीय मित्र के दिमाग में है अन्य किस्म के रिएक्टर भी होते हैं। हमारे देश में भारी मात्रा में थोरियम उपलब्ध है। किन्तु जिस प्रौद्योगिकी का विकास किया जा रहा है वह इस बात पर आधारित है कि आप कौनसा रिएक्टर लगाते हैं।

पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत

*1071. **श्री नवल किशोर सिंह : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने के लिए और ज़िलों के आधार पर योजनायें बनाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए हैं और उन्हें राज्य सरकारों को प्रेषित किये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) राज्य में पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए योजना आयोग ने राज्य सरकारों को विकास के 15 सूचकों की एक सूची भेजी थी । सूची की एक प्रति संलग्न है ।

सितम्बर, 1969, में योजना आयोग ने राज्य सरकारों को मार्गदर्शक सिद्धान्त भेजे थे, जिनमें अन्य बातों के अलावा यह भी बताया गया था कि किस प्रकार स्तर, विभिन्न ज़िलों में विकास की प्रवृत्तियां तथा क्षमता के बारे में सूचना एकत्रित की जाय तथा उसका विश्लेषण किया जाय । मार्गदर्शक सिद्धान्तों में यह भी बताया गया है कि ज़िला योजनाएं तैयार करने में किस प्रकार की कार्रवाई की जानी है तथा आंकड़े किस प्रकार एकत्रित किए जांय ।

विकास के सूचक

(1) कुल जन संख्या तथा जन संख्या का घनत्व ।

(2) कुल काम करने वालों के अनुपात में, कृषि श्रमिकों सहित कृषि पर कितने आदमी काम कर रहे हैं ।

(3) प्रति कृषि कामगार के अनुसार कृषि योग्य क्षेत्र † ।

(4) प्रति कृषि कामगार के अनुसार बोया गया क्षेत्र ।

(5) शुद्ध बोये गये क्षेत्रों के अनुसार कुल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत ।

(6) शुद्ध बोये गये क्षेत्र के अनुसार एक बार से अधिक खेती जिस क्षेत्र में की गई उसका प्रतिशत ।

(7) कृषि उत्पादन के प्रति व्यक्ति (ग्रामीण जनसंख्या) का कुल मूल्य ।

(8) बिजली का उपयोग करने वाली स्थापनाएं (निर्माता तथा मरम्मत) – (क) जोड़

(ख) परिवार

(ग) गैर-परिवार

† कुल बोया गया क्षेत्र, इस समय परती पर छोड़ी गई भूमि, तथा इसके अलावा अन्य परती भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि तथा शुद्ध बोये गये क्षेत्र में शामिल पेड़ विविध फसलें तथा कुंज शामिल हैं ।

(9) प्रतिलाख जनसंख्या में से कितने आदमी रजिस्टर्ड फैक्टरियों में काम कर रहे हैं।

(10) पक्की सड़कों की लम्बाई – (क) प्रतिहजार वर्गमील
(ख) प्रति लाख जनसंख्या

(11) किसी एक जिले में रजिस्टर्ड वाणिज्यिक गाड़ियों की संख्या।

(12) शिक्षित जन संख्या का अनुपात – (क) पुरुष
(ख) महिलायें

(13) स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत – (क) लड़के
(ख) लड़कियां
(क) 6 से 11 वर्ष, और (ख) 11 से 14 वर्ष आयुवर्ग के बच्चे।

(14) तकनीकी प्रशिक्षण के लिए प्रति दस लाख जनसंख्या के पीछे स्थानों की संख्या—
(क) कारीगर
(ख) डिप्लोमास्तर

(15) प्रति लाख जनसंख्या के पीछे अस्पतालों में रोगी शययायें

टिप्पणियां

कृषि उत्पादन के कुल मूल्य को छोड़कर बाकी सभी सूचकों के बारे में 1961-62, 1962-63 और 1963-64 वर्षों के सम्बन्ध में सूचना दी जा सकती है। 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62 और 1962-63 के बारे में कृषि उत्पादन का कुल मूल्य, तीन-वर्षीय औसत के आधार पर आंका जा सकता है।

पुनश्च: कृषि के अन्तर्गत कृषि (मुख्य), पशुपालन, वन और मत्स्य पालन आ जाते हैं (सभी राज्य सांख्यिकीय ब्यूरों को भेजा गया केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के पत्र संख्या सी० एस० ओ०/एन० आई० डी०/एस० आई०/डब्ल्यू० जी० (10)/64, दिनांक 27 नवम्बर, 1964 के अनुसार),

जिन मुख्य और गौण फसलों (उप-उत्पादनों को छोड़कर) के उत्पादन के बारे में आंकड़े उपलब्ध है उनके विषय में प्रत्येक ज़िले में कृषि उत्पादन के कुल मूल्य का अनुमान तद्नुरूप राज्य औसत मूल्य का उपयोग कर लगाया जाय (फसल के दौरान थोक मूल्य या फार्म फसल मूल्य, राज्य आय अनुमान के बारे में कृषि उत्पादन का मूल्यांकन करने के लिए राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो द्वारा जिसका भी उपयोग किया जाता हो)। जिन फसलों के उत्पादन का अनुमान उन फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र के आधार पर लगाया जाता है उनके संबंध में इसी प्रकार/प्रकारों की फसलों के प्रति एकड़ उत्पादन के मूल्य, का अनुमान उपलब्ध आंकड़ों पर लगाया जाय।

1962-63 के लिए, उत्पादन का कुल मूल्य को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के बारे में उपलब्ध आँकड़ों तथा विगत तीन वर्षों के औसत उत्पादन के कुल मूल्य के आधार पर जिलों को क्रमबद्ध किया जाय।

श्री नवल किशोर सिंह : क्या सभी राज्यों ने जिला योजनाएं तैयार करना आरम्भ कर दिया है तथा क्या सरकार का प्रस्ताव है कि जिला स्तरीय योजना तैयार करने के लिए एक आदर्श

प्रोफोरमा परिचालित किया जाए तथा क्या ऐसी योजनाएं तैयार करने के लिये जनता का सहयोग लिया जाएगा और यदि हाँ तो किस प्रकार से ?

श्री मोहन धारिया : जिला स्तर पर योजनाएँ तैयार करने के लिये अब तक आसाम, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहमत हो गए हैं तथा हम अन्य राज्यों से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वे भी जिला स्तर पर योजना बनाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। हमने कुछ सुझाव आदर्श योजना के रूप में परिचालित भी दिये हैं। यदि जिले को इकाई मानकर राज्यों की योजनाएं तैयार होने लगती हैं तो इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक लोगों का सहयोग लेना सम्भव होगा।

श्री नवल किशोर सिंह : पिछड़े जिलों का पता लगाने की कसौटी तथा उन जिलों के विकास को ध्यान में रखते हुये मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार ऐसे विकास के लिए जिला विशेष में सामान्य तथा तकनीकी रोजगार के अवसर तथा उस जिले की कृषि अथवा उद्योग क्षेत्र की विकास-क्षमता को सम्मिलित करने का है ?

श्री मोहन धारिया : सभा-पटल पर रखे गये विवरण में कृषि, औद्योगिक श्रम, उसकी प्रतिशतता आदि के बारे में सभी बातें उल्लिखित हैं।

श्री नवल किशोर सिंह : उसमें पूरी जानकारी नहीं है, जो हम जानना चाहते हैं।

श्री मोहन धारिया : हमने कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत दिये हैं। यदि माननीय सदस्य कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हम उन पर अवश्य विचार करेंगे।

Shri Bibhuti Mishra : Sir, Hon. Minister has not mentioned Bihar State in his reply. Bihar is the most backward Made in India from the point of view of per capita income and poverty. May I know whether Government have asked Bihar Government to prepare plans for the districts of North Bihar, which is one of the most backward areas, in order to increase per capita income and to set up industries there ?

श्री मोहन धारिया : यह प्रस्ताव 15 सितम्बर 1969 को सभी राज्य सरकारों को भेजा गया था जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि जिला-स्तर की योजनाएं तैयार की जाएं। दुर्भाग्य से बिहार सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। फिर भी मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता है कि हमने हाल में बिहार के मुख्य मंत्री से विचार-विमर्श किया है तथा उन्होंने योजना बनाने वाली एक संस्था बनाना स्वीकार कर लिया है। और वह उन सभी जिलों को योजना में अवश्य सम्मिलित करेगी।

श्री अमृत नाहटा : पिछड़े जिलों का पता लगाने के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित कर देने के बाद क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से सुरत इन कसौटियों का पालन करने, पिछड़े जिलों का पता लगाने, उन जिलों में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सर्वेक्षण करने तथा उनके विकास के लिये वृहद योजना तैयार करने का अनुरोध करेगी ? क्या मंत्री महोदय हमें यह आश्वासन दिलाएगे कि चौथी योजना में जिन कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है उनमें इन बृहद योजनाओं की क्रियान्विति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी चाहे अन्य क्षेत्रों के विकास को स्थगित करना पड़े ?

श्री मोहन धारिया : इन कसौटियों के आधार पर सभी राज्य सरकारों ने पिछड़े हुए जिलों का पता लगा लिया है। उनकी संख्या 325 है। उनकी सूची सदन में परिचालित की जा चुकी है तथा मध्यावधि योजना के मूल्यांकन दस्तावेज के साथ भी सम्बद्ध है। इस समय दिल्ली में राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक हो रही है। उनकी यह आम राय है कि क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए इन पिछड़े हुये क्षेत्रों, पिछडे हुए जिलों और समाज के पिछड़े हुये वर्गों को प्राथमिकता देने के लिये पांचवी योजना में विशेष ध्यान रखा जाए।

Dr. Govind Das Richhariya : May I know from the Hon. Minister whether they have given clear instructions to the States that while formulating disctricts plan ? State Governments should distribute funds for the welfare schemes, like education, health and social welfare on the basis of the population ? Likewise, have they instructed the states to distribute funds for the schemes pertaining to land, such as irrigation, land reform, soid conservation, forests, etc., on the basis of acreage of land ? May I also know whether Central Government have decided to adopt the same critaria i.e. distribution of funds to the states on the basis of population and acreage of land, for implementing their schemes. So that the States like Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, which have lagged behind in development during the period of last three plans, could be brought at par with other states ?

श्री मोहन धारिया : माननीय सदस्य ने एक प्रश्न में कई प्रश्न पूछ लिये हैं। यदि आप चाहें तो मैं उनका उत्तर दे सकता हूँ। किन्तु मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न को सभा-पटल पर रख दें।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि अनुपूरक प्रश्न संगत है और यदि आप उत्तर दे सकते हैं, तो दें।

श्री मोहन धारिया : हमने कई कसौटियां दी हैं जिनमें एक कसौटी जनसंख्या का घनत्व भी है। अतः इन सभी कसौटियों को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार पिछड़े हुये जिलों का निर्धारण कर सकती है। हम कोई आदेश नहीं दे सकते, हम केवल उन्हें सुझाव दे सकते हैं या उनसे अनुरोध कर सकते हैं। किन्तु मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि हमें इस आशय की कोई शिकायतें मिलीं कि किसी राज्य सरकार ने किसी पिछड़े हुये जिले को पिछड़ा हुआ जिला नहीं माना तो मैं इस सम्बन्ध में राज्य की सरकार के साथ मैं चर्चा करने के लिये तैयार हूं।

श्री राम सहाय पांडे : मध्य प्रदेश राज्य में बस्तर जैसे कई पिछड़े हुये जिले हैं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री शीघ्र ही उस राज्य का दौरा करने जा रही हैं। क्या आपने पिछड़े हुये राज्यों की क्षमता से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र करने के लिये कोई योजना बनाई है जिससे आप उनका विकास कर सकें तथा उनके परिणामस्वरूप उन जिलों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सके ?

श्री मोहन धारिया : राज्य सरकारों को ये सभी कसौटियां देने का उद्देश्य यह है कि वे सभी जिलों के बारे में सही आंकड़े एकत्र कर सकें। इसी आधार पर योजनाएं बनाई गई हैं। पिछड़े हुये जिलों के लिये विभिन्न योजनाओं को सहायता देने के लिये केन्द्र सरकार तत्पर है।

छोटा नागपुर में सी० आई० ए० की गतिविधियाँ

*1072. **श्री कमल मिश्र मधुकर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 अप्रैल, 1972 की 'लिंक' समाचार पत्रिका में 'सी० आई० ए० एक्टिव इन छोटा नागपुर' (छोटा नागपुर में सी० आई० ए० सक्रिय) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ग) . एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग) . सरकार का ध्यान संबंधित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है । समाचार में यह कहा गया था कि समझा जाता है कि सी० आई० ए० ने हाल के महीनों में छोटा नागपुर तथा पड़ोसी क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं । इस सम्बन्ध में कुछ युद्धबंदियों द्वारा भागने का असफल प्रयत्न करना, हिन्दुस्तान स्टील कन्सट्रक्सन कम्पनी, बोकारो में यूनिवर्सल प्रोग्रेसिव लेबर फेडरेशन द्वारा मजदूर आन्दोलन चलाना, हैवी इंजीनियरी कारपोरेशन, रांची-हटिया में मजदूरों के एक भाग में असंतोष होना तथा पत्रातू थर्मल पावर स्टेशन में बार-बार बिजली की खराबी होना गिनाये गये हैं । किन्तु सरकार के पास इन घटनाओं में किसी विदशी एजेन्सी के अन्तर्ग्रस्त होने का कोई प्रमाण नहीं है ।

Shri K. M. Madhukar : Sir, Attention of the Government should have been drawn to the increased activities of C. I. A. in the tribal area of Chhotanagpur of Bihar. But I am sorry to say that Government have not paid attention to this matter so far. I want to know from the Government whether in order to Check the increased activities of C. I. A. and those of Anand Marg in these areas they have discussed this matter with the Government of Bihar ; if so, the results thereof.

Shri K. C. Pant : This is not correct to say that C. I. A. or any other foreign agency is active in the tribal areas and that Government is not Vigilant in that matter. Government is quite Vigilant in the matter. So far as the question of incidents referred to in the article is concerned. I have already stated in my statement that the Government have, however, no evidence of the involvement of any foreign agency in these incidents.

Shri K. M. Madhukar : You have stated that Government is Visilant; but incidents are happening there very ofter and despite the discussions on this issue held in this House Bihar Government is not Vigilant about thero incidents with the result that such incidents are occuring every day. No action is being taken to Check them. I want to know the results, if any, of the discussions you have held with Bihar Government to Check such incidents.

Shri K. C. Pant : I have already said that Government have no evidence whether C. I. A. or any other foreign agency was involved in these incidents. The information, I am giving you, is based on the information given by Bihar Government. I hope the state Government will be as much Vigilant as we are in the matter.

अहमदाबाद में डाक का देर से वितरण किया जाना

***1074. श्री प्रभुदास पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक कर्मचारियों द्वारा धीमी गति से काम किये जाने के कारण अहमदाबाद के कई भागों में डाक का वितरण देर से किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उनके आन्दोलन के क्या कारण हैं;

(ग) उनकी मांगे पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) क्या डाक कर्मचारियों द्वारा आरम्भ किये गये धीमी गति से कार्य करने के अभियान का अहमदाबाद शहर के व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) अहमदाबाद शहर में पिछले तीन महीनों में 'किसी धीरे काम करो' आन्दोलन की सूचना नहीं मिली है। अलबत्ता, एक डाकघर में कुछ डाकियों के बीमारी के आधार पर छुट्टी पर रहने के कारण एक बार डाक के वितरण में विलम्ब हुआ था।

(ख) से (घ) . प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री प्रभुदास पटेल : माननीय मंत्री से मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या तीन महीने से पहले डाक कर्मचारियों द्वारा धीमी गति से कार्य करने का कोई अभियान चलाया गया था ?

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : जैसा कि मैंने अपने उत्तर में कहा है कि हमने गत तीन महीनों के बारे में जानकारी एकत्र की थी। इससे पहले की जानकारी हमारे पास नहीं है।

Film Censor board to curb obscenity vulgarity and violence in films

***1076. Shri Phool Chand Verma** : will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the Chairman of the Film Censor Board, while speaking in the Executive Committee meeting of the Chamber of South Indian Films, said that the Board is going to take very stringent steps to put an end to the depiction of obscenity, vulgarity and violence in films ; and

(b) if so, the main features thereof and the steps proposed to be taken in future in this connection ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड निर्माताओं पर आपत्तिजनक दृश्यों वाली फिल्मों का निर्माण न करने पर जोर दे रहा है, उपयुक्त काट-छांट कर सेन्सर के सिद्धान्तों को पूरी तरह लागू कर रहा है तथा सारे देश में सेन्सरशिप में एकरूपता कायम रखने का भी प्रयत्न कर रहा है।

Shri Phool Chand Verma : Sir, I want to know from the Hon. Minister what is the definition of obscene or bad films ? In the film "Zaroorat" an actress has been shown putting off her clothes one by one. Similarly in "Doraha" also there are obscene scenes. May I know whether these scenes come under the definition of "Obsenity" ; if so, the reason why these scenes have been allowed in the films and if not, the reasons therefor ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : माननीय सदस्य आपत्तिजनक अथवा अश्लील फिल्मों की परिभाषा जानना चाहते हैं। फिल्म सेन्सर बोर्ड में विभिन्न व्यवसायों के व्यक्ति सदस्य होते हैं। ये व्यक्ति भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए मानक है जिसके आधार पर फिल्मों को प्रमाणित किया जाता है। इस लिए यह सही हैं कि अश्लील अथवा मुख्यतया यौन भावना और अपराध पर आधारित फिल्मों को समझना एक सामान्य व्यक्ति

के लिए कोई बहुत कठिन नहीं है। परन्तु जब उत्तरदायी व्यक्तियों के एक दल को यह कार्य सौंपा जाता है तो हम उनसे यह अपेक्षा करते हैं कि वे इस बात का पता लगाएं कि कौन सी फिल्में दिखाई जाने योग्य हैं और कौन सी नहीं। मुझे चलचित्र यंत्र अधिनियम, जिसके अन्तर्गत फिल्मों को प्रमाणित किया जाता है, के एक भाग को पढ़ने की अनुमति दी जाए, क्योंकि माननीय सदस्य परिभाषा जानना चाहते हैं———

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मूल प्रश्न से कुछ दूर हट गये हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि क्या सेन्सर बोर्ड के अध्यक्ष ने कुछ परिवर्तन किए थे। **(व्यवधान)**

Shri Phool Chand Verma : Sir, all those who see films-whether films are Indian or foreign are Indian citizens. But the Central Film Censor Board can Censor Indian films only. The obscene scenes like kissing etc. which are prohibited in the Indian films, are permitted to be screened in the foreign films. I want to know from the Hon. Minister whether a uniform procedure can be adopted while censoring Indian films and foreign films.

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : यह बात सच नहीं है कि विदेशी फिल्मों को सेन्सर नहीं किया जाता। किंतु किसी फिल्म को सेन्सर करते समय उस देश, जिसमें वह फिल्म निर्मित की गई है, के जीवन स्तर, तथा वहां की संस्कृति को ध्यान में रखा जाता है। यही कारण है कि कभी-कभी भारतीय फ़िल्मों और विदेशी फिल्मों को सेन्सर करने में अन्तर हो जाता है। परन्तु फिर भी विदेशी फिल्मों सेन्सर करते समय इस बात को सदा ध्यान में रखा जाता है कि आपत्तिजनक अथवा हमारे लोगों के नैतिक जीवन पर बुरा प्रभाव डालने वाले दृश्यों को दिखाने की अनुमति नहीं दी जाती है। कभी-कभी तो समस्त फिल्म को ही रद्द कर दिया जाता है और कभी फिल्म के केवल कुछ भागों को काट दिया जाता है।

इस बारे में मैं यह बताना चाहती हूं कि फिल्म सेन्सर बोर्ड का कार्य केवल फिल्म के कुछ भागों की ही काट-छांट करना है। परन्तु अच्छी और बुरी फिल्म का बनाया जाना तो फिल्म निर्माता पर ही निर्भर करता है और माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिए कि यह कार्य फिल्म निर्माताओं का है। मैं फिल्म निर्माताओं से अनुरोध करूंगी कि वे इस देश के लोगों के लिए और अधिक अच्छी फिल्मों का निर्माण करें।

Shri Phool Chand Verma : Film Producers have become money hungry and that is why they produce such films. You should bring forward a legislation for this purpose mere making appeal to them will not do.

Shri S. M. Banerjee : I want the Hon. Minister to see thsee films.

Mr. Speaker : I wanted to give more time. But the question hour is over.

———

अल्प-सूचना प्रश्न

Short Notice Question

उड़ीसा में खाद्यान्न की भारी कमी

\+

अ० सू० प्र० सं० 6. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री डी० के० पंडा : } क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उड़ीसा में खाद्यान्नों की भारी कमी, जिसके कारण वहां पर

नरभक्षण हो रहा है, के बारे में 27 मई, 1972 के 'टाइम्स आफ इण्डियन (दिल्ली)' में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार 'अकाल संहिता' के अनुसार उड़ीसा के प्रभावित जिलों में अकाल की तुरन्त घोषणा करेगी ; और

(ग) क्या स्थिति का मुकाबला करने के लिए आपातिक कार्यवाही की जायेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां । राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे इस समाचार के बारे में सूचित करें । राज्य सरकार ने अब सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में और तथाकथित नरभक्षण के मामले के बारे में जांच की गई थी तथा यह पाया गया है कि एक महिला, जिसके पति ने उसे छोड़ दिया था, दो वर्ष पूर्व पागल हो गई थी । इस महिला में बच्चों के मृतक शरीरों को उठाने की आदत पैदा हो गई है । राज्य सरकार ने आगे सूचित किया है कि वह रेड क्रास द्वारा मुफ्त रसोई की प्रदान की गई सुविधाओं को प्राप्त कर रही है और नरभक्षण की रिपोर्ट ठीक नहीं है ।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में अकाल की कोई स्थिति नहीं है ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा राहत उपाय किए गए हैं और किए जाते रहेंगे । सूखा राहत उपायों के लिए केन्द्रीय सहायता निर्धारित कार्यविधि के अनुसार दी जाएगी ।

श्री पी० गंगादेव : अध्यक्ष महोदय, जो वक्तव्य दिया गया है, वह सन्तोषजनक नहीं है । इन बातों को देखते हुए जो मैं स्पष्ट रूप से सदन के सामने यह रखना चाहता हूं :

(क) उड़ीसा राज्य के लाखों लोगों को सूखे के कारण क्षति हुई है और मेरे राज्य के कई जिलों को भारी अकाल का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यह रिपोर्ट सबसे बुरी और अत्यन्त चिंतनीय और चौंका देने वाली है कि

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिये । अल्प सूचना प्रश्न अन्य प्रश्नों के समान ही है । इसके लिये कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है । स्वीकृत प्रक्रिया से हट कर मत चलिये ।

श्री पी० गंगादेव : श्रीमान् अवसर मिलने पर भी हमें बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को भी आपने स्वीकार नहीं किया है । अतः, इसे थोड़ा सा स्पष्ट करने का मुझे अवसर दीजिये ।

(क) जो सबसे बुरी और अत्यन्त दहलाने वाली तथा चौंका देने वाली खबर यह है कि बालासोर जिले में नरभक्षण हो रहा है ।

(ख) एक ओर जब कि हमारी राज्य सरकार है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया स्वीकृत प्रक्रिया से परे मत जाइये । आप प्रत्येक बार भाषण देने का प्रयास करते हैं । मुझे मालूम है कि विषय कुछ ऐसा ही है । फिर भी, आप प्रश्न पूछिये ।

श्री पी० गंगादेव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक ओर तो राज्य सरकार है जो जाने में और अन्जाने में इस स्थिति के बारे में जागरुक नहीं है.....दूसरी ओर अकाल-राहत-कार्य

निश्चित रूप से राज्य का विषय है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार एक निष्पक्ष जाँच करायेगी कि बालासोर के निकट एक गांव में अथवा बालासोर नगर में ही एक स्त्री मुर्दों पर जीवित रह रही है जब कि खबरें इसके विपरीत हैं ?

दूसरे, क्या सरकार अखिल भारतीय अकाल संहिता को अपनाने पर विचार कर रही है ?

तीसरे, क्या इसको निपटाने के लिये एक विशेष एजेंसी बनाने का प्रस्ताव है...

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक सम्बद्ध प्रश्न पूछिये। असम्बद्ध प्रश्नों को मत पूछिये।

श्री पी० गंगादेव : क्या अकाल राहत कार्य को निपटाने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा एक विशेष एजेंसी नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ? और अन्त में...

अध्यक्ष महोदय : आपके अनुपूरक प्रश्न बहुत बड़े हैं और उनमें बहुत सी जानकारी मांगी गई है, अतः मेरा सुझाव है कि उन्हें परिचालित किया जाये।

श्री पी० गंगादेव : अन्त में, क्या बालासोर और मयूरभंज के तटीय जिलों के अतिरिक्त सम्बलपुर, सुन्दरगढ़ और धेनकनाल के जिलों के लोगों को सूखे का सामना करना पड़ रहा है जैसा कि समाचार पत्रों में छपा था..... ।

अध्यक्ष महोदय : श्री समर गुह, क्या वह प्रायः आपके पास आते हैं ?

श्री पी० गंगादेव :.....और यदि हाँ, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस स्थिति का डट कर सामना करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता हूं कि उन्हें इतने अधिक प्रश्नों को पूछने की प्रेरणा कहाँ से मिली है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जांच करने के बाद ही उड़ीसा सरकार ने हमें सूचित किया है कि वहां पर नरभक्षण का कोई मामला सामने नहीं आया है। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मामले से संबंधित कोई विशिष्ट जानकारी मुझसे जानना चाहते हैं तो मैं इसे दुबारा उड़ीसा सरकार को भेजने के लिये तैयार हूं। लेकिन ये तथ्य वही हैं जो उड़ीसा सरकार ने हमें सूचित किये हैं।

दूसरे, माननीय सदस्य ने स्वयं माना है कि सूखे से संबंधित राहत कार्य राज्य का विषय है। स्वभावतः, इसके लिए राज्य सरकार को कार्यवाही करनी है। राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता करने को एक सर्वमान्य प्रक्रिया है। जहां तक इस विशिष्ट प्रश्न का संबंध है कि क्या कोई एक केन्द्रीय एजेंसी बनायी जायेगी, तो उसके लिए सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। यदि उड़ीसा सरकार किसी प्रकार की समन्वयकारी एजेंसी की इच्छा रखती है तो उस प्रस्ताव पर हम उचित समय पर विचार करेंगे।

श्री पी० गंगादेव : अखिल भारतीय अकाल संहिता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप एक प्रश्न को पूछेंगे तो मंत्री महोदय उत्तर दे सकते हैं लेकिन आपने बहुत से प्रश्न पूछे हैं।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हम अभी तक उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अगले दो या तीन दिनों में ज्यों ही रिपोर्ट मिलेगी, तो तैसे ही हम इस मामले की जांच के लिये केन्द्रीय दल भेज देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : श्री गंगादेव, क्या आप बोल चुके हैं ?

श्री गंगादेव : जी हां ।

श्री डी० के० पंडा : अध्यक्ष महोदय, भयकर अकाल स्थिति और भूखमरी के कारण हुई मौतों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि इसने राष्ट्र स्तर पर व्यापक रूप धारण कर लिया है । विशेष रूप से बालासोर, कटक, केनीहोर, धेनकनाल और मयूरभंज के 5 जिलों में जिन्हें विपत्तिग्रस्त अन्य 9 जिलों से अलग किया जा सकता है, अकाल स्थिति ने ऐसी अकल्पनीय स्थिति ग्रहण कर ली है कि चंदावली पंचायत समिति के गांव मुलटा में एक स्त्री को मनुष्य का मांस खाना पड़ा.....

कुछ माननीय सदस्य : शर्म, शर्म ।

श्री डी० के० पंडा : समाचार पत्रों में ऐसी खबरें प्रकाशित हुई हैं । अनेक अभ्यावेदन दिये गये हैं । इन बातों को देखते हुए, (**अन्तर्बाधा**) मैं प्रश्न की ओर आ रहा हूं...(**अन्तर्बाधा**) उड़ीसा में कांग्रेस के लोगों और कम्युनिस्ट दल द्वारा 10 मार्च, 1972 को दिये गये ज्ञापन, 14 अप्रैल, 7 को दिये गये दूसरे ज्ञापन, जिसमें भूखमरी के कारण हुई मौत के बारे में विवरण दिया गया है, कम्युनिस्ट दल के सचिव, श्री राजेश्वर राव द्वारा प्रधान मंत्री को दिये गये तीसरे ज्ञापन जिसके एक प्रति कृषि मंत्री को भी प्रेषित की गई थी, तथा अन्य सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं मत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि भूखमरी की स्थिति से इन जिलों में 20 लाख लोग प्रभावित हुए ? वहाँ वे क्या कर रहे हैं ? श्रीमान, उन्हें ऐसी-वैसी वस्तुएं खानी पड़ रही हैं । माननीय मंत्री को इन सब बातों की ओर ध्यान देना चाहिये । इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी सभा-पटल पर रखने की मुझे अनुमति दी जाये । (**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री डी० के० पंडा : वे विषैली जड़ी-बूटियां खा रहे हैं । इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अपना संवैधानिक दायित्व निभा रही है और जो अनुसूची III संवर्ती सूची के मद 23 में उल्लिखित है। इसके अनुसार जहां खाद्यान्न की कमी हो, जहां अकाल हो, केन्द्रीय सरकार के लिए वहाँ हस्तक्षेप करना आवश्यक होता है । राज्य सरकार इस मामले में निस्संदेह बुरी तरह से असफल रही है, इन परिस्थितियों के अन्तर्गत लोगों को मरने नहीं दिया जाना चाहिए । क्या केन्द्रीय सरकार तत्काल ही हस्तक्षेप करने जा रही है ? क्या वे जांच और तदनुरूप यथोचित कार्यवाही के लिए एक संसदीय शिष्ट-मंडल को तत्काल वहाँ भेजने के लिए तैयार है ? हजारों व्यक्ति मर रहे हैं । यह मेरे अपने निर्वाचन-क्षेत्र में हो रहा है । यदि केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, तो तब क्या किया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के उत्तर देने से पूर्व कृपया शान्त हो जाइये ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : नरभक्षण के बारे में, मैंने पहले ही एक वक्तव्य दे दिया है । उड़ीसा सरकार द्वारा की गई जाँच के आधार पर हमें जो जानकारी मिली है जिसका उल्लेख

मैंने पहले ही कर दिया है। निकट भविष्य में एक केन्द्रीय दल उड़ीसा का दौरा करेगा। जहां तक सम्पूर्ण देश में खाद्यान्न स्थिति का संबंध है, पहले की तुलना में वह अत्यन्त संतोषजनक है। अतः उड़ीसा सरकार की सभी माँगे पूरी करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। कल ही उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधि ने हमारे साथ कुछ विचार-विमर्श किया था और उड़ीसा सरकार की सभी मांगों को पूरा करने के लिए हम तत्पर हैं।

श्री डी० के० पंडा : क्या स्थिति का अनुमान लगाने के लिए सरकार एक संसदीय शिष्ट-मण्डल वहां पर भेज रही है ? क्या सरकार उस क्षेत्र को 'अकाल क्षेत्र' घोषित कर रही है ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उत्तेजना और आवेश का वातावरण बनाने का प्रयास न कीजिए। यदि आप सीधे प्रश्न को स्वाभाविक और शान्तिपूर्ण ढंग से पूछते हैं, तो वह अधिक प्रभावकारी होता है।

श्री डी० के० पंडा : इन परिस्थितियों के अन्तर्गत मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ऐसा करने जा रही है अथवा नहीं...

अध्यक्ष महोदय : आप इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि सब कुछ भूल बैठते हैं।

श्री डी० के० पंडा : एक संसदीय शिष्ट-मण्डल को वहां पर क्यों नहीं भेजा जाता है ? प्रत्येक दल चिल्ला रहा है। स्थिति की यही वास्तविकता है।

श्री पी० के० देव—खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : वह सरकार के प्रतिनिधि हैं।

श्री पी० के० देव : कांग्रेस दल और भारतीय कम्युनिस्ट दल के साठ-गांठ से हमारी निन्दा की जा रही है और गैर-कांग्रेस सरकारों को...

श्री पीलू मोदी : बहुत अच्छे ...

श्री पी० के० देव : इसे उन्होंने स्वीकार किया है। राजेश्वर राव का वक्तव्य परस्पर-विरोधी बातों से भरा पड़ा है। इसका 'टाइम्स आफ इंडिया' ने प्रचार किया है, जो भारत सरकार के नियंत्रण में है...

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इस समय मैं खड़ा हूँ। कृपया आप बैठ जाएं ! अच्छा यही होगा कि गर्मागर्मी पैदा न हो। मुझे पता है कि आप उस दल के प्रतिनिधि हैं जो दल उड़ीसा में सत्तारूढ़ है। इस कारण आप पर और अधिक उत्तरदायित्व आ जाता है कि आप नम्रता पूर्वक प्रश्न पूछें।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : सामान्यतः प्रश्नोत्तर काल में व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं दी जाती।

श्री पी० के० देव : मुझे प्रश्न पूछने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नोत्तर काल में व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं है ।

श्री पी० के० देव : आपने मेरा नाम पुकारा था जैसे ही मैं प्रश्न पूछने उठता हूं वैसे ही कोई अन्य व्यक्ति उठ खड़ा होता है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : आप सामन्त हैं, आप कातिल हैं, आप महाराजा हैं.....

श्री पीलू मोदी : मैं इन अनुत्तरदायी बच्चों द्वारा अपना होश खो देने और न प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का प्रयोग करने पर गम्भीर आपत्ति प्रकट करता हूं । 'सामन्त' 'कातिल' 'राजा' से उसका क्या तात्पर्य है ? वह अपने आप को क्या समझते हैं ? आप उन्हें सदन से बाहर करें ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार की भाषा का प्रयोग उचित नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं केवल दो शब्दों का प्रयोग करूंगा 'सामन्त' जो कि वह हैं (**व्यवधान**) वह सामन्तवाद की सन्तान हैं ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।

श्री पीलू मोदी : यदि आपसे कहा जाए कि आप विदेशी ऐजेंसी की सन्तान हैं तो क्या आप इसे पसन्द करोगे ? (**व्यवधान**)

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं 'कातिल' शब्द वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह शब्द वापस ले लिया है । जहाँ तक 'सामन्त' शब्द का सम्बन्ध है इसको भी गाली के समान ही प्रयोग किया जाता है ।

श्री राम सहाय पांडे : किसी माननीय सदस्य के लिए 'बच्चे' शब्द का प्रयोग करना भी हो आपत्तिजनक है । वह तो अनेक बच्चों के पिता हैं । (**व्यवधान**)

श्री पी० के० देव : यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है । कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव के वक्तव्य से तीन प्रश्न उठते हैं (**व्यवधान**)

श्री एस० एम० बनर्जी : कृपया मुझे कम्युनिस्ट पार्टी के वक्तव्य को सभा पटल पर रखने की अनुमति दें । वह वक्तव्य पढ़ कर अपना हृदय टटोलें ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई आम चर्चा नहीं है । उन्हें यह सब नहीं कहना चाहिये था ।

श्री पी० के० देव : वक्तव्य में तीन प्रश्न उठाये गए हैं । प्रथमतः 'नर-भक्षण' की खबर का खण्डन किया गया है और टेलेक्स सूचना में, जिसकी प्रति माननीय मंत्री को भी प्राप्त हुई है, यह बताया गया था कि पिछले तूफान से पूर्व ही इस स्त्री की यह आदत बन गई थी । भूख से होने वाली मौतों के बारे में गवर्नर ने स्वयं प्रत्येक मामले में स्थल का निरीक्षण करके इसका खण्डन किया है । तीसरा आरोप यह है कि समाज की व्यवस्था बिखर रही है । उसने उल्लेख किया है कि ब्राह्मणों को जबरदस्ती राहत कार्यों में कार्य करना पड़ता है हमारे देश में अनेक

सदियों से ब्राह्मणवाद व्याप्त रहा है। श्रीमती इन्दिरा गांधी, नन्दिनी सत्पथी, चिन्तामणि पाणिग्रही से लेकर बनर्जी, मुखर्जी और पंडा सभी ब्राह्मण हैं। **(व्यवधान)**

श्री पीलू मोदी : ब्राह्मण के लिए हाथ से काम करना क्या जुर्म है ?

श्री पी० के० देव : उनके वक्तव्य से ऐसा प्रतीत होता है। क्या आप उसे पढ़ेंगे ?

श्री पीलू मोदी : जाति व्यवस्था से आक्रांत कम्युनिस्ट श्रम के गौरव को नहीं समझते।

श्री पी० के० देव : मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि भारत सरकार अपने उत्तरदायित्व से विमुख नहीं हो सकती। यह राज्य का विषय नहीं है। यह विषय अवशिष्ट शक्तियों के अन्तर्गत सूची 1 में प्रविष्टि 97 के अधीन आता है। इन परिस्थितियों में जब उड़ीसा सरकार ने दीर्घावधि राहत के लिए 150 करोड़ रुपये तथा अल्पावधि राहत के लिए 40 करोड़ रुपये की राशि की मांग की तो केवल 23 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई। यदि भारत सरकार परिस्थिति का सामना करने के प्रति उत्सुक है तो इसे यह उत्तरदायित्य अपने कन्धों पर लेना चाहिये और दीर्घावधि तथा अल्पावधि राहत के लिए क्रमशः 150 करोड़ और 40 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकार करनी चाहिये।

श्री अन्ना साहिब पी० शिन्दे : भारत सरकार का उत्तरदायित्व से विमुख होने का कोई प्रश्न नहीं है। वास्तव में, हमने अन्य राज्यों में और भी विकट परिस्थितियों का सामना किया है। परन्तु इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया है। मैंने विवादास्पद मामलों से बचना चाहा था। उड़ीसा सरकार ने हमें यह सूचित किया था कि उन्होंने 10 मई को निर्णय किया है कि वह केन्द्रीय दल भेजने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करेंगे। उस अनुरोध की हम अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उड़ीसा सरकार ने अभी तक अनुरोध नहीं भेजा है। ज्योंही अनुरोध प्राप्त होगा हम केन्द्रीय दल को तत्काल भेजने का प्रबन्ध करेंगे। जब लाखों लोग कष्ट में हैं तो हम दलगत राजनीति को इसमें नहीं आने देंगे। हम सभी आवश्यक उपाय करेंगे।

श्री अर्जुन सेठी : राज्य सरकार ने इस बात से इन्कार कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति मनुष्य का मांस अथवा ऐसी अन्य वस्तुएं नहीं खाता रहा है और भुखमरी से मौतें नहीं हुई हैं। आपकी अनुमति से मैं कई ऐसे फोटो प्रस्तुत कर सकता हूँ जिनसे पता लगेगा कि वहां पर बहुत ही चिंताग्रस्त परिस्थिति है.....

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नही दूंगा। यदि आप जिद्द करेंगे, तो मैं आपको बैठने को कहूंगा।

श्री अर्जुन सेठी : क्या भारत सरकार अब उड़ीसा राज्य के राहत संगठन के अधीक्षण के लिए विशेष अधिकारी अथवा अधिकारियों के समूह की नियुक्ति करने को तत्पर हैं, जिससे कि राहत निधियों के बड़े पैमाने पर होने वाले दुरुपयोग को रोका जा सके और सभी वर्गों के लोगों को उचित राहत मिल सके ?

श्री अन्ना साहिब पी० शिन्दे : जैसा कि सदन को ज्ञात है कि सूखा-राहत हमारे संविधान के अनुसार राज्य का विषय है। अधीक्षण के कार्य के लिए अलग संगठन का कोई प्रश्न नहीं उठता। जब केन्द्रीय दल जाएंगे तो वह दल खर्चे की मदों की जांच करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोदी आप सदन की मर्यादा का तो ध्यान रखें। आप चुपचाप क्यों नहीं बैठते ? आप इस प्रकार का व्यवहार क्यों करते हैं ? इन बातों की कोई तो सीमा होनी चाहिये।

श्री पीलू मोदी : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अधिक बातें न बनाइये।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : जो बातें कही जा चुकी हैं मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। उड़ीसा में हो रही घटनाओं के लिए हम भी शर्मिन्दा हैं। श्री पी० के० देव के पास तो कोई शर्म बची नहीं है।

श्री पी० के० देव : आपको मुझे संरक्षण देना चाहिये। वे मुझे बेशर्म कह रहे हैं। आपको उन्हें डांटना चाहिये।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : उड़ीसा सरकार ने, सूखा स्थिति के अध्ययन के लिए, जिसके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्ति भुखमरी आदि के शिकार हुए हैं, केन्द्रीय दल भेजने की मांग कब की थी और केन्द्रीय दल वहाँ पर कब जाएगा ? केन्द्रीय सरकार ने उन कमी वाले क्षेत्रों में लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए अपने भण्डार में से कितना खाद्यान्न भेजने का निश्चय किया है ? केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि "उचित मूल्य दुकानें" खोली जाएं जिससे कि उन क्षेत्रों के लोग 1.40 अथवा 1.50 रुपये के स्थान पर 1.10 रुपये की दर से चावल खरीद सकें। क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि राज्य सरकार ने पर्याप्त संख्या में उचित दर वाली दुकानें खोली हैं अथवा नहीं ? मेरी जानकारी के अनुसार उसने दुकानें नहीं खोली हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपकी जानकारी से कोई मतलब नहीं, मेरा तो आपके प्रश्न से सम्बन्ध है। अपना प्रश्न पूछें।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : जब पिछली बार राजस्थान में इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी तो केन्द्रीय सरकार ने राहत कार्य में समन्वय के लिए एक विशेष अधिकारी प्रतिनियुक्त किया था। क्या सरकार उड़ीसा पर आए संकट को देखते हुए वहां पर राहत सम्बन्धित सभी कार्यों पर नजर रखने के लिए एक विशेष अधिकारी को उड़ीसा भेजने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री अन्ना साहिब पी० शिन्दे : जहाँ तक केन्द्रीय दल को भेजने का सम्बन्ध है ज्योंही राज्य सरकार का अनुरोध प्राप्त होगा उस पर तत्काल कार्यवाही की जायेगी। जहां तक खाद्य की उपलब्धता का संबंध है इस समय उड़ीसा में गेहूं और चावल का 180,000 मैट्रिक टन का स्टाक है। उन्होंने 35,000 मैट्रिक टन के अतिरिक्त खाद्यान्न की माँग की है। इस मात्रा के सप्लाई करने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। उचित मूल्य की दुकानों के बारे में उड़ीसा सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उन्होंने हमारे सुझाव पर काफी संख्या में उचित मूल्य की दुकानें खोली हैं। क्योंकि माननीय सदस्य ने कार्यवाही के लिए सुझाव प्रस्तुत किया है हम इस बात की जाँच करेंगे कि क्या उस क्षेत्र में अतिरिक्त दुकानें खोलने की आवश्यकता है, और

जो खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है वह नियन्त्रित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है अथवा नहीं ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : श्री गंगादेब ने प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार का विचार ब्रिटिश शासन काल के दौरान से चली आ रही "दुर्भिक्ष संहिता" को बदलने का है। क्या राज्य सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि अथवा खाद्यान की राशि को स्वीकृत करने की उनकी क्षमता है ? क्या यह सच नहीं है कि अफसरशाही और लाल-फीताशाही के कारण वहाँ वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है और संकट के क़ारण जब खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ती है तो लोगों को समय पर खाद्यान्न नहीं मिलता ? इस समय पश्चिम बंगाल में भयंकर सूखा है परन्तु उचित मूल्य वाली दुकानों को खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार सप्लाई नहीं किए जा रहा। कुछ मास पश्चात जब बाढ़ आ जाएगी तो उस समय सूखा राहत उपलब्ध करवाई की जाएगी। इस सबको देखते हुए क्या राहत देने की पद्धति को बदला जाएगा ?

श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे : इस प्रश्न का उत्तर अनेक बार दिया जा चुका है। दुर्भिक्ष संहिता राज्य का विषय है और हमने समय-समय पर उड़ीसा सहित सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे अपनी दुर्भिक्ष संहिता में सशोधन करें। केन्द्रीय राहत की विभिन्न मदों में से एक मद राज सहायता-प्राप्त खाद्य है। यदि राज्य सरकार राज्य सहायता-प्राप्त खाद्य उपलब्ध नहीं करवा सकती तो भी इसके लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is it not surprising that on the one hand there is plenty of Foodgrains in the country while on the other there are news of starvation deaths ? Is it not a fact that people in famine striken areas do not have any money to purchase Foodgrains and therefore merely opening of fair price shops is not going to help them ? Has Orissa Government been asked to supply Foodgrains to people free of cost, so that their lives could be saved ?

श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे : इस प्रकार की परिस्थितियों में यह किया जा सकता है। दो प्रकार के लोग होते हैं पहले तो निर्बल, वृद्ध व्यक्ति और बच्चे आदि हैं उनके लिए नि:शुल्क राहत उपलब्ध की जाती है। मुझे पता है कि इस समय प्रतिदिन 10 लाख लोगों को भोजन दिया जा रहा है। जहाँ तक ऐसे व्यक्तियों का सम्बन्ध है जो शारीरिक श्रम करने योग्य होते हैं उन्हें शारीरिक कार्य दिया जाता है। हमने उड़ीसा सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया है। उन्हें राहत कार्य प्रारम्भ करने चाहिये। परन्तु राज्य सरकार को विस्तृत प्रबन्ध करने होंगे। राज्य सरकार को पता है कि इन सभी मदों पर केन्द्रीय सहायता मिल सकती है। इन संकटों का सामना करने के बारे में अब हमने इतना अनुभव प्राप्त कर लिया है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से स्थिति से जूझने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन होने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : एक अनुपूरक प्रश्न पूछते समय, माननीय सदस्य श्री पी० के० देव ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महामंत्री, श्री राजेश्वर राव द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन का उल्लेख दिया है। माननीय मंत्री से मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि 10 मार्च, 1972 को, भूख से मरने वाले 98 व्यक्तियों की सूची के साथ प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था और यदि हां तो इस विशेष ज्ञापन में दिए गए सुझावों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक भूख से होने वाली मौतों का सम्बन्ध है, उड़ीसा

सरकार ने विशेष रूप से इस बात का खण्डन किया है कि भूख के कारण मौतें हुई हैं। (**व्यवधान**)

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरे पास उनकी एक सूची है।

श्री अन्ना साहिब पी० शिन्दे : आप मुझे उत्तर पूरा क्यों नहीं करने देते ?

सबसे पहले उड़ीसा सरकार ने हमें यह सूचना दी थी कि उन्होंने 29 विशिष्ट मामलों की जाँच की है और यह पाया है कि भूख के कारण कोई मौत नहीं हुई है। जो व्यक्ति मरे हैं वे वृद्धावस्था के कारण मृत्युग्रस्त हुए हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो बहुत सीधा है। उन्होंने पूछा है कि क्या प्रधान-मंत्री तथा कृषि-मंत्री को सूची सहित ज्ञापन प्राप्त हुआ था। आप, हां, अथवा, नहीं में उत्तर दें।

श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे : यह ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : बस इतनी सी बात है।

श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे : उन्होंने भूख से होने वाली मौतों का उल्लेख किया और मैं उस बारे में कुछ कहना चाहता था अन्यथा वे फिर कहेंगे कि मैं इस बात का उत्तर नहीं दे रहा हूँ। अन्य मामले हम उड़ीसा सरकार को निर्देशित करेंगे। मैं अपने आप कोई उत्तर नहीं दे सकता। जानकारी राज्य सरकार से ही प्राप्त की जाती है। हम यह मामले उन्हें भेजेंगे।

श्री पीलू मोदी : श्री एस० एम० बनर्जी तथा अन्य द्वारा उल्लिखित ज्ञापन में तीन आरोप लगाए गए हैं। एक आरोप का शीर्षक है "सामाजिक ढांचा ढह रहा है" इसमें कहा गया है कि ब्राह्मणों को "टेस्ट" राहत कार्यों में काम करने को बाध्य किया गया है। क्या मैं यह समझूं कि ब्राह्मणों को सभी कार्यों से छूट प्राप्त है इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है। क्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महामंत्री उड़ीसा सरकार पर उपयुक्त आरोप भी लगा रहें हैं और यदि हां तो इस आरोप के बारे में केन्द्रीय सरकार का क्या मत है ?

श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य अथवा कोई अन्य भी इससे कुछ भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मेरे विचार से भारत सरकार को इस बारे में अपना मत व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जगन्नाथ राव : उड़ीसा सरकार ने 'टेस्ट' राहत कार्यों और सूखा राहत के लिए कितनी धनराशि की मांग की है और केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि स्वीकृत की है ?

श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे : अभी तक 25 करोड़ रुपये की धनराशि नियत की गई है। अनुमानत: 19 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है। हम अतिरिक्त सहायता के लिए राज्य सरकार के अनुरोध की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to questions

Broadcasting Range of Bhopal A. I. R.

*1061. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal for extension of the

broadcasting range and capacity of the Bhopal Transmitting Station of the All India Radio ;

(b) if so, the salient features thereof ; and

(c) the time by which this would be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Information & Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy): (a) No, Sir. However, increasing the power of transmitter at Indore from 20 Kw to 100 Kw will benefit Bhopal also, which lies within the primary service area of the transmitter at Indore.

(b) and (c). Do not arise.

जीपों का मूल्य

***1062. श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में जीपों के मूल्य में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) जी, हाँ ।

(ख). कीमतों में वृद्धि उपकरणों और कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होने और श्रम लागत तथा सरकार द्वारा लगाई गई लेवी में वृद्धि होने के फलस्वरूप हुई है ।

Value of Machinery Imported by M/s. Maruti Private Ltd. for Manufacture of Small Car

***1067. Shri Jagannathrao Joshi :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) the value of foreign machinery imported with the permission of Government and installed by Messrs Maruti Private Limited for the manufacture of small cars ;

(b) the amount of foreign exchange sanctioned therefor ; and

(c) the value of the purchase orders for foreign machinery under consideration at present and the amount of foreign exchange involved therein ?

The Minister of Industrial Development (Shri Moinul Haque Choudhury) : (a) and (b). The Government have not sanctioned any foreign exchange to Messrs Maruti Private Limited or approved of any import of machinery by that company for the manufacture of passenger cars.

(c) No Proposal for the import of machinery by this company has been received by Government.

तमिलनाडु का औद्योगिक विकास

***1073. श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु ही एक मात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 15 वर्षों में बहुत ही सीमित संख्या में उद्योग स्थापित किये गये हैं ।

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में कच्चा माल उपलब्ध होने के बावजूद उस राज्य में उद्योगों की स्थापना नहीं की जा रही है ; और

(ग) क्या अन्य राज्यों की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र में तमिलनाडु बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) औद्योगिक-करण की दिशा में तमिलनाडु में पर्याप्त प्रगति हुई है जो अन्य राज्यों की तुलना में अधिक सन्तोषजनक है । वर्ष 1961 के अन्त में यहां 3,000 लघु उद्योग एकक थे जो वर्ष 1971 के अन्त में बढ़कर 25,190 हो गये । वर्ष 1951 से 1971 के दौरान तमिलनाडु को 1,260 औद्योगिक लाईसेंस दिये गये थे जो देश के कुल लाइसेंसों के 9.9 प्रतिशत थे तथा इस दृष्टि से सभी राज्यों में तमिलनाडु का तृतीय स्थान है । वर्ष 1967 से 1971 के दौरान तमिलनाड को 138 आशय-पत्र दिये गये थे जो जारी किये गये कुल आशय पत्रों का 6.3 प्रतिशत है तथा इस दृष्टि से सभी राज्यों में तमिलनादु का छठवां स्थान है ।

राज्य की औद्योगिक तथा खनिज परियोजनाओं में केन्द्र सरकार ने पर्याप्त धन लगाया है । राज्य स्थित केन्द्रीय परियोजनाओं में वर्ष 1951-1969 के दौरान 285.4 करोड़ रुपये की धन राशि की व्यवस्था की गई जो देश में हुए कुल केन्द्रीय निवेश की 9.9 प्रतिशत थी तथा इसी कारण सभी राज्यों में तमिलनाडु को पाँचवां स्थान प्राप्त हुआ है ।

स्थानीय कच्चे माल तथा संसाधनों के उपयोग करने के प्रयत्नों के फलस्वरूप शीघ्र ही राज्य में एक इस्पात—परियोजना स्थापित की जायेगी तथा हाल ही में मद्रास रिफाइनरी भी चालू हो चुकी है ।

तमिलनाडु में कई महत्वपूर्ण उद्योग भी हैं, जैसे, रेल के डिब्बे, गाड़ियां, ट्रक, टेलीप्रिन्टर, उर्वरक, हाई प्रेशर ब्वायलर, रबड़ तथा शल्य क्रिया के उपकरण जिन्होंने समूचे देश की औद्योगिक अर्थ व्यवस्था को विकसित खंड संपुरित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है ।

"दी अग्ली अमेरिकन इन मद्रास" नामक पुस्तिका

*1075. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मद्रास रीजनल सेंटर, दी इण्डियन स्कूल आफ सोशल साइन्सिज, 6-बी, सुल्लीवन्स गार्डन रोड, मद्रास-4, द्वारा प्रकाशित और वितरित "दी अग्ली अमेरिकन इन मद्रास" (मद्रास में कुरूप अमरीकी) नामक पुस्तिका की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार उन सभी विदेशी एजन्सियों की गतिविधियों पर निरन्तर नजर रखती है जो हमारी शैक्षणिक अथवा अन्य संस्थाओं को प्रभावित करना चाहती है ।

क्षेत्रीय परिषदों का गठन

*1077. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, गठित क्षेत्रीय परिषद की तरह शेष देश के लिए भी क्षेत्रीय परिषदों का गठन करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां; तो क्या सम्बन्धित राज्यों के संसद सदस्यों को भी उक्त परिषदों से सम्बद्ध किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) . शेष देश में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के समूहों के लिए पहले ही क्षेत्रीय परिषदें विद्यमान हैं । उनके वर्तमान ढांचे में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

सरकारी क्षेत्र में स्कूटरों का उत्पादन

*1078. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 मई, 1972 के 'पोट्रियट' में 'स्कूटर मैन्यूफेक्चर इन पब्लिक सेक्टर" (सरकारी क्षेत्र में स्कूटरों का उत्पादन) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) और (ख) : 7 मई, 1972 को पेट्रिआट में प्रकाशित समाचार की विषयवस्तु पर सरकार ने समुचित ध्यान दिया है ।

जाली मनीआर्डर

*1079. **श्री अमर नाथ चावला :** क्या **संचार** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जाल-साजों के एक गिरोह का पता लगाया है जो काफी बड़ी राशि के जाली मनीआर्डर भेजा करता था और फिर कलकत्ता में उस राशि को वसूल कर लेता था ;

(ख) इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस काम में डाक विभाग या किसी अन्य सरकारी विभाग के कुछ व्यक्तियों का भी हाथ था ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) कुछ मनीआर्डर पार्क स्ट्रीट डाकघर (कलकत्ता) में अदायगी के लिए प्राप्त हुए थे । डाकघर के कर्मचारियों को उनकी असलियत के बारे में शक हुआ और जांच कराने पर वे जाली पाये गए । केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस मामले की रिपोर्ट कर दी गई और ब्यूरो ने जालसाजों के गिरोह का पता लगा लिया ।

(ख) से (घ)—(1) श्री ज्योतिर्मय दास, क्लर्क, जयनगर, मोजुलपुर डाकघर कलकत्ता ।

(2) श्री सुरेश चन्द्र दास अपर डिवीजन क्लर्क, हैवी इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन, कलकत्ता ।

(3) श्री रमेश चन्द्र दास, क्लर्क, कार्यालय रीजनल प्राविडैंट फण्ड कमिश्नर, कलकत्ता ।

(4) श्री खगेन्द्र चन्द्र चौधरी, सब इंस्पेक्टर, बड़ा नगर राशनिंग आफिस, पश्चिमी बंगाल सरकार।

(5) श्री आशुतोष घोष (बाहरी व्यक्ति) ।

अनुशासन सम्बन्धी उचित नियमों के अनुसार मद संख्या (1) में बताए गए डाक क्लर्क के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मद संख्या 2 से लेकर 4 तक के कर्मचारियों के खिलाफ, जो कि दूसरे विभागों के हैं, क्या कार्रवाई की जा चुकी है/की जाएगी, उसकी कोई जानकारी नहीं है । पुलिस की तफतीश चल रही है ।

स्वतन्त्रता रजत जयन्ती समारोह के दौरान स्वतन्त्रता सैनानियों को सहायता

*1080. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की आवश्यकता महसूस की है कि स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जिन व्यक्तियों की सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया था अथवा नीलाम कर दिया गया था उन स्वतन्त्रता सैनानियों अथवा उनके वैध उत्तराधिकारियों को उनकी सम्पत्ति वापस दिलाई जाये अथवा उन्हें उचित मुआवजा दिया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो हमारी स्वतंत्रता की रजत जयन्ती के इस वर्ष में इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) . सरकार उन व्यक्तियों को सहायता देने की आवश्यकता महसूस करती है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में यातनाएं सही थीं, तथा तदनुसार उपयुक्त स्वतंत्रता सैनानियों को पैंशन देने की एक योजना बनाई है जो कि हमारी स्वतंत्रता की पच्चसीवीं वर्षगाँठ से लागू होनी है । जब्त की गई अथवा नीलाम की गई सम्पत्ति को वापस दिलाना सरकार के लिये व्यवहारिक नहीं है । तथापि, राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में जो भी सहायता सम्भव होती है, प्रदान करती हैं ।

गुजरात में नई कम्पनियाँ स्थापित करने के लिये लाईसेंसों का जारी किया जाना

8038. **श्री वेकारिया :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1971-72 में गुजरात में नई कम्पनियां स्थापित करने के लिये लाइसेंस जारी किये गये थे ;

(ख) क्या सरकार ने कुछ कम्पनियों को वित्तीय सहायता भी दी है; और

(ग) यदि हाँ, तो कितनी सहायता दी गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1-1-71 से 31-3-72 की अवधि में गुजरात में नये उद्योगों की स्थापना करने के लिये दस औद्योगिक लाईसेंस जारी किये गये थे। जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे नियमित रूप से "वीकली बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज, इम्पोर्ट लाइसेसेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज", "दि वीकली इण्डियन ट्रेड जर्नल" और "दि मंथली जर्नल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड" में प्रकाशित किये जाते हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में भेजी जाती है।

(ख) तथा (ग). गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को सरकारी सहायता आमतौर पर सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से दी जाती है। विभिन्न लाइसेंस आशय-पत्र धारियों को दी गई कम्पनी-वार सहायता का केन्द्रीय रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है।

मोटरकारों में ईंधन की खपत कम करने के लिये आविष्कार

8039. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि एक भारतीय वैज्ञानिक ने ईंधन के प्रयोग में मितव्ययिता लाने तथा एग्जास्ट की किस्म का सुधार करने की विधि का आविष्कार किया है तथा कार एग्जास्ट तथा वायु दूषण के लिए पर्याप्त मात्रा में कार्बन मोनोक्साइड कम करने का दावा किया है और उसे 5000 रुपये का पुरष्कार दिया गया था।

(ख) यदि हाँ, तो क्या उसकी बिधि का कोई परीक्षण किया गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस विधि को लेने तथा इसका प्रयोग सभी मोटर गाड़ियों में अनियार्य रूप मे करने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सरकार को यह मालूम है कि एक भारतीय आविष्कर्त्ता ने एक गेजट का विकास किया है जिसके फलस्वरूप ईंधन में मितव्ययिता होगी। आविष्कर्त्ता को आविष्कार सम्बर्धन बोर्ड ने 5000 रु० का इनाम दिया है। इस प्रक्रिया को भारत तथा विदेश में पेटेन्ट किया गया है।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और बाद में सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विदेशों में रह रहे भारतीय तकनीशनों का वैज्ञानिक पूल बनाना

8040. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों का एक पूल, मुख्य रूप से विदेशों में रह रहे तकनीशनों में, बनाने की योजना थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस समय सूची में कितने वैज्ञानिक हैं; और

(ग) उन्हें किस प्रकार का कार्य सौंपा जा रहा है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) (क) रोजगार का बिना पूर्व आश्वासन प्राप्त किये विदेशों से वापिस लौटने वाले विशिष्ट योग्यता प्राप्त वैज्ञानिक इंजीनियर, तकनीकीविद और चिकित्सा कार्मिकों को अस्थाई रोजगार दिलाने के लिये अक्तूम्बर 1958 में भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिकों का पूल नाम की योजना प्रारम्भ की गयी थी। ऐसे विशिष्ट योग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों आदि जो कभी विदेश नहीं गये, को भी वैज्ञानिकों के पूल के योग्य माना जाता है।

(ख) इस योजना के आरम्भ होने के बाद से वैज्ञानिकों के पूल में 8,469 व्यक्ति चुने गये जिनमें से दिनांक 1.4.72 तक 388 भारत के विभिन्न सम्बन्धित संगठनों में पूल अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे।

(ग) पूल में चुने हुए व्यक्तियों को उपयुक्त संगठनों में लगाया जाता है। सम्बन्धित संगठनों द्वारा जो कार्य उनको दिये जाते हैं, वह इस प्रकार हैं :— अनुसंधान, शिक्षण, डिजाईन, विकास, उत्पादन, या औषधालय कार्य, इत्यादि जो उनकी योग्यता अथवा अनुभव पर आधारित होते हैं।

चलचित्र वित्त निगम के सदस्यों को ऋण

8041. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलचित्र वित्त निगम के सदस्यों को फिल्म निर्माता बनने के लिए ऋण देने पर कोई कानूनी प्रतिबन्ध हैं ;

(ख) क्या इस निगम तथा केन्द्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए फिल्मों का व्यापार करने वाले अन्य निकायों की सदस्यता ग्रहण करने के बारे में भी इसी प्रकार का प्रतिबन्ध है ;

(ग) यदि हां, तो इन नियमों का कहां तक अनुसरण किया जा रहा है तथा कितने मामलों में नियमों का उल्लंघन किया गया है तथा उसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में फिल्में बनाने के लिए चलचित्र वित्त निगम ने ऐसे सदस्यों को कुल कितनी धनराशि दी है जिन्हें इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं था तथा कितना ऋण का वापस भुगतान किया जाना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) फिल्म वित्त निगम के निदेशक मण्डल का कोई वर्तमान सदस्य फिल्मों के निर्माण के लिए निगम से ऋण लेने का पात्र नहीं है।

(ख) जहां तक फिल्म वित्त निगम का सम्बन्ध है, ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है ;

(ग) और (घ) . नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा और उनका कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। निदेशक मण्डल के किसी वर्तमान सदस्य को ऋण नहीं दिया गया है।

शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग

8042. श्री वयालार रवि : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ भारत ने शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी के उपयोग में सहयोग के लिए द्विपक्षीय करार किये हैं ;

(ख) इन करारों के अन्तर्गत भारत को क्या सहायता प्राप्त हुई तथा इस प्रौद्योगिकी को विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग करने में हमें कितनी सफलता मिली है ; और

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग किसी देश की परसाणु प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए कोई तकनीकी सहायता दे रहा है; और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भारत ने परमाणु ऊर्जा के शान्तिमय उपयोगों के क्षेत्र में सहयोग के लिए जिन देशों के साथ वर्तमान द्विपक्षी करार किये हुए हैं, उनके नाम हैं :—अफगानिस्तान, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, फ्राँस, जर्मन, संघीय गणराज्य, हंगरी, फिलीपींस, रूमानिया, संयुक्त अरब गणराज्य, अमरीका और रूस ।

(ख) सहयोग के करारों की शर्तें अलग-अलग देशों के साथ अलग-अलग हैं । कुछ करार सामान्य प्रकार के सहयोग के लिए हैं जिनके अन्तर्गत प्राय: छात्रवृत्तियों के आदान-प्रदान, अवर्गीकृत सूचना के आदान-प्रदान, एक दूसरे के वैज्ञानिकों की यात्राओं आदि की व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने कुछ सरकारों के साथ विशिष्ट करार तथा वाणिज्यिक करार किये हैं, जिनमें भारत के परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रमों के विकास में तकनीकी सहयोग एवं सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है तथा इनका विस्तारपूर्ण विवरण परमाणु ऊर्जा विभाग के वार्षिक प्रतिवेदनों में, जो माननीय सदस्यों को प्रसारित किए जाते हैं तथा जिनकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, दिया जाता है ।

(ग) जी, हाँ । यह सहायता भारत में प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियों के अनुदान, उधार पर उपकरणों की सप्लाई तथा एक दूसरे के देश में वैज्ञानिकों की यात्राओं के रूप में दी जाती है ।

प्राइवेट व्यक्तियों के नाम में सरकारी क्वार्टरों में टेलीफोन

8043. श्री इसहाक सम्भली : क्या **संचार मंत्री** रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में क्वार्टरों को आगे किराये पर चढ़ाने के बारे में 8 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न-संख्या 5377 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों से किसी व्यक्ति द्वारा, जो सरकारी कर्मचारी के साथ उसके क्वार्टर में रह रहा हो अथवा जिससे उससे आगे किराये पर लिया हो, सरकारी क्वार्टर/फ्लैट/बंगले में टेलीफोन लगाने के लिये सरकार से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) रामकृष्णपुरम में सैक्टर VII और VIII में ऐसे क्वार्टरों की संख्या कितनी हैं जिनमें बड़े-बड़े व्यापारियों ने जिन्होंने आगे किराये पर लिये हुए क्वार्टरों में टेलीफोन लगवा रखे हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे कदाचारों को रोकने के लिये बड़े-बड़े व्यापारियों द्वारा आगे किराये पर लिये गये क्वार्टरों में टेलीफोन लगाने के लिये सरकार की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य बनाने के लिये कुछ अनुदेश जारी करने का है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) से (घ). सरकारी या किसी दूसरे मकान में टेलीफोन लगाते समय आमूमन डाक-तार विभाग मकान-मालिक की इजाजत पेश करने को नहीं कहता । किन्तु कभी-कभी टेलीफोन लगाते समय जांच करने पर ऐसा पता चलता है कि जिस व्यक्ति के नाम टेलीफोन मंजूर किया गया है, मकान पर उसका अधिकृत (authorised) कब्जा नहीं है । ऐसे मामलों में टेलीफोन लगाने से इन्कार कर दिया जाता है और जब तक प्रार्थी यह साबित न कर दे कि उस जगह पर उसका अधिकृत कब्जा है, टेलीफोन नहीं लगाया जाता । ऐसे मामलों में जब टेलीफोन लग जाने के बाद मकान मालिक की तरफ से ऐसी शिकायत आती है कि टेलीफोन जिस आदमी के नाम लगा है उसका मकान उक्त मकान पर अधिकृत कब्जा नहीं है तो उपभोक्ता को यह कहा जाता है कि वह साबित करे कि उक्त जगह पर उसका अधिकृत कब्जा है । यदि वह कब्जे का अपना हक साबित नहीं कर पाता तो टेलीफोन काट दिया जाता है । रामकृष्ण-पुरम में सरकारी क्वार्टरों के मकान मालिक इस्टेट अफसर हैं । इनकी ओर से ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि रामकृष्णपुरम में सैक्टर VII और VIII में किसी ऐसे आदमी को टेलीफोन दिया गया है जिसका उक्त क्वार्टर पर अधिकृत कब्जा नहीं है । इस्टेट अफसर की तरफ से कोई शिकायत न आने की वजह से प्रश्न के (घ) भाग के सुझाव के अनुसार संचार मंत्रालय द्वारा कोई कार्रवाई करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सिलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के लिये तालिका बनाया जाना

8044. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सिलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के लिये तालिकाएं जारी की गई थीं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इन तालिकाओं के जारी करने में बार-बार विलम्ब करने के क्या कारण हैं और प्रत्येक वर्ष की समाप्ति से पहले सिलेक्ट लिस्टों के जारी किये जाने को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सिलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के लिए दिनांक 22 अप्रैल, 1970, 28 अक्तूबर, 1971 तथा 11 अप्रैल, 1972 को विगत तीन वर्षों के लिए सिलेक्ट लिस्टें जारी की गई थीं । वर्ष 1970 की सिलेक्ट लिस्ट को अन्तिम रूप देने में निश्चय ही विलम्ब हुआ है क्योंकि इसने सिलेक्ट लिस्ट की संख्या को निश्चित करने, चयन समिति का गठन करने के लिए विनियमों में संशोधन करने में समय लिया और इसने विचार के लिए निर्धारित क्षेत्र में आने वाले सभी मामलों पर विचार करने में भी समय लगाया । अब सरकार ने इस प्रकार की सिलेक्ट लिस्टों को तैयार करने और जारी करने के लिए समय-सूची निर्धारित कर दी है ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सिलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के लिये चयन सूची बनाना

8045. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या **प्रधान मंत्री** केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सिलेक्शन ग्रेड के पदों पर पदोन्नति के लिये तालिका के बारे में 11 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न सख्या 7725 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सिलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के लिये चयन सूचियां बनाने के लिये क्या समय निर्धारित किया गया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : पदोन्नति के विनियमों के अनुसार, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सिलेक्शन ग्रेड के लिए प्रति वर्ष एक नई चयन सूची तैयार की जाती है, यदि वर्ष की पहली जुलाई को उस ग्रेड की चयन सूची में पहले से ही शामिल अधिकारियों की संख्या नई चयन सूची के लिए निर्धारित संख्या से कम हो। सामान्यत: प्रति वर्ष जुलाई माह में चयन सूची तैयार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ की जाती है। पिछले वर्ष की निर्धारित समय-सूची के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की किसी विशेष वर्ष के लिए उस सेवा के सिलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के लिए चयन सूची को अंतिम रूप देते हुए उस वर्ष के अन्त तक उसे जारी किया जाना है।

केन्द्रीय संस्थापन बोर्ड और विभागीय पदोन्नति समिति के कृत्य

8046. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या **प्रधान मंत्री** विभागीय पदोन्नति समिति के बारे में 11 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7726 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार में उप सचिव और उससे ऊपर के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों के नामों की सिफारिश करने के लिए केन्द्रीय संस्थापन बोर्ड द्वारा क्या कार्य किये जाते हैं और विभागीय पदोन्नति समिति के कार्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत ही उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति के लिए केन्द्रीय सेवा के प्रथम श्रेणी अधिकारियों की पदोन्नति के लिए केन्द्रीय संस्थापन बोर्ड विभागीय पदोन्नति समिति के रूप में कार्य नहीं करता मगर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रथम श्रेणी अधिकारियों की उक्त सेवा के सिलेक्शन ग्रेड (प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत ही पदोन्नति) में पदोन्नति के लिए उक्त बोर्ड विभागीय पदोन्नति समिति के रूप में कार्य करता है; और

(ग) यदि हां, तो संस्थापन बोर्ड के दो भिन्न कार्य निर्धारित करने और केवल केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के मामले में यह भेदभाव करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय संस्थापन बोर्ड का कार्य भारत सरकार के अधीन अवर सचिव से ऊपर किन्तु संयुक्त सचिव से नीचे के सभी पदों तथा गैर-सचिवालय सेवा के अन्य सभी समान पदों के लिए प्रवरण तथा नियुक्ति के सम्बन्ध में सिफारिशें करना होता है जब कि किसी विशेष रिक्ति के लिए चयन के क्षेत्र में आने वाले सभी ऐसे अधिकारियों की योग्यता, दावे तथा उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, उन्हें अखिल भारतीय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा और अन्य फीडर सेवाओं में नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव किया जाता है।

विभागीय पदोन्नति समिति का कार्य किसी विशेष सेवा के प्रवरण के क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों की योग्यता का मूल्यांकन करना है जिसके लिए एक विशेष विभागीय पदोन्नति समिति होती है और पदोन्नति के लिए योग्य पाये जाने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में, उस ग्रेड की चयन सूची में शामिल करने के लिए जिसके हेतु ऐसी सूची तैयार की जाती है, अपनी सिफारिशें करना होता है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में ग्राम्य उद्योग परियोजना कार्यक्रम

8047. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में ग्राम्य उद्योग परियोजना कार्यक्रम में किन-किन जिलों को शामिल किया गया है ;

(ख) उपरोक्त जिलों में से प्रत्येक जिले में उक्त परियोजनाओं को सौंपे गये विभिन्न कार्यों को पूरा करने में आरम्भ से लेकर कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या चालू वर्ष में ही ग्राम्य उद्योग परियोजना कार्यक्रम में कुड्डापा जिले को शामिल करने का भी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1962-63 में शुरू किये गये कार्य क्रम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश के अनुसार नलगोंडा और गुन्टूर जिलों में तीन परियोजनायें शुरू की गई थीं। उस समय इस कार्यक्रम के क्षेत्र को प्रत्येक जिले की 5-6 सामुदायिक विकास खण्ड परियोजनाओं तक सीमित रखा गया था। किन्तु 1 अप्रैल, 1971 से इस कार्यक्रम का क्षेत्र उन कस्बों और शाखों को छोड़कर जिनकी आबादी 15,000 से अधिक है पूरे जिले तक बढ़ा दिया गया है।

1971-72 में करीम नगर जिले के लिये उसी जिले की पाइलट रूरल इलैक्ट्रिक कोआपरेटिव प्रायोजना के साथ निकट समन्वय के उद्देश्य से एक नई ग्रामीण उद्योग प्रायोजना स्वीकार की गई है।

(ख) 31 मार्च, 1971 तक हुई प्रगति का विवरण निम्न प्रकार है :—

जिले का नाम	उन एककों का नाम जिन्हें आर्थिक सहायता दी गई	कितने लोगों के लिये काम मिलेगा	स्थापित किये गये उद्योगों की प्रकार	एककों की संख्या तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा उन्हें प्रदान की गई ऋण सुविधा	
				एककों की सं०	राशि (लाख रु०)
1	2	3	4	5	6
1 अनन्तपुर	548	4,000	पौलीथीन वेमैले पैकिंग का सामान, कागज के थैले, विस्तृत की गई धातुएं कीटनाशक और कृमि-नाशक, कृषि उपकरण, तैयार (सिले सिलाये) कपड़े, जूते, सेफ्टी मैचें, बैकरी आदि ।	324	9.73
2 नलगोंडा	1301	उपलब्ध नहीं है ।	वन पर आधारित उद्योग, पशु पालन पर आधारित उद्योग, इंजीनियरी और सहायक उद्योग, भवन निर्माण सामग्री, सिरेमिक उद्योग, कृषि प्रक्रिया वाले उद्योग और रसायन उद्योग	1731	10.90
3 गुन्टूर (नरसरावपेट)	3728	6521	वन पर आधारित उद्योग, पशु पालन पर आधारित उद्योग, वस्त्र उद्योग, भवन निर्माण सामग्री, सिरेमिक और इंजीनियरी तथा सहायक उद्योग आदि ।		

4 करीम नगर जिला—इस ग्रामीण उद्योग परियोजना का क्षेत्र 1971-72 में सीमित था। जिलों के तकनीकी और आर्थिक सर्वे करने तथा विकास कार्यक्रम तैयार करने, पाइलट सरल इलैक्ट्रिक सहकारिता परियोजनाओं द्वारा कितनी बिजली बनाई जा सकेगी आदि की प्रास्थापना सुविधाओं के महत्व पर विचार करने से सम्बन्धित प्रारम्भिक कार्य हाथ में लिये गये हैं ।

(ग) पांचवी पंचवर्षीय योजना में राज्य के लिये तीन ग्रामीण औद्योगिक परियोजनायें निर्धारित की गई है। जिलों का अंतिम रूप से चयन करने सम्बन्धी निर्णय राज्य सरकार की सिफारिशें मिलने के बाद किया जायेगा।

भूतपूर्व शासकों के परिवारों के सदस्यों द्वारा भत्तों का लिया जाना

8048. श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व शासकों के परिवारों के बहुत से सदस्यों को राज्य सरकारों की ओर से ऐसे पृथक समझौते के अन्तर्गत आजीवन भत्ते दिये जा रहे हैं जो निजी थैलियों की व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं है, और यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या संविधान (26 वां संशोधन) अधिनियम, 1971 के द्वारा इन आजीवन भत्तों के भुगतान पर भी प्रभाव पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो इन भत्तों का पुनः भुगतान करने के लिये राज्य सरकारों की सलाह देने के बारे में केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) भूतपूर्व शासकों के परिवारों के कुछ सदस्य राज्य सरकारों से भत्ते प्राप्त कर रहे हैं। परिवार के ऐसे सदस्यों के नाम एकत्रित किए जा रहे हैं, और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दिये जाएंगे।

(ख) और (ग). संविधान (26 वां संशोधन) अधिनियम 1971 का इन भत्तों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। भत्तों को जारी रखने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को उपयुक्त सुझाव देने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

Purchase Of Furniture For The Office Of Central Translation Bureau

8049. Swami Ramanand Shastri :
Shri Raja Ram Shastri :
will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state .

(a) Whether quotations for the purchase of furniture for the office of Central Translation Bureau during the first year of its stablishment were not invited and the furniture was purchased on the basis of tender rates approved by the Ministry of Home Affairs ; and

(b) If so, the reasons therefor ?

The Minister Of State In The Ministry Of Home Affairs And In The Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) No Sir, The quotations for the purchase of office furniture for the Central Translation Bureau were invited from several firms and the purchases were made from the firms whose quotations were found to be the lowest.

(b) Question does not arise.

डाक तथा तार विभाग के अधिकारियों की इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, नैनी में प्रतिनियुक्ति

8050. श्री एस० एन० मिश्र : क्या संचार मंत्री डाक तथा तार विभाग के अधिकारियों

की इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, नैनी में प्रतिनियुक्ति के बारे में 26 अप्रैल, 1972 के अतरांकित प्रश्न संख्या 4132 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभा-पटल पर रखे गये विवरण में उल्लिखित अधिकारियों का विशिष्ट ज्ञान तथा तकनीकी एवं व्यावसायिक अर्हतायें क्या हैं ; और

(ख) वर्तमान चयन प्रणाली में परम्परागत पक्षपात का उन्मूलन करने और सर्वाधिक प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों को इन पदों की ओर आकर्षित करने के लिए तथा उपयुक्त अधिकारी भरती करने के लिये अपनी मांग सभी सर्किलों में परिचालित करने में डाक तथा तार विभाग के महानिदेशक को क्या कठिनाइयां हैं ?

सचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है । **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3135/72]**

(ख) जैसा कि 26 अप्रैल, 1972 को लोक-सभा में पूछे लिखित प्रश्न सं०4132 के उत्तर में पहले बताया जा चुका है, डाक-तार विभाग से इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज में प्रतिनियुक्त अधिकारियों का चुनाव, उपक्रम की विशेष कार्मिक अपेक्षताओं के अनुसार उनकी उपादेयता को समग्र रूप से ध्यान में रख कर किया जाता है । जब कभी ऐसा करना आवश्यक होता है, कार्मिकों की आवश्यकता की जानकारी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए परिचारित करने की कार्यविधि भी अपनायी जाती है ।

देश में विज्ञान स्नातक

8051. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1972 तक देश में विषय-वार और राज्य-वार, विज्ञान के स्नातकोतरों की संख्या कितनी थी ;

(ख) क्या सरकार का विचार उनकी बेरोजगारी के प्रथम वर्ष में उनको इंजीनियरी स्नातकों की तरह कुछ भत्ता देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् मे उपलब्ध सूचना के आधार पर 1971 में देश में विज्ञान के स्नातकोत्तरों की संख्या 139,200 थी । इस संख्या का विषय-वार तथा राज्य-वार वर्गीकरण उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जी नहीं । तथापि, विज्ञान के स्नातकोत्तर बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर सुलभ करने की स्कीमें तैयार की जा रही हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

देश में समाचार पत्रों का विकेन्द्रीकरण

8052. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में समाचार पत्रों का विकेन्द्रीकरण करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विभिन्न मंत्रालयों ने विचार कर लिया है ;

(ख) क्या विभिन्न मंत्रालयों द्वारा इस मामले का अध्ययन किये जाने के परिणामस्वरूप इस बीच कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किये गये हैं ; और

(ग) क्या उक्त निर्णय लेते समय भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ अथवा भारतीय सम्पादक महासंघ के दृष्टिकोण पर विचार नहीं किया गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उपरोक्त निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठते ।

व्यास बांध परियोजना के कर्मचारियों का पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों में बांटा जाना

8053. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने व्यास बांध परियोजना में काम करने वाले कर्मचारियों के तीन राज्यों में बँटवारे को अन्तिम रूप देने के लिए पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिवों की समिति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना में कार्य करने वाले राजपत्रित अधिकारियों के तीन राज्यों में बँटवारे का अनुपात 56: 37: 7 है ;

(ग) क्या अराजपत्रित कर्मचारियों के बटवारे का भी यही अनुपात है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) भारत सरकार द्वारा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिवों की एक समिति, न केवल व्यास परियोजना में काम कर रहे कर्मचारी-वर्ग के बटवारे को अन्तिम रूप देने के लिए बल्कि पजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 82 (4) के लिए उत्तराधिकारी राज्यों के बीच सेवाओं के विभाजन और एकीकरण के मामले में केन्द्रीय सरकार को सहायता देने हेतु, एक सलाहकार निकाय के रूप में गठित की गई थी ।

(ख) तथा (ग) . जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) क्षेत्र संवर्ग से सम्बन्धित परियोजना के अराजपत्रित कर्मचारियों के आवंटन को मुख्य सचिवों की समिति के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

दिल्ली में पुलिस के निष्क्रिय होने का आरोप

8054. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 मई, 1972 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित समाचार से अनुसार प्रधान मंत्री ने दिल्ली में जनता की शिकायतों के प्रति पुलिस के कथित उपेक्षापूर्ण रवैये की जांच करने का सुझाव दिया था ;

(ख) क्या जांच के मदों को अन्तिम रूप दिया गया है और यदि हां, तो मुख्य मदें क्या हैं ; और

(ग) जांच कब की जायेगी ?

गृह मंत्रालय में उप मत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में गैर-योजना व्यय में अन्तर

8055. श्री वयालार रवि : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में केरल राज्य के गैर-योजना व्यय में कितना अन्तर होने का अनुमान है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अन्तर को पूरा करने के लिए अब तक कुल कितनी राशि दी गई है और चौथी योजना की शेष अवधि में कितनी राशि देने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) चौथी योजना अवधि के दौरान केरल में गैर-योजना में संसाधनों के अन्तर की ओर कदाचित संकेत है। चौथी योजना को अन्तिम रूप देते समय यह अन्तर 67.78 करोड़ रुपये अनुमानित था ।

(ख) चौथी योजना के प्रथम तीन वर्षों में केरल को अपने गैर-योजना अन्तर पूरा करने के लिए 47.29 करोड़ रुपये की राशि की विशेष सहायता दी गई। क्योंकि विशेष सहायता राज्य के संसाधनों की स्थिति की वार्षिक पुन:रीक्षा के अधीन दी गई थी अतएव इस स्थिति में 1972–73 तथा 1973-74 में राज्य के गैर-योजना अन्तर को पूरा करने के लिए दी जाने वाली राशि का निश्चित अनुमान नहीं दिया जा सकता ।

केरल में आर्थिक संकट

8056. श्री वयालार रवि : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में वर्तमान आर्थिक संकट पर काबू पाने के लिए कोई आर्थिक सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) राज्य के गैर-योजना घाटे में हुई वृद्धि को पूरा करने तथा इदिक्की परियोजना पर होने वाले अतिरिक्त खर्चे को पूरा करने के लिए केरल सरकार ने अतिरिक्त विशेष व्यवस्था करने तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है ।

(ख) राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि इस समय अब यह सम्भव नहीं है कि योजना स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता के आवंटन के प्रश्न पर पुनः विचार किया जाय या राज्य के गैर योजना घाटे को पूरा करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाय।

अपोलो स्कूटर का निर्माण

8057. श्री सतपाल कपूर : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री सरकारी क्षेत्र में अपोलो स्कूटर के निर्माण के बारे में 17 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6395 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जनता को मैसर्स प्रजा सहकारी उद्योग भरतपुर लिमिटेड की सही स्थिति बताने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की थी जिससे आम जनता उनके विज्ञापन से गुमराह न होती ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : मे० प्रजा सहकारी उद्योग भरतपुर लि० के कार्यों की सही स्थिति से जनता को अवगत कराने के लिये राजस्थान सरकार ने एक प्रैस विज्ञप्ति जारी की है।

कुड्डापा आकाशवाणी केन्द्र

8058. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री कुड्डापा आकाशावाणी केन्द्र में प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव, ट्रान्समिशन एक्जीक्यूटिव और एनाउन्सरों के बारे में 17मई,1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6407 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुड्डापा आकाशवाणी केन्द्र में प्रोग्राम एक्जीक्यूटिवों (राजपत्रित अधिकारियों), ट्रान्समिशन एक्जीक्यूटिवों और एनाउन्सरों की वर्तमान संख्या का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ; और

(ख) कार्य के आधार पर आकाशवाणी में विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने के मानक के बारे में वित्त मन्त्रालय की कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा कब तक निर्णय ले लिये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) (1)कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव्ज

	(राजपत्रित आधिकारी)	...	1
(2)	ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव्ज	...	1
(3)	एनाउन्सर	...	2

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

फिल्मों के सम्पादन में सेंसर बोर्ड का कार्य

8059. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंसर बोर्ड सेंसर के लिए प्रत्येक फिल्म देखने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यक्ति नियुक्त करता है ;

(ख) क्या इस त्रुटि के कारण सेंसर की गई फिल्मों में असमानताएं दिखाई देती है, अर्थात् कहीं तो नियमों का पालन होता है और कहीं नहीं होता ; और

(ग) क्या सेंसर बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा प्रस्तावित काट-छांट वस्तुतः फिल्मों के नेगेटिव में भी की जाए और यदि नहीं, तो बोर्ड यह कैसे सुनिश्चित करता है कि उनके उद्देश्यों का पूरा-पूरा पालन किया जाता है और क्यों यह सुनिश्चित करने के लिए दूसरी बार निरीक्षण करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है कि फिल्म निर्माताओं द्वारा परिवर्तनों के लिए दिए गए सुझावों पर अमल किया गया है या नहीं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां । केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के सलाहकार पैनलों में बम्बई में 35, मद्रास में 38 तथा कलकत्ता में 20 सदस्य हैं जिनमें से 4 को प्रत्येक फीचर फिल्म के लिए फिल्म की भाषा और किस्म के आधार पर नामजद किया जाता है ।

(ख) प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं है । मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों तथा व्यक्तिगत विचार-विमर्शों के माध्यम से सेन्सर करने में एकरूपता लाने का पूरा प्रयत्न किया जाता है ।

(ग) निर्माताओं के लिए फिल्म की पोजिटिव तथा नेगेटिव प्रिन्टों के काटे गए अंश जमा कराना आवश्यक है । बोर्ड प्रमाण-पत्र तभी देता है जब काटे गए अंश जमा करा दिये जाते हैं और प्रमाण-पत्र से संलग्न पृष्ठांकन में काटे गए प्रत्येक अंश के सम्मुख निर्दिष्ट मांप के अनुसार ठीक पाये जाते है । बोर्ड समूची फिल्म को दूसरी बार नहीं देखता ।

लघु औद्योगिक क्षेत्र में मशीनरी के लिये लगाई जाने वाली पूंजी की अधिकतम सीमा निर्धारित करना

8060. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु औद्योगिक क्षेत्र में प्रति यूनिट मशीनरी और उपकरणों पर लगाई जाने वाली पूंजी की 5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इंजीनियरी और परियोजनाओं की प्रबन्ध सम्बन्धी गोष्ठी

8061. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन इंजीनियरिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में हाल ही में नई दिल्ली में इंजीनियरी और परियोजनाओं के प्रबन्ध के बारे में कोई गोष्ठी हुई थी ;

(ख) क्या उक्त गोष्ठी में बताया गया था कि बहुत सी परियोजनाएं, जिनमें काफी पूंजी लगी हुई है उचित आयोजना और क्रियान्वयन न होने के कारण हानि उठा रही हैं और उत्पादन में विलम्ब के कारण सरकार को घाटा हो रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस कारण कितनी हानि का अनुमान लगाया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) अपने उद्घाटन भाषण में औद्योगिक विकास मंत्री ने परियोजनाओं की उचित योजना बनाने तथा उनको ठीक प्रकार से क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर जोर दिया जिससे कि किया गया विनियोजन बरबाद न हो।

(ग) इस बारे में कितनी हानि हुई उसको आंकना संभव नहीं है।

खारापन दूर करने वाला पायलट संयंत्र

8062. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग खारापन दूर करने वाला एक पायलट संयंत्र लगाने सम्बन्धी परियोजना का कार्य, जिसमें कार्य भाप प्रक्रिया के नवीनतम विशिष्ट ज्ञान से प्रतिदिन 40, 50, 000 लिटर वाला पानी तैयार होगा, शीघ्र आरम्भ करेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रानिकी मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री, (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) यह संयंत्र वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा जल का अपक्षारीकरण करने की सर्वाधिक प्रगत प्रौद्योगिकी पर आधारित एक निदर्शक प्रायोगिक संयंत्र होगा। जल को अपक्षारीकरण करने वाला संयंत्रों के डिजाइन बनाने और उनके संचालन सम्बन्धी पक्षों के विषय में बहुमूल्य आंकड़े इस संयंत्र की सहायता से प्राप्त किये जा सकेंगे। यह संयंत्र ट्राम्बे में लगाया जायेगा। इस संयंत्र का परियोजना-प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है तथा आशा है कि इस पर शीघ्र ही काम शुरू हो जायेगा।

आंध्र प्रदेश में सीमेण्ट के कारखाने का निर्माण कार्य

8063. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सरकार के विचाराधीन आन्ध्र प्रदेश में सीमेण्ट कारखानों के प्रस्तावित स्थानों का ब्यौरा क्या है, और क्या उनकी परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई ; और

(ख) उनके निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने सम्बन्धी प्राथमिकता-क्रम क्या है और प्राथमिकता निर्धारित करने में क्या मानदण्ड अपनाया गया; और

(ग) इन सभी कारखानों में निर्माण कार्य अनुमानत: कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तेंदुर बेरागुन्टला तथा आदिलाबाद (आंध्र प्रदेश) में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने हेतु सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड ने सरकार के विचारार्थ संभाव्यता रिपोर्ट दे दी है।

(ख) कुछ अन्य क्षेत्रों में कारखाने लगाने के सम्बन्ध में संभाव्यता रिपोर्ट संकलित की जा रही है तथा इन प्रस्तावों की आर्थिक जीव्यता के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की पारस्परिक अग्रेता के विषय में निर्णय लिया जायेगा।

(ग) सरकार द्वारा अनुमति दिये जाने के पश्चात् शीघ्र ही इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य चालू किया जायेगा।

बंगला देश के स्वतन्त्रता संग्राम सम्बन्धी चलचित्र

8064. **श्री वी० के० दास चौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने बंगला देश के बारे में विशेषकर स्वतन्त्रता संग्राम सम्बन्धी कितने चलचित्र गैर-सरकारी निर्माताओं से खरीदे हैं ;

(ख) फिल्म डिवीजन ने गैर-सरकारी निर्माताओं से कौन-कौन से चलचित्र खरीदे हैं और उनके निर्माताओं के नाम क्या हैं ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि खर्च की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) एक फिल्म खरीदी गई है तथा एक अन्य फिल्म के सम्बन्ध में केवल भारतीय प्रदर्शन के लिए अधिकार प्राप्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस विषय पर चार फिल्में गैर-सरकारी निर्माताओं द्वारा तैयार की गई।

(ख) तथा (ग) . ब्यौरा इस प्रकार है :

फिल्म का नाम तथा व्यय की गई राशि	निर्माता
1. 'दुर्वारगति पद्मा' 45,000 रुपए	श्री विश्वजीत चटर्जी मैसर्ज त्रिश्रो फिल्म्स, डम डम कलकत्ता
2. ढाका में अत्याचारों का फिल्माया जाना * 3,500 रुपए	श्री आर० रे, 22, बल्लीगुंजे प्लेस, कलकत्ता।

(* केवल भारतीय प्रदर्शन के अधिकारों के लिए)

गैर-सरकारी निर्माताओं द्वारा तैयार की गई चार फिल्में इस प्रकार हैं :–

फिल्म का नाम	निर्माता
1. 'डेटलाइन बंगला देश'	श्रीमती गीता मेहता
2. 'नाइन मन्थ्स टु फ्रीडम'	श्री एस० सुखदेव
3. 'दस बीगैन दि ट्रेजिडी')	
4. 'एक्सोडस एण्ड आफ्टर')	मैसर्ज एशियन फ़िल्म्ज,
)	नई दिल्ली.

आई० सी० एस० और आई० ए० एस० अधिकारियों के विरुद्ध जांच

8065. श्री सतपाल कपूर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने आई० सी० एस० और आई०ए० एस० अधिकारियों के विरुद्ध किसी न किसी कारण से जांच की जा रही है ; और

(ख) जांच के निष्कर्ष क्या हैं और क्या कुछ आई० सी० एस० अधिकारियों ने इस बीच त्यागपत्र दे दिया है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) . केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 2 आई० सी० एस० और 29 आई० ए० एस० अधिकारियों के विरुद्ध जाँच/कार्यवाहियां की जा रही हैं । जांच के परिणामस्वरूप 5 अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रगति पर हैं और एक अधिकारी को न्यायालय में अभियोजित किया जा रहा है । शेष अधिकारियों के विरुद्ध मामले या तो अभी जांचाधीन हैं या अनुशासनिक प्राधिकारियों के विचाराधीन लम्बित हैं । उपर्युक्त मामले में अन्तर्ग्रस्त किसी आई० सी० एस० अधिकारी ने सेवा से त्याग-पत्र नहीं दिया है ।

योजनाबद्ध परियोजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों को दी गई राशि

***8066. श्री सतपाल कपूर :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान योजनागत परियोजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों को दी गई कुल राशि का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) किन-किन राज्यों ने पूरी राशि का उपयोग नहीं किया और किन-किन राज्यों ने इस राशि का अन्य कार्यों में उपयोग किया और किन-किन राज्यों ने राशि के कुछ भाग को वापस कर दिया और इस प्रकार कितनी राशि वापस की गई ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है कि योजनाबद्ध परियोजनाओं के लिए स्वीकृत पूरी राशि का उचित उपयोग हो ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : दो विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत हैं, जिनमें :

(1) प्रत्येक राज्य के बारे में 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के वर्षों में अनुमोदित परिव्ययों और वास्तविक खर्चे/सम्भावित खर्चे की राशि दर्शायी गई है ; और

(2) वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के वर्षों के दौरान केन्द्रीय सहायता का राज्यवार आवंटन और वितरण दर्शाया गया है। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3136/72]**

अनुमोदित योजना परिव्यय केवल कृषि कार्यक्रम तथा सहकार, चुनी हुई सिंचाई और बिजली परियोजनायें, प्रारम्भिक शिक्षा तथा ग्रामीण जल सम्भरण कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किए गए हैं। राज्य सरकारें अचिन्हित क्षेत्रों में अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्ययों के अन्तर्गत समायोजन करने के लिये स्वतन्त्र हैं। समग्र अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय पर केन्द्रीय सहायता आवंटित की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा बताए गये खर्चे के आँकड़ों के आधार पर उसे मुक्त किया जाता है। राज्यों द्वारा कुछ धनराशि वापस करने का प्रश्न नहीं उटता, क्योंकि उनके द्वारा बताये गये वार्षिक योजना के खर्चे के आधार पर उन्हें केन्द्रीय सहायता मुक्त की जाती है और यदि सहायता की राशि किसी प्रकार अधिक हो जाती है तो उनका समायोजन बाद के वर्षों में कर दिया जाता है।

(ग) राज्य सरकारें कार्यक्रमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे योजना प्रावधानों का पूरा और समुचित उपयोग करें तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाई करें। योजना आयोग के कार्यक्रम सलाहकार जांच-पड़ताल करने के लिए समय-समय पर राज्यों का दौरा करते रहते हैं तथा समय-समय पर योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के मध्य जो विचार-विमर्ष होता रहता है उससे व्यय में कमियों का निराकरण करने में सहायता मिलती है। राज्य सरकारों से परामर्श कर योजना-परियोजनाओं का उपयुक्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अच्छी व्यवस्था बनाने के बारे में योजना आयोग में विचार हो रहा है।

अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को लाभ

8067. श्री अमर नाथ चावला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करती रही है कि अनुसूचित जाति का कोई ऐसा व्यक्ति जो हिन्दू धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म का अवलम्बी हो गया है परन्तु बाद में पुनः हिन्दू बन जाने पर क्या वह अपनी पुरानी अनुसूचित जाति में शामिल हुआ माना जायेगा ;

(ख) क्या इस पर कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने अपने निर्णय की सूचना सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों को दे दी है ; और यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(घ) क्या अनुसूचित जाति के ऐसे पुनः धर्म परिवर्तन को इस जाति को प्राप्त सभी विशेषाधिकार और लाभ प्राप्त होंगे ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : इस मामले की जांच की जा रही है और इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

बड़े एकाधिकार गृहों का राष्ट्रीयकरण

8068. श्री देवेन्दर सिंह गरचा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़े एकाधिकार गृहों का राष्ट्रीयकरण करने सम्बन्धी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस प्रकार का कोई भी सामान्य प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संगम के सम्पादक, श्री गुलाम सर्वर की नजरबन्दी

8069. श्री विभूति मिश्र : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 अप्रैल, 1972 के पटना से प्रकाशित 'सर्चलाइट' में 'गुलाम सर्वर की नजरबन्दी न्यायोचित' शीर्षक से छपे उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि 'संगम' के सम्पादक, श्री सर्वर को, उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने पर गिरफ्तार किया गया है और कि उसने युद्ध के दौरान कलकत्ता, दिल्ली और काठमाण्डू स्थित पाकिस्तानी दूतावासों से घनिष्ठ सम्बन्ध बनाये रखे और यह कि उसने उनसे युद्ध के दौरान धन प्राप्त किया ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को श्री सर्वर द्वारा यह धन प्राप्त होने की कोई सूचना मिली है ; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). श्री गुलाम सर्वर की नजरबन्दी के सम्बन्ध में बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के बारे में सरकार ने समाचार देखे हैं । बिहार सहकार से पूरी मूल कार्यवाही भेजने का अनुरोध किया गया है ।

मिलावट वाली शराब बेचने वाले व्यक्तियों को दण्ड का बढ़ाया जाना

8070. श्री एम० एस० शिवस्वामी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली प्रशासन के इस प्रस्ताव पर विचार कर लिया है कि पंजाब

उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1914 के अन्तर्गत मिलावट वाली शराब बेचने वाले व्यक्तियों के लिए दण्ड बढ़ा दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं तथा इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख). सरकार को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में प्रदत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 में संशोधन करने के लिए दिल्ली प्रशासन से एक विधेयक प्राप्त हुआ है । प्रभावकारी निवारक के रूप में कार्य करने के लिए अधिनियम के अधीन विभिन्न अपराधों के लिए विधेयक में अधिक कठोर दण्ड देने की व्यवस्था है । मूल विधेयक में चार प्रकार से दण्ड को अधिक निवारक बनाने के लिए व्यवस्था की गई है :—

(1) दण्ड के रूप में जहाँ कारावास निर्धारित किया जाता है वहां केवल कठोर कारावास निर्धारित किया जाना है ।

(2) अनेक अपराधों के लिए कारावास 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया जाना है । जुर्माने की राशि कुछ अपराधों के लिए 10,000)—रुपये तक बढ़ाई जानी है ।

(3) अनेकों आबकारी अपराधों के लिए एक वर्ष का कठोर कारावास न्यूनतम दण्ड/कम से कम 2,000)—रुपये जुर्माना निर्धारित किया जाना है ।

(4) बहुत से अपराधों को, जिनमें इस समय जमानत हो जाती है, बिना जमानत योग्य बनाया जाना है । ये प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

औद्योगिक विकास निगम के कार्यालय का नरिमन प्वांइट बम्बई में स्थानान्तरण

8071. श्री के० मालन्ना : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक विकास निगम अपने कार्यालय को पहले स्थान से हटाकर निर्मल, नरिमन प्लाइंट बम्बई में ले आया है जहां का वातावरण अधिक विलासतापूर्ण है ;

(ख) क्या निगम को गत वर्षों की तुलना में अब आठ गुना किराया देना पड़ रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यालय के स्थानान्तरण के पूर्व निगम ने केन्द्र सरकार की अनुमति ले ली थी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ महाराष्ट्र लिमिटेड (एस० आई० सी० ओ० एम०) ने पुराने भवन में अतिरिक्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण जून, 1971 में पुराने भवन से निर्मल की प्रथम मन्जिल नरिमन प्वाइंट, बम्बई में अपना कार्यालय स्थानान्तरित किया है । यह बताया गया है कि नये भवन का किराया बहुत अधिक नहीं है और यह पुराने भवन के किराये

का लगभग डेढ़ गुना है। चूंकि एस० आई० सी० ओ० एम० राज्य सरकार का उपक्रम और पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है, इसलिए स्थानान्तरण हेतु केन्द्र सरकार की अनुमति लेने का प्रश्न नहीं उठता है। कम्पनी को संगम-अनुच्छेद के अन्तर्गत राज्य सरकार की अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है।

उच्चतर शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गये भारतीय अधिकारी

8072. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सेवाओं के सरकारी अधिकारियों को उच्चतर शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई ऐसी शर्त है कि विदेश से आने के बाद अधिकारियों को अपने मूल विभागों में कार्य करना होगा ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत 1971-72 में कितने व्यक्तियों को विदेश भेजा गया ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्। एक से अधिक योजनाएं हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि अधिकारी को विदेश से शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद अपने मूल विभाग में कार्य करना होगा। तथापि, प्रशिक्षार्थियों को एक बन्धपत्र (बाण्ड) प्रस्तुत करना होता है, जिसके अन्तर्गत वे प्रशिक्षण की अवधि के पूर्ण होने या समाप्ति पर सरकार के अधीन कम से कम 4 वर्ष के लिए कार्य पर लौटने और सेवा करने के लिए बाध्य।

मध्य प्रदेश में चम्बल के बीहड़ों सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन दल

8073. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भिंड जिले (मध्य प्रदेश) में चम्बल के बीहड़ों का दौरा करने के उद्देश्य से एक उच्चस्तरीय अध्ययन दल की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त दल को क्या काम सौंपा गया है ; और

(ग) इस बारे में अब तक क्या प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) : चम्बल घाटी से डकैती की बुराई के उन्मूलन के लिए एक योजना तैयार करने हेतु दल का गठन किया गया है। अध्ययन दल का प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

आपातकालीन कमीशन के सेवामुक्त अधिकारियों का वेतन निर्धारण

8074. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनारक्षित रिक्त स्थानों पर असैनिक कार्य करने के लिये नियुक्त आपातकालीन

कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए सरकार ने 1 जनवरी, 1972 से वेतन नियतन-उपबन्ध लागू कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह उपबन्ध भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया गया है ;

(ग) क्या वेतन तथा प्रवरता के जो उपबन्ध आरक्षित पदों पर आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों को नियुक्त करने की अवस्था में लागू होते हैं वे उपबन्ध इन पर लागू नहीं किये गये ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) आदेश, जारी होने की तारीख अर्थात, 1 जनवरी, 1972 से लागू होते हैं ।

(ग) तथा (घ) : जैसा कि ऊपर कहा गया है, सेवामुक्त अधिकारियों की ऐसे रिक्त पदों पर, जो विशेष रूप से उनके लिए आरक्षित नहीं हैं, नियुक्ति के समय उन्हें उनके आरम्भिक वेतन निर्धारण हेतु सेना में की गई सेवा को प्रधानता देने के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं । सेवामुक्त अधिकारियों को अनारक्षित रिक्त पदों पर वरिष्ठता के लाभ देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

डाक तथा तार महानिदेशालय द्वारा मनमाने ढंग से टेलीफोन कनेक्शन काटना

8075. श्री पीलू मोदी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार महानिदेशक के आदेशों के अनुसार पी० बी० एक्स० बोक्स और 6 एक्सटेन्शनों सहित मद्रास स्थित यूनिवर्सल प्रेस सर्विस तथा तमिल भाषा के एक आर्थिक पाक्षिक समाचार पत्र इण्डियन सालवान के अप्रैल, 1971 में टेलीफोन के कनेक्शन काट दिये गये यद्यपि उनका भुगतान किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या टेलीप्रिंटर सेवा की देय राशि में से 15,000 रुपये का भुगतान कर दिये जाने पर टेलीफोन संख्या 88993 को पुनः चालू कर दिया गया था ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख). जी नहीं । जनरल मैनेजर, मद्रास टेलीफोन ने भारतीय तार नियम 443 के अधीन टेलीफोन की देय-राशि के अदा न करने के कारण अलग-अलग तारीखों को ये टेलीफोन काटे थे । आम नियम यही है ।

(ग) टेलीफोन की देय-राशि के अदा न करने के कारण टेलीफोन काट देने पर यूनिवर्सल प्रेस सर्विस ने जब टेलीफोन खोलने के लिए निर्धारित शुल्क, मध्यावधि का किराया, सभी टेलीफोनों पर पिछले बकाये की रकमें अदा कर दिये और यह बचन दिया कि वे टेलीप्रिंटर सर्किटों से सम्बन्धित सभी बकाया राशि 15000 रुपये मासिक की किस्तों में अदा कर देंगे, तो उनका एक टेलीफोन खोल दिया गया ।

Demarcation Of Boundary Between Delhi-Uttar Pradesh And Haryana-Uttar Pradesh

8076. Shri Ram Chandra Vikal : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether boundary disputes go on among most of the farmers on Uttar Pradesh-Haryana and Delhi-Uttar Pradesh borders on account of the changing course of Yamuna river ;

(b) If so, whether Government propose to provide any permanent demarcation line in addition to the river between Delhi-Uttar Pradesh and Haryana-Uttar Pradesh with a view to resolving these disputes ; and

(c) if so, when ?

The Deputy Minister In The Ministry Of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Certain farmers of village Samaspur, Distt. Aligarh (UP) have claimed that the land which was thrown in Haryana owing to the change in the course of the river Yamuna, continued to belong to them while cultivators of the adjoining area in Haryana have claimed that this was an accretion to their land. The matter is reported to be **sub-judice.** No dispute among farmers on Delhi-Uttar Pradesh border has come to notice.

(b) & (c). On a suggestion made by the Government of U.P. a meeting was held with the representatives of the Governments of Haryana and Uttar Pradesh, Delhi administration and the Survey of India. There was agreement on the point that the fluctuating boundary must be replaced by a fixed boundary. In order to enable the state Governments to come to a conclusion as to the exact location of a fixed boundary, a team of officers consisting of a representative each of Haryana and Uttar Pradesh and Survey of India has been entrusted with the work of making an on the spot inspection and recommending a line which they consider feasible. A similar procedure has been adopted in respect of the boundary between Uttar Pradesh and Delhi.

आसाम और नागालैण्ड में कागज मिलों की स्थापना पर व्यय

8077. श्री विभूति मिश्र : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम तथा नागालैण्ड में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित कागज मिलों पर अलग-अलग कुल कितनी राशि खर्च होगी ;

(ख) मिलों में कुल कितने कागज का उत्पादन होगा; और

(ग) उनके द्वारा कागज की मिल के बारे में मांग किस हद तक पूरी कर दी जायेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) आसाम में लुगदी/कागज बनाने के दो कारखाने एक नौगांव में और दूसरा कछार में स्थापित करने का विचार है। इन दोनों प्रयोजनाओं पर कूल पूर्वानुमानित व्यय क्रमशः 31 करोड़ रुपये और 25 करोड़ रुपये के लगभग होगा।

नागालैण्ड में भी लुगदी/कागज के एक कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव है। इस कारखाने पर कुल लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च होने की आशा है।

(ख) और (ग). इन कारखानों की क्षमता के अनुसार प्रत्येक का उत्पादन निम्न प्रकार

होने की आशा है :—

लुगदी/कागज प्रायोजना आसाम

(i)	नौगांव प्रायोजना	80,000 मी० टन लुगदी प्रतिवर्ष 50,000 मी० टन कागज प्रतिवर्ष ।
(ii)	कछार प्रायोजना	50,000 मी० टन लुगदी और कागज मिलाकर प्रतिवर्ष ।
(iii)	लुगदी/कागज प्रयोजना, नागालैण्ड ।	30,000 मी० टन कागज प्रतिवर्ष ।

उपरोक्त उत्पादन से कागज की बढ़ी हुई मांग के पूरा हो जाने की आशा है ।

आकाशवाणी और टेलीविजन पर 'वियटकांग' का उल्लेख

8078. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी तथा टेलीविजन पर वियतनाम की राष्ट्रीय मुक्ति-सेना को अब भी 'वियटकांग' कहा जाता है; और

(ख) सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मती नन्दिनी सत्पथी) (क): जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मई दिवस की सार्वजनिक छुट्टी

8079. डा० रानेन सेन : क्या **प्रधान-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अपने कार्यालयों में मई दिवस की सार्वजनिक छुट्टी घोषित नही की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा(ख). इस सम्बन्ध में दिनांक 29 अप्रैल, 1972 को जारी किए गये प्रेस-नोट की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है (प्रतिलिपि संलग्न) जिसमें सरकार ने मई दिवस को सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक छुट्टी के रूप में घोषित करने के प्रश्न पर अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण किया है । [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिये** संख्या एल० टी० 3137/72]

पावर बोर्ड ब्लेम एच० ई० एल० एण्ड वी० एच० ई० एल० शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

8080. श्री ज्योतिर्मयबसु :

श्री राज राज सिंह देव :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 1 मई, 1972 के 'इण्डियन एक्प्रेस' में "पावर बोर्ड्स ब्लेम एच० ई० एल०, वी० एच० ई० एल०" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) समाचार के विषय में जो । मई, 1972 के इण्डियन एक्सप्रेस में छपा था, भारत हैवी इलैक्ट्रीकल, लिमिटेड ने एक प्रत्युत्तर दिया है । यह प्रत्युत्तर इण्डियन एक्सप्रेस के 4 मई 1972 के अंक में प्रकाशित हुआ था ।

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उप भोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड के कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि

8081. श्री विश्व नारायण शास्त्री : क्या **प्रधान-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड के कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि सरकार के तदनुसार पदों वाले कर्मचारियों के समान हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उक्त समिति के कुछ निदेशकों ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट सिफारिश की है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रबन्धकर्ता तथा सरकार दोनों ही द्वारा इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : जी नहीं, श्रीमान् । समिति ने कार्य के स्वरूप तथा प्रत्येक पद के कृत्यों को ध्यान में रखने के बाद ही वेतनमानों का निर्धारण किया है जिनकी तुलना प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से नहीं की जा सकती ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) यह प्रस्ताव समिति के प्रबन्ध-कर्ता के पास विचाराधीन है ।

दुर्गापुर और तिरुची में वायलर प्लांट का विस्तार

8082. श्री नवल किशोर सिंह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर और तिरुची के वायलर प्लांटों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गए हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख): **दुर्गापुर**-संयंत्र की वायलर निर्माण क्षमता में विस्तार सम्बन्धी एक औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करनें का

आवेदन पत्र एसीसी-विकर्स बेबकाक, लिमिटेड से दिनांक 29 मई, 1972 को प्राप्त हुआ है। सरकार ने तिरुचि स्थित भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड के संयंत्र में तुरन्त ही क्षमता बढ़ाने हेतु आवश्यक धनराशि की मंजूरी दे दी है तथा इस विशेष प्रयोजन हेतु मशीनें आयात करने के लिए आदेश दे दिया है। अधिक क्षमता के ब्वायलर निर्माण करने हेतु तकनालौजी प्राप्त करने का सहयोग करार भी दिया गया है।

वर्ष 1972--73 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत उड़ीसा के लिए नियत राशि

8083. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 में उड़ीसा के लिए योजना के परिव्यय की राशि में कितनी राशि ऋण के रूप में दी जायेगी और कितनी राशि अनुदान के रूप में ; और

(ख) उड़ीसा सरकार ने कितनी राशि आन्तरिक साधनों से जुटाने का आश्वासन दिया है और इन साधनों को जुटाने के विभिन्न साधन क्या-क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (मोहन धारिया). (क) तथा (ख) : उड़ीसा के लिए 57.42 करोड़ रुपये के 1972-73 के अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय में 31.04 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता केन्द्रीय सहायता के द्वारा दी जायेगी तथा शेष 26.38 करोड़ रुपये राज्य को अपने ससाधनों से पूरा करने होंगे। 30.04 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का 70 प्रतिशत ऋण के रूप में होगा तथा 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में होगा। राज्य सरकार के अन्त: संसाधनों से उपलब्ध 26.38 करोड़ रुपये की राशि निम्नांकितों से प्राप्त की जायेगी :— राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के अंशदान, राज्य सरकार तथा राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा बाजार से ऋण, लघु बचत संग्रह में भाग, राज्य जीवन निधि में अंशदान, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया तथा जीवन बीमा निगम से ऋण, राज्य करों से आय तथा केन्द्र के द्वारा लगाये गये अतिरिक्त करों में राज्य का भाग।

Technique Developed by Regional Research Laboratory, Jorhat for Preparing Oxolic Acid from Wood Powder.

8084. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Science and Technology** be plased to state :

(a) whether the Regional Research Laboratory, Jorhat has developed a technique for preparation of oxolic acid from wood powder ; and

(b) if so, the important features of this technique and the tonnage of oxolic acid required in the country every year ?

The Minister of Planning and Minister of Department of Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) Yes, Sir.

(b) The technique developed replaces the use of sugar as raw material by saw dust, wnich is cheaper and abundantly available in the country. The product prepared by the Laboratory conforms to standard specifications.

The requirements of the country for oxolic acid have been estimated by the laboratory at about 1000 tonnes per annum.

पिछड़े क्षेत्रों के लिए उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता

8085. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्यों के पूर्वी जिलों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए वहाँ कुछ परियोजनाएँ चालू करने हेतु वित्तीय सहायता माँगी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि माँगी गई है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य के योजना परिव्यय को बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने 1970 के बाद अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए अनेक अनुरोध किए । इन अनुरोधों में सामान्यतया राज्य के पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकताओं को सम्मिलित किया गया है और इन्हें उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों से विशेष रूप से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता । 14 करोड़ रुपये की धन राशि इसका अपवाद है जिसे खासकर उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में सड़क विकास के लिए मांगा गया था ।

(ग) सम्बद्ध राज्यों की चौथी योजनाओं के परिव्ययों को कार्यान्वित करने में राज्यों को सहायता के लिए भारत सरकार के पास जो धन राशि उपलब्ध है उसे राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित सूत्र के अनुसार वितरित किया जाता है । इस प्रकार उपलब्ध समस्त धनराशि को इस सूत्र के अनुसार विभिन्न राज्यों को प्रतिबद्ध कर दिया गया है । अतः उत्तर प्रदेश सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देना सम्भव नहीं हो पाया है ।

अधिकृत पाकिस्तानी क्षेत्रों का प्रशासन चलाने में स्थानीय लोगों द्वारा दिया गया सहयोग

8086. श्री समर गुह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंध में भारतीय सेना के अधिकाराधीन क्षेत्र में इस समय लगभग कितने व्यक्ति रह रहे हैं ;

(ख) क्या भारतीय सेना को वहाँ का प्रशासन चलाने में स्थानीय सिंधियों को सहयोग प्राप्त हो रहा है ;

(ग) अधिकृत सिंध क्षेत्र में किस प्रकार का सामान और उपभोक्ता वस्तुएँ भेजी गई हैं ; और

(घ) क्या इस क्षेत्र के लोग पाकिस्तान में पुनः शामिल नहीं होना चाहते ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) अनुमान है कि हमारी सशस्त्र सेना के अधीन सिंध के क्षेत्रों में लगभग 56,000 व्यक्ति रहते हैं ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) आवश्यक वस्तुएं जैसे खाद्यान्न, कपड़े मिट्टी का तेल, चीनी, नमक, दियासलाई इत्यादि का सम्भरण किया जा रहा है।

(घ) उस क्षेत्र के निवासियों से उनके भविष्य के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

भारत अधिकृत क्षेत्रों में रहने वाले सिंधियों को भारत आने-जाने की अनुमति

8087. श्री समर गुह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय भारत अधिकृत क्षेत्रों में रहने वाले सिंधियों को भारत आने-जाने की अनुमति है ;

(ख) क्या उन्हें यह बताने के लिए कोई कार्यवाही की गई है कि सिंध की जनता के प्रति भारत का दृष्टिकोण शांति तथा मित्रता का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) हमारे अधिकार में पाकिस्तानी क्षेत्रों के निवासियों को सम्बन्धित प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के बाद अनिवार्य वस्तुएं खरीदने, मित्रों व सम्बन्धियों से मिलने आदि जैसे वास्तविक प्रयोजनों के लिए अल्प अवधि के लिए भारत के स्थानों में जाने की अनुमति दी जाती है।

(ख) तथा (ग). सरकार ने हमारे अधिकार में पाकिस्तानी क्षेत्रों के निवासियों की सुरक्षा तथा संरक्षण, उनको अनिवार्य वस्तुओं की निरन्तर सप्लाई, पर्याप्त चिकित्सा उपचार आदि के उपाय किये हैं। उन्हें अल्पकालिक रोज़गार देने के लिए कुछ योजनाएं भी हाथ में ली गई हैं। गरीब लोगों को राहत सहायता भी दी जा रही है।

आँसू गैस के गोले फेंकने के लिए स्वदेशी गन का विकास

8088. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लुधियाना में एक भूतपूर्व सैनिक ने आँसू गैस के गोले फेंकने वाली एक ऐसी पूर्णत: स्वदेशी गन का विकास किया है कि जो अमरीका से आयात की गई गनों से अधिक टिकाऊ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का भारत में ऐसी गनें बनाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मेसर्स रायल मैकेनिकल वर्क्स लुधियाना वालों ने आधुनिक प्रकार की आँसू गैस के गोले वाली पूर्णत: स्वदेशी एक गन बनाई है। सरकार को यह विदित नहीं कि इस फर्म का मालिक एक भूतपूर्व सैनिक है। फर्म को इसकी उपयोगिता और विश्वसनीयता की जांच करने के लिये अभी कुछ गन भेजने के लिए कहा है।

(ख) जी हां, श्रीमान्। ऐसी गनों को भारत में विकास करने और बनाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

अपने अधिकार में लिए गए पाकिस्तानी क्षेत्रों का प्रशासन

8089. श्री एस० सी० सामन्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन असैनिक अधिकारियों की संख्या कितनी है जो पहले पाकिस्तान सरकार की सेवा में थे और जो भारत के नियंत्राधीन क्षेत्रों जो कि पाकिस्तान से छीने गये हैं के प्रशासन के लिए अब भी सेवारत हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : गुजरात से लगे पाकिस्तानी क्षेत्र में, जो हमारे अधिकार में है, एक लिपिक, जो पाकिस्तान सरकार के सेवा में रहा था, सिविल प्रशासक, नागर पार्कर के कार्यालय में लिपिक के रूप में कार्य कर रहा है। राजस्थान और जम्मू व काश्मीर के लगे क्षेत्रों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है। पाकिस्तान सरकार का कोई कर्मचारी भी इस समय पंजाब से लगे अधिकृत क्षेत्रों के प्रशासन की नौकरी में नहीं है।

प्रतिभा पलायन को रोकने के प्रयास

8090. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों को स्वदेश वापस लाने में सरकार के प्रतिभा पलायन रोकने सम्बन्धी प्रयास कहां तक सफल रहे हैं ; और

(ख) क्या भारत लौटने वाले सभी वैज्ञानिकों को समुचित रोजगार उपलब्ध कर दिया गया है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) 1959 से वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) द्वारा संचालित वैज्ञानिकों के पूल ने अब तक 4,589 वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, शिल्प वैज्ञानिकों, चिकित्सा कार्मिकों, आदि, जो विदेशों में अध्ययनरत अथवा कार्यरत हैं, को भारत वापस लौटने में सहायता प्रदान की।

(ख) वैज्ञानिक पूल योजना के अंतर्गत जो वैज्ञानिक भारत वापस आये थे, उनमें से 4092 ने भारत में नियमित रोजगार प्राप्त करने की सूचना दी है। वैज्ञानिक पूल में कुछ समय कार्य करने के उपरान्त कुछ चिकित्सा कार्मिकों ने भी अपना निजी कारोबार स्थापित कर लिया है।

नमक उत्पादन के अन्तर्गत कुल भूमि

8091. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत कुल कितने एकड़ भूमि में नमक का उत्पादन होता है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत क्रमशः 3749 और 1,32,11 एकत्र भूमि मे नमक का उत्पादन होता है।

नमक के गैर-सरकारी उत्पादकों को पट्टे पर भूमि देने की प्रणाली को बन्द किया जाना

8092. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार नमक के गैर सरकारी उत्पादकों को पट्टे पर भूमि देने की प्रणाली को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : जी नहीं।

उड़ीसा में नमक उत्पादकों को केन्द्रीय सहायता

8093. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार उड़ीसा के उन नमक-उत्पादकों को कुछ सहायता देने का है जिन्हें गत तूफान से घाटा हुआ था ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : सरकार ने बोलांग, अस्ट्रांग (बालासोर में) तथा उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित नमक उत्पादकों के लिए अनुग्रह पूर्वक अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता की मन्जूरी दी है। ये क्षेत्र अक्टूबर, 1971 में तूफान से प्रभावित हुए थे।

विदेशों में चोरी छिपे ले जाई गई कलाकृतियां

8094. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशो के नाम और संख्या क्या है जिनमें पिछले एक वर्ष के दौरान भारत से बमूहुल्य कला कृतियां चोरी छिपे ले जाई गई हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध मे सरकार ने क्या उपाय किया है और इन गतिविधियों के लिए कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). सम्बन्धित प्राधिकारियों से सूचना आनी है और प्राप्त होने पर सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी।

पूल अधिकारियों के रूप में इंजीनियरों का पंजीकरण

8095. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योग्यता प्राप्त इंजीनियरों का पूल अधिकारियों के रूप में पंजीकरण करने सम्बन्धी कोई योजना आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके कब तक लागू होने की सम्भावना है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग). एकमात्र योग्यता प्राप्त इंजीनियरों को पूल अधिकारी के रूप में पंजीकृत

करने के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) की कोई अलग योजना नहीं है ।

1959 से सी० एस० आई० आर० द्वारा प्रशासित वैज्ञानिक पूल रोजगार पूर्व आश्वासन प्राप्त किये बिना विदेशों से वापस लौटने वाले विशिष्ट योग्यता प्राप्त भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियरों, शिल्प वैज्ञानिकों और चिकित्सा कार्मिकों को अस्थाई रोजगार प्रदान करता है ।

कालांतर में उन विशिष्ट योग्यता प्राप्त भारतीय वैज्ञानिकों के लिए भी यह योजना बढ़ा दी गयी थी जो विदेश नहीं गये ।

अब तक 890 इंजीनियर वैज्ञानिकों के पूल में चयन किये जा चुके हैं इनमें से 84 इस समय पूल अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं ।

त्रिचूर (केरल) में बड़े दुग्ध परिष्करण कारखाने के लिए लाइसेंस

8096. श्री सी० जनार्दनन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम ने राज्य में त्रिचूर में एक बड़े दुग्ध परिष्करण कारखाने के लिए लाइसेंस देने के लिए आवेदन भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह लाइसेंस दे दिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Raw Material For Manufacture Of DISC

8097. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Government propose to supply raw material to DISC Manufacturers at competitive rates ;

(b) whether the finished products will be supplied to farmers at competitive rates ; nd

(c) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister In The Ministry Of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) High carbon steel plate required for the manufacture of discs is not being produced in the country at present. For meeting the requirements of discs manufacturers, the steel plates are imported in bulk by the Hindustan Steels Ltd. and supplied to the manufacturers against release orders secured by them from the Chief Controller of Imports and Exports. Bulking of the requirements of the manufacturers and canalization of import through the Hindustan Steels Ltd. would result in supplies being made at the most favourable prices.

(b) & (c). There is no control over the selling price of agricultural discs. As there are a number of units manufacturing discs, farmers will get the benefit of *inter se* competition amongst the various manufacturers.

Import Of Harvester Combines

8098. Shri Mahadeepak Singh Shakya :
Shri Rana Bahadur Singh :
Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Harvester Combines have to be imported from abroad ; and

(b) if so, the arrangements made by Government to meet the shortage of Harvester Combines in the country indicating the names of the places where such arrangements have been made ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad): (a) The requirements of self-propelled harvester combines have to be met by imports as these are not being manufactured in the country.

(b) Arrangements for the import of 357 nos. of combine harvesters of various makes have been made during the last two years from the countries mentioned below :—

i)	Denmark	25 nos.
ii)	Italy	36 nos.
iii)	Japan	15 nos.
iv)	U.S.S.R.	79 nos.
v)	West Germany	142 nos.
vi)	G.D.R.	60 nos.
	Total :	357 nos.

Most of these combines are being allocated to the State Agro Industries Corporations or the National Agricultural Marketing Federation for custom hiring purposes. In exceptional cases individual farmers are allowed to purchase them.

Manufacture and Sale of Agricultural Implements at Arbitrary Price

8099. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Wiil the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether the tractor manufacturers are not allowed to munufacture agricultural implements ;

(b) whether Government are aware that some manufacturers manufacture these agricultural implements and sell them at arbitvary prices ; and

(c) if so, the names of such manufacturers, State-wise, and the measures proposed to be taken to prevent this practice ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad): (a) No, Sir. All the existing tractor manufacturers have also been permitted to manufacture matching agricultural implements along with agricultural tractors.

(b) & (c). There is no control over the prices of agricultural implements and the manufacturers are free to fix their own prices. But no one is under any compulsion to purchase the implements from the tractor manufacturers as there are several independent units in the country making such implements.

Manufacture of Tractors in States

8100. Shri Mahadeepak Singh Shakya :
Shri Devinder Singh Garcha :
Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state the names of the

States where tractors are manufactured in order to meet the shortage of tractors in the country and the number of factories set up, State-wise, in 1971-72 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : The names of the States in which tractor factories had commenced production in or before the year 1971-72 and the number of such factories in each of those States are as under :—

Name of the State	No. of factories
1. Gujarat	1
2. Haryana	3
3. Maharashtra	1
4. Tamil Nadu	1

भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये शिक्षा केन्द्र

8101. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को शिक्षा देने के लिये विभिन्न विश्वविद्यालयों में विशेष शिक्षा केन्द्र हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिनमें ऐसे केन्द्र हैं ;

(ग) क्या सभी विश्वविद्यालयों में ऐसे केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और यदि हां, तो ये केन्द्र कब तक स्थापित हो जाएंगे ; और

(घ) इन केन्द्रों पर लगभग कितनी धनराशि खर्च होगी ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य-मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पिछड़े वर्ग योजना के केन्द्रीय क्षेत्रक के अधीन, सामाजिक कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों को शिक्षा देने के लिए तथा उन्हें विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे, (i) अखिल भारतीय सेवा तथा सम्बद्ध सेवाओं और (ii) राज्य सिविल सेवा इत्यादि की परीक्षा में बैठने के लिए तैयार करने हेतु पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं ।

(ख) तथा (ग).

(i) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति अखिल भारतीय सेवाएं पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद को, इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जाता है ।

(ii) विभिन्न राज्य सिविल सेवा इत्यादि परीक्षाओं के लिए पटियाला तथा इलाहाबाद में क्रमशः पूर्व-परीक्षा केन्द्रों को पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जाता है ।

(iii) राज्यों में स्थापित अन्य सभी केन्द्रों को (असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मनीपुर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैण्ड, राजस्थान तथा त्रिपुरा को छोड़कर जहां कोई केन्द्र नहीं है) स्वयं राज्य सरकारों द्वारा चलाया जा रहा है ।

(घ) वर्ष 1971-72 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा इन योजनाओं के लिए 14.93 लाख रुपये की राशि दी गई थी।

पिछड़े वर्गों को लाभ

8102. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार सामान्य क्षेत्रों से देश के पिछड़े वर्गों को लाभ का प्रवाह अपर्याप्त रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) विकास के कतिपय क्षेत्रों में धनराशियों को इंगित कर पिछड़े वर्गों के लोगों को प्रतिफलों को प्रदान करना सम्भव नहीं हो पाया है, क्योंकि कतिपय कार्यक्रमों में लाभानुभोगियों को विभक्त नहीं किया जा सकता, वहरहाल, "चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन" में निम्नांकित सुझाव दिए गए हैं ताकि पिछड़े वर्गों को सुनिश्चित रूप से प्रतिफलों की प्राप्ति हो सके :—

1. अनेक स्कीमें जो लोगों को ऋण या अनुदान अथवा अन्य सेवाओं के संरक्षक के रूप में लाभान्वित करती हैं, उन्हें एक नियम के रूप में निर्धारित कर उनको कहां तक वास्तविक रूप से व्यवहार में लाया जा रहा है इस बात को देखने के लिए उनका आवधिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
2. राज्य सरकारों को चाहिए कि वे प्रत्येक क्षेत्र में उन कार्यक्रमों का निर्धारण करें, जिनसे पिछड़े वर्गों को प्रतिफलों की प्राप्ति होनी संभव हो सके।
3. सामान्य क्षेत्र आवंटनों में, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों की अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
4. स्कीमों में, विशेष रूप से इस प्रकार भी काट-छांट की जाय कि वे अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों की आवश्यकताओं एवं वैध अधिकारों की पूर्ति कर इन जातियों को वांछित लाभ प्रदान कर सकें।
5. सामान्य क्षेत्रों को चाहिए कि वे इस प्रकार कार्यकलापों व व्यवसायों को प्रोत्साहित करें जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को काफी संख्या में काम पर लगाया जा सके।
6. आदिम जाति क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं का समुचित सर्वेक्षण कर उनके लिए समेकित क्षेत्र और जिला योजनाएं तैयार करने के लिए राज्य आयोजना संगठनों को तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता होगी।
7. कार्यान्वयन के चरण में अनेक विभागों द्वारा पृथक-पृथक छोटी स्कीमें चालू करने की अपेक्षा सबको मिलाकर मिश्रित कार्यक्रम चालू करने चाहिएं।

"चौथी योजना का मध्यावधि मूल्यांकन" की टिप्पणी के अनुसार कतिपय राज्य विकास के सामान्य क्षेत्र से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए खासतौर पर धन आवंटित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। विकास के ये क्षेत्र हैं : आदिम जाति क्षेत्रों में सड़कें, अनुसूचित क्षेत्रों के गावों में

मकान, सिंचाई के लिए कुएं, मकान बनाने के लिए ऋण, औद्योगिक बस्तियों का निर्माण, आदिम जाति क्षेत्रों में पशुचिकित्सा अस्पतालों तथा औषधालयों का निर्माण और कुंओं, तेल पम्पों, बिजली पम्पों आदि के लिए ऋण की व्यवस्था। इनके अलावा, अधिकांश राज्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर, गैर-योजना बजट से काफी धनराशि खर्च कर रहे हैं।

गुजरात में पुर्जों को जोड़कर ट्रैक्टर बनाने के कारखाने को स्थापित करना

8103. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात कृषि उद्योग निगम ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि राज्य में लघु उद्योग कारखानों द्वारा निर्मित पुर्जों को जोड़ कर ट्रैक्टर बनाने के कारखाने की स्थापना करने की अनुमति दी जाय ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि

8104. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं की कमी न होने पर भी उनके मूल्य में बेमौसमी वृद्धि होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि फसल की कटाई के बाद की कीमत से अधिक इन वस्तुओं और पदार्थों की कीमत न बढ़े और इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) खाद्य वस्तुओं के जनवरी से अप्रैल, 1971 और 1972 की अवधि के थोक मूल्य का सूचकांक संलग्न विवरण में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 3138/72] दालों और चीनी के मूल्य में हुई वृद्धि को प्रमुख रूप में खाद्य वस्तुओं के मूल्य सूचकांक में वृद्धि के लिये जिम्मेदार है और उनके उत्पादन में गिरावट आने के फलस्वरूप ही ऐसा हुआ है।

(ख) दालों और चीनी के मूल्य में वृद्धि रोकने के लिए निम्न लिखित अभ्युपाय अपनाये गये हैं :-

दालें : —

(i) भारतीय खाद्य निगम के पास जमा दालों के सीमित स्टाक को खुले बाजार में ले जाकर उपलब्ध कराना ;

(ii) अधिक पैदावार देने वाली और अच्छी किस्म की दालों का उत्पादन शुरू करना ; थोड़ी अवधि में तैयार होने वाली दाल की फसलों का एक साथ कई फसलें उगाने

के आधार पर उत्पादन प्रारम्भ करना तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिये अरहर, मूंगे और उड़द की सुधरी किस्म की फसल तैयार करना ।

चीनी :—

(i) चीनी मिलों द्वारा बेची जाने वाली चीनी की मात्रा का संभरण मासिक आधार पर विनियमित किया जा रहा है ।

(ii) मिलों द्वारा विमोचन आदेश पर चीनी पहुँचाने की अवधि 45 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई है ।

(iii) चीनी मिलों को उनके पास जायज विमोचन आदेश पर चीनी का स्टाक उपलब्ध होने पर चीनी देने से मना करने पर रोक लगा दी गई है ।

(iv) प्रतिबन्धित मात्रा से अधिक चीनी का स्टाक रखने पर विक्रेताओं पर रोक लगा दी गई है । मात्रा सम्बन्धी प्रतिबंन्धित सीमा 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के विक्रेताओं के लिये 250 क्विंटल है, 1 लाख से 5 लाख की आबादी वाले शहरों के लिए 500 क्विन्टल और 5 लाख से अधिक आबादी वाले कस्बों के विक्रेताओं के लिए 1000 क्विन्टल है । कलकत्ता के आयातकों के अतिरिक्त जिनकी प्रतिबन्धित सीमा 7500 क्विन्टल है । चीनी विक्रेताओं को चीनी के स्टाक पर बैंकों से मिलने वाली अग्रिम राशि पर रोक लगा दी गई है और उन पर बैंक मार्जिन में 45 से 60 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई है ।

ट्रैक्टरों के उत्पादन के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका से सहायता

8105. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में ट्रैक्टरों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने ऋण देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस ऋण का किस प्रकार उपयोग किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) अमरीकी सरकार ने भारत सरकार की स्वीकृति पर पी० एल० 480 कूवो फंड में से एष्कार्ट ट्रेक्टर्स लि० से प्रतिवर्ष 6000 की क्षमता में फोर्ड ट्रेक्टर बनाने का एक कारखाना स्थापित करने हेतु 90 लाख रुपये का ऋण और बढ़ा दिया है ।

भारत में किसानों का मार्गदर्शन करने और प्रशिक्षण देने के लिए उपग्रह के उपयोग के लिए 'नासा' के साथ करार

8106. **श्री वयालार रवि** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में किसानों का मार्गदर्शन करने और उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए उपग्रहों का उपयोग करने के लिए सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका की 'नासा' (नेशनल एयरोनाटिक एण्ड स्पेस एजेन्सी) के साथ कोई समझौता किया है ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते तथा कार्यक्रम की विशिष्ट बातें क्या है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) और (ख): नासा के साथ किए गए करार की प्रतियाँ संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

इस परीक्षण का उद्देश्य शैक्षिक तथा ज्ञानप्रद दूरदर्शन कार्यक्रमों प्रसारण देश के विभिन्न भागों में बसे हुए लगभग 5,000 गाँवों तक करना है । इस परीक्षण का महत्वपूर्ण पहलू यह होगा कि दूरवर्ती गाँवों में चिकन मेश एंटेना तथा एम्प्लिफायरों से युक्त फ्रंट एण्डों से जुड़े सामुदायिक टेलीविजन सैट टेलीविजन कार्यक्रमों को उपग्रह से सीधे ही ग्रहण कर सकेंगे । इस परीक्षण के शैक्षिक उद्देश्यों में कृषि सम्बन्धी नई तकनीकों, परिवार नियोजन, राष्ट्रीय अखंडता, शिक्षा इत्यादि का प्रस्तर भी शामिल है ।

इस परीक्षण की सहायता से एक ऐसी मिली-जुली प्रणाली की जांच की जा सकेगी जिसमें दूरदर्शन कार्यक्रमों का ट्रांसमिशन तथा रिसेप्शन करने वाली व्यवस्था के साथ-साथ एक उपग्रह का प्रयोग भी किया जायेगा ।

सूती कपड़ा उद्योग से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी देने के लिए मिश्र के साथ करार

8107 . **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन ने सूती कपड़ा उद्योग से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी देने के लिये मिश्र गणराज्य के साथ कोई करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं और इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री(श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) अटीरा और मिश्र गणराज्य, काहिरा के सामान्य औद्योगिकरण संगठन के मध्य जो समझौता हुआ है, उस पर 8 अप्रैल, 1971 को हस्ताक्षर किये गये हैं । इसके अन्तर्गत अटीरा ने संयुक्त अरब गणराज्य में निजी क्षेत्रों की कम्पनियों द्वारा उत्पादों के प्रयोगार्थ अपने यहां विकसित कपास-पौलिएस्टर मिश्रित वस्त्रों की स्थाई प्रेस करने सम्बन्धी प्रविधि की तकनीकी जानकारी का लाइसेंस संगठन को दे दिया है ।

(ख) समझौते के अन्तर्गत अटीरा सामान्य संगठन को प्रक्रम की तकनीकी जानकारी प्रदान करेगा । तकनीकी जानकारी में गुण नियंत्रण, सम्बन्धी साहित्य का संभरण, कच्चे माल की विशेषताएं, आवश्यक उपकरण, संचालन संबंधी निर्देश, प्रक्रम का नियंत्रण, तैयार वस्त्रों की सिलाई सम्बन्धी जानकारियां, भंडारण संबधी सूचनाएं, संवेदनशील वस्त्रों की सुरक्षा करने संबंधी समस्त बातें शामिल हैं । प्रारम्भ में, अटीरा संयुक्त अरब गणराज्य के चार तकनीकीविदों को अटीरा और/अथवा अन्य भारतीय मिलों में प्रविधि के प्रयोग, वस्त्र की जांच, गुण नियंत्रण और उससे सम्बन्धित अन्य मामलों पर 6 सप्ताह की अवधि के लिये प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी । प्रविधि के प्रयोग और तत्सम्बन्धी समस्त बातों को संतोषजनक ढंग से समझाने, उत्पादन प्रारम्भ करने, प्रविधि के सतोषजनक संचालन का प्रदर्शन तथा गारंटी टेस्ट आदि करके दिखीने के लिये अटीरा द्वारा संयुक्त अरब गणराज्य के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के वास्ते एक दक्ष विशेषज्ञ भी

अधिक से अधिक दो माह के लिये संयुक्त अरब गणराज्य भेजा जायेगा । संयुक्त अरब गणराज्य ने तकनीकी जानकारी का शुल्क 10,000 पौंड स्टर्लिग अटीरा को भुगतान किया है ।

समझौता हस्ताक्षरित होने की तारीख से दस वर्ष तक विधिमान्य होगा । इसकी वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

अटीरा ने सामान्य संगठन को कच्ची सामग्री और आवश्यक उपकरण सम्बन्ध-विवरण भेज दिये हैं। उसे यह भी सूचित कर दिया गया है कि ये सब कहां-कहां उपलब्ध हो सकते है । कपास-पौलियेस्टर से स्थाई प्रेस के वस्त्रों का निर्माण करने से सम्बन्धित सम्पूर्ण तकनीकी विवरण अटीरा ने उनको दे दिया है । अटीरा ने उनको अपने चार तकनीकीविदों को प्रशिक्षणार्थ भेजने के लिये भी कहा है। उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

Scheme for Solving Unemployment Problem in Madhya Pradesh

8108. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh had submitted to the Central Government a scheme to solve unemployment problem in the State, if so, the salient features thereof ; and

(b) whether Government have since examined this scheme ; and if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) Yes sir.

(b) The proposals have arrived only last week. They are under examination.

मध्य प्रदेश के पिछड़े हुए क्षेत्र

8109. श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के किन जिलों को योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल ने पिछड़े हुए घोषित किया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण में किस प्रकार की वस्तुपरक कसौटी अपनाई जाय जिससे इन क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले उद्योग प्रोत्साहनों के रूप में दिए जाने वाले विशेष व्यवहार के पात्र हों, इस बारे में सिफारिश करने के लिए योजना आयोग के तत्कालीन सचिव श्री बी० डी० पाण्डे की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल गठित किया गया था। इस कार्यकारी दल ने जिस कसौटी की सिफारिश की उसके अनुसार राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के निम्नांकित जिलों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया है :

बालाघाट, बस्तर, बेतूल, बिलासपुर, भिंड, छत्तरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, राजगढ़, दतिया, धार, देवास, गुना, होंशंगाबाद, झबुआ, खरगोना, मांडला, मन्दसौर, मुरेना, नरसिंहपुर, रायगढ़, रायपुर, पन्ना, रायसेन, रतलाम, रेवा, सागर, स्योनी, शाजापुर, शिवपुरी, सिद्धि, सरगुजा, टीकमगढ़ और विदिसा ।

हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के प्रसार के लिए समिति की स्थापना

8110. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रसार हेतु एक उच्च-स्तरीय समिति बनाने के लिए संसद-सदस्यों द्वारा पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सुझाव की जांच की जा रही है ।

चौथी योजना के दौरान बिहार में उद्योगों की स्थापना

8111. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार राज्य में कितने उद्योगों की स्थापना की गई ; और

(ख) वे किस-किस जिले में कहाँ-कहां स्थित हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख). केन्द्रीय क्षेत्र में चौथी योजना की अवधि में बिहार राज्य में पूरी होने वाली/स्थापित की जाने वाली औद्योगिक परियोजनायें, निम्न प्रकार है :—

(क) **चालू योजनाएं**

1. हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, रांची (जिला-रांची) ।
2. हेवी मशीन टूल प्लांट, रांची (जिला-राची) ।
3. फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट, रांची (जिली-रांची) ।
4. हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची-बस्ती (जिला-रांची) ।
5. सिन्ड्री फर्टिलाइजर (नापथा गैसीफिकेशन), सिन्दरी । (जिला-धनवाद) ।
6. सल्फरिक एसिड प्लाँट, सिन्दरी (जिला-धनवाद) ।
7. सिन्ड्री फर्टिलाइजर (निर्धारित योजना), सिन्दरी(जिला-धनवाद) ।

(ख) **नई योजनाएं**

1. बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो (जिला-हजारीबाग)
2. बरौनी-फर्टिलाइजर, बरौनी (जिला-मुंगेर)
3. बरौनी पेट्री-कैमिकल काम्पलैक्स, बरौनी (जिला-मुंगेर)
4. बोकारो पांचवां कनवर्टर तथा 40 लाख मी० टन तक विस्तार करने की कार्रवाई जारी, बोकारो (जिला-हजारी बाग)

गैर-सरकारी क्षेत्र में बिहार राज्य से विगत तीन वर्षों में औद्योगिक लाइसैंस के प्राप्त आवेदनों, जारी किए गए लाइसंसों तथा आशयपत्रों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन प्राप्त आवेदनों की संख्या	जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या	जारी किए गए आशय पत्रों की संख्या
1969	52 (19)	8 (2)	5 (2)
1970	104 (42)	22 (8)	11 (7)
1971	64 (29)	24 (6)	15 (12)
1972 (जनवरी-मार्च)	12 (8)	2 (—)	5 (3)

टिप्पण :— कोष्ठों में दिये गये आंकड़े नए औद्योगिक उपक्रमों के हैं ।

उपर्युक्त के अलावा, चौथी पंचवर्षीय योजना में बिहार के उद्योग निदेशालय में पंजीकृत नए लघु उद्योगों की संख्या लगभग 10,374 है । वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है:—

वर्ष	बिहार उद्योग निदेशालय में पंजीकृत उद्योगों की संख्या
1969	1,501
1970	2,700
1971	6,173
	योग= 10,374

इन उद्योगों का जिलावार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक

8112. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक बुलाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उनमें किन मुख्य बातों पर विचार-विमर्श किया जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). मुख्यतः चौथी योजना के दृष्टिकोण को तैयार करने से सम्बन्धित कतिपय विषयों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक 30 और 31 मई, 1972 को बुलाई गई है ।

तमिलनाडु पर हिन्दी को थोंपे जाने के बारे में तमिलनाडु के मुख्य मंत्री का वक्तव्य

8113. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 मई, 1972 को तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने तमिलनाडु की जनता पर हिन्दी थोपने के प्रयास और उसके गम्भीर परिणामों के विरुद्ध कोयम्बटूर में वक्तव्य दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिकिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). तमिलनाडु सरकार से सूचना देने के लिए अनुरोध किया गया है और उनसे उत्तर अभी प्रत्याशित है ।

संगीत और नाटक विभाग के कलाकारों के वेतन-मान

8114. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के संगीत और नाटक डिवीजन के कलाकारों ने 4 मई, 1972 को अपने वेतन-मान बढ़ाने और पदोन्नति के बेहतर अवसरों की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख). गीत तथा नाटक प्रभाग, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत एक सगठन है और आकाशवाणी से बिलकुल अलग है, के आर्टिस्टों द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 4 मई, के पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । **[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 3139/72]** जबकि सरकार कर्मचारियों से लगातार बातचीत करने का स्वागत करेगी, वह पत्र में व्यक्त विचारों से सहमत नहीं है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए विदेशी मुद्रा

8115 **श्री एम० एस० शिवस्वामी :**
श्री मुहम्मद शरीफ : } क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार और राज्यवार गैर-मरकारी क्षेत्र में नये उद्योग लगाने के लिए कुल कितनी विदेशी मुद्रा स्वीकृत की गई ; और

(ख) स्वीकृत राशि से कितने उद्योगों ने लाभ उठाया ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Selection of Hindi One Act Plays

8116. Dr. Laxminarain Pandey : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the criteria for selection of Hindi One Act Plays, Lyrical plays and features for broadcast over A.I.R., Delhi, Bombay and Bhopal ;

(b) whether any Selection Committee has been constituted for the purpose: and

(c) the names of the authors of the One Act plays lyrical plays and features broadcast during the last one year ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) The quality of the script and its broadcast worthiness are being taken into consideration.

(b) No, Sir.

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Transfer of Employees Working Under Hindi Training Scheme

8117. Dr. Laxminarain Pandey : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the officers including Hindi Instructors working under the Hindi Training Scheme of her Ministry are liable to transfer on an all-India basis ; and

(b) if so, the number of Officers and Instructors, separately, who were transferred from Delhi during the last three years and the number of those who are still posted in Delhi even after 5 to 11 years of posting in Delhi ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) Yes, Sir. The Officers of the Hindi Teaching Scheme, viz. the Regional Officers, Supervisors, Assistant Supervisors and Hindi Short-hand and typewriting Instructors and Hindi Teachers are all liable to transfer on an all-India basis.

(b) No Officers or Instructors were transferred from Delhi during the last three years. The number of those who are still posted in Delhi even after 5 to 11 years is as follows :—

Regional Officer	One
Asstt. Supervisor	One
Hindi Short-hand and Type-writing Instructor	Three
Hindi Teachers	Eight

The above figures do not include ad-hoc appointees and those who have gone on ad-hoc or temporary promotions.

Tyre Tube Factory in Punjab in Joint Venture

8118. Dr. Laxminarain Pandey : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether a big tyre and tubes manufacturing factory is being set up in Punjab as a joint venture ;

(b) if so, the estimated expenditure to be incurred thereon and the time by which it will go into production ; and

(c) the annual production capacity thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) . A Letter of Intent dated the 12th December, 1970, for a capacity of 3 lakh Nos. each of automobile tyres and tubes per annum has been issued to the Punjab State Industrial Development Corporation Ltd., for setting up a Unit for the purpose at Ludhiana. The Unit will be set up as a joint venture. The amount of investment in land, building and machinery has been reported to be Rs. 870 lakhs. The plant may be commissioned in about 29 months from the date of issue of basic approvals by Government for the project.

पत्र आदि प्राप्तकर्ताओं के पास पहुंचने वाली बिना मुहर की डाक-टिकटें

8119. श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्र आदि प्राप्तकर्ताओं के पास बहुत सी डाक-टिकटें बिना मुहर लगे पहुंचने दी जाती है ;

(ख) इस कारण प्रतिवर्ष राजस्व की हानि की औसत कितनी है ; और

(ग) इन घटनाओं में अधिकतम कमी करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) वर्ष 1971-72 के दौरान केवल 12 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) नगण्य ।

(ग) प्रेषण के लिए पोस्ट की गई वस्तुओं पर लगे डाक टिकटों को विरूपित करने के बारे में हिदायतें मौजूद है । निरीक्षण करने वाले अधिकारियों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे जब भी किन्हीं कार्यालयों में दौरे पर जाएं तो वस्तुओं की जांच कर यह देखें कि उन पर लगे डाक टिकट उचित और सही ढंग से विरूपित किए गए हैं ।

तांबे के तार की चोरी

8120. श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1971 से 31 अक्तूबर, 1971 और उससे पुर्ववर्ती वर्ष की समवर्ती अवधि में चोरी हुए तांबे के तार की कीमत का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन चोरियों में से कितने मामलों में मंत्रालय के अधिकारी चोरों से सहयोग करते पकड़े गये ;

(ग) कितने मामलों में विभागीय कार्यवाही की गई अथवा कितने मामलों में वह पूरी हो और गई है और कितने मामलों में वह अभी जारी है ;

(घ) क्या नये प्रतिष्ठानों में एल्यूमिनियम चढ़े हुए तारों का इस्तेमाल किया जा रहा है; और

(ङ) अल्म्यूनियम चढ़े हुए तारों की चोरी की कितनी घटनायें हुई ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) से (ङ) इस बारे में एक विवरण पत्र सदन के सभा पटल पर रखा जा रहा है जिसमें सूचना क्रमानुसार दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3140/72**]

Theft in Khadi Gramodyog Bhavan New Delhi

8121. Shri Krishna Chandra Pandey : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state the number of times thefts took place in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi during 1970-71 and 1971-72 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri (Siddheshwar Prasad) : Two cases of theft involving Rs. 4,706. 12 P and one case involving Rs. 6,035 were reported during 1970-71 and 1971-72 respectively in the Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi.

हैदराबाद के सोशलिस्ट यूथ फोर्म और डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस के प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रीय "स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों के बारे में प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किया गया ज्ञापन

8122. श्री बालतण्डायुतम् : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह हैदराबाद के सोशलिस्ट यूथ फार्म और डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस के प्रतिनिधियों से हाल में मिली थी जिन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ की गतिविधियों तथा विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी श्री जार्ज रेड्डी की तथाकथित हत्या के बारे में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) : हैदराबाद के सोशलिस्ट यूथ फार्म और जिला यूथ काँग्रेस के प्रतिनिधियों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा तथाकथित श्री जार्ज रेड्डी की हत्या की जांच कराने तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों की जांच के लिए एक आयोग स्थापित करने के लिए मांग की गई है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री जार्ज रेड्डी की हत्या के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/302/149 के अन्तर्गत दर्ज किये गये मामले में जांच पूरी कर ली है तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए हैं। ऐसे संगठनों की गतिविधियों से निपटने के लिये जो साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने में हानिकर हों संसद में एक विधान लाया जा रहा है।

Closure of Bihar Vehicles Ltd. Phulwari Patna

8123. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether a bicycle manufacturing factory, named as Bihar Vehicles Ltd. located near Phulwari in Patna district has been lying closed for the last several years ;

(b) if so, the reasons for its closure ; and

(c) whether Government propose to take over and run the said factory ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The State Government have informed that a bicycle manufacturing factory named M/s. Hindustan Vehicles Limited, Phulwari Sharif, district Patna, has been lying closed for the last several years.

(b) At the instance of the State Government, its management was taken over under the Industries (Development & Regulation) Act in September, 1965 for a period of five years and a State Government nominee was appointed as Authorised Controller. The unit however, could not run as its assets were mortgaged and it was not legally possible to utilise them for production.

(c) The Bihar State Financial Corporation took over the assets through the court and sold them to another industrial unit. Under the circumstances the State Government consider that the question of take over does not arise.

बिहार सर्किल में इंजीनियरिंग सुपरवाइजर

8124. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों के पदों पर चयन/नियुक्त किये गये उम्मीदवारों की सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये टेलीफोन स्विचिंग लाइंस और केबल्स टेलीग्राफ तथा ट्रांसमिशन नामक सेवाओं के चार प्रकार के कार्यो का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उन्हें विशेषज्ञ बनाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित कार्यों में बिहार सर्किल में कितने इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों को सेवाओं का विशेषश बनाया गया तथा कितने इंजीनियरिंग सुपरवाइजारों को उन सेवाओं पर नियुक्त किया गया जिनका उन्हें विशेषज्ञ बनाया गया था ;

(ग) बिहार सर्किल में कार्य कर रहे ऐसे इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों की संख्या कितनी है जिन्हें ट्रांसमिशन के कार्य का प्रशिक्षण/विशेष प्रशिक्षण दिया गया था किन्तु जो ट्रांसमिशन विभाग में कार्य न करके टेलीफोन/टेलीग्राफ विभाग में कार्य कर रहे हैं ; और

(घ) क्या बिहार सर्किल में ट्रांसमिशन विभाग में इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों की कमी है और यदि हाँ, तो कुल कितने इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों की कमी है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) इंजीनियरिंग सुपरवाइजर के तौर पर भर्ती किये गए उम्मीदवारों को स्विचिंग, लाइन और केबल और ट्रांसमिशन शाखाओं में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है । हाल ही में स्विचिंग को स्विचिंग (स्ट्राउजर) और स्विचिंग (क्रासबार) में विभाजित कर दिया गया है ।

(ख) स्विचिंग (स्ट्राउजर और क्रासबार) में प्रशिक्षित इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों की संख्या—67

लाइन और केबल—53

ट्रांसमिशन—21

स्विचिंग में प्रशिक्षित ऐसे इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों की संख्या जो स्विचिंग शाखा में नियुक्त है—47, तार शाखा में प्रशिक्षित ऐसे सुपरवाइजरों की संख्या जो तार शाखा में नियुक्त है—33, और ट्राँशमिशन में प्रशिक्षित ऐसे सुपरवाइजरों की संख्या जो ट्रांसमिशन शाखा में नियुक्त है— 12 ।

(ग) 9.

(घ) शून्य । ट्रांसमिशन में प्रशिक्षित सुपरवाइजर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं ।

अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने के लिये डाक तथा तार विभाग के नियम

8125. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के नियमों के अनुसार श्रेणी III के ऐसे पदों को, जिन्हें प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को दो वर्ष पूरे हो जाते हैं, उनमें से 10 प्रतिशत पदों को छोड़कर शेष को स्थायी करना होता है, यदि हाँ, तो क्या बिहार सर्किल में उपरोक्त नियम का अनुपालन किया गया हैं;

(ख) 31 मार्च, 1971 को वहाँ कुल कितने अस्थायी पद थे और उनमें से कितने पद दो वर्ष या इस से अधिक अवधि से (पद-वार) विद्यमान थे और 1971-72 के दौरान कितने अस्थायी पदों को स्थायी किया गया ; और

(ग) 1971-72 में कितने कर्मचारियों को स्थायी किया गया और बिहार सर्किल में कितने स्थायी पद रिक्त पड़े हैं और उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हाँ। प्रचालन कार्यालयों के ऐसे सभी पदों को जिन की स्थायी तौर पर आवश्यकता होती है और जो एक मार्च को दो वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में रहे हैं, इस शर्त पर स्थायी बना दिया जाता है कि स्थायी और अस्थायी पदों की कुल संख्या का 10 प्रतिशत अस्थायी रहे। यह नियम आम तौर पर बिहार सर्किल में भी लागू किया गया है।

(ख)	(i)	1-3-71 को अस्थायी पदों की कुल संख्या	1074
	(ii)	दो साल से अधिक समय तक बने रहने वाले पदों की कुल संख्या	547
	(iii)	वर्ष 1971-72 के दौरान स्थायी किए गए पदों की कुल संख्या	384

(पदानुसार सूचना अनुबंध में दी गई है) [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 3141/72]

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

डाक तथा तार कर्मचारियों को वर्दियों की सप्लाई

8126. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सर्किल में डाक तथा तार कर्मचारियों की आयुध कारखानों द्वारा वर्दी की सप्लाई न करने के कारण नियत समय पर वर्दियां नहीं दी जा सकी थीं ;

(ख) क्या ऐसा उपलब्ध है कि नियत अवधि के समाप्त हो जाने के बाद पिछली अवधि की सप्लाई स्वत: समाप्त हो जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो वर्दियों की शीघ्र सप्लाई के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हाँ। बिहार सर्किल में डाक-तार कर्मचारियों को नियत समय पर वर्दियाँ नहीं दी जा सकीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) इसका प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि पिछले साल की वर्दियों की सप्लाई में, जो कि अब प्राप्त हो चुकी हैं, विलम्ब होने का कारण यह था कि आयुध कारखानों को दूसरे आपात-कालीन वायदे पूरे करने थे।

कार्मिक संघों तथा राजनीतिक दलों के नेताओं को राजनीतिक बंदी समझा जाना

8127. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कार्मिक संघों तथा राजनीतिक दलों के नेताओं को जेल में राजनीतिक बन्दी समझने के बारे में इस बीच अंतिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (क) : 'जेल' राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकारें ही बंदियों के वर्गीकरण आदि के लिए नियम बनाने के लिए सक्षम हैं। अधिकांश राज्यों के जेल नियमों में 'राजनीतिक बंदियों' के रूप में पृथक वर्गीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। जेलों में व्यवहार के लिए सभी बंदियों का वर्गीकरण उनको सजा देने वाले न्यायालय की सिफारिश पर सामान्यतः 2 या 3 वर्गों में किया जाता है।

मैसर्स यूनियन कारबाइड का विस्तार कार्यक्रम

8128. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री मैसर्स यूनियन कारबाइड द्वारा टार्चों का लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन के बारे में 3 मई, 1972 के तारांकित प्रश्न सख्या 663 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स यूनियन कारबाइड ड्राई सैल बैटरी उद्योग के क्षत्र में एक बहुत बड़ा उपक्रम है ;

(ख) देश में कुल उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान इस कम्पनी का रहा;

(ग) क्या इस तथ्य के बावजूद कि पिछले तीन वर्षों के दौरान कलकत्ता स्थित संयंत्र में लाइसेंत क्षमता के अनुसार अधिकतम उत्पादन नहीं किया गया है, कम्पनी ने इस संयंत्र के लिए 6 करोड़ सैलों की विस्तार क्षमता के लिए आवेदन किया है और क्या कम्पनी का आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया गया है ; और

(घ) क्या पश्चिम बंगाल में "अस्थिर परिस्थितियों" के कारण पहले इस कम्पनी को 5 करोड़ मिजेट इलेक्ट्रोड्स संयंत्र को कलकत्ता से हैदराबाद स्थानान्तरित करने की अनुमति दी गई थी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) इस एकक द्वारा वर्ष 1971 में डाई सैलों का उत्पादन इस वस्तु के देश में हुए कुल उत्पादन का 67 प्रतिशत था।

(ग) कम्पनी ने कलकत्ता संयंत्र में 6 करोड़ सैलों की क्षमता के विस्तार के लिए आवेदन किया है। इस आवेदन पर अभी कोई निर्णय नहीं दिया गया है। विगत तीन वर्षों की अवधि में कलकत्ता एकक के उत्पादन का स्तर संतोषजनक रहा है।

(घ) एकक के लिए स्वीकृत 50 करोड़ मिजेट इलैक्ट्रोड्स की अतिरिक्त क्षमता के लिए सामरिक महत्व के विचार से जो कि उस समय अत्यंत महत्वपूर्ण थी लाइसेंसिंग समिति की सिफारिशों के अनुसार कलकत्ता के स्थान पर हैदराबाद में कारखाना स्थापित करने की कम्पनी को आज्ञा दी गई थी।

Block Development Committees

8129. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the purpose for which the Block Development Committees were set up has not been achieved ; and

(b) if so, whether Government propose to form any other administrative set-up for development ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) The Block Development Committees were set up in 1953 as advisory bodies mainly to advise the Block Development Officer on the Planning and approval of schemes under local works and were intended to develop into self-reliant and self-motivating institutions of people in Blocks. With the introduction of Panchayati Raj, the Block Development Committees have ceased to exist and have been replaced by Panchayat Samitis under State Legislation.

(b) There is no such proposal in the Government of India to suggest a change in the present pattern.

ग्रामीण तथा लघु उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी ज्ञान उपलब्ध करने के लिए सैल

8130. श्री नवल किशोर सिंह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण तथा लघु उद्योग के लिये समुचित प्रौद्योगिकी ज्ञान उपलब्ध करने के लिए केन्द्र में एक सैल की स्थापना की गई है;

(ख) सैल द्वारा कौन-कौन से चुने हुए क्षेत्रों में अध्ययन-कार्य प्रारम्भ किया गया है; और

(ग) इन क्षेत्रों को चुनने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) जी, हां,

(ख) प्रकोष्ठ (सैल) ने अब तक 6 चुने हुए क्षेत्रों में अध्ययन प्रारम्भ किया है जो निम्न प्रकार है :-

(1) कृषि उपकरण तथा औजार,

(2) खाद्य संसाधन तथा फल परिरक्षण,

(3) चमड़ा कमाना, जूते और चमड़े की वस्तुएं,

(4) मृदभाण्ड और काँच के वर्तनों सहित मृतिका शिल्प,

(5) सीमेंट, चीनी तथा कागज के विशेष संदर्भ में छोटे आकार के संयंत्र; और

(6) भवन तथा सड़क निर्माण

(ग) इन क्षेत्रों का चयन करने की विचारणीय मुख्य बातें इस प्रकार हैं :-

(1) राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था मे इन क्षेत्रों का योगदान,

(2) उस क्षेत्र में रोजगार की मात्रा,

(3) उन्नत तकनीलाजी को चालू करने से रोजगार के बढ़ाने की सम्भावना,

(4) ग्रामीण जनता को शहरी क्षेत्रों में जाने से रोकने की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में काम के अवसरों की व्यवस्था,

(5) विच्छिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध सीमित प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए तकनीकी संभाव्यता और

(6) देश में अनुसंधान और विकास सुविधाओं की उपलब्धता जिनकी सहायता से तकनीक संबंधी समस्याओं को हल किया जा सकता है ।

Telephone Exchange at Barachakia Bazar, Bihar

8131. Shri K.M. Madhukar : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether no action has so far been taken by Government on the persistent demand made by the Member of Parliament and the various sections of the populace for opening a C.B. Telephone exchange in Barachakia Bazar ; of Bihar ; and

(b) whether Barachakia has not been directly linked with Muzaffarpur ; and

(c) the scheme, if any, of Government to solve these difficulties and by what time ?

The Minister of Communications (Shri H.N. Bahuguna) : (a) No, Sir. A small automatic Exchange of 50 lines with 22 working connections is installed at Barachakia Bazar of Bihar. Its conversion into a C.B. Telephone Exchange is not economically viable.

(b) No, Sir. It is not directly linked. The present trunk traffic does not justify it. Barachakia is linked to Motihari which in turn is connected to Muzaffarpur, Patna and a few other stations.

(c) in view of above, there is no scheme at present either for the installation of a C.B. Telephone Exchange at Barachakia Bazar or directly linking it to Muzaffarpur. The position will be reviewed as and when the telephone demand grows sufficiently and traffic to Muzaffarpur builds up.

लघु उद्योग सेवा संस्थाओं द्वारा तकनीकी आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना

8132. श्री कमल मिश्र मधुकर : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में काम कर रहे लघु उद्योग सेवा संस्थान बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले एककों के बारे में तकनीकी आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो लघु उद्योग सेवा संस्थान, पटना द्वारा सितम्बर, 1970 से 31 मार्च, 1972 तक ऐसे कितने प्रतिवेदन भेजे गये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) सेप्टेम्बर 1970 के मार्च 1972 के दौरान लघु उद्योग सेवा संस्थान, पटना व उससे

सम्बन्ध विस्तार केन्द्रों ने कमर्शियल बैंकों को, स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा बिहार राज्य वित्त निगम को 280 तकनीकी आर्थिक रिपोर्ट दी।

Construction of Govt. Building for Kathaiyah Sub-Post Office, Bihar

8133. Shri K.M. Madhukar : Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether the decision to construct a Government building for the Kathaiyah Sub Post Office in Muzaffarpur District of Bihar has been taken ;

(b) whether the local headman is willing to part with sufficient land for this purpose ;

(c) if so, the reasons for this delay on the part of Government in constructing the said building ; and

(d) the time by which the said building is likely to be constructed ?

The Minister of Communications (Shri H.N. Bahuguna) : (a) No.

(b) to (d). The land offered by the local headman is low lying and also otherwise unsuitable for locating the post office. Moreover, the post office which is a small single-handed sub office is housed in a rent-free building at present and there is thus no justification for giving high priority for constructing a departmental building.

बंगला देश की टेलीविजन व्यवस्था का कलकत्ता का टेलीविजन केन्द्र के साथ प्रस्तावित सम्बन्ध

8134. श्री कमल मिश्र मधुकर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता के टेलीविजन केन्द्र का बंगला देश की टेलीविजन व्यवस्था के साथ सम्बन्ध जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Funds Provided to Government of U.P. For Providing Employment to Educated Persons

8135. Shri Hari Singh : Will the Minister of Planning be pleased to state :

(a) the funds provided by the Planning Commission to the Government of Uttar Pradesh for providing employment to educated persons in the State during 1971-72 ;

(b) the amount spent out of it and the manner in which it has been spent ; and

(c) how Government propose to spend the remaining amount ?

The Minister of state in the Ministry of planing (Shri Mohan Dharia) : (a) & (b). Out of a provision of about Rs. 25 crores in the Central Budget for formulating various schemes specially designed to meet the problem of educated unemploped, Rs. 85.31 lakhs were allocated for such schemes to be undertaken by the Government of U.P. Scheme-wise details of funds allocated and actually released are given in the enclosed statement.

(c) The unspent amount will be adjusted suitably during the year 1972-73.

Statement

(Rs. lakhs)

S.No.	Ministry/Scheme	Funds	
		Allocated	Actually released
1.	**Ministry of Education**		
	Improvement in the quality of Primary Education	58.31	58.31*
2.	**Ministry of Industrial Development**		
	Assistance to small enterpreneurs	17.00	17.00
3.	**Ministry of Irrigation and Power**		
	Rural Engineering Surveys	2.37	2.02
4.	**Ministry of Agriculture**		
	(i) Agro-Service Centre	2.45	Nil
	(ii) Expansion of Cooperative Stores	Nil	Nil
5.	**Ministry of Shipping and Transport**		
	Advance action on investigation of Road Works for Fifth Plan	3.00	3.00*
6.	**Ministry of Health**		
	Rural Water Supply	2.18	Nil
	Total	85.31	80.33

*Actual expenditure figures are not yet available.

गुजरात राज्य के लाइसेंसों के लिए विचाराधीन आवेदन-पत्र

8136. श्री वेकारिया : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योग विकास निगम ने दो वर्ष पूर्व अहमदाबाद में एक गोष्ठी का आयोजन किया था जिसमें निगम को प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निपटारा करन का आश्वासन दिया गया था ;

(ख) वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 में इसे गुजरात राज्य से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ;

(ग) कितने आवेदन पत्र स्वीकार किये गये तथा कितने आवेदन पत्र अस्वीकार किये गये और कितने आवेदन पत्र सुविधाएं प्रदान करने के लिये विचाराधीन हैं; और

(घ) निगम ने किस प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की है तथा किन-किन औद्योगिक एककों के लिये ऐसी व्यवस्था की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने दो वर्ष पहले अहमदाबाद में कोई संगोष्ठी नहीं की । किन्तु, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने विकास आयुक्त (लघु उद्योग) तथा राज्य के उद्योग निदेशकों आदि की सक्रिय सहायता से 1969 के अन्त में एक अभियान चलाया था । राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम किराया खरीद के आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई करने का सदैव प्रयत्न करता रहा है ।

(ख) और (ग). जानकारी विवरण में दी गई है ।

(घ) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम किराया खरीद आधार पर मशीनों का संभरण करता हैं । औद्योगिक एककों के नाम तथा अन्य विवरणों की जानकारी इकट्ठा करने में काफी श्रम और समय लगेगा और इसके परिणाम उस कृत श्रम के अनुसार नहीं निकलेंगे ।

विवरण

गुजरात राज्य

मूल्य लाख रुपये में

वर्ष	प्राप्त आवेदन		स्वीकृत आवेदन		दिये गये आर्डर	भेजी गई मशीन
	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	मूल्य	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
1968-69	1088	1253.96	807	796.98	9.99	12.72
1969-70	154	107.83	145	184 23	121.71	32.56
1970-71	142	203.39	39	58.41	137.50	91.23
1971-72	117	166.23	60	62.73	71.69	186.57

उन गैर-सरकारी फर्मों को विदेशी मुद्रा देना जिन्हें बिना विदेशी मुद्रा से उद्योगों की स्थापना के लिए आशय-पत्र जारी किए गए हैं

8137. श्री बेकारिया : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72 में कुछ फर्मों को इस शर्त पर आशय-पत्र जारी किए गए थे कि उन्हें कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी जायेगी ;

(ख) क्या उन्हें अब पूंजीगत माल और कच्चे माल के लिए विदेशी मुद्रा का आश्वासन दिया गया है, और

(ग) क्या उपर्युक्त एककों से सम्बन्धित सहायक एककों को भी कच्चे माल के लिए विदेशी मुद्रा दी जायेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). वर्ष 1971 तथा जनवरी मार्च, 1972 की अवधि में जारी किए गये किसी भी आशय-पत्र में ऐसी कोई विशिष्ट शर्त नहीं लगाई गई है कि विदेशी मुद्रा की अनुमति नहीं दी जायेगी। फिर भी, कुछ आशय-पत्रों में शर्तें लगाई गई हैं कि विदेशी सहयोग या संयंत्र और मशीनों या कच्चे माल का आयात करने की अनुमति नहीं दी जायेगी । यदि पार्टियां इस प्रकार की शर्तों के खिलाफ अभ्यावेदन देती हैं तो उन पर प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा और लाइसेंस समिति के आदेश प्राप्त किए जायेंगे ।

(ग) प्रत्येक मामले पर उसके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा ।

दिल्ली में टेलीफोन उपभोक्ताओं के टेलीफोनों का दुरुपयोग

8138. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन सेवा के लोगों को अपने निजी लाभ के लिए अनधिकृत लोगों द्वारा डायल करने हेतु टेलीफोन उपभोक्ताओं के कनेक्शन मिला देने से रोकने में मंत्रालय कहाँ तक सफल रहा है, जिस कारण टेलीफोन उपभोक्ताओं का नुकसान होता है; और

(ख) वर्ष 1970-71 और 1971-72 में इस सम्बन्ध में दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और शिकयतकर्ताओं को क्या राहत दी गई ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) विभाग ने कई उपचारात्मक तरीकों को लागू करके इस तरह के कदाचारों को समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाया है ।

(ख) यद्यपि इस बारे में कोई विशेष शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं तथापि बहुत से उपभोक्ताओं ने, जिन्होंने मीटर पर ज्यादा कालें आने की शिकायत की है, यह आरोप लगाया है कि टेलीफोन बिलों में रकम के बढ़ने का कारण यह कदाचार ही है। दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में मीटर पर ज़्यादा कालें आने की जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी संख्या इस प्रकार है :

(1) वर्ष 1970-71 के लिए 5404 और

(2) वर्ष 1971-72 के लिए 8933

जहां भी उचित रहा है उपभोक्ताओं को छूट दे दी गई है ।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत केन्द्रीय सलाहकार परिषद्

8139. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) उद्योग (विकास तथा विनियमन), अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत गठित केन्द्रीय सलाहकार परिषद के वर्तमान सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) उद्योगों सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार परिषद् की वर्तमान स्थाई समिति के प्रत्येक सदस्य का नाम क्या है और उनका व्यवसाय क्या है ;

(ग) उद्योगों सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार परिषद् पुनर्विलोकन उप-समिति के प्रत्येक सदस्य का नाम क्या है और उसका व्यवसाय क्या है ; और

(घ) उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत गठित प्रत्येक विकास परिषद् के प्रत्येक सदस्य का नाम व्यवसाय तथा अन्य ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). उद्योगों की केन्द्रीय सलाहकार परिषद्, जो 5 मार्च 1970 को गठित की गई थी, उसका दो वर्ष का कार्यकाल 4 मार्च, 1972 को समाप्त हो गया है । अब परिषद् पुनर्गठित की जा रही है । परिषद् की स्थायी समिति तथा संवीक्षा करने वाली उप-समिति की सदस्यता का कार्यकाल मुख्य समिति

के कार्यकाल के साथ-साथ समाप्त होता है। चूंकि ये दो उप-समितियां मुख्य समिति द्वारा गठित की जाती हैं इसलिए स्थायी समिति और संवीक्षा करने वाली उप-समिति भी मुख्य परिषद् के पुनर्गठन के पश्चात तुरन्त ही पुनर्गठित की जायेगी। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुये, इन समितियों की सदस्यता का ब्यौरा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इस समय कार्य कर रही 10 विकास परिषदों के सदस्यों का विवरण संलग्न हैं (अनुबन्ध)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3142/72]

फिल्म अनुसन्धान निकाय

8140. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में 4 मई, 1972 को फिल्म अनुसन्धान निकाय की स्थापना की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कृत्यों की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख). फिल्म फेडरेशन आफ इण्डिया द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, फिल्म रिसर्च फाउंडेशन (आफ इण्डिया) के नाम से एक गैर-सरकारी फिल्म संगठन का 3 मई 1972 को बम्बई में उद्घाटन किया गया था। इस सूचना के अनुसार इस फाउंडेशन के मुख्य उद्देश्य भारतीय फिल्मों के इतिहास में अनुसंधान कार्य करना, ऐसी फिल्म सामग्री तथा प्रिंटों को ढूंढना जो आज आसानी से अप्राप्य हैं तथा बाद में उनको भारत के राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय को दे देना है।

सरकारी उपक्रमों में काम कर रहे आई० सी० एस० और आई० ए० एस० अधिकारी

8141. **श्री सतपाल कपूर :**
श्री शशि भूषण : } क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के अधीन सरकारी उपक्रमों में 31-3-1972 को कुल कितने आई० सी० एस० और आई० ए० एस० अधिकारी काम कर रहे थे ;

(ख) क्या इनमें से कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, कुप्रबन्ध और दुर्व्यवहार के आरोप हैं ;

(ग) क्या इनके विरुद्ध कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं तथा उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में 31-3-1972 को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई० ए० एस०) के 26 अधिकारी कार्य कर रहे थे। उनमें से कोई भी भूतपूर्व भारतीय सिविल सेवा (आई० सी० एस०) का सदस्य नहीं था।

(ख) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

Information and Broadcasting Ministry Publication of Monthly, Fortnightly and Quarterly Magazines

8142. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether monthly, fortnightly or quarterly magazines are published in Hindi by her Ministry if so, the expenditure incurred on these during 1969, 1970 and 1971 ;

(b) whether these publications are sent to all the States ; if so, the number of magazines sent to each State and the purpose for which these are sent ;

(c) whether these publications are sent to all the libraries in the country ; and

(d) whether the number of subscribers of these magazines has increased and the number of subscribers of each magazine at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) & (b). Statements giving the requisite information in respect of the monthlies and fortnightlies brought out by the Ministry of I & B in Hindi are attached. **[Placed in the Library. See No. L.T. 3143/72]** No quarterly in Hindi is published by the Ministry.

(c) Complimentary copies are not sent to libraries. A number of libraries are, however, subscribers to these magazines.

(d) The number of copies of these Magazines sold by direct subscription and through agents, during the last four years is given below :

Name of the Journal	1969	1970	1971	1972
Ajkal	3020	3510	3490	2660
Bal Bharati	11400	16325	24400	23420
Kurkshetra	947	832	1076	670
Yojana	2150	2160	2782	2525
Akashvani	3400	3020	2852	2710

Sale of Khadi

8143. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether the sale of Khadi is increasing every year ; and

(b) if so, the sale of Khadi during the last three years year-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b). During the last six years, the retail sales of khadi are fluctuating beween about Rs. 20 crores and 26 crores per anuum. During the last two years thc sales are more or less stablished around Rs. 26 crores. The value of retail sales of khadi during the last three years viz. 1968-69, 1969-70 and 1970-1971 were of the order of Rs. 20.74 crores, 26.09 crores and 25.73 crores respectively.

Ban on Forward Trading in Commodities

8144. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Government have been able to stop forward trading ;

(b) if so, the names of the commodities in which the forward trading has been stopped; and

(c) the number of shops or firms raided during 1971 and the number of persons prosecuted in this connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b). A statement showing the commodities in which Government have prohibited or suspended trading in forward contracts other than non-transferable specific delivery contracts is attached. **[Placed in the Library. See No. L.T. 3144/72]**

(c) 198 firms were raided during 1971. No evidence has been found against 26 of these firms. Evidence against the rest is under investigation by the police.

कलकत्ता में टेलीविजन केन्द्र के लिए क्षेत्र का चयन

8145. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ते में टेलीविजन केन्द्र के लिए टोलीगंज क्षेत्र के 'गोल्फ क्लब ग्राउन्ड' को चुना गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में राज्य सरकार से कोई बातचीत की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) मामला अभी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Lessons in Hindi and other Languages over A. I. R.

8146. Shri Sudhakar Pandey : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the names of the A. I. R. Stations which broadcast lessons in Hindi language ; and

(b) the names of the A. I. R. Stations which broadcast lessons in other Indian languages ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) Trivandrum, Vijayawada, Imphal, Ahmedabad, Cuttak, Dharwar, Gauhati, Calcutta, Poona, Rajkot, Bangalore, Hyderabad, Panaji, Nagpur and Bhuj.

(b) Lessons in other Indian languages have been broadcast from the following Stations :—

Bhopal, Jaipur, Lucknow, Patna, Ranchi, Delhi and Allahabad.

योजना आयोग में अनुश्रवण और सूचना डिवीजन

8147. श्री राज देव सिंह : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग में अनुश्रवण और सूचना डिवीजन नामक नया डिवीजन बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या देश में पिछड़े क्षेत्रों अथवा प्रदेशों के आर्थिक विकास की देख-रेख के लिए सरकार का इसी प्रकार का कोई डिवीजन अथवा सैल बनाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) पहाड़ी क्षेत्रों के समुचित आर्थिक विकास के लिए योजना आयोग में एक विशेष सैल की स्थापना की गई है।

आकाशवाणी और टेलीविजन केन्द्र में स्टेशन निदेशक की कार्याविधि

8148. श्री राजदेव सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में एक स्टेशन पर स्टेशन निदेशक, सहायक स्टेशन निदेशक और प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव की कार्याविधि कितनी होती है ; और

(ख) क्या इन संवर्गों में अनेक व्यक्ति दिल्ली में गत 6 वर्षों से अधिक समय से हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नंदिनी सत्पथी) : (क) आकाशवाणी के केन्द्रों का निर्वाह-खर्च, जलवायु, सुगमता आदि जैसी बातों को ध्यान में रखते हुए "कठिन" तथा "कठिन नहीं" केन्द्रों में वर्गीकरण किया गया है। केन्द्र-निदेशक, सहायक केन्द्र-निदेशक तथा कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव की "कठिन" केन्द्रों पर काम की अवधि 2 वर्ष तथा "कठिन नहीं" केन्द्रों पर 5 वर्ष निर्धारित है। तथापि, सरकारी कार्य की आवश्यकताओं को देखते हुए इन सीमाओं का सदा सख्ती से पालन करना संभव नहीं है।

दिल्ली टेलीविजन केन्द्र में काम करने वाले अधिकारियों के लिए कोई कार्याविधि निश्चित नहीं की गई है क्योंकि इस प्रकार का फिलहाल केवल एक ही केन्द्र है।

(ख) वहां इस प्रकार के 22 अधिकारी हैं।

फिल्मों के निर्माण, आयात और निर्यात के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की स्थापना

8149. श्री राजदेव सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार फिल्मों के निर्माण, आयात और निर्यात के लिए सरकारी क्षेत्र में एक उपक्रम स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह): फिल्मों के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र में कोई उपक्रम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिल्मों का आयात तथा निर्यात सरकारी क्षेत्र के माध्यम से करने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए ठीक व्यवस्था क्या हो, यह विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश में शिक्षित और तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के लिए रोजगार कार्यक्रम

8150. श्री राजदेव सिंह : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 1972-73 में मुख्यतया कृषि स्नातकों और इंजीनियरों जैसे शिक्षित और तकनीकी योग्यता प्राप्त बेरोजगार व्यक्तियों के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से 8 करोड़ रुपये की लागत से एक रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित करेगी ;

(ख) यदि हां, तो उस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या द्रुत रोजगार कार्यक्रम की भान्ति यह भी निरन्तर चलने वाला कार्यक्रम होगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). 1972-73 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 864.65 लाख रुपये के परिव्यय का उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के लिए एक विशेष रोजगार कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

	स्कीम का नाम	परिव्यय (लाख रुपये)
1.	बिजली उत्पादन परियोजना का सर्वेक्षण तथा अन्वेषण	18.72
2.	सर्वेक्षण तथा प्रसारण तथा वितरण की लाईनों को लगाना	37.35
3.	जलापूर्ति स्कीमें	34.65
4.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	72.00
5.	जन साक्षरता कार्य	60.00
6.	लघु किसानों की तकनीकी मार्ग दर्शन	11.93
7.	शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार	9.50
8.	कृषि विस्तार स्कीम	12.90
9.	चुने हुए पशु चिकित्सालयों, मुख्य ग्रामीण खंडों तथा राज्य में वीर्य एकत्रीकरण केन्द्रों के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना	3.48
10.	सड़कों पर छोटे पुल, साइफन, बांध मार्ग (कोज़वेज) तथा पुलियाओं का निर्माण	54.00
11.	भूगर्भीय तथा अन्य संबंधित अन्वेषण	0.52
12.	सड़कों तथा पुलों के लिए सर्वेक्षण तथा भू अन्वेषण	142.60
13.	ग्रामीण सड़कों का निर्माण	297.00
14.	सिंचाई तथा बहुद्देशीय नदी घाटी स्कीमों का अन्वेषण	60.00
15.	बाढ़ नियंत्रण तथा निकास स्कीमों का अन्वेषण	50.00
	जोड़ (सभी स्कीमें)	864.65

इन कार्यक्रमों से कृषि स्नातकों तथा इंजीनियरों को भी एक अच्छी संख्या में रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह आशा की जाती है कि उपर्युक्त कार्यक्रमों की कुल लागत का 50 प्रतिशत राज्य सरकार लगाएगी।

(ग) यह आशा है कि अनुभव के आधार पर कुछ संशोधनों के साथ विशेष रोजगार कार्यक्रम चलते रहेंगे।

पुलिस पर 3.60 लाख रुपये के गबन का आरोप

8151. श्री के० बालदण्डा युतम :
श्री राज राज सिंह देव : } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 मई, 1972 के 'पेट्रियट' में 'पुलिस पर 3.60 लाख रुपये के गबन का आरोप' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पूरे तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां।

(ख) ऐसी शिकायत श्री मोहिन्द्र सिंह से प्राप्त हुई थी जो सोने के जाली बिस्कुट बनाने के लिए 26-4-1972 को नरैना में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस द्वारा उससे आरोपित 3.60 लाख रुपया बरामद नहीं किया गया था।

(ग) समाचार छपने के तुरन्त बाद दक्षिणी पुलिस के अधीक्षक ने आरोप की जाँच की थी जो निराधार निकली। फिर भी दिल्ली पुलिस की सतर्कता शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी को आरोप की पूरी छानबीन करने को कहा गया है।

Advertisement Programme Broadcast from A. I. R. Stations

8152. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the names of A. I. R. Stations from where advertisement programmes are broadcast at present ; and

(b) whether Government have received any letters raising objections to the said broadcasts and if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) Bombay, Poona, Nagpur, Calcutta, Delhi, Madras, Tiruchi, Chandigarh, Jullundur, Bangalore, Dharwar, Ahmedabad, Rajkot, Kanpur, Lucknow, Allahabad, Hyderabad and Vijayawada.

(b) Yes, Sir. Some objections have been received to the broadcast of the advertisement on the Family Planning device "Nirodh".

Achievement of Targets by States During Fourth Plan

8153. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the names of the States which have since achieved the targets fixed during the Fourth Five Year Plan ;

(b) the names of the States which could not achieve the plan targets on account of paucity of funds ; and

(c) whether States have submitted the mid-term appraisal report of the Fourth Five Year Plan to the Central Government ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) & (b). The Fourth Five Year Plan period will end on 31.3.1974. There are thus still nearly two years left for implementing the Fourth Five Year Plan. No State has yet fully achieved the targets fixed for the Fourth Five Year Plan ; it is too early to state which States will not be able to achieve the targets for paucity of funds. It may, however, be mentioned that according to the mid-term Appraisal of the Fourth Five Year Plan, a copy of which was placed on the Table of the House in December 1971, the financial outlay in the States' sector as a whole is likely to be exceeded by the end of the period although in the achievement of physical targets in selected fields of development, some shortfalls may occur.

(c) Practically all the States have furnished their comments/memoranda on the Mid-term Appraisal of the Fourth Five Year Plan.

Industrial Survey of Bihar

8154. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to State :

(a) whether any industrial survey of Bihar has been conducted ; and

(b) if so, the salient features thereof and the steps proposed to be taken by Government in the near future in the light thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b). The Industrial Development Bank of India in colloboration with other agencies like the Industrial Finance Corporation of India, Industrial Credit and Investment Corporation of India, etc. has among other States/Union Territories carried out an industrial survey of Bihar and submitted a report. According to this report some of the industries that could be set up in the State of Bihar are : cement, Coal, refractory, aluminium, mica, ceramics, paper, petro-chemicals, special steel, malleable castings, tinplates, steel strips, textiles, jute goods, agro-industries such as fertilisers, tractors sugar, dairy, etc. Follow-up action on the report is being taken by IDBI's Committee of Direction in consultation with the State Government.

Sale of Fictitious Editions of Books

8155. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to Sate :

(a) whether Government are aware that fictitious editions of certain books are being sold in the market resulting in great loss to the Government, private publishers and the authors ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) & (b). Such publications can involve commission of offences under Section 417, 419, 420 and 468 of IPC. If such publication involves any binfringement of copyrights or other rights conferred by the Copyright Act, 1957, remedies are available under the Copyright Act. Representations received from aggrived authors and publishers are examined with a view to initiate action according to law on merits.

Appointment of Widows and Dependents of Jawans killed in Indo-Pak-War in P & T Department

8156. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of widows and dependents of Jawans killed or disabled during the Indo-Pak war of December, 1971, who have since been provided with employment in the P & T Derpartment ; and

(b) the action proposed to be taken by the Department in future in this regard ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Four so far.

(b) The department follows the general instructions issued by the Department of Personnel in this regard, and within the frame work of these instructions, the Department has decided to appoint upto 500 candidates from among the disabled and dependents and widows of those killed in war.

Applications for employment as and when received from candidates are examined and decided on merits. The Directorate has also asked the D. G. (Resettlement) to send lists of candidates seeking employment in the Department for consideration.

Release of Advertisements to Newspapers

8157. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the total value of advertisements released by the Central Governmen · ‹ various newspapers during the financial year 1971-72 ; and

(b) the amount provided under this head during the financial year 1972-1973 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) & (b). The requisite information in respect of the Directorate of Advertising and Visual Publicity is given below :

(i)	Value of advertisements released to newspapers and periodicals during 1971-1972 —	Rs. 1,88,48,916
(ii)	Amount provided for 1972-73 —	Rs. 1,65,00,000

Information in regard to advertisements released by the Railways and the Department of Tourism is being collected and will be laid on the Table of the House.

Switching Equipment Factory in Madhya Pradesh

8158. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the Chief Minister of Madhya Pradesh had made a request for setting up a telecommunication switching equipment factory in the State ;

(b) whether a technical team under the chairmanship of the Head of the Indian Telephone Industries has expected certain site in the State ;

(c) if so, the conclusions of the team and the decision taken by the Central Government thereon ; and

(d) If no decision has been taken so far when it is likely to be taken ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) & (b). Yes. The team inspected a number of sites in different States, including Madhya Pradesh.

(c) & (d). The recommendations made by the team are still under consideration of the Government and the decision thereon is now likely to be taken before long.

Foreign Collaboration in Production and Export of TV Sets

8159. Shri Phool Chand Verma : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the Electronics Commission has decided that no foreign collaboration would be sought for production and export of the television sets ; and

(b) if so, the reaction of Government therto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) & (b). Government has already approved the recommendations of the electronics Commission that no foreign collaboration need be permitted for manufacture of TV Sets for internal sales or exports. Foreign Collaboration will be permitted, and foreign equity companies licenced for manufacture of TV Sets, only in the case of 100% export.

Production of good quality TV Sets has already been well-established in four units using indigenous know-how developed at Central Electronics Engineering Research Institute (CEERI) Pilani.

Many new enterprises have built prototype and pilot plant models of TV Sets of high quality based on wholly indigenous technology.

The production of TV Sets is an area where indigenous technical capability has now been fully proven and there is no need to have foreign know-how.

डाक-तार विभाग में सहकारी कैंटीनों को राजसहायता देना

8160. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या डाक-तार विभाग में सहकारी कैंटीनों की राजसहायता देने के लिए कोई सीमा निर्धारित है और यदि हां, तो इस बारे में नियम क्या हैं ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : जी हां। कार्मिक विभाग ने इस सम्बन्ध में जो आदेश जारी किए हैं, वे डाक-तार विभाग की कैंटीनों पर भी समानरूप से लागू हैं। वर्तमान समय में विभाग के सभी स्थानों की कैंटीनों को उनकी स्थापना के खर्च का 50% भाग राजसहायता के रूप में दिया जाता है। किन्तु दिल्ली। नई दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सहकारी कैंटीनों को दी जाने वाली सरकारी सहायता स्थापना पर होने वाले कुल खर्च का लगभग 57 प्रतिशत बैठती है।

राष्ट्रीय फिल्म परिषद

8161. डा० रानेन सेन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय फिल्म परिषद स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) तथा (ख) . फिल्म परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है। उम्मीद है इस मामले में अन्तिम निर्णय शीघ्र ही ले लिया जाएगा।

डाकुओं द्वारा आत्मसमर्पण

8162. **श्री निहार लास्कर :**
श्री महादीपक सिंह शाक्य : } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने डाकू नेताओं और उनके सहयोगियों ने सरकार के समकक्ष आत्म-समर्पण किया है ; और

(ख) प्रत्येक डाकू नेता को पकड़वाने के लिए कितना इनाम घोषित था ?

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) अब तक मध्य प्रदेश में अधिकारियों के समक्ष 291 डाकुओं के साथ 20 डाकू सरदारों ने आत्म-समर्पण किया है।

(ख) डाकू सरदारों को पकड़वाने के लिए घोषित किया गया इनाम इस प्रकार था :

1	मोहर सिंह	2,00,000 रुपये
2	माधो सिंह	1,00,000 रुपये
3	नाथू सिंह	20,000 रुपये
4	माखन सिंह	12,000 रुपये
5	हरविलास काछी	12,000 रुपये
6	सरू सिंह	10,000 रुपये
7	छोटे सिंह	12,000 रुपये
8	लाल कल्याण सिंह	10,000 रुपये
9	जगजीत सिंह	10,000 रुपये
10	बहादुरा गूजर	5,000 रुपये
11	कमोदी काछी	5,000 रुपये
12	काशी राम	5,000 रुपये
13	पंचम सिंह	5,000 रुपये
14	नाबा कुम्हार	5,000 रुपये
15	कालीचरण	5,000 रुपये
16	गरीबा चमार	5,000 रुपये
17	मनसा राम	3,000 रुपये
18	लाला भाई	2,000 रुपये
19	रूपा गूजर	1,000 रुपये
20	नरेश सिंह	1,000 रुपये

विदेशी स्वामित्व वाले बागान तथा अन्य भूमि (अधिग्रहण) अध्यादेश, 1971

8163. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय ने विदेशी स्वामित्व वाले बागान तथा अन्य भूमि (अधिग्रहण) अध्यादेश, 1971 को अभी तक अपनी स्वीकृति नहीं दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसको स्वीकृति कब तक मिल जायेगी ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) . नीति की दृष्टि से अध्यादेश के मसौदे पर सावधानी से विचार किये जाने की आवश्यकता है और अभी विचाराधीन है ।

तारापुर आणविक विद्युत केन्द्र

8164. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तारापुर आणविक विद्युत केन्द्र के उच्च विकिरण क्षेत्रों में स्थित कुछ पुर्जों के अपने स्थान से बाहर आ जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या उस दोष का कारण विकिरणों के कारण कुछ पदार्थों का फूल जाना है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस समस्या का सामना करने के लिए भारत के पास आवश्यक तकनीकी जानकारी है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तारापुर परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट के रिऐक्टर की 89 गाइड ट्यूबों में से दो ट्यूबें जलीय-दाब से उत्पन्न घुमाव पैदा करने वाले बल-आपूर्ण के थर्मल-स्लीवों तक पहुंचने के कारण उन स्लीवों से अलग हो गई थी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इंडियन रेयर अर्थ्स द्वारा 1971-72 के दौरान उपार्जित विदेशी मुद्रा

8165. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन रेयर अर्थ्स ने वर्ष 1971-72 के दौरान किन मदों पर विदेशी मुद्रा उपार्जित की ; और

(ख) क्या निर्यात किये गये खनिजों की हमारे देश में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए आवश्यकता है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). वर्ष 1971-72 में, इण्डियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड ने इल्मेनाईट, विरल मृत्तिकाओं के यौगिकों, जर्कन, रूटाइल, सिलिमेनाइट, तथा गार्नेट के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित की। ये पदार्थ परमाणु ऊर्जा-कार्यक्रम के लिए आवश्यक होते है तथा इनका निर्यात आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद किया जाता हैं।

मंत्रियों द्वारा आयातित कारों का प्रयोग

8166. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन केन्द्रीय मंत्री तथा राज्य मंत्री आयातित कारों का प्रयोग कर रहे हैं ;

(ख) उनमें से प्रत्येक द्वारा प्रयोग की जाने वाली कारों के नाम क्या हैं ;

(ग) आयातित कारों के अतिरिक्त भारत में निर्मित कितनी कारों का प्रयोग कर रहे हैं ; और

(घ) मन्त्रियों की आयातित कारों के रख-रखाव पर गत वित्तीय-वर्ष में कुल कितना व्यय हुआ ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है। उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

परमाणु अनुसधान के क्षेत्र में विकास

8167. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **परमाणु उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) परमाणु ऊर्जा के प्रयोग से कितने स्थानों में बिजली का उत्पादन आरम्भ किया गया है ; और

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं, इस समय वहां कितनी बिजली पैदा की जा रही है और आगामी तीन वर्षों में कितनी बिजली पैदा की जायेगी ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण, मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन में पूरा विवरण दिया गया है, जिसकी प्रतियाँ संसद के सदस्यों को प्रसारित की जा चुकी है तथा संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग). तारापुर परमाणु बिजलीघर जिसकी उत्पादन क्षमता 420 मैगावाट है, में परमाणु ऊर्जा की सहायता से बिजली उत्पन्न की जा रही है। तारापुर परमाणु बिजलीघर, जिसका

निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है, के अलावा राजस्थान परमाणु बिजलीघर, जिसमें दो यूनिट होंगे तथा प्रत्येक यूनिट की शुद्ध उत्पादन क्षमता 200 मैगावट होगी तथा मद्रास परमाणु बिजलीघर, जिसमें भी दो यूनिट होगे तथा प्रत्येक की शुद्ध उत्पादन क्षमता 215 मैगावाट होगी, निर्माणाधीन है। आशा है कि राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दो यूनिट तथा मद्रास परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट आगामी तीन वर्षों में क्रान्तिकता प्राप्त कर लेंगे।

औद्योगिक विकास मंत्री का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता

8168. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 1971-72 के वित्तीय वर्ष में प्रत्येक महीने में कुल कितने यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का दावा किया है ; और

(ख) गत वर्ष उनके बिजली तथा टेलीफोन बिलों के लिए महीनेवार कितने धन का भुगतान किया गया ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1971-72 के वित्त वर्ष में औद्योगिक विकास मंत्री द्वारा लिये गये यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते की कुल राशि नीचे दी गई है :—

मास	यात्रा/दैनिक भत्ता	विवरण
मई, 1971	2,710.75	
जून, 1971	253.15	
जुलाई, 1971	4,337.00	
अगस्त, 1971	3,830.70*	*यह वास्तव में कार्यभार अधिग्रहण का व्यय है।
सितम्बर, 71	1,891.50	
अक्तूबर, 71	5,576.35	
नवम्बर, 71	2,250.00	
दिसम्बर, 71	829.00	
फरवरी, 72	1,672.00	
मार्च, 72	799.00	
योग	24,149.45	

(ख) वर्ष 1971-72 की अवधि में औद्योगिक विकास मंत्री के निवास स्थान (निवास के कार्यालय के भाग सहित) पर पानी और बिजली का खर्चा नीचे बताया गया है :—

मास	निवास स्थान पर रहने का भाग	निवास स्थान पर कार्यालय का भाग
अप्रैल, 1971	146.54	97.75
मई, 1971 जून, 1971	264.37	176.25
जुलाई 1971	254.16	302.77
अगस्त, 1971	386.86	257 90
सितम्बर, 1971	314.25	209 51
अक्तूबर, 1971	243.81	162.53
नवम्बर, 1971	264.86	176.57
दिसम्बर, 1971	374.40	249.61
जनवरी, 1972	327.05	218.04
फरवरी, 1972	348.15	232.10

ऐसा कथितव्य है कि निवास स्थान पर रहने के भाग में बिजली और पानी के लिए 2400/-रुपये प्रतिवर्ष (200/-रुपये प्रतिमाह) की अधिकतम सीमा निर्धारित है। फालतू खर्चे का मंत्री द्वारा भुगतान किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से मंत्री के निवास स्थान पर सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा प्रयोग की गई अधिक शक्ति की बत्तियों का खर्च भी बिजली के खर्चे में शामिल है क्योंकि यें बत्तिया निवास स्थान पर लगे मीटर से सम्बद्ध हैं।

औद्योगिक विकास मंत्री के निवास स्थान और कार्यालय में लगे टेलीफोनों का 1971-72 की अवधि में खर्च 57, 319.66 रुपये है।

टेलीफोनों के खर्च के माहवार आंकड़े देना सम्भव नहीं है क्योंकि इसके बिल मासिक आधार पर प्राप्त नहीं होते हैं।

समाचारपत्रों को 10 पृष्ठों के प्रतिबन्ध के बारे में न्यायालय का निर्णय

8169. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से समाचारपत्र ने 10 पृष्ठ के प्रतिबन्ध के विरुद्ध न्यायालयों से अपने पत्र में निर्णय ले लिया है ; और

(ख) न्यायालयों ने किन आधारों पर अपना निर्णय दिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख). किसी भी समाचार-पत्र ने 1972-73 के लिए अखबारी कागज आवण्टन सम्बन्धी नीति में

10 पृष्ठ के प्रतिबन्ध के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय या अन्य किसी भी न्यायालय से कोई निर्णय प्राप्त नहीं किया है । टाइम्स आफ इण्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स तथा एक्सप्रेस ग्रुप आफ न्यूजपेपर्स ने सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की हैं । उनको अन्तरिम निषेधाज्ञा प्रदान की गई है जिसमें उन्हें अपने-अपने अधिकृत कोटे के अन्दर-अन्दर पृष्ठों को बढ़ाने की अनुमति दी गई है । याचिकाओं पर सुनवाई 19 जुलाई, 1972 को होगी ।

दिल्ली में नये टेलीफोन एक्सचेंज

8170. श्री अमर नाथ चावला : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 में कितने नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले जायेंगे तथा वे कहां स्थापित किए जायेंगे और दिल्ली में उनके चालू होने की प्रस्तावित तिथियां क्या हैं ;

(ख) इन प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल क्षमता कितनी होगी ;

(ग) इन टेलीफोन एक्सचेंजों से नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए स्वीकृति कब तक दी जायेगी ; और

(घ) पुराने टेली कि इन टेलीफोन एक्सचेंजों से नए टेलीफोन एक्सचेंजों में कुछ लाइनें ं सुधार हो जायेगा तथा नये टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में से, जनसा ; कुल टेलीफोन कनेक्शनों में से ओ० वाई० टी० श्रेणी के तथा सामान्य लीफोन कनेक्शन दिये जायेंगे ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) : (क) (1) 5000 लाइनों की क्षमता के साथ ईदगाह टेलीफोन एक्सचेंज मई, 1972 में चालू हुआ । 9000 लाइनों तक इसका विस्तार करने के लिए काम चल रहा है । आशा है दिसम्बर 1972 तक यह विस्तार पूर्ण हो कर चालू हो जायेगा ।

(2) आशा है कि 3000 लाइनों का क्रासबार वाला जनपथ टेलीफोन एक्सचेंज जून 1972 में चालू हो जायेगा ।

(3) 4000 लाइनों की क्षमता वाले चाणक्यपुरी टेलीफोन एक्सचेंज के अगस्त 1972 तक खुल जाने की आशा है ।

(ख)

एक्सचेंज का नाम	**लाइनें चालू की गईं**	**चालू होने की संभावना**
ईदगाह	मई 1972 में 5000	दिसम्बर 1972 में 4000
जनपथ	शून्य	जून 1972 तक 3000
चाणक्यपुरी	शून्य	अगस्त 1972 तक 4000
जोड़	5000 लाइनें	11,000 लाइनें

(ग) एक्सचेंज चालू हो जाने के बाद उत्तरोत्तर नए कनेक्शन दिये जाएंगे बशर्ते कि जमीं-दोज केबुल उपलब्ध हों ।

(घ) विभागीय आदेशों के मुताबिक केजुअल, अस्थाई आदि टेलीफोनों के लिए पूरी क्षमता में से अधिक से अधिक 10 प्रतिशत कनेक्शन सुरक्षित करने के बाद बाकी क्षमता का बंटवारा नीचे लिखे ढंग से होता है ।

(1) ओ० वाई० टी० श्रेणी	70 प्रतिशत
(2) सामान्य श्रेणी	15 प्रतिशत
(3) विशेष श्रेणी	15 प्रतिशत

($7\frac{1}{2}\%$ बारी के आधार पर और $7\frac{1}{2}\%$ बिना बारी के टेलीफोन सलाहकार समिति की सिफारिश पर)

(विशेष श्रेणी में सार्वजनिक कार्यकर्त्ता, डाक्टर, सार्वजनिक संस्थाएं प्रेस, कृषि फार्म और लघु उद्योगों को शामिल किया गया है ।)

Entries in Statements Showing Recoveries Made by Police, of Various Articles

8171. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a large number of incidents have taken place in Delhi in which most of the articles recovered by the Police in the course of investigation are not correctly shown in the statement maintained by them ; and

(b) if so, the number of such incidents brought to the notice of Government during 1971-72 and the steps taken to stop this practice ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) It is incorrect that there have been a large number of such incidents.

(b) One. A Magisterial enquiry has been ordered which is in progress.

Funds Provided to Bihar For Providing Employment to Educated Unemployed

8172. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the funds provided by the planning Commission to Bihar during 1971-72 for providing employment to the educated unemployed persons ;

(b) the amount spent out of it and the manner in which it has been spent ; and

(c) how the remaining amount is proposed to be spent ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mahan Dharia) : (a) & (b). Out of a provision of about Rs. 25 crores in the Central Budget for formulating various schemes specially designed to meet the problem of educated unemployed, Rs.1.37 crores were allocated for such schemes to be undertaken by the Government of Bihar Scheme-wise details of funds allocated and actually released are given in the enclosed statement.

(c) The unspent amount will be adjusted suitably during 1972-73.

Statement

(Rs. lakhs)

S.No.	Ministry/Scheme	Funds	
		Allocated	Actually released
1	2.	3.	4.
1.	**Ministry of Education**		
	Improvement in the quality of Primary Education	65.97	65.97*
2.	**Ministry of Industrial Development**		
	Assistance to Small Entrepreneurs	65.00	Nil
3.	**Ministry of Irrigation and Power**		
	Rural Engineering Surveys	0.41	0.41*
4.	**Ministry of Agriculture**		
	(i) Agro-Service Centres	2.45	Nil
	(ii) Expansion of Cooperative Stores	Nil	Nil
5.	**Ministry of Shipping and Transport**		
	Advance action on investigation of Road works for Fifth Plan	1.65	1.65*
6.	**Ministry of Health**		
	Rural Water Supply	1.09	Nil
	Total	136.57	68.03

*Actual expenditure incurred is not yet available.

चौथी योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था करने हेतु अतिरिक्त धन राशि की आवश्यकता

8173. श्री पम्पन गोडा : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था करने हेतु कुछ अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य को कितनी अतिरिक्त धनराशि देने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन ने धन के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ससाधनों की उपलब्धि को लगभग उसी स्तर पर रखा है जैसा कि मूल रूप में परिकल्पित थी । फिर भी, वास्तव में यह आशा है कि संसाधनों में मूल रूप से लगाए गए अनुमानों से लगभग 1550 करोड़ रुपये की कमी होगी ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

(ग) राज्यों को अपने अनुमोदित राज्य योजना परिव्ययों को वित्तीय सहायता देने के लिए अतिरिक्त सहायता का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विदेशी मुद्रा का अनुचित रूप से व्यापार करने के कारण हुई वार्षिक हानि

8174. श्री पप्पन गौडा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा का अनुचित रूप से व्यापार करने के कारण औसतन वार्षिक कितनी हानि हुई है ; और

(ख) प्रवर्तन निदेशालय और केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने सम्बन्धित व्यक्तियों तथा कम्पनियों के विरुद्ध वर्ष 1970 तथा 1971 में कितने मुकदमें दायर किए हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) विदेशी मुद्रा के अवैध कारोबार के सम्बन्ध मे हुई हानि का अनुमान लगा सकना कठिन है ।

(ख) प्रवर्तन निदेशालय और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों तथा कम्पनियों के विरुद्ध वर्ष 1970 तथा 1971 में दायर किये गये मामले इस प्रकार है :—

वर्ष	प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किये गये मामलों की संख्या ।	ऐसे मामलों की सख्या जिनमें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में न्यायालय में आरोप-पत्र अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत शिकायतें दायर की गई थीं ।
1970	1828	3
1971	2021	5

सेवा विमुक्त किये गये आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों की अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति और अनुभाग अधिकारी के रूप में सीधी नियुक्ति के अधिकारियों के वेतन में अन्तर

8175. कुमारी कमला कुमारी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा विमुक्त किये गये आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों को अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्ति होने पर नियतन के तुलनीय वर्ष के सीधी भर्ती के अन्य अनुभाग अधिकारियों के समान वेतन नहीं दिया जा रहा है ; यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) इस विषमता को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). उन विमुक्त अधिकारियो का प्रारम्भिक वेतन, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं 9/18 69- स्थापना (ग) दिनाँक 25 मार्च, 1970 के अनुदेशों के साथ पठित विमुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा अल्प-कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों (रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1967/1971 के नियम 6 के अनुसार, निर्धारित किया जाता है, जिन्हें ऐसी सेवा की

आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया गया हो जिस पर कि भर्ती भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि की (विमुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों की) परीक्षा द्वारा की जानी है (इसमें अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में नियुक्त किये गये भी शामिल हैं)। उक्त नियमों के नियम 6 (1) (क) से ज्ञात होता है कि उन सेवाओं या पदों के मामले में, जिन पर कि भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों के आधार पर की जाती है, उनमें वह विमुक्त अधिकारी जो उपलब्ध पहले या दूसरे अवसर पर ही सफलतापूर्वक प्रतियोगिता प्राप्त कर लेता है, वह उसी प्रकार से पहले या दूसरे अवसर पर परीक्षा पास किया हुआ माना जाएगा, जैसे कि मानो वह सैनिक सेवा में भर्ती होने से पहले सम्बन्धित परीक्षा में बैठा हो और उसके तदनुसार ही आवंटन का वर्ष नियुक्त किया जाएगा उक्त नियमों और अनुदेशों के जारी करने के सम्बन्ध में अन्तर्निहित अभिप्राय यह हैं कि विमुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी और अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को वेतन-निर्धारण और वरीयता निर्धारण में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लाभ दिया जा सके कि उन्होंने सैनिक सेवा में रहने के कारण नियमित परीक्षाओं द्वारा सिविल सेवाओं में जाने के अवसर खो दिये थे। अतः जब कोई विमुक्त अधिकारी अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में आरक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जाता है तो उसकी नियुक्ति के वर्ष में उसे सीधी भर्ती वाला समझते हुए, उसे उच्चतर प्रारम्भिक वेतन निर्धारण की रियायत पहले ही दी जा रही है।

अमरीकी सहयोग से रिकार्डों का निर्माण

8176. कुमारी कमला कुमारी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा अमरीका के कोलम्बिया ब्राडकास्टिंग सिस्टम को लाइसेंस दिया गया है जिससे वह कुछ भारतीय उद्यमियों के सहयोग से रिकार्डों के निर्माण का कार्य स्थापित कर सके ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की रूप रेखा क्या है और कोलम्बिया ब्राडकास्टिंग सिस्टम अपना कार्य कब तक शुरू कर देगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). ग्रामोफोन रिकार्डों का उत्पादन उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन नहीं आता है क्योंकि यह वस्तु गैर-अनुसूचित उद्योग है।

नवम्बर, 1963 में मैं० वाटमीर इन्डस्ट्रीज, बम्बई को मैं० कोलम्बिया ब्राडकास्टिंग सिस्टम इंक, अमेरिका के सहयोग से ग्रामोफोन रिकार्डों के बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान की थी उन्हें इक्विटी अंशों में 49 प्रतिशत के सहयोग की स्वीकृति दी गई है। इस विषय के अन्तिम करार को अभिलिखित कर लिया गया है।

मैं० वटमीर इन्डस्ट्रीज को दिसम्बर, 1966 में रायल्टी के भुगतान के आधार पर विदेशी वस्तुभण्डार के निर्माण हेतु अमरीका की उसी पार्टी के साथ सहयोग की शर्तों के लिए स्वीकृति भी दे दी थी और सहयोग की स्वीकृति शर्तों सहित करार के अन्तिम रूप की प्रतीक्षा है। फरवरी, 1972 में फर्म ने इस मंत्रालय को रिकार्डों के उत्पादन को चालू करने की व्यवस्था के बारे में सूचित किया था।

मान्यता प्राप्त भारतीय तथा विदेशी संवाददाता

8177. कुमारी कमला कुमारी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी 1971 से 31 मार्च, 1972 के दौरान सरकार ने कुल कितने भारतीय तथा विदेशी प्रेस संवाददाताओं को प्रमाणपत्र दिये ; और

(ख) उनमे से बिहार तथा पश्चिम बंगाल के कितने संवाददाता थे तथा उनके नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) 77.

(ख) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित अवधि के दौरान, जबकि बिहार के किसी भी संगठन का कोई अतिरिक्त संवाददाता प्रत्यायित नहीं किया गया (1 जनवरी, 1971 तक प्रत्यायित संवाददाताओं को छोड़कर), पश्चिम बंगाल के समाचार संगठनों के निम्नलिखित संवाददाताओं को प्रत्यायित किया गया है (1 जनवरी 1971 तक प्रत्यायित 24 संवाददाताओं को छोड़कर) :—

1. श्री नित्य चक्रवर्ती (कालान्तर, कलकत्ता) ।
2. श्री एम० विश्वन (स्टेट्समैन, कलकत्ता तथा दिल्ली) ।
3. श्री नितीश चक्रवर्ती (आनन्द बाजार पत्रिका, कलकत्ता) ।
4. श्री एम. बैंकटेश (स्टेट्समैन, कलकत्ता तथा दिल्ली) ।

छोटे समाचारपत्रों के प्रत्यायित प्रतिनिधि

8178. कुमारी कमला कुमारी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचालित यात्राओं के बारे में छोटे समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों को प्रत्यायन सुविधाओं/अवसरों के मामले में अपेक्षाकृत उदार नीति अपनाई जा रही है ;

(ख) उड़ीसा और बिहार के छोटे समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों के जिलावार कितने आवेदन प्राप्त हुए ; और

(ग) कितने व्यक्तियों को प्रत्यय-पत्र जारी किए गए और उनके नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में बिहार के पटना और मुजफ्फरपुर से दो छोटे समाचारपत्रों ने दिल्ली में अपने संवाददाताओं को प्रत्यायित करने के लिए आवेदन किया था ।

इसी अवधि के दौरान उड़ीसा के किसी भी छोटे समाचारपत्र से कोई आवेदन-पत्र नहीं मिला ।

(ग) "विश्वबन्धु", पटना की ओर से दिसम्बर, 1970 में श्री मनमोहन प्रसाद को प्रत्यायित किया गया था। उनके समाचारपत्र के लिए काम बन्द कर देने के उपरान्त उनका प्रत्यायन समाप्त हो गया।

मैसर्स यूनियन कार्बाइड द्वारा लाइसेंस क्षमता से अधिक पीतल की चादरों का उत्पादन

8179. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री मैसर्स यूनियन कार्बाइड द्वारा टार्चों का लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन के बारे में 3 मई, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 663 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी एकक को लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन करने की अनुमति देने के लिए उसमें उल्लिखित शर्तें केवल भारतीय कम्पनियों पर ही लागू होती हैं अथवा विदेशी कम्पनियों पर भी ;

(ख) मैसर्स यूनियन कार्बाइड ने गत तीन वर्षों में टार्चों के उत्पादन के लिए कितनी पीतल की चादरों का उपयोग किया ;

(ग) क्या विभिन्न निर्माताओं को पीतल की चादरों का वितरण करने के बारे में कोई सांविधिक अथवा किसी अन्य प्रकार का नियन्त्रण है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने यूनियन कार्बाइड को पीतल की चादरों की इतनी अधिक मात्रा में दिये जाने की अनुमति दी है जिससे कि वे लाइसेंस क्षमता से 50 प्रतिशत अधिक टार्चों का उत्पादन कर सकें ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) एककों की लाइसेंसीकृत क्षमता के आगे उत्पादन में बढ़ोतरी के बारे में शर्तों की ढिलाई, भारतीय तथा विदेशी दोनों कम्पनियों पर लागू हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों में टार्चों के उत्पादन में निम्नलिखित मात्रा में पीतल की चादरों का उपयोग किया गया था।

	1969	1970	1971
		(मीट्रिक टनों में)	
प्रयुक्त पीतल की चद्दरें	426	600	677

(ग) पीतल की चद्दरों के वितरण पर तो कोई सांविधिक नियन्त्रण नींह है, परन्तु एक या दो बार सरकार के पास जब निर्माणकर्ता एकक पर्याप्त पीतल की चद्दरों के मिलने के विषय में कठिनाई लेकर पहुँचते हैं तो पीतल की चद्दरों के निर्माताओं के ध्यान में ऐसी कठिनाइयां लाई जाती हैं और उन्हें सहायता पहुंचाने का अनुरोध किया जाता है। साधारणतया, वे उद्योग जिन्हें पीतल की चद्दरों की आवश्यकता पड़ती है, चद्दरों के निर्माताओं के साथ मिलकर उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के सम्बन्ध में मास्को गया भारतीय प्रतिनिधिमण्डल

8280. श्री वी० एन० पी० सिंह : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम में सहयोग प्राप्त करने हेतु एक भारतीय प्रतिनिधि मण्ड़ल मास्को गया है ; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य उद्देश्य तथा बातें क्या हैं ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रानिकी मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस विषय पर जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

लक्षद्वीप द्वीपों का प्रशासकीय ढाँचा

8181. श्री वयालार रवि : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'टाइम्स वीकली' दिनांक 7 मई, 1972 में लक्षद्वीप द्वीपों में जीवन यापन की परिस्थितियों और वहां के प्रशासकीय ढांचे के बारे मे प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वहाँ पर शीघ्रता से सामाजिक और आर्थिक सुधार लाने के लिए प्रशासकीय ढांचे में और क्या परिवर्तन किए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) शीघ्रता से सामाजिक तथा आर्थिक सुधार लाने के लिए संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप, मिनीकोय तथा अमिनदीवि द्वीप समूह में वर्तमान प्रशासनिक ढांचे को पर्याप्त रूप में ठीक किया जाता है। प्रशासनिक ढाँचे में कोई बड़े परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

कालगेट पामोलिव (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड में लगाए गए कम्प्यूटर का लाभ एवं श्रमिकों पर प्रभाव

8182. श्री के० लकप्पा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कौलगेट पामोलिव (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी द्वारा बम्बई स्थित कार्यालय में कम्प्यूटर लगाये जाने के परिणाम-स्वरूप कम्पनी के लाभ में वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो लाभ में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है ; और

(ग) क्या उनके उत्पादों के मूल्य भी कम किए गए हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). सूचना इकठ्ठी की जा रही है सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र के मुअत्तिल कर्मचारी

8183. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र में गत तीन वर्षों में कितने कर्मचारियों को मुअत्तिल किया गया ;

(ख) कितने कर्मचारियों को दूसरा विवाह करने के आरोप में मुअत्तिल किया गया ; और

(ग) दूसरे विवाह के ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनके सम्बन्ध में आरोप-पत्र में अनेक बार परिवर्तन किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) 13.

(ख) तथा (ग). शून्य ।

कालगेट पामोलिव (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की बिक्री से आय

8184. श्री के० लकप्पा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलगेट पामोलिव (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड का अपने उत्पादों के निर्माण में एक अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी के साथ सहयोग है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सहयोग का स्वरूप क्या है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में कम्पनी को बिक्री से कितनी आय हुई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). मै० कोलगेट पामोलिव (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, अमरीका की मै० कोलगेट पामोलिव कम्पनी की शत प्रतिशत सहायक कम्पनी है ।

(ग) वर्ष 1968, 1969 और 1970 की अवधि में से इस कम्पनी की कुल बिक्री आय निम्न प्रकार है :—

वर्ष	रुपये (लाखों में)
1968	877.49
1969	944.39
1970	810.76

कम सामान देकर कालगेट पामोलिव (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कमाया गया लाभ

8185. श्री के० लकप्पा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कोलगेट पामोलिव (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी ने उपभोक्ताओं को अंकित मात्रा से कम मात्रा में सामान देकर बहुत अधिक लाभ कमाया है ; और

(ख) यदि हाँ तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). सरकार के पास इस तरह की शिकायतें आई है । उनकी जांच की जा रही है ।

यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते तथा अन्य भत्तों के रूप में मंत्रियों द्वारा व्यय की गई धनराशि

8186. श्री डी० के० पंडा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री द्वारा यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते, मरोरंजर भत्ते, मकानों के रखरखाव तथा किराये और अन्य प्रतिनिधियों तथा आर्थिक लाभों के रूप में कितनी धनराशि व्यय की गई ;

(ख) उनमें से प्रत्येक का यह व्यय उसके वेतन की तुलना में कितना है ; और

(ग) मंत्रियों के वेतन तथा अन्य व्यय के बीच औसत अनुपात क्या है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति दैनिक आय में विषमता

8187. श्री डी० के० पंडा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि ।

(क) क्या देश के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति दैनिक आय में भारी विषमता विद्यमान है ;

(ख) यदि हां, तो 1970-71, 1971-72 के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा समूचे देश के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) इन विषमताओं को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रानिकी मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). यह सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिव्यक्ति आय के अनुमान अलग-अलग नहीं तैयार किए

(ग) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली आयों के बीच की विषमताओं को दूर करने हेतु किए गए विभिन्न उपायों में से कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए योजना के अन्तर्गत कार्य-क्रम, छोटे किसानों के लिए विकास अभिकरण स्थापित करने, सीमान्त किसानों एवं खेतिहर मजदूरों के लिए परियोजनाएं, कृषि ऋणों का अभिवृद्ध प्रावधान, ग्राम रोजगार की त्वरित योजना, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्य-क्रम और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिकाधिक सुअवसर पैदा करने एव उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने हेंतु योजनाएं उल्लेखनीय हैं ।

भारत निर्मित ब्लैडों के मूल्य तथा किस्म

8188. श्री डी० के० पंडा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पता है कि इरास्मिक सिल्क-एज, अशोक स्टेनलैस स्टील और पनामा स्टेनलैस स्टील जैसे प्रचलित मुख्य किस्मों के ब्लेडों की किस्म भारत में उनका उत्पादन शुरू होने के पश्चात् से बहुत गिर गई है जब कि उनके मूल्यों में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन ब्लेडों की किस्म को पुनः सुधारने तथा मूल्यों को कम करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). देश में निर्मित रेजर ब्लेडों की किस्म में सुधार किया जा सकता है सरकार इस बात को जानती है। सरकार ने हाल ही में देशी निर्माताओं को उनके उत्पादों की किस्मों में विशेष सुधार के लिए उपयुक्त कदम उठाने की सलाह दी है। ब्लेडों के मूल्यों में वृद्धि मुख्यतया कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि होने की वजह से है। एक बड़े निर्माता एकक के बन्द होने से कुछ समय के लिए उत्पादन भी कम हो गया था। रेजर ब्लेडों के उत्पादन को बढ़ाने और प्रतियोगिता स्थापित करने के लिए अन्य एककों को लाइसेंस/आशय पत्र दिये गये हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में भारतीय सांख्यिकीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को पुनः रोजगार देना

8189. श्री इसहाक सम्भली : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड तीन के सेवा निवृत्ति से पूर्व अवकाश पर अधिकारियों अथवा कतिपय सेवा निवृत्त अधिकारियों को राष्ट्रीय नमूना और सर्वेक्षण में पुनः नियुक्त कर लिया गया है अथवा किया जा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और प्रत्येक मामले में पुनः नियुक्ति की अवधि कितनी है ;

(ख) क्या सरकार ऐसा करने के बारे में पुनः विचार करेगी क्योंकि भारतीय सांख्यिकीय सेवा के अधिकारियों के लिए ग्रेड तीन अथवा उससे ऊंचे पदों पर पदोन्नत के अवसर नहीं है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रानिकी मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता :

नागरिकों को नजरबन्द करने के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

8190. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने 26 अप्रैल, 1972 को यह निर्णय किया था, जैसा कि

27 अप्रैल, 1971 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है कि नागरिकों की नजरबन्दी के उन मामलों में जिनमें कार्यकारी प्राधिकारी अपने इस आत्मसन्तोष के आधार पर कार्यवाही करता है कि शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक है और जिनमें यह पाया जाता है कि ऐस नजरबन्दी के लिए यह कारण असंगत अथवा वास्तविक रूप में निराधार है, तो ऐसे मामलों में नजरबन्दी आदेश रद्द होना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) सरकार समाचार से परिचित है । उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त की जा रही है । उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारतीय क्षेत्र के अन्दर सभी न्यायालयों पर बाध्य हैं और निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त होने तथा उसका अध्ययन करने के पश्चात् आन्तरिक सुरक्षा (अनुरक्षण) अधिनियम 1971 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करने वाले सभी सक्षम प्राधिकारियों का ध्यान उच्चतम न्यायालय के निर्णय की ओर आकर्षित किया जाएगा ।

प्रधान मंत्री के अधीन विभिन्न विभागों में काम कर रहे अनुसूचित जातियों के अधिकारी

8191. **श्री अम्बेश :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री के अधीन विभागों में काम कर रहे प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों की संख्या कितनी है और उनमें से अनुसूचित जाति समुदायों के अधिकारियों की संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : 1-1-1971 तक की अपेक्षित सूचना को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3145/72]**

योजना आयोग के अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या

8192. **श्री अम्बेश :** क्या प्रधान **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग के कितने सदस्य हैं ;

(ख) योजना आयोग का सदस्य बनाने के लिए आवश्यक अर्हताएं क्या हैं ; और

(ग) उनमें से अनुसूचित जातियों के कितने सदस्य हैं ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रानिकी मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) चार (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़कर) ।

(ख) सदस्यों का चयन पूर्णतः उच्च पद के लिए उनकी उपयुक्तता के आधार पर किया जाता है ।

(ग) कोई नहीं ।

अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जातियों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाओं का दुरुपयोग

8193 **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० बी० डिपार्टमेंट समेत उनके मंत्रालय से संलग्न कार्यालयों में अनुसूचित जाति के चतुर्थ श्रेणी के बड़ी संख्या में कर्मचारियों को कार्यालय के काम के घण्टों में तथा उसके

पश्चात् अधिकारियों के निवास स्थानों पर घरेलू नौकरों, रसोईयों, ड्राईवरों तथा चौकीदार के रूप में कार्य करना पड़ता है ; और

(ख) इस प्रथा की रोक-थाम के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा अन्य विदेशों में अन्य नियुक्तियों के लिए प्रायोजित किए गए अनुसूचित जाति के व्यक्ति

8194. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में संयुक्त राष्ट्र सघ, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा विदेशों में नियुक्तियों और फैलोशिप तथा छात्र वृत्तियों के लिए अनुसूचित जाति के कितने व्यक्तियों को प्रायोजित किया गया ;

(ख) विदेशों में भारतीय दूतावासों में अनुसूचित जाति के कितने कर्मचारी हैं ; और

(ग) अनुसूचित जातियों के सदस्यों को ऐसे अवसर, उपलब्ध कराने के बारे में सरकार की नीति की मुख्य बातें क्या हैं जिससे कि समाज में पिछड़े वर्गों के विकास हेतु ऐसे प्रशिक्षण/नियुक्ति से पूरा लाभ उठाया जा सके ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) विदेशों में नियुक्तियों, फैलोशिप तथा विदेशों में छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रायोजित करने के लिए अलग आँकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ख) 52 ... ...

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों तथा विदेशी सरकारों के अधीन नियुक्तियों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है । ऐसी नियुक्तियों के लिए दूरदर्शी प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए और यह बात कि ऐसे मामलों में चयन विदेशी निकायों द्वारा किया जाता है, इसमें केवल उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों को जो कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वयं योग्यता प्राप्त कर सकें प्रायोजित किया जाता है । अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के अधीन नियुक्तियों के क्षेत्र में किसी भी देश के लिए आरक्षण नहीं है । जहाँ तक विदेशों में प्रशिक्षण का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में सरकार ने पहले ही अनुदेश जारी कर दिये हैं कि अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजते समय अनुसूचित जाति के अधिकारियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । सरकार ने विशेष रूप से इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि यह लाभप्रद होगा कि यदि विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अनुसूचित जातियों के अधिकारियों को शामिल किया जाये, क्योंकि इससे उनके ष्टिकोण को विकसित करने तथा उन्हें विशिष्ट ज्ञान प्रदान करने में सहायता मिलेगी । इन सम्प्रदाया क अधिकारियों के मनोबल में बृद्धि किए जाने की भी सम्भावना थी । चयन करते समय इन बातों को ध्यान में रखा जाता है ।

संगणकों का आयात तथा निर्माण

8195. श्री राज राज सिंह देव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी प्रकार के संगणकों तथा इलैक्ट्रोनिक उपकरणों के आयात तथा निर्यात के लिए मार्गदशी सिद्धांतों को अन्तिम रूप दिया है ;

(ख) यदि हां, तो वे मार्गदशी सिद्धांत क्या हैं ; और

(ग) कितने संगणकों को आयात किया जा रहा है और उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख). कंप्यूटरों तथा सम्बन्धित उपकरणों के निर्यात तथा निर्माण के सम्बन्ध में निर्णित मार्गदर्शी सिद्धांत नीचे दिये जाते हैं।

(1) आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से कप्यूटर के क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन तथा उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

(2) राष्ट्रीय-नीति के रूप में 'एज़ इज' मशीनों के नवीकरण पर आधारित किसी भी निर्माण-कार्यक्रम को भविष्य में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(3) भविष्य में कंप्यूटर प्रणाली के लिए सभी निर्माण कार्यक्रम उन दशाओं तथा शर्तों पर आधारित होंगे जो साधारणत: देश में सभी अन्य निर्माण कार्यक्रमों पर लागू होते हैं।

(4)बहुसंख्यक विदेशी सहयोग सहित निर्माण कार्य-क्रम साधारणत: केवल 10% निर्यात के आधार पर ही स्वीकार किये जायेंगे।

(5) सभी उपभोक्ताओं को अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पहले भारतीय बाजार में उपलब्ध कंप्यूटरों द्वारा पूरा करने का प्रयास करना चाहिए और इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय कप्यूटर केन्द्रों द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिये।

(6) कंप्यूटर, जो भारतीय बाजार में भारतीय निर्माण कार्य-क्रम के अलावा उपलब्ध हैं; आयात की मदों में खर्चीले सिद्ध होंगे। तदनुसार घरेलू कंप्यूटर सुविधाओं के लिये आवश्यकताओं, जिसमें ऐसे सिस्टम का आयात सम्मिलित है , मामले के गुणों के आधार पर विचार करना होगा, जैसा कि ऐसे आवेदन पत्रों को सार्थकता के विषय में देखा गया है जो राष्ट्रीय विकास कार्य-क्रम तथा संबधित प्राथमिकता पर आधारित हैं।

(ग) उपर्युक्त मार्गदशी सिद्धान्तों के प्रसंग में इलैक्ट्रानिक विभाग कंप्यूटरों के आयात प्रस्तावों की जाँच विशेष रूप से कर रहा है।

भारत के नियंत्रणाधीन क्षेत्रों में रहने वाले पाकिस्तानियों को राहत देने हेतु सहायता

8196. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रणाधीन पाकिस्तानी क्षेत्र की जनता को राहत देने के लिए गुजरात सरकार ने केन्द्र से सहायता माँगी है ;

(ख) क्या सरकार को नगरपारकर की जनता से इस आशय का अभ्यावेदन भी प्राप्त हुआ है कि अपनी जीविका अर्जित करने में असमर्थता के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) . नगरपारकर क्षेत्र के कुछ हरिजनों से केवल एक अभ्यावेदन जिसमें रोजगार देने के लिये अनुरोध किया है प्राप्त हुआ है । हमारे अधीन पाकिस्तानी क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं से सरकार पूरी तरह अवगत है और उनकी हिफाजत और सुरक्षा, आवश्यक वस्तुओं के निर्बाध सम्भरण तथा यथोचित चिकित्सा के लिए उपाय किए गये हैं। निर्धन व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध की जा रही है । गुजरात सरकार ने लोगों को अल्पकालिक रोजगार उपलब्ध करने के लिए कुछ योजनायें बनाई हैं। योजनाओं को सिद्धान्त रूप में भारत सरकार ने सहमति दे दी है और राज्य सरकार उन्हें कार्यान्वित करने के लिए कदम उठा रही है। अधीनस्थ क्षेत्रों का पूर्ण व्यय भारत सरकार वहन कर रही है।

अपर्याप्त डाक कर्मचारी

8197. **श्री के० कोंडंडारामी रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय जो डाक कर्मचारी हैं वे विभाग की आवश्यकताओं को पूरा करने में अपर्याप्त हैं ;

(ख) क्या विभाग में बड़ी संख्या में लोगों की भर्ती करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हाँ, तो कितने लोगों को भर्ती किया जाएगा और किन वर्गों में ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) स्टाफ मंजूर करने के लिए जो मानदण्ड निर्धारित हैं, वे इतने पर्याप्त हैं कि उनसे जरूरत पूरी हो जाती है। वस्तुत: विभाग की जरूरतों के मुताबिक पर्याप्त स्टाफ पहले से ही काम कर रहा है । यदि कोई कमी है भी तो वह हर सर्किल में अलग-अलग है और यह कमी कुल मिलाकर ज्यादा नहीं है।

(ख) और (ग) . साल में एक या दो बार भर्ती के नियमों के अनुसार पदों की श्रेणियों के आधार पर सर्किल और डिवीजन स्तरों पर कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। अत: विभिन्न भर्ती की यूनिटों में विभिन्न काडरों में कितनी भर्ती हुई है, इसके ठीक-ठीक आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं। विभिन्न यूनिटें अपने यहां विभिन्न श्रेणियों में भर्ती किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या विज्ञापनों के माध्यम से एलान करती हैं और जहां कहीं जरूरी होता है, रोजगार दफ्तर को भी इसकी इत्तिला की जाती है।

दृश्य, श्रव्य प्रचार निदेशालय द्वारा छोटा नागपुर के साप्ताहिक पत्रिकाओं को विज्ञापन देना

8198. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दृश्य, श्रव्य प्रचार निदेशालय विज्ञापन देने के बारे में बिहार में छोटा नागपुर की छोटी साप्ताहिक पत्रिकाओं की उपेक्षा करता है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो छोटा नागपुर में छोटे साप्ताहिक पत्रिकाओं की संख्या कितनी है और उनमें से कितनी को दृश्य, श्रव्य प्रचार निदेशालय से विज्ञापन प्राप्त हो रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) . जी, नहीं। सरकार की यह नीति है कि छोटे तथा मझोले दर्जे के समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं, विशेषकर भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं, को प्रचार आवश्यकताओं तथा धन की उपलब्धि के अनुसार अधिकाधिक प्रयोग किया जाए, बशर्ते कि प्रकाशन इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति करते हों।

भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार के रिकार्ड के अनुसार छोटा नागपुर से 21 साप्ताहिक प्रकाशित होते हैं । इनमें से 4 साप्ताहिक केन्द्रीय सरकार के विज्ञापनों के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं तथा 2 और उसकी मीडिया सूची में हैं । 3 साप्ताहिकों की प्रार्थना प्रकाशन में अनियमितता या खपत संख्या कम होने के कारण स्वीकार नहीं की जा सकी। दो साप्ताहिकों के मामले अभी विचाराधीन हैं। अन्य साप्ताहिकों से कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय डाक संहिता

8199. श्री प्रसन्न भाई मेहता क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग राष्ट्रीय डाक संहिता लागू करने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय डाक कूट (कोड) एक प्रणाली है जिसमें कुछ निश्चित संख्याओं या वर्णमाला के अक्षरों या दोनों के मेल से बने कूटों के जरिये देश भर के डिलीवरी डाकघरों की जानकारी दी जाती है । जब जनता अपने पत्रों में परम्परागत पत्रों के साथ इन कूटों का भी हवाला दे देती है, तो ऐसी डाक की छंटाई में आसानी होती है और उसमें यह भी सुभीता हो जाता है कि किस स्थान की डाक किस मार्ग से भेजी जाए। भारत के लिए एक समुचित राष्ट्रीय डाक कूट अभी निर्माणाधीन है।

वैज्ञानिकों की भर्ती

8200. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों की भर्ती करने हेतु कोई नया सूत्र बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य परिवर्तन किए गये हैं ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) . विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर मंत्रियों के स्थायी दल ने योजना-विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। उस समिति में कर्मचारी विभाग के राज्यमंत्री और मंत्रीमंडल सचिव शामिल हैं। यह समिति संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से वैज्ञानिक कर्मचारियों की भर्ती करने वाले वैज्ञानिक संगठनों और विभागों की भर्ती के नियम तथा उनकी कर्मचारी नीति का पुनर्विलोकन करेगी। समिति अभी अपने कार्यों में व्यस्त है।

A.I.R. Programme 'Apne Desh Ki Bat"

8201. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the object of the programme broadcast under the title "Apne Desh ki Bat" over Delhi Radio during 1971 and the number of titles thus broadcast ;

(b) the reasons for discontinuing such an informative and popular programme ; and

(c) the steps being taken to reintroduce this programme ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) To inform people about development activities and matters relating to National Integration in the country. Number of talks/features broadcast in the series was 262 during 1971.

(b) As this programme has been broadcast regularly for over a year, it was decided to give it a break to avoid monotony.

(c) It is proposed to resume this programme from August this year.

Acceptance of Hindi and Nepali Manuscripts in External Services Division of Akashvani

8202. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the rules for accepting the manuscripts of Hindi and Nepali programmes broadcast by the External Service Programme Division of Akashvani ;

(b) whether this year Division has discountinued accepting the manuscripts from senior writers who have been contributing regularly upto last year and thus gained much popularity ; and

(c) the steps contemplated ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) In accordance with the normal practice followed in All India Radio, unsolicited scripts received in the External Services Division are assessed regarding their suitability for broadcast and unsuitable scripts returned to contributors.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

नैनी स्थित इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज यूनिट में नौकरी के लिए उत्तर प्रदेश से प्रतिनियुक्ति पर लिए गये अधिकारी

8203. श्री एस० एन० मिश्र : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैनी, इलाहाबाद में स्थापित की जा रही इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज यूनिट में नौकरी के लिए उत्तर-प्रदेश सरकार से कुछ अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर लिए गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत वे किन पद पर थे तथा वहां उन्हें कितना वेतन मिल रहा था ; और

(ग) इसकी शर्तें क्या हैं और नैनी स्थित इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज में उन्हें किन पदों पर नियुक्त किया गया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) . जी हां । केवल एक अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के उप श्रम आयुक्त श्री एस० एन० सक्सेना को इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के नैनी एकक में उपनियुक्ति पर तैनात किया गया है । अपने विभाग में स्थायी पद पर वे 1200 रु० मासिक प्राप्त कर रहे थे । वे 1150-1500 रु० के वेतन वर्ग में नैनी एकक में, कार्मिक तथा प्रशासन प्रबन्धक के पद पर कार्य कर रहे हैं । उनकी प्रतिनियुक्ति की शर्तों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

Revision of Pay Scales for T.V. staff Artistes

8204. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the Secretary and Joint-Secretary of her Ministry had given an assurance to the Staff Artistes of the A.I.R. a few months back that new pay scales for the Staff Artistes of Television were under consideration separately and would be announced shortly, but nothing has so far been done in this regard ; and

(b) if so, the reasons therefor and the time by which new pay scales would be announced ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

उड़ीसा में मैडिकल बिलों की हेरा फेरी करने वाला गिरोह

8205. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री अर्जुन सेठी : } क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में डाक तथा तार विभाग के कतिपय अधिकारियों ने कुछ डाक्टरों और औषधि विक्रेताओं के साथ मिलकर मैडिकल बिलों में हेराफेरी करने वाला एक गिरोह बनाया है जिसने केवल एक वर्ष में लगभग 50 लाख रुपये की हेराफेरी की है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) : और (ख) . इस सम्बन्ध में एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) . मैडिकल बिलों में हेराफेरी करने वालों में डाक-तार विभाग काको ई राजपत्रित अधिकारी नहीं है । फिर भी ऐसा लगता है कि 1971-72 के दौरान काफी बड़ी संख्या में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के डाक-तार कर्मचारियों ने डाक्टरों और औषधि विक्रेताओं

से सांठ-गाँठ करके जाली मैडिकल बिल बनाये और उनका भुगतान प्राप्त किया। बिलों के साथ अपेक्षित केश मेमों और डाक्टरों के प्रमाणपत्र भी लगाये गये थे। तकनीकी दृष्टि से उन बिलों में कोई गलती नहीं थी, इसलिए उनका भुगतान कर दिया गया। 1971-72 में उडीसा सर्किल में मैडिकल बिलों के भुगतान पर कुल 43 लाख 11 हजार रूपये की राशि खर्च की गई। ऐसे मामले जो पहली नजर में ही जाली जैसे मालूम हुए उनकी रिपोर्ट विशेष पुलिस स्थापना को कर दी गई और उनकी तफतीश हो रही है।

जिन डाक्टरों के संबंध में इस बात का शक है कि उनकी कर्मचारियों के साथ साँठ-गांठ है, उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को कर दी गई है। इन डाक्टरों ने डाक-तार कर्मचारियों से जितनी रकमें मेडिकल बिलो पर फीस के रूप में वसूल कीं, उनका हवाला देते हुए इसकी रिपोर्ट आयकर अधिकारियों को भी भेज दी गई है।

मैसर्स प्रजा शेकरी उद्योग भरतपुर द्वारा एकत्रित की गई शेयर-पूंजी

8206. **श्री अजीज इमाम :**
श्री सतपाल कपूर : } क्या औद्योगिक विकास मंत्री सरकारी क्षेत्र में अपोलो स्कूटर के निर्माण के बारे में 17 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6395 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स प्रजा शेकरी उद्योग भरतपुर लिमिटेड द्वारा अब तक कितनी शेयर पूंजी एकत्रित की गई है ;

(ख) क्या शेयर पूँजी पंजाब नेशनल बैंक, भरतपुर में सुरक्षित रखी हुई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह राशि सम्बन्धी व्यक्तियों को लौटा दी जाए, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 6,06,010 रुपये।

(ख) समिति के मामलों की जांच पूरी हो जाने तक इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कि समिति को बैंक खाते से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा, राजस्थान सरकार ने आवश्यक व्यवस्था कर ली है।

(ग) अंश धन वापस करने के प्रश्न पर जांच पूरी हो जाने के बाद विचार किया जायेगा।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची

8207. श्री कार्तिक उरांव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की सूची में किसी जाति को सम्मलित करने के लिए निर्धारित कसौटी एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त समान हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो असमानता के कारण क्या हैं;

(ग) क्या किसी भी न्यायालय में कोई भी व्यक्ति यह सिद्ध करने के लिए साक्ष्य दे सकता है कि वह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति का सदस्य है ; और

(घ) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति की सूचि के बारे में राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद भी न्यायालय को अधिकार है कि उस सूची में ससोधन कर दें ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) . अनुच्छेद 341 तथा 342 के अधीन राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा दोनों अनुसूचियों में शामिल की जाने वाली जाति को निर्दिष्ट करता है । सूची का संसद के एक अधिनियम द्वारा संशोधन किया जा सकता है । संसद के निर्णय को किसी निर्धारित कसौटी द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता । संसद में एक बार निर्णय किए जाने पर वह अन्तिम होता है और कोई न्यायालय इसमें सन्देह व्यक्त नहीं कर सकता कि किसी जाति को अनुसूची में होना चाहिये अथवा नहीं । वास्तव में न्यायालय को यह निश्चय करने में कोई नहीं रोक सकता है कि क्या कोई व्यक्ति विशेष किसी जाति विशेष से सम्बन्ध रखता है ।

विदेशों द्वारा बड़े उद्योग स्थापित किया जाना और उनका पूंजी निवेश

8208. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशों ने भारत में बड़े उद्योग स्थापित करने के लिये सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत में उनके पूंजी निवेश के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) . भारत में विदेशी सहयोग वाले उद्योगों की स्थापना के प्रस्ताव प्रायः उनके भारतीय सहयोगियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं ऐसे सभी प्रस्तावों पर अलग-अलग इस विषय पर सरकार की नीति के अनुसार विचार किया जाता है ।

वर्ष 1971 और 1972 (जनवरी-मार्च) की अवधि में सरकार ने क्रमशः 583.81 लाख रुपये और 51.2 लाख रुपये के विदेशी पूंजी निवेश की स्वीकृति दी है ।

Issue of Wrong Certificates Regarding Circulation of 'Avantika' by Chartered Accountant

8209. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3262 on the 19th April, 1972 regarding incorrect circulation on figure of Avantika Ujjain and state :

(a) the number of times certificates were given to the Hindi Daily 'Avantika' by the Chartered Accountant in regard to circulation and consumption of newsprint and on which dates ;

(b) whether Government propose to take action against the said Chartered Accountant so as to refrain him from issuing wrong certificate in future ;

(c) whether Government have inspected the Register of the said newspaper which indicates circulation of the paper to various place ;

(d) whether Government propose to contact the agents of the said paper to ascertain the factual figures ; and

(e) the number of its copies being sold in Ujjain and other places alongwith their names and the number of copies which are returned everyday ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharm Bir Sinha) : (a) The Office of the Registrar of Newspapers for India has, on its records, 7 Chartered Accountant's Certificates furnished by the publisher of 'Avantika'—three dated 19.8.1969, 14.7.1970, and 23.6.1971 in connection with his applications for newsprint and four dated 27.2.1969, 24.1.1970, 25 2.1971 and 24.2.1972, in respect of paper's circulation claims in the Annual Statements.

(b) Action is initiated against a Chartered Accountant only when a **prima facie** case of mala fides has been established. No such case has so far been established against the Chartered Accountant who gave these Certificates.

(c) The relevant records for the years 1969 and 1970 were inspected when a circulation check of the daily was carried out in February, 1971.

(d) No, Sir.

(e) The circulation of the daily for 1969 and 1970 has been assessed at 2,500 copies' which includes copies sold at Ujjain and in other places as well as complimentary copies unsold returns etc. As per statements filed by the publisher with R.N.I., the average number of unsold copies has been claimed as follows :

1968-69	.....	nil
1969-70	.....	59 copies
1970-71	.....	77 copies

Information in regard to the number of copies sold, and unsold copies returned, centerwise is not available.

औद्योगिक विकास के लिए केरल से योजना

8210. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास हेतु हाल ही में कोई योजना तैयार की है और इसे मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) . इस प्रकार की कोई योजना औद्योगिक विकास मन्त्रालय को प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

क्विलोकन (केरल) में उद्योग स्थापित करना

8211. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में औद्योगिक एकक स्थापित करने हेतु लाइसेंस के लिए दिये गये कुछ आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ख) क्या उनमें से किसी को केरल राज्य के विवलोकन जिले में स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) . केरल राज्य में नये उपक्रम स्थापित करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस प्राप्ति के 18 आवेदन पत्र लंबित हैं । इनमें से कोई भी आवेदन पत्र किलोन जिले में नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये नहीं है ।

केरल के पिछड़े हुए जिले में उद्योग

8212. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के कितने उद्योग केरल राज्य के पिछड़े हुए जिलों में स्थापित हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : वित्तीय संस्थाओं द्वारा रियायती दर पर धन देने के लिये केरल के त्रिवेन्द्रम, कैनानूर, त्रिचूर, मडप्पुरम और अलेप्पी जिलों को वहां पर उद्योग शुरु करने के लिये पिछड़ा घोषित किया गया है । केन्द्र के सरकारी क्षेत्र में हिन्दुस्तान लेरेक्स लि० की स्थापना त्रिवेन्द्रम जिले में की गई है । इन जिलों के गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की संख्या के विषय में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

रायल सीमा के लए तेलंगाना क्षेत्रीय समिति जैसी क्षेत्रीय समिति

8213. श्री के० कोडण्डा रामी रेड्डी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र के विधायकों ने अपने ज्ञापन में प्रधान मन्त्री से अनुरोध किया है कि रायलसीमा क्षेत्र के लिए तेलंगाना क्षेत्रीय समिति जैसी एक क्षेत्रीय समिति गठित की जाये ;

(ख) उक्त ज्ञापन में अन्य क्या मांगें की गई हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) . दिनांक 28 अप्रैल, 1972 को हैदराबाद में रायलसीमा के विधायकों द्वारा प्रधान मन्त्री को एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ तेलंगाना क्षेत्रीय समिति की रूपरेखा पर रायलसीमा जिलों के लिये क्षेत्रीय समिति स्थापित करने की मांग की गई है । ज्ञापन में की गई अन्य मांगे इस प्रकार हैं ;—

(i) अकाल समाप्त करने के लिए आपातकालीन उपायों के रूप में सरकार द्वारा 'कुएं खोदने की परियोजनाएं' हाथ में लेनी चाहिएं ।

(ii) 'कुएं खोदने की परियोजना' के प्रभावी कार्यान्वियन के लिए विद्युत आवश्यक है । अतः इस समय कार्यान्वित की जा रही श्रीसैलम पन-बिजली परियोजना को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले सकती है और इसको शीघ्र पूरा कर सकती है ।

(iii) लोहा ढालने का संयंत्र, कागज संयंत्र, ट्रेक्टर संयंत्र, तेल के इंजन तथा पम्पसेट बनाने का संयंत्र, खाद का कारखाना, चीनी के कारखाने जैसे उद्योग तथा अन्य

खनिज पर आधारित उद्योगों को इस क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने तथा आर्थिक पिछड़ापन दूर करने के लिए प्रारम्भ किये जाय ।

(iv) ग्राम योजना के लाभकारी प्रतिशत विवरण की शर्त को समाप्त करके रायलसीमा जिले में ग्रामों का विद्युतीकरण होना चाहिए ।

(v) कुरनूल और कुडाप्पा जिलों में 6 लाख एकड़ क्षेत्र की सिंचाई के लिए पुराने सिद्धेश्वरम् (कृष्णा मैनार) परियोजना की पूर्वी तथा पश्चिमी नहरों को श्रीसैलम परियोजना के अगले किनारों से चलाना चाहिए ।

(vi) सभी गावों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिले में चार रिंग लगाने चाहिएं ।

(vii) स्थाई रूप से अकाल समाप्त करने के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रायलसीमा के प्रत्येक जिले के लिए एक धन राशि जो 50 करोड़ रुपये से कम न हो आवंटित करना चाहिए । इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सरकार को जीवन बीमा, विश्व बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना चाहिए ।

(ग) रायलसीमा के लोगों का कल्याण करने की विधायकों की भावना को सरकार समझती है । इस उद्देश्य की पूर्ति योजनाबद्ध विकास से प्राप्त हो सकती है और राज्य सरकार ने वार्षिक योजना व्यय आवंटित करने में रायलसीमा क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखा है ।

रायलसीमा (आंध्र प्रदेश) में उद्योग

8214. श्री के० कोडण्डा रामी रेड्डी : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश की रायलसीमा क्षेत्र में वर्ष 1969-70 से लेकर अब तक कितने नये बड़े, मध्यम दर्जे के और लघु उद्योग स्थापित किए गये हैं और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) इन उद्योगों में केन्द्र, राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थानों द्वारा कितना धन लगाया गया है ; और

(ग) उक्त क्षेत्र में वर्ष 1972-73 में कितने और कौन-कौन से उद्योग स्थापित करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ग) . आंध्र-प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर, राज्य के रायलसीमा क्षेत्र में संलग्न अनुबन्ध के अनुसार 19 मध्यम क्षेत्र के एकक, 2 भारी औद्योगिक एकक और 6 नये एकक हैं । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या** एल० टी० 3146/72] इन एककों के लगाने की तिथि और लघु क्षेत्र के एककों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) उस क्षेत्र में कोई केन्द्रीय औद्योगिक योजना नहीं है इसलिए राज्य सरकार और वित्तीय संस्थानों द्वारा लगाई गई पूंजी के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री टी० प्रकाशम पन्थूलू की जन्म शताब्दी के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी करना

8215. श्री के० कोडण्डा रामी रेड्डी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि महान नेता श्री टी०प्रकाशम पन्थूलू की जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर उनकी स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) श्री टी० प्रकाशम् पंथूलु की स्मृति में सन् 1972 में एक डाक टिकट जारी करने का निश्चय किया गया है ।

आंध्र प्रदेश में परमाणु बिजली-घर

8216. श्री के० कोडण्डा रामी रेड्डी : क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थल चयन समिति ने यह सिफारिश की थी कि परमाणु बिजली-घर की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में सोमसिला सर्वश्रेष्ठ स्थान है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर प्रारम्भिक कार्य आरम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा ।ंत्री, इलेक्ट्रानिकी मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) जी, नहीं । स्थल चयन समिति ने दक्षिणी विद्युत क्षेत्र में स्थलों की जाँच का कार्य अभी तक पूरा नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लक्ष्मवर्ग में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की वर्कशाप स्थापित करने के बारे में प्रस्ताव

8217. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का विचार लक्ष्मवर्ग में एक वर्कशाप स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्कशाप की स्थापना करने में कितना व्यय आयेगा ; और

(ग) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का विचार अन्य देशों में भी ऐसी वर्कशापें स्थापित करने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लक्ष्मवर्ग में एक असेम्बली बेस' स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ।

(ख) इसकी स्थापना पर 15 लाख रुपये का पूंजीगत व्यय होने का अनुमान है ।

(ग) जी, नहीं ।

आन्ध्र प्रदेश द्वारा बनाई गई क्षेत्रीयकरण योजना

8218. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने राज्य सरकार द्वारा बनाई गई तथा केन्द्र को प्रस्तुत की गई क्षेत्रीय करण योजना के बारे में कहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य आन्ध्र प्रदेश में सेवा संवर्गों का क्षेत्रीयकरण करने की स्कीम का हवाला दे रहे हैं। यदि ऐसा है तो, राज्य सरकार ने 32 विभागों के सेवा संवर्गों का क्षेत्रीयकरण करने के बारे में हाल ही में आर्थिक विभाग (मंत्री मंडल सचिवालय) के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव भेजे हैं।

(ख) स्कीम की मुख्य विशेषता यह है कि, जहां कहीं सम्भव हो प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य व्यापी सेवा संवर्गों को विभक्त कर दिया जाय। प्रत्येक विभाग के लिए विस्तृत स्कीम की जांच की जा रही है।

विकसित तथा पिछड़े वर्गों के लिए लाइसेंस जारी करना

8219. श्री निहार लास्कर :
श्री ज्योतिर्मय बसु : } : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य के विकसित तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : अपेक्षित सूचना बताने वाला एक विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

राज्य	पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एककों की स्थापना से सम्बन्धित दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या			पिछड़े क्षेत्रों से इतर क्षेत्रों में औद्योगिक एककों की स्थापना से सम्बन्धित दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या		
	1969	1970	1971	1969	1970	1971
1. आन्ध्र प्रदेश	2	1	5	4	13	34
2. आसाम	1	1	4	–	–	1
3. बिहार	1	6	4	7	16	20
4. दिल्ली	–	–	–	2	3	12
5. गुजरात	1	3	4	18	34	63
6. हिमाचल प्रदेश	–	–	–	--	--	1
7. हरियाणा	--	2	1	6	25	32

	1969	1970	1971	1969	1970	1971
8. जम्मू और काश्मीर	--	--	1	--	--	1
9. केरल	-	-	-	2	20	7
10. मध्य प्रदेश	-	-	3	3	2	11
11. महाराष्ट्र	3	15	6	78	91	162
12. मैसूर	7	4	3	4	13	16
13. उड़ीसा	1	1	1	2	3	7
14. पाण्डेचेरी	-	-	-	-	-	1
15. पंजाब	-	2	-	1	9	13
16. राजस्थान	-	2	7	-	5	9
17. तमिलनाडु	4	13	12	8	22	40
18. उत्तर प्रदेश	-	1	4	8	25	44
19. पश्चिम बंगाल	5	8	12	59	33	72
20. एक से ज्यादा राज्य	--	--	--	--	--	3

Supply of Water to Rural Areas

8220. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether a time-bound programme has been chalked out to complete exploration work in conection with supply of water to the rural areas by the end of the Fourth Plan ;

(b) if so, whether the Government of Rajasthan have also chalked out a similar programme ; and

(c) if so, the names of the villages in Pali District to be benefited by this scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) to (c) During the Fourth Five Year Plan, an allocation of Rs. 25 crores has been made for rural water supply by the States in their State Plans. This is twice the amount provided in all the earlier three Plans. With this, it is intended to cover as many of villages as possible and preference has been given to difficult and scarcity areas and to areas endemic to various forms of diseases.

For the implementation of this programme, arrangements have been made to procure r00 high speed drilling rigs for rocky areas from the UNICEF, out of which, 50 have been leceived during the first three years and the remaining would be received during the last two years of the 4th Plan.

As a further measure to accelerate this programme, a special scheme of 100% Central assistance for rural water supply has been formulated and a provision of Rs. 15 crores has been made in the budget for 1972-73. Under the special programme, water supply schemes to serve compact areas suffering from scarcity or having villages endemic to cholera or guine-worm infestation or other such problems will be undertaken. Preference will be given to the needs of the weaker sections such as tribals, harijans and other backward classes.

There is a provision of Rs. 20 crores in the Rajasthan State Plan for tackling the problem of rural water supply. Against this, the anticipated expenditure during the first 3

years of the Plan has been of the order of Rs. 7.78 crores. For the Annual Plan 1972-73 an amount of about Rs. 6 crores has been approved.

The Rajasthan Government have not as yet sent up schemes under the Special Scheme of 100% Central Assistance.

Regarding the names of villages in Pali District to be benefitted by this scheme, the Planning Commission has no information.

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में अनुसंधान तथा विकास कार्य

8221. **श्री फतह सिंह राय गायकवाड़** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने कोई अनुसंधान तथा विकास संगठन स्थापित नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उपक्रम में अनुसंधान कार्य को प्रोत्सहान देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने एक डिजायन विकास और अनुसन्धान विभाग स्थापित किया है जो 1962 से कार्य कर रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Firing as a Result of Looting of Crops in Uttar Pradesh

8222. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a high ranking Officer of Bihar State entered the territory of Uttar Pradesh along with the Police force during the last week of March, 1972 and got the crop looted resulting in the opening of fire there ;

(b) whether the situation there continues to be tense even now ; and

(c) if so, the effective measures being taken by Government to resolve the issue ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : **(a) to (c).** The information is awaited from the authorities concerned and the same will be placed on the Table of the Sabha on receipt.

6 महीने से कम कारावास का दण्ड भुगतने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन

8223. **श्री एस० एन० सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उन स्वतन्त्रता सेनानियों, जिन्होंने 6 महीने से कम कारावास का दण्ड भुगता है, किन्तु जिन्हें सदा के लिए सरकारी सेवा से हाथ धोना पड़ा अथवा समय से पूर्व सेवा से निवृत्त होना पड़ा, या ऐसी ही अन्य कठिनाई उठानी पड़ी, को केन्द्रीय सरकार का विचार पेंशन देने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) भारत सरकार द्वारा बनाई गई योजना केवल उन्हीं स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए है, जिन्होंने मुख्य भूमि की जेलों में कम से कम छः महीने की कैद काटी है। शहीदों तथा जो स्वतन्त्रता सेनानी अब जीवित हैं उन के परिवार भी इस योजना के अन्तर्गत आते हैं।

Secret Documents Recoverd from Pak Spies Arrested in Bikaner (Rajasthan)

8224. Dr. Laxminarain Pandey:
Shri Phool Chand Verma:
Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that two Pakistani spies have recently been arrested in Bikaner (Rajasthan);

(b) if so, whether some secret documents have been recovered from them;

(c) whether some more Pakistani spies are reported to be active in that area; and

(d) if so, the full facts thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha): **(a) & (b).** Two persons suspected to be Pak spies were arrested in Bikaner on the 8th May, 1972. No secret documents were recovered from them. As the case is under investigation it would not be in public interest to disclose further details at this stage.

(c) Government have no such information.

(d) Does not arise.

छुआछूत बरतने के मामले दर्ज करना और इस सम्बंध में दण्डित किये गये व्यक्ति

8225. श्री शशि भूषण : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार छुआछूत बरतने के कुल कितने मामले दर्ज किए गए हैं और इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में विज्ञान अकादमी की स्थापना

8226. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश राज्य में विज्ञान अकादमी की स्थापना करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : जी नहीं।

यह कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित वैज्ञानिकों का है कि वे अपनी अकादमी अथवा वैज्ञानिक संस्थायें स्थापित करें।

दिल्ली के नागरिक सुरक्षा संगठन में स्टाफ कार के प्रयोग के सम्बन्ध में 16 दिसम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4953 के उत्तर में शुद्धि

Correction of answer to U.S.Q. No. 4953 dated December, 16, 1970 be Use of Staff Car in Civil Defence organisation of Delhi.

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : दिसम्बर, 1970 में नागरिक प्रतिरक्षा दिल्ली के निदेशक तथा दिल्ली प्रशासन से आश्वासन की पूर्ति करने के लिए प्रश्न के भाग (घ) के सम्बन्ध में सूचना देने का अनुरोध किया गया था। अप्रैल, 1971 में नागरिक प्रतिरक्षा, दिल्ली के निदेशक से सूचना का विवरण प्राप्त हुआ। इसे सदन के पटल पर रखने के लिए संसदीय कार्य विभाग को भेजने से पूर्व दिल्ली प्रशासन से इस विवरण की संवीक्षा करने की और इसकी विशुद्धता प्रमाणित करने का अनुरोध किया था।

2. दिल्ली प्रशासन ने एक वरिष्ट अधिकारी को 1 अप्रैल, 1968 से 30 सितम्बर, 1969 की अवधि से सम्बन्धित स्टाफ कारों की लॉग-बुक तथा अन्य सम्बन्धित रिकार्ड के संदर्भ में विवरण की संवीक्षा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया। संवीक्षा के दौरान कुछ अनियमितताएं देखने में आई और दिल्ली प्रशासन ने अन्ततः विवरण की विशुद्धता जनवरी, 1972 में प्रमाणित की। मंत्रालय में विवरण की और संवीक्षा करनी पड़ी। तत्पश्चात विवरण का हिन्दी में अनुवाद किया गया और संसदीय कार्य विभाग को आश्वासन की पूर्ति के लिए सभा पटल पर रखे जाने के लिए भेज दिया गया।

3. इन्हीं सब कारण के उत्तर से शुद्धीकरण में विलम्ब हुआ।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
RE QUESTIONS OF PRIVILEGE

प्रश्न

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हुआ हूं। यह व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न किसी विषय पर तो होना चाहिए।

श्री एस ए० शमीम : आप हमारे अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के संरक्षक हैं। मुझे, एक संसद सदस्य को, केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा परेशान किया जा रहा है। जो व्यक्ति मुझ से मिलने आते हैं उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न किये जाते हैं, उन्हें परेशान किया जाता है गुप्तचर विभाग की कार परछाई की तरह प्रतिदिन मेरे पीछे लगी रहती है। संसद सदस्य की तरह मुझे स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने नहीं दिया जाता है। पता नहीं मैं भारतीय लोकतांत्रिक गणतन्त्र में रह रहा हूँ अथवा किसी पुलिस राज्य में।

अध्यक्ष महोदय : इसमें विशेषाधिकार कहां आता है ?

श्री पी० के० देव (कालाहाँडी) : यह एक गम्भीर मामला है। टेलीफोन टेप किये हुए हैं और हमारा पीछा किया जाता है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सरकार प्रशासनात्मक अथवा सुरक्षात्मक कारणों से ऐसा करती है। मैं इसका निर्णायक नहीं हूँ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Speaker Sir ; I do not know whatever he says, is correct or not. But if it is correct, it is a matter of privilege. How a member can function if there is police at his door, visitors who come to him are interrupted and telephone is tapped.....interruptions).....

श्री एस० ए० शमीम : मैं एक निर्दलीय सदस्य हूँ। आप ऐसा किस प्रकार कहते हैं कि यह एक विशेषाधिकार का मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह विशेषाधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : उस दिन श्री ज्योतिर्मय बसु ने भी आपसे शिकायत की थी। हमारे दल के सदस्यों को भी पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है। हमारे कार्यालय 4, अशोक रोड पर प्रतिदिन ही पुलिस खड़ी रहती है।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : उन्हें कार्य करने से रोका जाता है। आप संरक्षण भी प्रदान नहीं कर सकते ·····**(व्यवधान)**

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं। आपको हमारी शिकायतों पर ध्यान देना चाहिए।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : सदन के एक सदस्य ने लिखित रूप में तथा अन्य प्रकार से भी अनुरोध किया है कि उसे परेशान किया जा रहा है। जो लोग उनसे मिलने आते हैं उनका पीछा किया जाता है। इसके पश्चात पुलिस कर्मचारी उनके पीछे जाते हैं तथा उनसे पूछते हैं कि आप कश्मीर के संसद सदस्य के यहां क्या करते हैं ? वह सदस्य निर्दलीय है और वह आपसे तथा सदन से संरक्षण चाहता है और सरकार से आश्वासन। आपको उनकी शिकायत सुनने में तथा इस मामले में किस प्रकार की कार्यवाही की जाये इस उद्देश्य से सदन की राय जानने में आपको क्या कठिनाई है ?

अध्यक्ष महोदय : जहां तक सदस्य के कार्य में बाधा का प्रश्न है, मैं इस मामले की जांच करूंगा।

श्री पीलू मोदी : धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक विशेषाधिकार का प्रश्न है मैं अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि पहले भी हमने ऐसे मामलों में विशेषाधिकार के प्रश्न की अनुमति नहीं दी है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : लगभग 10 मिनट से यह बात चल रही है और अपने संरक्षण के सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं कहा। आपने जो कुछ अब कहा है यदि वह आप 10 मिनट पूर्व कहते तो हम इन सब बेकार की बातों से बच सकते थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यह सरकार से एक शिकायत है ····

अध्यक्ष महोदय : यह सरकार से शिकायत नहीं है। उन्होंने इसे दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया··· **(व्यवधान)**

यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है **(व्यवधान)**···मुझे खेद है कि मैं इस पर अनुमति नहीं दे सकता। **(व्यवधान)**

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इससे पहले एक ऐसा उदाहरण उपलब्ध है। श्री मौर्य को जब वह कांग्रेस दल के सदस्य नहीं थे, इसी प्रकार निरन्तर परेशान किया गया। उनको और उनकी पत्नी को पुलिस ने परेशान किया। उनके घर के चारों ओर गुप्तचर विभाग के कर्मचारी रहते थे। जब श्री मौर्य ने यह मामला सदन में उठाया तब अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ऐसा करना उनके संसदीय कार्यों में हस्तक्षेप करना है अतः उनको संरक्षण दिया जाएगा।..... (**व्यवधान**) कांग्रेस दल के एक सदस्य ने जब सदन में कहा कि उसे अस्पताल में पीटा गया है तो इस मामले पर सदन में दो, तीन घन्टे चर्चा हुई।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई उदाहरण नहीं है ऐसे मामले में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं आता है।

श्री एस० ए० शमीम : क्या आपके विचार से सरकार द्वारा मेरे घर के बाहर गुप्तचर विभाग के लोगों का तैनात किया जाना ठीक है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी कानून के विरुद्ध किसी सदस्य को संरक्षण नहीं दे सकता।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : I have given & notice of a question of privilege on 24th May. In reply to the Demands of the Ministry of Information and Broad Casting, what Shri Mati Nandini Satpathy has said, is not correct. I have got a photostat copy also. I seek your permission to raise the matter.....**(Interruptions)**

अध्यक्ष महोदय : निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मैंने आपकी सूचना को मंत्री महोदय के पास भेज दिया है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : It appears to be a serious matter, Something should be done. He has a photostat copy. You may decide whether it is Genuine or not.

Dr. Laxminarain Pandeya : I seek your approval to raise the question of privilege.

Mr. Speaker : The Hon. Minister has just returned from outside after attending a film festival. It will be considered to your complete satisfaction.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

Review And Annual Report of National Industrial Development Corporation LTD. New Delhi

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : Sir, I beg to lay a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619 A of the Companies Act, 1956 :—

(1) Review by the Government on the working of the National Industrial Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 1970-71.

(2) Annual Report of the National Industrial Development Corporation Limited, New Delhi, for the year. 1970-71 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in the Libarary, Sec No L. T. 3118/72)

केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : श्रीमान्, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

(1) केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1970-71 संबन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रंथालय में रखे गये देखिये। संख्या एल० टी०–3119/72]**

भारतीय डाक तार विभग की दूर संचार शाखा के लाभ और हानि लेखे तथा तुलन पत्र

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : मैं भारतीय डाक और तार विभाग की दूर संचार शाखा के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी लाभ और हानि लेखे तथा तुलन पत्र (प्राप्तियों के आधार पर) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) का एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 3120/72]**

खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम 1972

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कू) : मैं श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय की ओर से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 मई, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 553 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गयी देखिये संख्या एल– टी०-3121/72]**

एयर इंडिया तथा इंडियन एयर लाइंस के वर्ष 1972-73 के बजट अनुमान आदि

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषि) : मैं वायु निगम नियम, 1954 के नियम 3 के उप-नियम (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूँ :—

(1) एयर इण्डिया के बर्ष 1972-73 के राजस्व और व्यय के बजट अनुमानों का सारांश।

(2) एयर इण्डिया के वर्ष 1970-71 के वास्तविक व्यय, वर्ष 1971-72 के बजट अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों और वर्ष 1972-73 के बजट अनुमानों का सारांश।

(3) इण्डियन एयर लाइंस के वर्ष 1972-73 के राजस्व और व्यय के बजट अनुमानों का सारांश।

(4) इण्डियन एयर लाइंस के वर्ष 1970-71 के वास्तविक व्यय, वर्ष 1971-72 के बजट अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों और वर्ष 1972-73 के बजट अनुमानों का सारांश। [ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी०- 3122/72]

पाकिस्तानी नागरिकों की भारत में घुसपैठ के सम्बन्ध में अतारांकित प्रश्न संख्या 1471 के 24 नवम्बर, 1971 को दिये गये उत्तर की शुद्धि तथा अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं श्री रामनिवास मिर्धा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) पाकिस्तानी नागरिकों की भारत में घुसपैठ के बारे में श्री हुकम चन्द कछवाय के अतारांकित प्रश्न संख्या 1471 के 24 नवम्बर, 1971 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने तथा उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारणों के सम्बन्ध में एक विवरण।

विवरण

अतराँकित प्रश्न संख्या 1471 के पैरा 2 में मैंने, असम सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर, पाकिस्तान से आये घुसपैठियों की संख्या 12,818 बताई थी जिनमें से 11,452 को गिरफ्तार किया गया और निष्कासित किया गया। अब राज्य सरकार ने बतलाया है कि उन्हें पुनः जाँच के पश्चात् यह मालूम हुआ है कि सही आंकड़े क्रमशः 12,717 और 9,136 हैं।

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के वर्ष 1972 के छठे संशोधन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 मई, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 281 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3124/72]

वास्तविक उपभोक्ता लाइसेन्सों का दुरुपयोग, गैर-परम्परागत वस्तुओं का निर्यात तथा निर्यात प्रधान वस्तुओं के लिए बेहतर किस्म नियन्त्रण के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 942, 943 तथा 947 के दिये गये उत्तरों की शुद्धि

विदेश व्यापार मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : मैं वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंसों का दुरुपयोग के बारे में श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे के तारांकित प्रश्न संख्या 942 तथा गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि के बारे में श्री इन्द्रजीत गुप्त के तारांकित प्रश्न संख्या 943 और निर्यात-प्रधान इन्जीनियरी वस्तुओं के लिए बेहतर किस्म नियन्त्रण के उपाय के बारे में श्री नवल किशोर सिंह के तारांकित प्रश्न संख्या 947 के 23 मई, 1972 को दिये गये उत्तरों को शुद्ध करने के लिए दो विवरण सभा-पटल पर रखता हूं।

24-11-1971 तारांकित प्रश्न संख्या 1471 के उत्तर में शुद्धि करने सम्बन्धी विवरण को पेश करने में विलम्ब का कारण दर्शाने वाला विवरण

24-11-1971 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1471 के उत्तर के सम्बन्ध में पाकिस्तानी घुसपैठियों की गिरफ्तारी और निष्कासन की सूचना आसाम सरकार द्वारा दिए गए आँकड़ों के

आधार पर दी गई थी। तदन्तर यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा दिये गए आंकड़ों में कुछ त्रुटियां थीं। इसलिए राज्य सरकार के आँकड़ों को ठीक करने के लिए कहा गया। इस सरकार ने तदनुसार आंकड़ों को सही किया और अब संशोधित आँकड़े भेजे हैं। अतः लोक सभा में पहले से दिए गए विवरण में शुद्धि करने के सम्बन्ध में हुए विलम्ब के लिए खेद है।

दिनांक 23 मई, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 942 के उत्तर में शुद्धि करने सम्बन्धी वक्तव्य

31-12-1970 को केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा अन्तिम रूप से निर्णीत किये जाने के लिए 188 मामले विचाराधीन थे जिनमें से कुछ की अभी जाँच हो रही थी तथा कुछ मामलों में मुकदमा चलाने अथवा विभागीय कार्यवाही करने अथवा दोनों के लिए सिफारिश की गई थी। 1-1-1971 से 31-12-1971 तक केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने आयात तथा निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम की किसी न किसी शर्त का उल्लंघन करने के बारे में 84 नए मामले दर्ज किये थे। इस प्रकार 1-1-1971 से 31-12-1971 तक निर्णय के लिए अभी कुल 272 मामले हो गये हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 64 मामले जाँच (ट्रायल) के लिए भेजे तथा 13 मामले न्यायालय में पेश किये गये तथा विभागीय कार्यवाही के लिए भी सिफारिश की। इसके साथ ही, उन्होने विभागीय कार्यवाही के लिए भी 36 मामलों की सिफारिश की थी। सबूत न मिलने के कारण 13 मामलों को समाप्त कर दिया गया तथा वर्ष 1971 के अन्त में 13 मामले शिकायत अथवा मन्जूरी के लिए लम्बित थे। 57 मामले यह निर्धारित करने के लिए कानूनी छानबीन (लीगल स्क्रूटिनी) के लिये पड़े थे कि अपराधी पार्टियों के विरुद्ध क्या की जाये। वर्ष के अन्त में 76 मामले जाँच के लिये पड़े थे। वर्ष 1971 में न्यायलयों द्वारा 31 मामले निर्णीत किये गये जिनमे से 26 मामलों में दोषसिद्ध किया गया। 5 मामलों में दोषमुक्त किया गया।

2. 1966 में आयात तथा निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम में संशोधन के पश्चात् 6 महीने का अनिवार्य कारावास निर्धारित किया गया है जब तक कि रिकार्ड किये गये कारणों के आधार पर न्यायालय उस अवधि से कम दण्ड देना उचित न समझे जो अधिकतम दण्ड दिया जा सकता है वह 2 वर्ष का कारावास है। कारावास के साथ उचित जुर्माना भी लगाया जाता है। फिर भी यह ध्यान में आया है कि दण्ड अधिकतर जुर्माना तथा अल्पकालिक कारावास ही दिया जाता रहा है। 6 महीने की न्यूनतम अवधि का कारावास बहुत ही कम बार दिया जाता है क्योंकि न्यायालय अभियुक्त की पश्चाताप करने की प्रवृति, अभियुक्त की आयु आदि को ध्यान में रखते रहे हैं।

3. आयात-निर्यात अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए जिस फर्म को दोषी ठहराया गया है उसका विवर्जन तथा उसके अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों से दण्ड अपराध की गुरुता पर निर्भर करते हुए एक वर्ष से पांच वर्ष तक दिया जा सकता है।

4. 1-1-72 से 31-3-72 तक की जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिनांक 23 मई, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 943 और 947 के उत्तर में शुद्धि करने सम्बन्धी वक्तव्य

यह निस्सन्देह रूप से सच है कि इन्जीनियरी वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में मैंने जिन आँकड़ों को तारांकित प्रश्न संख्या 943 तथा 947 के उत्तर में 23 मई, 1972 को लोक-सभा

के सभा-पटल पर रखा था उसमें जो दो विवरण रखे थे, वे एक जैसे नहीं हैं। प्रश्न संख्या 943 से सम्बद्ध विवरण में इन्जीनियरी वस्तुओं के बारे में जो आँकड़े दिये गये हैं उहें वाणिज्यिक आसूचना तथा साँख्यिकी महानिदेशक, कलकत्ता द्वारा संकलित किया गया था जबकि प्रश्न संख्या 947 के उत्तर में वे आँकड़े दिये गये हैं जिन्हें इन्जीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद ने संकलित किया था तत्काल संदर्भ के लिए दोनों आंकड़ों को पुनः नीचे अंकित किया जाता है :—

(रुपये करोड़ों में)

इन्जीनियरी वस्तुओं का निर्यात

प्रश्न सं०	943	947	डी. जी. सी. आई. एण्ड एस. तथा ई. ई. पी. सी. के आँकड़ों के बीच अन्तर
स्रोत	डी. जी. सी. आई. एण्ड सी.	ई. ई. पी. सी.	
1968-69	67.42	84.97	—17.55
1969-70	89.52	106.50	—16.98
1970-71	116.47	116.59	—0.12

जैसा कि भली भाँति विदित है, डी. जी. सी. आई. एण्ड एस. द्वारा संकलित इन्जीनियरी वस्तुओं के निर्यात सम्बन्धी आँकड़े सामान्यतया इन्जीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रकाशित निर्यात सम्बन्धी आंकड़ों से नहीं मिलते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है दोनों में से कोई आंकड़ा गलत है। दोनों एजेन्सियों द्वारा आँकड़ों का सकलन करने के लिए परिभाषा/वर्गीकरण के प्रयोग में जो अन्तर होता है उसके कारण दोनों आँकड़ों में अन्तर हो गया है।

निर्यात सम्बन्धी आंकड़ डी. जी. सी. आई. एण्ड एस. द्वारा पुनरीक्षित व्यापार वर्गीकरण के अनुसार सकलित किये जाते हैं तथा इन्हें उनके "भारत के निदश व्यापार के मासिक आँकड़े प्रथम-निर्यात तथा पुर्ननिर्यात" नामक प्रकाशन में दिया जाता है। इस वर्गीकरण के अन्तर्गत इन्जीनियरी वस्तुओं के लिये कोड अलग 'कोई' संख्या नहीं होती है। तथापि विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए डी. जी. सी. आई. एण्ड एस. तथा ई. ई. पी. सी. दोनों ही विशेष उत्पादों के आंकड़ों को इन्जीनियरी वस्तुओं के लिए आंकड़े मालूम करने के लिये जोड़ देते हैं। कतिपय उत्पादों को डी. जी. सी. आई. एण्ड एस. तथा ई. ई. पी. सी. दोनों के ही आँकड़ों में इन्जीनियरी वस्तुओं की श्रेणी मे सम्मिलित किया जाता है। फिर भी, कतिपय अन्य वस्तुओं की जिन्हें ई. ई. पी. सी. द्वारा इन्जीनियरी उत्पादों के रूप में वर्गीकृत किया गया है उन्हें डी. जी. सी. आई. एन्ड एस. द्वारा उस रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कुछ वस्तुयें ऐसी हैं जिन्हें डी. जी. सी. आई. एंड एस. द्वारा तो इन्जीनियरी वस्तुओं के रूप में सम्मिलित किया जाता है परन्तु ई. ई. पी. सी. द्वारा नहीं किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ई. ई. जी. सी. अपने आँकड़ों का संकलन करते समय केवल उन्हीं वस्तुओं को सम्मिलित करने की आकांक्षा से प्रभावित रहता है जिनके लिये निर्यात संवर्धन परिषद् उत्तरदायी है।

जैसा कि प्रश्न संख्या 943 गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में सामान्य प्रगति से सम्बद्ध है, अतः प्रश्न के उत्तर में डी. जी. सी. आई. एण्ड एस. द्वारा प्रकाशित आंकड़ों पर ही

विश्वास किया गया है। जैसा कि सभा को ज्ञात है, विदेश व्यापार के आँकड़े मालूम करने का यही अधिकृत साधन है। फिर भी, इन्जीनियरी वस्तुओं के निर्यात के विस्तृत विश्लेषण के लिये हम प्रायः ई. ई. पी. सी. द्वारा प्रकाशित आंकड़ों का प्रयोग करते हैं जिनके निर्यात संवर्धन के लिए ई. ई. पी. सी. उत्तरदायी है। चूँकि प्रश्न संख्या 947 निर्यात-प्रधान इन्जीनियरी वस्तुओं के लिये बेहतर किस्म के नियन्त्रण करने के उपाय के बारे में है, अतः इसके उत्तर के लिए ई. इ. पी. सी. द्वारा प्रकाशित आँकड़े काम में लाये गये हैं।

मैं यह मानता हूँ कि इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात के बारे में दो प्रकार के आंकड़ों का होना अनावश्यक भ्रांति उत्पन्न कर सकता है। परन्तु यह सुनिश्चित करना विदेश व्यापार मंत्रालय का प्रयास होगा कि निर्यात सवर्धन परिषद् तथा डी० जी० सी० आई. एण्ड एस० द्वारा इजीनियरी वस्तुओं के समान वर्गीकरण को स्वीकार किया जाये जिससे इनके आँकड़ों में मेल हो।

फरक्का बांध परियोजना

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री के० एल० राव) : मैं फरक्का बांध परियोजना के सम्बन्ध में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूँ। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3126/72]**

भारतीय प्रेस परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मत्रालय में उप-मंत्री(श्री धर्मवीर सिंह) : मैं श्रीमती नन्दिनी सत्पथी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ।

(1) प्रैस परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 18 के अन्तर्गत भारतीय प्रैस परिषद् के वर्ष 1971 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 3127/72]**

वस्त्र समिति के वर्ष 1970-71 के प्रभावित लेखे

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं वस्त्र समिति अधिनियम 1963 की धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत वस्त्र समिति के वर्ष 1970-71 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूँ। **[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 3128/72]**

Tariff Commission's Report etc. on fair selling price of Automobile Ancilliaries, and Review of Annual Reports of Cement Corporation of India LTD, New Delhi and Hindustan Machine Tools LTD, Bangalore.

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddeshwar Prasad) : I beg to lay on the Table—

(1) A copy each of the following papers under sub-section (2) of section 16 of the Tariff Commission Act, 1951 :—

(a) (i) Report (1968) of the Tariff Commission on the Fair Selling Prices of Automobile Ancilliaries.

(ii) Government Resolution No. 1 (53) / 68-A.E. Ind. (I) dated the 2nd May, 1972 notifying Government's decisions on the above Report (Hindi and English versions).

(b) A statement (Hindi and English versions) showing reasons as to why the documents mentioned above could not be laid on the Table within the period prescribed in sub-section (2) of section 16 of the said Act.

(2) A statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Hindi version of Report mentioned at (a) (i) above simultaneously.

[Placed in the Library See No. LT—3129/72]

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956 :—

(i) (a) Review by the Government on the working of the Cement Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 1970-71.

(b) Annual Report of the Cement Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 1970-71 along with the Audited Accounts and the comments of the Cormptroller and Auditor General thereon.

[Placed in the Library See No. LT 3130/72[

(ii) (a) Review by the Government on the working of the Hindustan Machine Tools Limited, Bangalore, for the year 1970-71.

(b) Annual Report of the Hindustan Machine Tools Limited, Bangalore, for the year 1970-71 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in the Library See No.LT. 3131/72]

पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण

संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : मैं राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा विचार किए गये रूप में 'पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण' शीर्षक वाले टिप्पण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। **[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 3132/72]**

वित्तीय समितियाँ 1971–72 (एक समीक्षा)

FINANCIAL COMMITTEES 1971-72 (A REVIEW)

सचिव : मै वित्तीय समितियां 1971-72 (एक समीक्षा) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

———

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA-SABHA

सचिव : मैं संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक 1972, साधारण बीमा (आपात उपबन्ध) संशोधन विधेयक, 1972, राष्ट्रीय सेवा विधेयक, 1972 तथा दिल्ली सहकारी समिति विधेयक, 1972 के बारे में, राज्य सभा से प्राप्त चार संदेशों की सूचना सभा पटल पर रखता हूँ।

———

विधेयकों पर सम्मति
ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा चालू सत्र के दौरान पास किये गये तथा राष्ट्रपति की सम्मति प्राप्त तीन विधेयक सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) समाचार-पत्र (मूल्य नियन्त्रण) विधेयक, 1972 ।
(2) वित्त विधेयक, 1972 ।
(3) विनियोग (रेलवेज) संख्या, 3 विधेयक, 1972 ।

———

सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

22वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्रीमती सुभद्रा जोशी (चांदनी चौक) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करती हूँ :—

(1) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में समिति के 63वें प्रतिवेदन (चौथी लोक-सभा) के पैरा 1-17 के, जिसमें यह टिप्पणी की गयी है कि 'समिति की राय है कि उसे प्रबन्ध निदेशक (राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड) के वक्तव्य द्वारा गुमराह किया गया है' सम्बन्ध में 22वां प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति की बैठकों की कार्यवाही सारांश ।

———

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

आठवां, नौवां और दसवां प्रतिवेदन

श्री बूटा सिंह (रोपड़) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ :—

(1) संचार मंत्रालय (डाक और तार विभाग)—डाक और तार विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण और उनके नियोजन के सम्बन्ध में आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) वित्त मंत्रालय (बैंकिंग विभाग)—स्टेट बैंक आफ इन्डिया तथा उसके सहायक बैंकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनके नियोजन के सम्बन्ध में नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक विभाग)—समिति के अट्ठाहरवें प्रतिवेदन (चौथी लोक-सभा) में की गई समिति की टिप्पणियों के मंत्रिमण्डल सचिवालय (कार्मिक विभाग) के और उत्तरों के सम्बन्ध में दसवाँ प्रतिवेदन ।

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति
JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

दूसरा प्रतिवेदन

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : मैं प्रारूप संसद (अनर्हता का निवारण) संशोधन विधेयक, 1971 के सम्बन्ध में लाभ के पदों सम्बन्धी सयुक्त समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

— — — —

(एक) विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक
DISTURBED AREAS (SPECIAL COURTS) BILL

गृह मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : श्री राम निवास मिर्धा की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कतिपय क्षेत्रों में कतिपय अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए तथा तत्सम्बद्ध विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

— — — — —

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि कतिपय क्षेत्रों में कतिपय अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए तथा तत्सम्बद्ध विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

— — — —

(दो) दंड विधि (संशोधन) विधेयक
CRIMINAL LAW (AMENDMENT) BILL

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : श्री राम निवास मिर्धा की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय दड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 तथा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 तथा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I rise to oppose the introduction of the Bill. I know that this Bill is neither being brought forward to curb communal riots, nor it is against the Muslim organisations. Under this Bill, action will be taken only against the Hindu organisations. We will fight this inside and outside the House. I want to point out that it is becoming a regular practice to allow the jurists to introduce Bills in violation of this rules approved by this House. Seven days' notice has not been given through it is required under Rule 19 (A) of the Directions by the Speaker.

Mr. Speaker : I have allowed it.

Shri Atal Bihari Vajpayee : If you allow it ; what was the necessity of framing these rules ? This Bill could be brought forward earlier. Could not this Bill be brought forward in the next session ? What is the use of these rules, if they are not adhered to ? In one case on the other, the rules are often waived.

Mr. Speaker : Here I agree with you. At the fag end of session, the Government tries to bring forward this Bill and that Bill. When Government wants to pass a particular Bill in the current session it gives reasons therefor. If I am convinced with the reasons given by the Government, I allow them.

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : What was the necessity of bringing forward this Bill in this session ?

Mr. Speaker : I have allowed it on the basis of certain reasons.

The Minister of State in the Ministry of House Affairs (Shri K. C. Pant) : If this Bill is passed in this session. We would be happy. But objection was raised from the other side.

Shri Atal Bihari Vajpayee : There is no time to get this Bill passed in the House. If can be passed even without having any discussion on it. An ordinance may be issued after the House adjourns sine die.

Mr. Speaker : Discretion has been given to the Chair under the Rules. I have allowed it on some basis.

Shri Atal Bihari Vajpayee : A corrigendum of the Aligarh University Bill is being circulated ; has that also been allowed by you ?

Mr. Speaker : It contains printing mistake.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 तथा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ–

अवक्रय विधेयक—जारी

Hire purchase Bill Contd.

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : वित्तपोषकों और विभिन्न वित्तीय संस्थानों की अवक्रय प्रणाली में आई बुराई पर नियंत्रण करने और समाज के अशक्त वर्ग के अवक्रेताओं की रक्षा के लिये यह विधेयक लाना आवश्यक हो गया था । अतः इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूँ । जैसा कि मैं कल कह रहा था, इस प्रणाली में जो बुराई आ गई है वह यह है कि वित्तपोषक रिक्त प्रपत्रों पर अवक्रेताओं के हस्ताक्षर करवा कर उनका दुरुपयोग करते हैं ।

इस प्रणाली की एक अन्य बड़ी यह है कि धनदाताओं को इन करारों के अन्तर्गत यह शक्ति मिली हुई है कि वे वाहन अथवा सामान को उस स्थिति में भी जब्त कर सकते हैं जबकि 95 प्रतिशत राशि की किश्तें अदा कर दी गई हों । ऐसी हालत में अवक्रेता न केवल अदा की गई किश्त से ही हाथ धो बैठता है वरना अपनी सम्पत्ति भी खो बैठता है । आधुनिक व्यापारिक

क्रिया-कलापों में ये अवक्रय सौदे काफी बढ़ गए हैं और इन सौदों को नियमित करने के लिये विधान लाना अवश्यक हो गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Deputy speeker in the Chair

वित्तदाताओं ने ऐसी प्रणाली बना ली है कि 4 अथवा 5 किश्त अदा करने के पश्चात् यदि अवक्रेता और किश्त अदा नहीं कर सकता तो मालिक वाहन जब्त कर लेता है । इस बुराई को वर्तमान विधेयक में पूरी तरह दूर नहीं किया गया है ।

संविदा करते समय सामान के सम्बन्ध में वित्तपोषक के अधिकार का कोई उपबन्ध खंड 6 में नहीं किया गया है । विधेयक के खंड 9 में जो उपबन्ध शामिल किये गये हैं, उन्हें लीजिये । मान लीजिये 20 किश्तों में धन की अदायगी का कोई करार किया गया है । तीन किश्तों के बाद अवक्रेता उसे खरीदना चाहता है । उसे विधेयक के खंड 9 के अन्तर्गत अधिकार दिया गया है । अब स्थिति यह है कि विधि आयोग यह कहता है कि मालिक को संविदा करने के समय हक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है । 20वीं किश्त की अदायगी के बाद मालिक को अपने आप ही हक मिल जायेगा ।

इस प्रकार खंड 9 नहीं चल सकता क्योंकि तब तक मालिक को हक नहीं मिलेगा और वह खंड 9 के अंतर्गत हक का हस्तान्तरण नहीं कर सकता । अवक्रेता बिना उपचार के रहेगा क्योंकि अवक्रय करार करने के समय मालिक का सामान पर कोई हक नहीं होगा । हमने यह सुझाव दिया है कि मालिक को ऐसे करार करने का अधिकार होना चाहिये । यह भी आश्वासन दिया जाना चाहिए कि किसी तीसरी पार्टी के पक्ष में कोई चार्ज अथवा बन्धक नहीं हो सकता । अतः अवक्रेता के संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि कानून में ऐसा उपबन्ध हो कि इस करार को करने का अधिकार मालिक को ही होगा, अन्य किसी को नहीं ।

इस विधेयक के अन्तर्गत उधार-विक्रय सौदे नहीं आते हैं । आजकल बहुत से उधार-विक्रय सौदे होते हैं जिन्हें अवक्रय करार का रूप दिया जाता है । जब कभी कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो मालिक अथवा विक्रेता उधार-विक्रय सौदे में भी हक लेना चाहता है । इस विधेयक में उधार-विक्रय को भी सम्मिलित करने पर विचार किया जाना चाहिए था ।

अवक्रेताओं की वित्तीय स्थिति के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ । सड़क परिवहन कराधान जांच समिति के अंतिम प्रतिवेदन में कहा गया है कि सड़क परिवहन उद्योग में छोटे व्यक्तियों की सहायता करने के लिये कुछ किया जाना चाहिए । उन्हें मोटर-गाड़ी खरीदने के लिए ऋण देने की सरल एवं उदार प्रणाली होनी चाहिए ।

अवक्रय सौदों को नियमित करने के लिए कोई कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है । देश में जन-साधारण को अवक्रय सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने के लिए उन्हें उचित वित्तीय सस्थानों के माध्यम से वित्त देने की कोई योजना बनानी चाहिए ताकि उन्हें स्वार्थी वित्तपोषकों पर निर्भर न रहना पड़े ।

मैंने कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया है जिन पर मैं विस्तृत चर्चा के समय बोलूंगा । खंड 18 के परन्तुक के अन्तर्गत अवक्रेता को किश्तों में बकाया राशि अदा करके और कार

पर कब्जा लेने में स्वयं को मालिक के शिकंजे से बचाने का अधिकार दिया गया है। इसमें एक सप्ताह अथवा कुछ मामलों में दो सप्ताह का समय लगता है। यदि न्यायालय अनुमति दे तो इस समय को और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए था। मंत्री महोदय को भी इस बात पर विचार करना चाहिए।

Shri Sarjoo Pandey **(Ghazipur)**: I welcome this Bill but the Hon. Minister should have brought forward a comprehensive bill so that there would have been no necessity to amend the laws every now and then.

Although certain facilities have been provided in the present Bill to the small hirers, the provision regarding interest etc. in this Bill is not beneficial to the hirers.

As my Hon. friend has said that there is a provision in this Bill that if any hirer fails to pay instalments in time, the agreement can be made void on one week's notice. This time is very short. They should be given more time to make payment. Moveover, the Banks should advance loans to the hirers, on easy instalments. In order to curb the black-money the small-persons should be allowed to purchase goods on hire-purchase system.

I hope, the Hon. Minister will bring-forward another comprehensive Bill in near future.

***श्री ई० आर० कृष्णन् (सलेम)** : द्रमुक की ओर से मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

हमारे देश में विभिन्न मोटर गाड़ियों के सौदे अवक्रय आधार पर कई वर्षों से हो रहे हैं परन्तु सरकार ने किस्तों पर ऐसी खरीद करने वाले जन साधारण के हितों को सरक्षण देने के बारे में अब विधान बनाना ठीक समझा है।

विक्रेताओं द्वारा ब्याज की जो अधिकतम दर खरीदारों से वसूल की जाती है उस पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी कोई उपबन्ध इस विधेयक में नहीं है।

जो साधारण लोग हैं तथा जिनके पास नकद रुपया नहीं है और जो बस ट्रक अथवा कार खरीद कर कुछ कमाना चाहते हैं, वे ही लोग इस अवक्रय प्रणाली के अन्तर्गत ऐसे सौदे करते हैं।

प्रायः इन लोगों का सम्बन्ध निम्न आय वर्गों या मध्यम आय वर्गों से होता है। पूंजीपति जो अग्रिम धन देते हैं उसके लिए 15 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक का ब्याज लेते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मास दी जाने वाली किश्त पर भी वह लोग ब्याज लेते हैं।

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो अग्रिम धनराशि गरीब लोगों को दी जाती है उसके लिए ब्याज की दर बहुत कम होती है। इसके विपरीत पूंजीपतियों द्वारा दिये गये ऋण के लिए ब्याज की दर 24 प्रतिशत या उससे भी अधिक होती है। इसीलिए तो मैंने इस विधेयक का समर्थन किया है। परन्तु यह खेद की बात है कि विधेयक में ब्याज की अधिकतम दर नियुक्त नहीं की गई है।

हमारे देश के लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी शोचनीय है कि उन्हें घर की साधारण वस्तुयें अर्थात् कुर्सियाँ, मेज, पंखे, बर्तन या बिजली आदि का समान खरीदने के लिए भी अवक्रय का सहारा लेना पड़ता है। आजकल अवक्रय के अन्तर्गत भी लोगों को पहले अपनी खरीद की वस्तु की 30 से 40 प्रतिशत कीमत अदा करने को कहा जाता है। यह उचित नहीं है। आरम्भ

*तामिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Tamil.

में केवल 10 प्रतिशत मूल्य की मांग ही की जानी चाहिये और इस प्रणाली के अन्तर्गत जो ब्याज लिया जाता है वह भी कम होना चाहिये ।

श्रीमान जी, मद्रास में कई अमीर लोग निम्न आय वाले लोगों को ट्रक, बसें, व कारें आदि खरीदने के लिए ऋण देते हैं । कई भोले-भाले लोग इनके चुंगल में फंस जाते हैं और बाद में उन्हें भारी ब्याज देना पड़ता है और कई बार तो वह बेचारे अपना ट्रक या कार ही गिरवी रख, उसे खो बैठते हैं । अत: गरीब लोगों को ऐसे पूंजीपतियों के चुंगल से निकालने और ब्याज की अधिकतम दर निर्धारित करने के लिए भी कुछ न कुछ किया जाना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : I am sorry to point out that the major purpose for which this Bill was referred to Joint Select Committee, has not been fulfilled. The Bill presented in the House still lacks in many respects.

The hire-purchase system is an important system. now-a-days. We all wanted to encourage this system through this Bill but proper attentions has been paid in this respect. Even the black-money has not been restricted. Had it been done, the purchasing capacity of the people would have increased.

In our country, the hire-purchase system is continuing in different ways. The daily sale and purchase by this system runs into lakhs of rupees. But this Congress Government, who always take very high about socialism, has not done anything in the Bill for increasing the purchasing power of the people. The people indulged in hire-purchase have not been given proper representation. May I know its reasons from the Hon. Minister ?

Hon. Minister is fully aware of the condition of our Civil Courts. Several cases are lying pending with these Courts for the last 10 to 15 years. May I know from Hon. Minister whether any guarantee has been given that the hire-purchase cases will be quick disposed. To encourage the hire-purchase system, cordial relations should be established between hirer purchaser and financiers. I with that Hon. Minister will pay due attention to various points raised by Hon. Members and my self.

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीति राज सिंह चौधरी) : जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ । सदस्यों द्वारा जो सुझाव दिये गये हैं उन्हें खण्डों के संशोधनों में जोड़ लिया गया है और उनके बारे में अन्तिम निर्णय लेने का काम सदन स्वयं करेगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने दो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं । उनके एक सुझाव के अनुसार यदि किराये पर लेने वाला व्यक्ति एक अथवा दो किश्तें नहीं देता तो पूंजीपति अपनी सम्पत्ति वापिस उठा ले जाता है और किरायेदार को नया समझौता करने के लिए बाध्य करता है । मैं समझता हूँ कि वर्तमान विधेयक की धारा 18 और 21 के अन्तर्गत इस प्रकार के मामलों में किरायेदार के हितों की रक्षा की पूर्ण व्यवस्था की गई है । इसके साथ ही श्री सोमनाथ चटर्जी ने खण्ड 6(2) (क) का उल्लेख भी किया है । इस धारा के अनुसार सम्मति देते समय उसका हक (टाईटिल) स्वामी के पास ही रहता है । इसके पश्चात् जब किरायेदार नोटिस देता है तो स्वामी को नोटिस की अवधि में ही वह हक (टाईटिल) वापिस करना होता है । इन दोनों खण्डों में किसी प्रकार की असंगति नहीं है ।

श्री कृष्णन् ने कहा है कि ऋण देने वाले लोग 12 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक का ब्याज लेते हैं । इस प्रकार की ब्याज की ऊंची दरों पर रोक लगाने के लिए भी कार्यवाही की जा

रही है। श्री फूलचन्द वर्मा ने सयुक्त प्रवर समिति का उल्लेख भी किया है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने समिति के प्रतिवेदन का अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया है। श्री वर्मा ने कुछ सशोधन भी दिये हैं। उनका उत्तर मैं उसी समय दूंगा जबकि उन्हें पेश किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अवक्रय करारों के पक्षकारो के अधिकारों और कर्त्तव्यों को परिभाषित और विनियमित करने के लिए तथा तत्संसक्त या तदानुषंगिक विषयों से सम्बन्धित विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे। खण्ड 2 के लिए कोई संशोधन नहीं है। मैं खण्ड 2 सभा के मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया
clause 2 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 3 से सम्बद्ध दो संशोधन मेरे पास आये हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपना संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करता हूं। खण्ड 3 (एक) के अनुसार अवक्रय करार पर सभी सम्बद्ध पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। इसी सम्बन्ध में गारंटी की मांग भी की गई हैं। अतः इसके अनुसार किरायेदार की अपेक्षा मालिक की स्थिति सुदृढ़ होती है जो कि किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं है। पूंजीपति या मालिक उन व्यक्तियों से कोरे फार्मों पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनका किया जाता है। मोटर कम्पनियां डिलीवरी तुरन्त लेने का आग्रह करती है और इन बेचारे लोगों को ऋण लेना पड़ता है। अतः ऐसी त्रुटियों को दूर कर, किरायेदार की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए ही मैंने संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत किया है।

मेरा संशोधन संख्या 15, प्रथम सशोधन का पूरक ही है। खण्ड 3 के अनुसार जहां कहीं भी गारंटी कान्ट्रेक्ट होगा उसमें अवक्रय करार पर जमानती के हस्ताक्षर भी होंगे और यदि इस करार पर जमानती के हस्ताक्षर नहीं होंगे तो उसे मालिक की मर्जी के अनुसार तोड़ा भी जा सकेगा। परन्तु यह समझ में नहीं आता कि ऐसी व्यवस्था क्यों की गई है। यह त्रिपक्षीय समझौता होता है जिसमें कि किरायेदार, और मालिक के साथ-साथ जमानती भी होता है। गारंटी देने वाले को भी करार के समय उपस्थित होना चाहिये। मैं अपने यह सुझाव मंत्री महोदय को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : आपके संशोधन के अनुसार उसमें नोटरी, मजिस्ट्रेट, केन्द्रीय, सरकार के राजपत्रित अधिकारियों आदि शब्द जोड़े जाने चाहिये। हम समझते हैं कि यदि ऐसा

किया जाता है तो इसमें अवक्रय करार करने में असुविधा बढ़ जायेगी क्योंकि यह करार छोटे-छोटे कस्बों आदि में भी किये जायेंगे और वहाँ ऐसे अधिकारी सुगमता से उपलब्ध नहीं होंगे। अतः उनके संशोधन स्वीकार करना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 14 और 15 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The Amendment Nos. 14 and 15 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion Was Adopted.

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill.

खंड 4

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं संशोधन संख्या 16 और 17 प्रस्तुत करता हूँ। मालिक से यह आश्वासन लिया जाना चाहिये कि जिस सम्पत्ति के बारे में करार किया जा रहा है वह किसी प्रकार के चार्ज या बंधक से युक्त है। कहीं ऐसा न हो कि कुछ किश्तों का भुगतान करने के बाद कहीं कोई और व्यक्ति बीच में आ जाये और वह सम्पत्ति के बारे में अपना दावा प्रस्तुत कर दे। फिर मैं यह समझता हूं कि भारी गारन्टी की आवश्यकता ही क्या है ? वर्तमान गारन्टी की ही व्यवस्था क्यों नहीं की जाती ? इस प्रकार तो सम्भवतः किरायेदार अपने जीवन की सम्पूर्ण कमाई देने के बाद भी एक ट्रक नहीं खरीद पायेगा। अतः मैं यह समझता हूँ कि यदि इस प्रकार की धारा विधेयक में अन्तःस्थापित नहीं की जाती तो उससे किरायेदार को काफी हानि उठानी पड़ेगी।

संशोधन संख्या 17 के माध्यम से मैंने उपखण्ड (तीन) को समाप्त करने का अनुरोध किया है। इन उपबन्धों का उल्लंघन करते हुये यदि कोई करार किया जाता है तो किरायेदार को इसे निरस्त करवाने के लिए न्यायालयों में जाना पड़ता है। केवल इतना ही उपबन्ध होने से कि किरायेदार को न्यायालय में जाने से उसका हक (टाईटिल) मिल जायेगा, से किरायेदार को कोई लाभ होने वाला नहीं है। अतः यह मालिक का दायित्व होना चाहिये कि वह करार में स्पष्ट लिखे कि वह उसका अधिकार है।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : संशोधन संख्या 16 के बारे में माननीय सदस्य ने जो संदेह व्यक्त किये हैं वह खण्ड 6 (एक) और खण्ड 6 (दो) (क) के सन्दर्भ में निराधार हैं क्योंकि इन खण्डों में हक (टाईटिल) की शर्तों की पूर्ण व्यवस्था कर दी गई है। यदि गारन्टी से सम्बद्ध उनका संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो उससे छोटे व्यापारियों आदि को इस करार से कोई लाभ नहीं हो पायेगा।

संशोधन संख्या 17 के अनुसार यदि उपखण्ड (तीन) को खण्ड 4 में से हटा दिया जाता है तो हमारे पास यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ शेष नहीं रह जायेगा कि मालिक द्वारा खण्ड का पालन किया जाता है। इससे किरायेदार को काफी हानि होगी।

इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन संशोधनों को स्वीकार करना मेरे लिए संभव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 16 और 17 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

The amendment Nos. 16 and 17 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 4 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 was added to the Bill.

खंड 5 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5 was added to the Bill.

———

खड 6

श्री शंकर राव सावन्त : मैं संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री फूलचन्द वर्मा : मैं अपना संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 26 और 7 एक जैसे ही हैं।

श्री शंकर राव सावन्त : श्रीमान् मेरे संशोधन में कोई नई बात नहीं है। इसके द्वारा यह प्रयास किया गया है कि संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की स्थिति यथावत बनी रहे। यह संयुक्त समिति की सिफारिशों के अनुरूप है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि इसे स्वीकार कर लिया जाये।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मूल विधेयक में यह व्यवस्था थी कि मालिक को बेचने का हक तभी होगा जबकि सम्पत्ति मालिक के हाथों से निकलकर अवक्रेता के हाथों में चली जाती है। यह व्यवस्था विधि-आयोग की सिफारिशों के अनुरूप थी। इसमें संयुक्त समिति ने यह सशोधन किया था कि अवक्रेता का स्वामित्व-अधिकार न केवल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के समय बनता है बल्कि वह तो किराये-खरीद का करार होते ही बन जाता हैं। संयुक्त समिति की इस सिफारिश को राज्य सभा द्वारा एक संशोधन पास करके समाप्त कर दिया गया। माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है उससे पहले वाली स्थिति पुनः आ जायेगी। यदि यह संशोधन स्वीकार किया जाता है तो इससे बड़े व्यापारियों को लाभ होगा और छोटे व्यापारियों को हानि होगी। दूसरे इस संशोधन से धोखेधड़ी के सौदों को भी नहीं रोका जा सकता। अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह इसे वापस ले लें।

श्री शंकर राव सावन्त : यद्यपि मैं माननीय मंत्री के तर्क से सहमत नहीं हूँ फिर भी मैं अपना संशोधन वापस लेता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री सावन्त को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 और 7 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

Amendments No. 1 and 7 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खंड 6 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 6 was added to the Bill.

खंड 7

श्री फूलचन्द वर्मा : मैं अपने संशोधन संख्या 8, 9 और 10 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मैं अपना संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सँख्या 8, 9, 10 और 18 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

Amendments No. 8, 9, 10 and 18 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 7 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 7 was added to the Bill.

खण्ड 8 से 11

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 से 11 विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 8 से 11 विधेयक में जोड़े गये ।

Clauses 8 to 11 were added to the Bill.

खंड 12

श्री फूलचन्द वर्मा : मैं अपने संशोधन संख्या 11 और 12 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 11 और 12 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

The Amendments No. 11 and 12 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 12 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 12 was added to the Bill.

खंड 13 से 16 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clauses 13 to 16 were added to the Bill.

खंड 17

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपना संशोधन संख्या 19 प्रस्तुत करता हूं । खण्ड 17 में यह व्यवस्था की गई है कि माल के पकड़ लिये जाने पर किरायेदार को कम से कम उतनी राशि वापस मिल जाये जो वस्तु के मूल्य और उसके द्वारा दी गई राशि में अन्तर के बराबर हो । किन्तु माल के मूल्य के बारे में मतभेद होने पर उन्हें न्यायालय की शरण लेनी होगी । इस मुकद्दमे बाजी को समाप्त करने के उद्देश्य से मैंने इस आशय का संशोधन दिया है कि दोनो पार्टियों को इसके लिए परस्पर सौदा करके तय करने का अवसर दिया जाये ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : पार्टियों पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध तो नहीं लगा है कि वे परस्पर समझौता न कर सकें । प्रत्येक विवाद में दोनों पक्षों को परस्पर समझौता करने की स्वतन्त्रता होती है, खंड 17 तो लागू ही उस समय होगा जब दोनों पक्षो में विवाद परस्पर न सुलझ सकेगा । अतः इसके लिए संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 19 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 19 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 17 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 17 was added to the Bill.

खण्ड 18

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपने संशोधन संख्या 20 और 21 प्रस्तुत करता हूं। करार की अवधि समाप्त होने से पूर्व एक सप्ताह की समयावधि रखी गई है। किसी अवक्रेता पर वास्तविक संकट हो सकता है जिसके कारण वह भुगतान एक या दो सप्ताह में न कर सके और इसके लिए उसे एक महीने की अवधि की आवश्यकता हो। ऐसी स्थिति में वह खण्ड 18 से लाभ न उठा सकेगा। संशोधन संख्या 20 में यह व्यवस्था है कि अवक्रेता न्यायालय में समयावधि बढ़ाने के लिए आवेदन दे सकता है और न्यायालय उसके मामले पर विचार करके समयावधि बढ़ाने या न बढ़ाने का निर्णय देगा। संशोधन संख्या 21 इससे पहले संशोधन का आनुषंगिक है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इन संशोधनों को स्वीकार करलें।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : चूंकि अवक्रेता के पास भुगतान के लिए काफी समय होता है इसलिए मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 20 और 21 मतदान के लिये रखे गए और अस्वीकृत हुए।

The amendments Nos. 20 and 21 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 18 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 18 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 18 was added to the Bill

खंड 19 भी विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 19 was also added to the Bill

खंड 20

श्री फूलचन्द वर्मा : मैं अपना संशोधन संख्या 13 प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 13 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 13 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 20 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 20 was added to the Bill.

खंड 21

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपने संशोधन संख्या 22 और 23 प्रस्तुत करता हूं।

मेरा सुझाव है कि आवेदन-पत्र अथवा मुकदमे के बारे में निर्णय देते समय एक मास, तीन सप्ताह या दो सप्ताह का समय दिया जाये "सुनवाई के समय" का तो अभिप्राय है मामला निपटाये जाने ने पूर्व। यहां हम चाहते हैं कि न्यायालय निर्णय देने के बाद किरायेदार क कुछ समय दे जिसके भीतर वह बकाया राशि की किश्तें ब्याज सहित अदा करे। मेरी समझो में नहीं आता कि इसमें सरकार को क्या आपत्ति है ?

इस खण्ड के लिए अपने दूसरे संशोधन में मैंने एक प्रापक की नियुक्ति अथवा निषेधाज्ञा की व्यवस्था चाही है । इसका अभिप्राय यह है कि जब कोई किरायेदार निर्णयात्मक सुनवाई के समय ही अदायगी कर देता है तो न्यायालय डिग्री या कोई अन्य आदेश नहीं देता । परन्तु अनेक मामले ऐसे भी होते हैं, जहां आवेदन अथवा मुकदमे के दौरान ही कोई प्रापक की नियुक्ति के लिए आवेदन कर देता है ताकि वह बकाया राशि की किश्ते देते हुए कार का कब्जा लिये रखे । साथ ही यदि अनुरोध प्राप्त होने पर न्यायालय प्रापक की नियुक्ति भी कर देता है तो भी न्यायालय इस मामले की सुनवाई के दौरान किरायेदार को कार के उपयोग को रोक सकता है। अतः न्यायालय को उचित समय निर्धारित करने का अवसर दिया जाना चाहिये।

अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वह मेरे संशोधन स्वीकार कर लें।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : खण्ड 18 तथा 20 किरायादार के हितों की रक्षा करते हुए मालिक के हितों को हानि नहीं पहुँचाते हैं। किरायेदार के हितों की काफी रक्षा की गई है तथा किरायेदार को अधिक राहत प्रदान करके हम किरायेदार तथा मालिक के मध्य काफी संतुलन रखना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 22 व 23 सभा में मतदान के लिये रखूंगा।

उपाध्यक्ष द्वारा संशोधन संख्या 22 तथा 23 सभा के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments No. 22 and 23 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 21 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 21 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 21 was added to the Bill

खण्ड 22 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 22 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : नये खण्ड 22 क से 22 ग जोड़ने हेतु संशोधन पेश करने वाले सदस्य अनुपस्थित हैं। अतः प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 23 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 23 विधेयक में जोड़ा गया ।
Clause 23 was added to the Bill

खण्ड 24 से 28 विधेयक में जोड़े गए ।
Clause 24 to 28 were added to the Bill

खण्ड 29 (नोटिस जारी करना)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बदवान) : मैं संशोधन संख्या 25 प्रस्तुत करता हूँ। इसमे मेरा सुझाव है कि नोटिस को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए अन्यथा इसी बात से अनेक विवाद खड़े हो जायेंगे। पहला कहेगा मैंने नोटिस भेजा है और दूसरा कहेगा कि मुझे नहीं मिला। ठीक पता लिखने, उचित मूल्य की टिकटें लगाने ठीक से लैटरबक्स में डाला कि नहीं आदि अनेक झगड़े खड़े होंगे। इन सबसे बचने के लिये रजिस्टर्ड डाक की व्यवस्था करने में क्या हर्ज है ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी . सामान्य खण्ड अधिनियम की धारा 27 में पहले ही यह व्यवस्था है कि जो भी पत्र भेजा जायेगा वह रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जायेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि ऐसा है तो इसे नोट कर लिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 25 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
Amendment No. 25 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 29 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 29 विधेयक में जोड़ा गया ।
Clause 29 was added to the Bill

खण्ड 30 तथा 31, खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का शीर्षक विधेयक में जोड़ दिए गए ।
Clause 30 and 31, clause 1, the Enacting formula and the title was added to the Bill

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक
Aligarh Muslim University (Amendment) Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० एस० नुरुल हसन :

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): I have a point of order. A paper with the title "Corrigenda" has been issued to day which is actually not a corrigenda but a paper contains several amendments. It is not that it intends to correct certain spelling mistakes which might crept in the Bill inadvertently ; practically it shows that Government has attempted to make certain additions and altrations in the Bill. In which, otherwise they should put substantive motions or amendments and get them passed here. For instance in line 42 on page 9 under item 9 it says "In the Title" read "half this title". Then page 2, item 27, page 19 line 12, it says for "Technology" read "Theology" Again item 28, page 23, it says "after line 26 insert "Faculty of Law". And so on and so fort h.

These things do not amount to spelling mistakes only and only corrigend a cannot serve the purposes. Let them having a substantive motion in this connection and get it passed, otherwise you please don't allow it.

प्रो० एस० नुरुल हसन : जो पत्र 'शुद्ध-पत्र' के नाम से जारी किया गया है वह वस्तुत: ही शुद्धि-पत्र है और मुझे खेद है कि अच्छी कम्पोजिंग न होने के कारण में अशुद्धियां रह गई। इस तथ्य का सत्यापन इसी विधेयक में अन्य कई स्थानों पर तटसंबन्ध विवरणों में बार-बार आये शब्दों को देखकर हो सकता है । यह सच है कि छपाई में अनेक छोटी-बड़ी गलतियां हुई हैं परन्तु यह सच नहीं है कि इस विधेयक में के रूप में अथवा इसके मूल में किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन या परिवर्तन करने का प्रयास किया गया है। अत: मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसे केवल शुद्धि-पत्र ही समझें।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Let it he acceped but let also the Govt. be scolded for introducing a Bill full of mistakes. I agree with the mistakes being Corrected here.

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के स्पस्टीकरण के पश्चात् हमें इसे शुद्धि-पत्र ही कहना चाहिये।

प्रो एस० नुरुल हसन : मैं प्रस्ताव करता हूं

> "कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह विधेयक इस सभा द्वारा वर्ष 1965 में पारित आपात कानून को सात वर्ष पश्चात् पेश किया गया है। उक्त आपात कानून द्वारा कार्यकारी परिषद तथा कोर्ट के गठन में परिवर्तन किया गया था तथा कोर्ट की शक्तियों को कम कर दिया गया था।

श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए।

Shri K. N. Tiwary in the chair

इस आपात कानून के अधीन कार्यकारी परिषद तथा कोर्ट के नियमित गठन के स्थान पर इनका नामांकन किया जाना आरंभ हुआ। फिर भी इस विधेयक से विश्वविद्यालय के शिक्षा निकायों के कार्यकरण अथवा उनकी शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा फिर भी सरकार ने एक ऐसा विधेयक लाने का वचन दिया था जिसके अधीन कार्यकारी परिषद तथा कोर्ट का नियमित रूप से गठन हो।

उस समय यह भी सोचा गया था कि इस विश्वविद्यालय तथा देश में शिक्षा-जीवन के हितों के लिए यही सर्वोत्तम होगा कि इस विश्वविद्यालय संबंधी विधेयक को उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर बनाया जाये जिन सिद्धांतों पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय विधेयक तैयार होना था।

इसी बीच सभा ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम 1966 पारित कर दिया परन्तु इस समय तक इन दोनों विश्वविद्यालयों के स्वरूप के बारे में अनेक विवाद खड़े हो चुके थे। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुछ दुभाग्यपूर्ण घटनायें घटी और उसकी जांच फलस्वरूप यह विधेयक फिर अधर में ही लटक गया।

इस बीच उपकुलपतियों के एक सम्मेलन में विश्वविद्यालयों के प्रशासन के बारे में डा० गजेन्द्र गडकर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इससे पूर्व भी राधाकृष्णन आयोग, शिक्षा आयोग आदि द्वारा इस विषय पर काफी विचार किया जा चुका है। अत: इस उच्च शक्ति प्राप्त समिति का सरकार ने स्वागत किया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक पेश करने से पूर्व इस समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा करना उचित समझा।

इस विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयन्ती मनाये जाने का अनेक लोगों तथा यहाँ संसद में भी विरोध किया गया क्योंकि उस समय इसका प्रशासन एक मनोनीत कार्यकारी परिषद तथा कोर्ट द्वारा चलाया जा रहा है। अत: सरकार द्वारा संक्षिप्त अवधि के लिए एक अस्थायी विधान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक 1970 लाया गया किन्तु साथ ही सरकार ने यह कहा कि गजेन्द्र गडकर समिति की सिफारिशें सरकार तथा विश्वविद्यालय आयोग को प्राप्त हो जाने के बाद सरकार एक वृहद विधेयक लायेगी।

इस बीच विश्वविद्यालय में तथा उसके बाहर भी तरह-तरह के आन्दोलन होते रहे जिसके फलस्वरूप इसकी स्वर्ण-जयन्ती समारोह स्थगित हो गया।

फिर गजेन्द्र गडकर समिति की सिफारिशें वर्ष 1971 के ग्रीष्मकाल में प्राप्त हुई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामान्य रूप से उन्हें स्वीकार किया और फिर सरकार ने इन सिफारिशों को सभी राज्य सरकारों को भेजा और उधर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन्हें सभी विश्वविद्यालयों में भेजा। फिर उन सभी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करके तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री सिद्धार्थ शंकर रे ने सभा में वक्तव्य दिया कि सरकार ने इस समिति की सिफारिशें स्वीकार करती हैं। और फिर विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के सुझावों को भी ध्यान में रखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक तैयार किया गया और सबसे पहले सभा में पेश करने का निर्णय किया गया और भरसक प्रयास किया गया है कि विश्वविद्यालय का प्रशासन तथा स्वरूप गजेन्द्र गडकर समिति की सिफारिशों के अनुरूप हो।

अन्य सामान्य खण्डों के अतिरिक्त इस विधेयक में कुछ एक प्रमुख प्रावधान हैं जिनमें पहला यह है कि विश्वविद्यालय को धारा 5 (2) के अनुसार प्राच्य तथा इस्लामिक अध्ययन के संवर्द्धन और मुस्लिम धर्म दर्शन की शिक्षा देने की ओर विशेष ध्यान देने के अधिकार दिये गये। इसके अतिरिक्त एक अन्य खण्ड, खण्ड (ख) जोड़ा गया है जिसका अभिप्राय भारत की सभ्यता तथा संस्कृति एवं विभिन्न धर्मों के अध्ययन को बढ़ावा देना है। वैसे तो यह विश्वविद्यालय पहले से अरबी, फारसी, संस्कृत, प्राकृत तथा पाल जैसी पुरानी भाषाओं तथा उर्दू, हिन्दी, तमिल, तेलगू, मलयालम, बंगला आदि अन्य भारतीय भाषाओं के दक्षिण की ओर ध्यान दे रहा है। परन्तु उर्दू की ओर विशेष ध्यान देने का इसे विशेषाधिकार है।

कुछ परिस्थितियों में इस विश्वविद्यालय को अपनी परीक्षाओं में प्राईवेट परीक्षार्थियों को भी शामिल करने का अधिकार था अब इस अधिकार को कुछ विस्तृत करके पत्राचार पाठ्यक्रम

की व्यवस्था भी कर दी गई है ताकि पूरी तरह प्राईवेट छात्र प्रवेश न पा सकें। यह शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय नीति संकल्प के अनुरूप है। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यह विश्वविद्यालय अपने चारों ओर 25 किलो मीटर की दूरी तक विशिष्ट प्रयोगशालायें तथा अन्य एकक स्थापित करे। इसे अध्ययन विभाग को स्वायत्त विभाग घोषित करने का भी हक है।

दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन मुख्य अधिनियम की धारा 12 क को समाप्त करना है जिसमें कालेजों को सबद्ध करने के अधिकार थे। यही बात बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में वर्ष 1966 में स्वीकार की गई थी अब क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को पहले भी किसी कालेज को संबद्ध करने के अधिकार नहीं थे अतः इस पर इस धारा के हटने से कोई प्रभाव नहीं पडा है। यहाँ उद्देश्य यह रहा है कि हम अपने कुछ शिक्षण संस्थानों को केन्द्रीकृत तथा आवासिक (रेजिडैंशल) भी रखें ताकि अनुसंधान तथा परिक्षात्र संबंधी अध्ययन में अधिक सुविधा रहे। यहीं पर ही परीक्षा प्रणाली संबंधी सुधार तथा छात्रों के कार्य का निरन्तर मूल्यांकन सुविधापूर्वक किया जा सकता है।

उपरोक्त सभी परिवर्तन गजेन्द्रगडकर समिति की सिफारिशों के अनुरूप किये गये हैं।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

कम्पनी विधि का उल्लंघन करके एक कम्पनी द्वारा भारी संख्या में इश्तहार छपवाये जाने के आरोप के बारे में प्रस्ताव

MOTION REG : ALLEGATION OF PUBLICATION OF LARGE NUMBER OF POSTERS BY A COMPANY IN VIOLATION OF COMPANY LAW

सभापति महोदय : अब हम श्री ज्योतिर्मय बसु के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। मेरा सबसे अनुरोध है कि बिना अनुमति कोई न खड़ा हो।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair

अध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु !

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मुझे खेद है कि प्रधान मन्त्री यहां उपस्थिति नहीं हैं जबकि उन्होंने ही इस सम्बन्ध में अनेक विवाद पैदा किये हैं। यदि वह सभा में चर्चा का सामना करने में घबराती तो यह दूसरी बात है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

दुर्भाग्य से गत 25 वर्ष से भारत में राजनीतिज्ञों को निरादर ही मिला है। उन्हें भ्रष्टाचार तथा बेइमान कहा गया है। हमें अपने गिरहवान में झाँककर देखना चाहिये। यहां सभा में अनेक ईमानदार लोग भी हैं।

सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार व्याप्त है। ये फोटोस्टेट प्रतियां हमें बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुई हैं और ये समुद्र में एक बूंद के बराबर हैं। इन फोटो प्रतियों के कारण सरस्वती प्रेस के छः कर्मचारियों को उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।

वित्त विधेयक पर बहस के दौरान मैंने कुछ फोटोस्टेट प्रतियां अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की थीं। प्रधान मन्त्री ने उस बारे में मौन ही धारण किये रखा। श्री चव्हाण ने अपने उत्तर में कहा कि मेरी पार्टी के विरुद्ध उन्होंने कुछ निराधार आरोप लगाये हैं।"

पश्चिम बंगाल में 20 मई को तथाकथित सूखा राहत मिशन के नाम में प्रधान मन्त्री ने कलकत्ता में एक नवयुवक सभा के समक्ष भाषण दिया। स्टेट्समैन में प्रकाशित समाचार के अनुसार प्रधान मन्त्री ने कहा कि इस बारे में पेश किये गये दस्तावेज जाली हैं। फोटोस्टेट कोई वास्तविक साक्ष्य नहीं हैं। पत्र में हस्ताक्षर नहीं हैं। 'हिन्दुस्तान स्टेण्डर्ड' के अनुसार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यह साबित करने का प्रयास कर रही है कि कांग्रेस पार्टी पूंजीपतियों द्वारा समर्थित पार्टी है। प्रधान मन्त्री ने फोटोस्टेट प्रतियों को निराधार बताया और यह भी कहा कि पूंजीपतियों के धन का इस भुगतान से कोई सम्बन्ध नहीं है।

हम उन सभी दावों की सूची चाहते हैं, जो 1 जनवरी, 1970 से 31 मई, 1972 की अवधि के दौरान दिये गये। इस बारे में हम चाहते हैं कि सभा पटल पर उनकी प्रति रखी जाय और लोक लेखा समिति इस बारे में पूरी जाँच पड़ताल करे। इस बारे में कम्पनी कानून, काला धन और अन्य कई प्रश्न सम्बद्ध हैं, और सरकार इन उल्लेखनों के बारे में क्या कार्यवाही करने जा रही है।

औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मन्त्री श्री रघुनाथ रेड्डी ने राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि सबसे अधिक चन्दा 2,33,07,021 रु० कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुए, परन्तु उन 40 नामों में कहीं भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का नाम नहीं है।

प्रधान मन्त्री ने यह तो कहा कि 'प्रस्तुत किये गये दस्तावेज जाली हैं' 'फोटोस्टेट कोई वास्तविक साक्ष्य नहीं है' अथवा 'प्रेस द्वारा एकाधिकारी को लिखे गए पत्र में हस्ताक्षर नहीं हैं' परन्तु उन्होंने उस फोटोस्टेट प्रति का कोई उल्लेख नहीं किया, जिसमें पूर्ण हस्ताक्षर थे और 4,80,000 रु० मूल्य के 8,00,000 पोस्टर छापने का आर्डर दिया गया था। प्रधान मन्त्री के कलकत्ता से वापस आने पर अध्यक्ष के कमरे से दोनों फोटोस्टेट प्रतियां चुरा ली गईं। कलकत्ता जाने से पहले प्रधान मन्त्री को उन दो फोटोस्टेट प्रतियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था और उन्होंने सारे देश को गुमराह किया।

फोटोस्टेट प्रति में स्पष्ट रूप से लिखा है 'सरस्वती प्रेस में मुद्रित और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रकाशित'। 'श्री सरस्वती प्रेस' भूतपूर्व वित्त राज्य मन्त्री-श्री अरुण चन्द्र गुहा के अधीन है। 1 मार्च, 1972 को श्री गौड़ टाइपिस्ट को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि सभी पत्रों में गौड़ ने अपने हस्ताक्षर किए, परन्तु एक पत्र में अपने हस्ताक्षर नहीं किए, जो चुनाव पोस्टर के मुद्रण से सम्बन्धित था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस कम्पनी के लैटरहैड पर मुद्रित उपर्युक्त पत्र की एक प्रति 'सत्यजुग' दैनिक पत्र के प्रबन्धकों को सप्लाई की गई, जो 10 मार्च, 1972 के अंक में प्रकाशित किया गया। इस पकार आर्डर की गोपनीयता समाप्त करके आपने कम्पनी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाई है। 12 मार्च, 1972 के पत्र में श्री बटकृष्ण धर पर भी कम्पनी के कार्यों की गोपनीयता भंग करने का आरोप लगाया गया है। इस व्यक्ति को केवल सन्देह के कारण ही नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। ये क्रास्ड चेक से अदायगी करने की बात करते हैं, परन्तु उन्होंने सरस्वती प्रेस को आर्डर सीधे ही क्यों नहीं दिया। प्रेस आर्डर से स्पस्ट पता चलता है कि 4.80 लाख रु० मूल्य का 8 लाख पोस्टर छापने का आर्डर दिया गया।

पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि "कार्य पूरा होने पर श्री आर० पी० गोयन्का को बिल प्रस्तुत किया जाएगा।" पत्र में यह कहीं नहीं लिखा है कि बिल अखिल भारतीय कांग्रेस को पेश किया जायगा। गोपन्का को उनकी वास्तविक जरूरत से दस गुना ज्यादा आयात लाइसेन्स दिया गया और यह चोर बाजार में बेचा गया। पोलिथीन को बेचकर करोड़ों रुपया चोर बाजार से कमाया गया। इस गोयन्का ने एक केन्द्रीय मन्त्री के कार्यालय में अपना कार्यालय स्थापित करके धन इकट्ठा किया। मैं श्री उमा शंकर दीक्षित के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता। एशियन केबल्स के बारे में तीन वर्ष पहले केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने जो जांच शुरू की थी, उस बारे में क्या हुआ? पिछले दस दिनों में कम्पनी कार्य विभाग, औद्योगिक विकास मन्त्रालय और विदेश व्यापार मन्त्रालय को तीन पत्र लिखे, लेकिन कोई वास्तविक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अकेले श्री गोयन्का ने 1972 के निर्वाचन में 4.58 करोड़ रुपए इकट्ठे किये थे।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार किसी के नामोल्लेख की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तपुजा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को विश्वास है कि उनके पास फाइल नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : न्यू इण्डिया एशुरेन्स कम्पनी के प्रबन्ध निर्देशक श्री बी० के० शाह ने 65 लाख तथा बिड़लाओं ने 50 लाख रुपए एकत्र करके श्री गुणवन्त कटाड़िया के द्वारा कांग्रेस को दिए थे।

अध्यक्ष महोदय : वह मुख्य विषय पर ही बोलें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं एक समाचारपत्र से उद्धृत कर रहा हूं। वे इतने अधीर क्यों हैं?

श्री राज बहादुर : नियम 353 के अनुसार श्री ज्योतिर्मय बसु जिस विषय को लेना चाहते हैं, उन्हें उसकी पूर्व सूचना देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : बिना सूचना प्राप्त हुए मैं किसी पर आरोप लगाने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने नियम 353 के अधीन लिखा है।

श्री राज बहादुर : मैंने नामोल्लेख करने के लिए 24 घंटे की पूर्व सूचना की मांग की थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इण्डिन कॉटन मिल्ज फैडरेशन ने 1972 में कांग्रेस स्मारिका में विज्ञापन देने के बारे में एक परिपत्र जारी किया था।

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार कार्यवाई में बाधा पैदा करने पर मुझे घोर आपत्ति है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : प्रकाशित कार्यसूची के अनुसार जहां कम्पनी अधिनियम के उल्लंघन के बारे में चर्चा की जानी है।

अध्यक्ष महोदय : पहले इस बात पर विचार कर लिया जाए कि अधिनियम का उल्लंघन हुआ भी है अथवा नहीं। उसके पीछे निहित उद्देश्यों की भी चर्चा की जा सकती है।

प्रो० मधु दंडवते : इसका अभिप्राय यह कि उद्देश्यों पर सामान्य चर्चा की जा सकती है।

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारामंगलम) : आरोप यह है कि डंकन ब्रदर्स लिमिटेड ने कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए भारी संख्या में पोस्टर छपवाए थे। अन्य कम्पनियों का इससे सम्बन्ध नहीं है ; न ही किसी राजनीतिक पार्टी का उल्लेख किया गया है।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : आरोप एक विशेष राजनीतिक दल के विरुद्ध है।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : इसमें कांग्रेस पार्टी का नाम लिया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे दुःख है कि मन्त्री महोदय अध्यक्षपीठ का सहारा ले रहें हैं।

श्री राज बहादुर : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या यह सभी स्वीकार्य है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : पेपर वालों ने 3½ करोड़ रुपए एकत्र करके उन्हे दिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न डंकन ब्रदर्स लिमिटेड के बारे में है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपकी अनुमति से कुछ उदाहरण पढ़ना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वे प्रस्ताव के लिए महत्वपूर्ण होनें चाहिएं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 'गरीबी हटाओ' मिशन के लिए एकत्र किए गए जिसके बदले इनाम दिए गए और फलस्वरूप कीमतें बढ़ गईं।

राज्य सभा के एक सदस्य ने एक बेहूदा पुस्तक छापी थी।

अध्यक्ष महोदय : इस पुस्तक का इससे क्या संबंध है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह कम्पनियों द्वारा दिए गए अनुदानों से संबद्ध है।

उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायधीश श्री सुब्बाराव ने अक्तूबर, 1967 में कहा था कि कम्पनी अधिनियम में राजनीतिक पार्टियों को अनुदान की व्यवस्था भ्रष्टाचार का भद्दा स्रोत है।

एकाधिकार आयोग की भी ऐसी ही राय थी।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना मत बताइए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : एकाधिकार आयोग का मत है कि बड़े व्यापारी अपने धन से सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट करने में संकोच नहीं करते।

प्रत्यक्ष कर जाँच समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में कहा है कि राजनीतिक दलों को वित्तीय सहायता देकर लोग अवैध रूप से कोटे/लाइसेंस आदि प्राप्त करते है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य विषय का अनावश्यक विस्तार कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 'भारत में संकट' नामक अंग्रेजी पुस्तक में उल्लेख है कि कांग्रेस को राजनीतिक उद्देश्यों के लिये भारी धन मिलता है।

कम्पनी कार्य विभाग को पोस्टर काण्ड की जाँच करानी चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सर्वदलीय संसदीय समिति द्वारा इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि यह सभा वित्त विधेयक पर वाद-विवाद के दौरान श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा फोटोस्टेट कापी के आधार पर लगाए गए इन आरोपों पर, कि डंकन ब्रदर्स लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध निदेशक ने कम्पनी विधि का स्पष्ट उल्लंघन करके भारी सख्या में इश्तहार छपवाये थे, विचार करती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा, वित्त विधेयक पर वाद-विवाद के दौरान श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा फोटोस्टेट कापी के आधार पर लगाए गए इन आरोपों पर, कि डंकन ब्रदर्स लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबन्ध निदेशक ने कम्पनी विधि का स्पष्ट उल्लंघन करके भारी संख्या में इश्तहार छपवाये थे, विचार करती है ।"

श्री के० एन० तिवारी (बेतिया) : माननीय सदस्य ने बहुत सी असंगत बातें कहीं हैं उन्हें कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाये ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापन प्रस्ताव रखा जाये :—

"कि इस सभा की वित्त विधेयक पर वाद-विवाद के दौरान श्री ज्योतिर्मय वसु द्वारा फोटोस्टेट कापी के आधार पर लगाये गये इन आरोपों पर, कि डंकन ब्रदर्स लिमिटेड कलकत्ता, के प्रबन्ध निदेशक ने कम्पनी विधि का स्पष्ट उल्लंघन करके भारी संख्या में इश्तहार छपवाये थे, विचार करने के उपरान्त यह राय है कि इस मामले के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये ।"

श्री समर गुहु (कन्टाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान में निम्न प्रतिस्थापन प्रस्ताव रखा जाये :—

"कि इस सभा की वित्त विधेयक पर विवाद के दौरान श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा फोटोस्टेट कापी के आधार पर लगाए गए इन आरोपों पर, कि डंकन ब्रदर्स लिमिटेड कलकत्ता के प्रबन्ध निदेशक ने कम्पनी विधि का स्पष्ट उल्लंघन करके भारी संख्या में इश्तहार छपवाये थे, विचार करने के उपरान्त सिफारिश करती है कि इन आरोपों के सभी पहलुओं की जाँच करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक समिति नियुक्त की जाये ।"

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान में निम्न प्रतिस्थापन प्रस्ताव रखा जाये :—

"कि इस सभा की वित्त विधेयक पर वाद-विवाद के दौरान श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा फोटोस्टेट कापी के आधार पर लगाये गये इन आरोपों पर, कि डंकन ब्रदर्स लिमिटेड

कलकत्ता, के प्रबन्ध निदेशक ने कम्पनी विधि का स्पष्ट उल्लंघन करके भारी संख्या में इश्तहार छपवाये थे, विचार करने के उपरान्त सिफारिश करती है कि सभी पहलुओं की जाँच करके लोक सभा के आगामी सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाए।"

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (कलकत्ता दक्षिण) : इस मामले पर निर्णय सरकार को करना है कि क्या डंकन ब्रदर्स लिमिटेड ने कानून का उल्लंघन किया है, अथवा नहीं। श्री बसु ने अपने भाषण के दौरान कई बार प्रधान मंत्री पर आरोप लगाए हैं।

श्री बसु ने पुनः यह प्रश्न उठाया है कि कांग्रेस पार्टी ने जनता को धोखा देने की चेष्टा कर रही है तथा कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन करके बड़े व्यवसाय-गृहों से धन एकत्र किया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि श्री बसु प्रस्तुत विषय से दूर चले जा रहे हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : हमारी पार्टी पर बड़े व्यवसाय-गृहों से धन एकत्र करने का आरोप लगाया गया है। परन्तु मार्क्सवादी पार्टी के श्री ज्योति बसु ने 1971 में एक अज्ञात व्यक्ति से 20000 रुपए प्राप्त किए।

अध्यक्ष महोदय : आप कम्पनी अधिनियम के उल्लंघन के विषय को ही लें।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : जैसी मार्क्सवादी पार्टी ने अपनी पृष्ठभूमि तैयार की वैसी ही मैं भी कर रहा हूँ।

मार्क्सवादी पार्टी ने अज्ञात स्रोतों से धन कैसे प्राप्त किया इसकी जांच कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय को करनी चाहिए।

श्री ज्योति बसु को 16000 रुपए बी० के० आई० द्वारा दिए गए। यह बिडला बन्धुओं से धन की पहली किश्त थी।

इस बारे में एक संसदीय समिति नियुक्त की जाए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उक्त दल को बड़े व्यवसाय-गृहों द्वारा धन दिया जा रहा है।

हमारी ओर से कई बार यह कहा जा चुका है कि पोस्टर की लागत हमने क्रास चैक द्वारा दी है। संसद सदस्य इसकी जांच कर सकते हैं।

बिड़ला की कम्पनी टेक्समार्का ने साम्यवादी मार्क्सवादी पार्टी के लिए 1971 में प्रत्येक श्रमिक से 10 रुपये वसूल किये थे। इस पार्टी को लम्बी अवधि के लिये सहायता देने के लिये 1970 में आचार्य-बिड़ला सन्धिवार्ता हुई थी। पार्क होटल के अमीचन्द प्यारेलाल को किन्ही कारणों से संयुक्त विधायक दल सरकार के आने से पहले लाईसेंस नहीं दिये गये थे। इस संयुक्त विधायक दल की सरकार ने सत्तारुढ़ होते ही उन्हें लाईसैन्स दिये तथा इन्होंने साम्यवादी मार्क्सवादी दल को नकद रुपये तथा अन्य सुविधाएं दीं।

साम्यवादी मार्क्सवादी दल ने चुनाव के बाद हमारे दल पर दोष लगाने शुरू कर दिये और कहा कि चुनाव में गड़बड़ की गई है। इन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न भी किया कि हिंसा फैल रही है। इन सब कामों में ये असफल रहे। अब इन्होंने इश्तहारों का मामला उठाया है। हमारा दल पैसा जुटाने के लिए देश के किसी व्यापार-गृह के समपर्क में नहीं है।

साम्यवादी मार्क्सवादी दल ने एक सप्ताह पहले कलकत्ता में के. के. बिड़ला के घर में सम्भवत: धन जुटाने के लिये एक गुप्त बैठक बुलाई। यह दल विभिन्न स्रोतों से धन जुटाता है। बिड़ला-बन्धु भी साम्यवादी दल को धन देते हैं। मेरे पास कागजात हैं जिन्हें आपके सामने भी रख सकता हूं। अमीचन्द प्यारेलाल से भी इन्हें पैसा मिला है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा कम्पनी ला के उल्लंघन का जो प्रश्न उठाया गया है, उसके बारे में सरकार ने कोई वक्तव्य नहीं दिया। सरकार बोलने से इन्कार ही नहीं करती बल्कि लगाये गये दोषों का स्पष्टीकरण भी नहीं करती जिससे लोगों के दिलों में सन्देह बढ़ता ही जा रहा है।

सन् 1968 से पहले कम्पनियां राजनैतिक दलों को दान दे सकती थीं। अब वह स्थिति नहीं है।

24 नवम्बर, 1969 को श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने मार्च, 1962 से नवम्बर 1968 तक के चन्दे से सम्बन्धित आँकड़े दिये थे। इस अवधि में कम्पनियों ने राजनैतिक दलों को 3.40 करोड़ रुपये का चन्दा दिया जिसमें से कांग्रेस को 2.73 करोड़ रुपये, स्वतन्त्र पार्टी को 55.93 लाख रुपये, जनसंघ को 2.25 लाख रुपये मिले थे। 25 जून, 1971 को लोकसभा में रखे गये आंकड़ों के अनुसार जनसंघ को क्रमश: 7,000 रुपये, 1,25,000 रुपये, 1,25,00,000 रुपये, स्वतन्त्र पार्टी को क्रमश: 15,000 रुपये, 15,000 रुपये, 2 लाख रुपये तथा 1,55,000 रुपये मिले। कांग्रेस को भी 45,000 रुपये मिले। वर्ष 1967-68 के दौरान बिड़ला-बन्धुओं ने कांग्रेस को 16.45 लाख रुपये, जनसंघ को 21,555 रुपये और साम्यवादी दल को 10 रुपये दिये। टाटा ने कांग्रेस को 5 40 लाख और स्वतन्त्र को 2.50 लाख रुपये दिये। किरलोस्कर कम्पनी ने कांग्रेस को 1·20 लाख और स्वतन्त्र पार्टी को 3.75 लाख रुपये दिये।

जो फोटोस्टेट कापी हमारे सामने है उससे यह सिद्ध नहीं होता कि कम्पनी ला का उल्लंघन हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि श्री आर. पी. गोयंका कांग्रेस के काफी निकट है। हमें पता चला है कि कांग्रेस पार्टी ने क्रास चैक द्वारा बिल अदा कर दिया है यह सिद्ध नहीं होता कि इस घटना से कम्पनी ला का उल्लंघन हुआ है। अमीर लोग, व्यापारी, एकाधिकारी आदि सभी के कांग्रेस पार्टी और स्वतन्त्र पार्टी के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं। वर्ष 1969 के बाद साम्यवादी मार्क्सवादी दल को भी कई व्यापार-गृहों से चन्दा मिलने लगा है।

यह बात सच है कि चुनावों में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। इस बात को कौन नहीं जानता ? पैसा कहां से आता है ? कानून का उल्लंघन करके बनावटी विवरण पेश करना आसान काम है (**व्यवधान**)।

संघनम् समिति ने यह बात स्पष्ट की है कि चुनाव के दौरान राजनैतिक दल जिस ढंग से पैसा एकत्र करते हैं उससे समूल राष्ट्रीय जीवन भ्रष्ट हो रहा है। डंकन ब्रदर्ज तथा श्री. आर. पी. गोयन्का के रजिस्टरों तथा कागजातों की छानबीन कम्पनी ला एडमिनिस्ट्रेशन को करनी चाहिये ताकि यह मालूम किया जा सके कि सन्देह के लिए कोई आधार है अथवा नहीं।

देश में समाजवाद लाने के लिए तथा गरीबी हटाने के लिए और लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। हमें इस संसद में प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम चुनाव सम्बन्धी कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन् (वडागरा) : इस प्रकार की चर्चा से किसी समस्या का समाधान नही होता । विरोधी दलों ने इश्तहारों की कहानी पेश की है। विरोधी राजनैतिक दलों के नेताओं ने इश्तहारों के सम्बन्ध में में जो दलीलें दी हैं, उनसे देशवासियों तथा इस सदन को गुमराह करने का प्रयन्न किया गया है। लेकिन प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में यह देश गुमराह नहीं होगा, मुझे ऐसा विश्वास है । मेरे विचार में इस वर्ष 7 फरवरी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 8 लाख पोस्टर छापने के लिये सरस्वती प्रेस को आर्डर दिया था । बाद में 13 अथवा 14 लाख अधिक पोस्टर छापने के लिए सरस्वती प्रेस को आर्डर दिया गया । 14 मार्च, 1972 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 1,95,000 रुपये का क्रास चैक दिया जिसमें कागज की कीमत शामिल नहीं थी । इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता ।

लेकिन इस घटना से कम्पनी ला का उल्लंघन कैसे होता है ? मैं श्री ज्योतिर्मय बसु को चुनौती देता हूं कि इस बात को सिद्ध करें कि कम्पनी ला का उल्लंघन हुआ है । इस मामले में एकाधिकारवादियों के साथ साँठगांठ कैसे सिद्ध होती है और इस मामला में राजनैतिक नैतिकता कहां आती है ?

मैं जिम्मेदारी के साथ यह आरोप लगाता हूं कि श्री बसु का दल बिड़ला-बन्धुओं सहित बड़े-बड़े एकाधिकारियों से सांठगाँठ करके भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दे रहा है। जैसे कि मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा श्री प्रिय रंजनदास मुन्शी ने कहा इन्होंने 1969 के चुनाव में टनों धन एकत्र किया ।

मेरे राज्य केरल में बन राष्ट्रीयकरण कानून का यदि किसी दल ने विरोध किया है, तो केवल श्री ज्योतिर्मय बसु के दल ने साम्यवादी मार्क्सवादी दल सर्वसाधारण की रक्षा न करके बड़े-बड़े पूंजीपतियों की रक्षा करता है। 1967 में मार्क्सवादी दल के केरल के दैनिक पत्र 'देश अभिमानो' को कोचीन से चलाया गया । दल को यह पत्र चलाने के लिए पैसा कहां से मिला ?

अध्यक्ष महोदय : आपने काफी प्रत्यारोप लगा दिये हैं । आप अब प्रस्ताव पर बोलें ।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन् : मैं इस प्रश्न पर आ रहा हूं । श्री ई. एम. एस. नम्बुदरीपाद ने श्री बिलिंगटन के विरुद्ध जांच कराने से इन्कार किया । लेकिन बाद में उच्च न्यायालय में सेवानिवृत न्यायाधीश ने श्री बिलिंगटन द्वारा किये गये भ्रष्टाचारों को सिद्ध किया ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)
(Mr. Deputy-Speaker in the chair)

मार्क्सवादी दल अब श्रमजीवी वर्ग का दल नहीं रहा। इस दल का अब कोई भी सच्चा प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं रहा । सर्वश्री बसु, मोदी और मिश्र इस सदन को गुमराह नहीं कर सकते ।

श्री जी. विश्वनाथन् (वाण्डीवाश) : इश्तहारों के मामले पर श्री बसु द्वारा लगाये गए आरोप का जो उत्तर वित्त मन्त्री ने दिया वह टालमटोल वाला था । प्रधानमन्त्री ने इसका उत्तर कलकत्ता में दिया । प्रधान मन्त्री ने अपने कलकत्ता में दिये गये उत्तर में यह भी कहा कि मार्क्सवादी दल भी चुनाव के समय व्यापार-गृहों से पैसा प्राप्त करता है । श्रीमती गांधी

ने कहा कि यह आरोप बिल्कुल निराधार है। कांग्रेस तथा प्रधान मन्त्री को सदन में इस आरोप का उत्तर देना चाहिये था।

कांग्रेस दल इस चर्चा में इस लिए नहीं पड़ना चाहता कि वह स्वयं कम्पनियों से चन्दे के रूप में बड़ा धन लेता है। उद्योगपतियों तथा एकाधिकार-गृहों से चन्दे के रूप में जो पैसा राजनैतिक दलों को जा रहा है उससे देश के राजनैतिक जीवन के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। दान के बदले वे कुछ आशायें भी रखते हैं।

कम्पनीज एक्ट की धारा 293 (क) के अधीन चन्दा देने वाली फर्मों को 5000 रुपये जुर्माने अथवा 3 साल की कैद की व्यवस्था रखी गयी है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि 1968-69 से ऐसे कितने लोगों पर जुर्माने किये गये अथवा मुकदमें चलाये गये। श्री आर. पी० गोयन्का ने भी कांग्रेस दल को चन्दा दिया है। श्री गोयन्का बड़े तबके में रहते हैं वह दिल्ली में वरिष्ठ मन्त्रियों के घर पर प्रायः आते-जाते रहते हैं।

बड़े-बड़े उद्योग-समूहों का प्रभाव न केवल सरकार के मंत्रियों पर है अपितु स्वयं प्रधान-मन्त्री पर भी है और वह उन्हीं से प्रभावित हो जाती हैं। छोटी कार परियोजना को ही लीजिए। कितने वर्षों से यह लटकी है केवल इसीलिए न कि एक बड़ा कार निर्माता चाहता है कि यह परियोजना सफल न हो और उसी की बनाई कारें ही चलती रहें। हाल ही में एक बड़े एकाधिकारी ने जब राज्य सभा की सदस्यता के लिए स्वतन्त्र प्रत्याशी के रूप में फार्म भरा तो उसके दो दिन बाद ही उसे सरकार का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। पहले की बात जाने दीजिए, अब भी तथाकथित समाजवादी और प्रगतिवादी सरकार सभी उद्योगों के लाइसेंस एकाधिकारियों को ही देती है। 1971 में 159 में से 114 लाइसेंस इन्हीं गृहों को दिए गये हैं। सरकार इनका इतना ख्याल रखती है तो वे उन्हें क्यों चन्दे न दें।

अब जबकि आरोप लगाया जा चुका है तो सरकार को यह एक अवसर मिला है कि वह मार्क्सिस्ट पार्टी को अनावृत कर दे और अपने को निर्दोष सिद्ध करे। इसकी पूरी-पूरी जांच होनी चाहिए ताकि तथ्य सामने आएं।

उपाध्यक्ष महोदय : यद्यपि 3 घटे के निश्चित समय का कोई महत्व नहीं रह गया है फिर भी यदि प्रत्येक वक्ता 15 मिनट में ही अपना भाषण समाप्त कर ले तो सभी को अवसर दिया जा सकता है।

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : साम्यवादी दल (मार्क्सिस्ट) ने चुनावों में अस्वीकार कर दिए जाने के बाद ये हथकंडे अपनाये हैं, इस पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ है।

स्वस्थ राजनीतिक परम्पराओं का पालन करने वाले कभी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाते हैं। हमने इस पर कभी विश्वास नहीं किया। हम तो सभा में और इसके बाहर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चर्चाएं करने में ही विश्वास रखते हैं।

मनीराम में क्या हुआ ? सभी विरोधी दलों ने 'इन्दिरा हटाओ' का नारा लगाया और उन पर व्यक्तिगत आक्षेप किए। फिर भी मनीराम के बाद संसदीय और राज्यों में हुये चुनावों में कांग्रेस को शानदार सफलताएँ प्राप्त हुई हैं जो ऐतिहासिक घटना है। **(अन्तर्बाधा)**

श्री बी० एन० रेड्डी (मियलिगुडा) : हमारे आरोपों का उत्तर देने के बजाय वह इधर-उधर की बातें कर रहे हैं। **(अन्तर्बाधा)**

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उत्तर नहीं दे रहे हैं। वह तो किसी भी अन्य सदस्य की भांति बोल रहे हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : विपक्षी दलों द्वारा अपने विरोधियों के आचरण पर आक्षेप के कारण ही उन्हें चुनावों में एक के-बाद एक असफलता मिली, और जनता ने अपना निर्णय बता कर उनकी नीतियों पर अपना मत बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। **(अन्तर्बाधा)**

अब जनता को गाली देने का कोई लाभ नहीं है और न ही उन्हें बुद्धिहीन कहा जा सकता है जैसा कि श्री ज्योतिर्मय बसु ने कहा है कि भारत की 70 प्रतिशत अशिक्षित जनता सत्तारूढ़ दल के प्रलोभन युक्त नारों में आ गई है।

खेद है कि वे अब भी वही नीति अपना रहे हैं और कहा गया है कि एक उद्योग-गृह विशेष ने भारतीय कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन भी किया है। सीधा तरीका तो यह था कि ऐसे उल्लंघन के मामले में सरकार को अपने कर्तव्य का पालन करने दिया जाता। मेरे सहयोगी श्री रघुनाथ रेड्डी बतायेंगे कि इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या आगे करेगी। मान ले कि सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की, फिर भी श्री बसु श्री वाजपेयी या श्री श्याम-नन्दन मिश्र को न्यायालय में जाने से कौन रोकता है ? सरकार अपना कर्तव्य निभायेगी ही, फिर भी यदि वे मत्री महोदय के उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे तो न्यायालय के द्वार तो उनके लिए खुले हैं। मैं श्री बसु को चुनौती देता हूँ कि वे किसी भी सक्षम न्यायालय में जाएँ और जो सबूत उनके पास हैं वे सब वहां दिखायें, यदि वह ऐसा नहीं करते तो हम यही समझेंगे कि उन्हें सत्य जानने की कोई इच्छा नहीं है और ऐसी बातों से वे केवल राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं जिसके लिए सभा के मंच का अनुचित प्रयोग किया गया है। अब उन्हें ये हथकडे छोड़ देने चाहियें। काननी निर्णय संसद में नहीं हो सकते। कल की नागरवाला चर्चा और आज की चर्चा से लगता है कि विरोधी दल सभा का अपने विशेष उद्देश्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जबकि यहाँ सरकार की गंभीर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नीतियों की चर्चा की जानी चाहिये थी। आशा है इस मंच का इस प्रकार दुरुपयोग नहीं होने दिया जायेगा और यह चर्चा इस प्रकार की अन्तिम चर्चा होगी।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, the Government was in the dock yesterday as well as today and stangely enough, their Spokesmen are strengthening the plea of the opposition.

On the basis of documents produced here, it has been conceded that Congress Party posters were got printed for which Shri R. P. Goenka was the guarantee. Why he stood guarantee is also a evident. Is he a member of the Congress has he faith in socialism and is this affection selfless and whether it is also not a fact that an enquiry was conducted against him three years ago ? At that time he had sought an Import licence for 1,000 tonnes of poly thene which was granted to him, whereas he required only 360 tonnes annually. This was not got imported, instead the licence was sold and he earned 50 lakh rupees therefrom. When this matter was raised in the House, the then Minister of Industrial Development, Shri F. A. Ahmed had stated that it was being looked into by the C.B.I. But we do not know the outcome thereof : **(Interruption)**

Shri Goenka wanted to purchase Bombay Dyeing, the biggest textile mill in the country, and although Government had assured that no monopoly houses shall be allowed to acquire it but he was allowed to do so. I have been told that the Paper Industry donated 5 crores of rupees during the last election, I have a full list of such donors, which, if you permit, may he laid on the Table after authentication by me. 20 lakhs of rupees was accepted from Jute Mills, one, crore from Textile Industry and another one crore from Sick Mills, 80 lakhs from Trade Industry. 2·5 crores were netted through advertisement. 30 crores were extracted from the Sugar Industry, 5 crores from big Industrialists, 15 lakhs from Cinema Industry, 50 lakh from Hoteliers and Wine Merchants. Money was also received From Cement, Tea and Mining Industries. **(Interruption).** The Company Law prohibits such donoations.

The Minister of State for defence has stated that if any law has been violated, the matter should be taken to a Court of Law. If any law has been violated, why should it not be raised in this house ? As Shri Munshi said that C P M has also collected funds, then why does he not take this matter to the Court ? What is the need of making counter, charges here ?

It is said that payment was made through a crosed cheque. Could the cheque not be issued in a back date ? Could the money not be obtained for the same, cheque from any industrialist ? This matter should be thoroughly investigated. The company law prohibits the donations to the Political parties. The companies give funds only to that party which can issue licences or, can benefit by any other means. Now funds are given in a secret manner. It is a danger to the healthy functioning of democracy. I would urge the Government to bear all the election expenses as is done in West Germany. The election expenses of condidates, belonging to the recognised political parties who are able to save their security deposits should be borne by the Government. There should also be a ceiling on expenditure of political parties.

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : श्री ज्योतिर्मय बसु ने इस प्रस्ताव का उपयोग मेरी पार्टी पर कीचड़ उछालने के लिए ही किया है। श्री मुंशी ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सम्बन्धों के बारे में जो सूची पेश की है, उससे पता चलता है कि श्री बसु की फोटोस्टेट प्रति बाँटने की कार्यवाही राजनीति से प्रेरित थी और निराश होकर ही उन्होंने यह प्रस्ताव पेश किया है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आरोपों की एक सूची प्रस्तुत की है। लोकतंत्र में कोई भी किसी के विरुद्ध आरोप लगा सकता है, परन्तु उसे इन आरोपों को सिद्ध करना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक होगा कि वे एक आचरण संहिता बना कर उस पर आचरण करें।

मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महा-सचिव हूँ और सदन को यह बता देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि हमारा लेन-देन कितना साफ होता है। कांग्रेस ने 21,25,000 पोस्टर छापने के लिए सरस्वती प्रैस को आर्डर दिया था। पोस्टर छापने के लिए सारा कागज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने स्वयं सप्लाई किया था। कागज की कीमत 2,74, 000 रुपये थी। पोस्टरों और 16,80,000 फोल्डरों की छपाई, बिक्री कर और पैकिंग व्यय का भुगतान दिनांक 14-3-72 के इलाहाबाद बैंक के 1,95,592.50 रु० के एकमात्र क्रास्ड चैक नं० जे 821975 द्वारा किया गया था। इस राशि में आर्डर नं० 189/72 के अधीन दिए गये पोस्टरों की छपाई की लागत का 1,43,850 रु० भी शामिल है। सरस्वती प्रेस द्वारा जारी की गई रसीदों के नं० 2071 और 2074 हैं और राशि क्रमशः 1,84,449.90 रु० और 11,142.60 रु० है। सारे खर्च का भुगतान हमने क्रास्ड चैक से किया है।

पोस्टरों के लिए कागज हमने टीटागढ़ और बंगाल पेपर मिल्स से 2,24,236.78 रु० देकर खरीदा है। मुझे आशा है कि श्री बसु अपने विचार तथ्यों के अनुरूप ही प्रकट करेंगे।

कांग्रेस पार्टी के कार्य संचालन के पीछे देश की जनता का भारी समर्थन है। हम उच्च सिद्धान्तों का पालन करते हैं। हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आपके अपने शहर में, सारे आरोपों का खण्डन किया है। विरोधी पक्ष चाहे जितनी कीचड़ उछाले, परन्तु सही बात का निर्णय देश की जनता ही करेगी।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें संसद और विरोधी पक्ष पर गर्व है। संसद में जनता की समस्याओं पर प्रकाश डाला जाता है।

श्री आर० पी० गोयन्का के इस सदन में 362 वकील हैं। दूसरे पक्ष के सदस्यों ने बताया है कि प्रधानमंत्री अथवा सत्तारूढ़ दल के बारे में कुछ भी मत कहिये; परन्तु फोटोस्टेट कापी पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जो बातें विरोधी पक्ष की ओर से कही गई हैं, वे सिद्ध हो चुकी हैं।

श्री आर० पी० गोयन्का जैसे गारन्टी देने वाले व्यक्ति के मिलने पर मैं सत्तारूढ़ पार्टी को बधाई देना चाहता हूं। यह व्यक्ति सरकार के संरक्षण में विकास कर रहा है। प्रधान-मत्री ने कहा कि पूंजीपतियों ने सभी पार्टियों धन प्राप्त करती हैं, परन्तु मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या विरोधी पार्टियों के पास सत्ता का अधिकार है...

उस पक्ष के अनेक वक्ताओं ने और इस पक्ष के वक्ताओं ने भी कहा है कि कानून के उल्लंघन होते रहे हैं। इस प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी कानून का उल्लंघन श्री आर० पी० गोयन्का द्वारा किया गया है।

यह भी कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रचार-कार्य पर 5 करोड़ रुपये व्यय किये हैं। चलचित्र द्वारा प्रचार पर ही एक करोड़ रुपये के लगभग धन खर्च किया गया है। उस बारे में किस चैक से, किस तारीख को कैसे धन अदा किया गया ? यह एक मौलिक प्रश्न है।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किया है, उसका किसी ने भी खण्डन नहीं किया है। श्री गोयन्का एक अपराधी हैं और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिये। उसने सत्तारूढ़ पार्टी को काफी धन दिया है और यह आरोप सिद्ध हो चुका है। वित्त मंत्री और अन्य जिन सदस्यों ने उसका समर्थन किया है, उन्होंने सदन का विशेषाधिकार भग किया है।

उन्होंने इस दस्तावेज को जाली बताया है। लेकिन इस दस्तावेज को अभी तक झूठा सिद्ध नहीं किया गया है। अन्य साक्ष्यों को सभापटल पर रख दिया गया है। उन्हें श्री ज्योतिर्मय बसु के भाषण के साथ जोड़ दिया गया है। 6 कर्मचारियों की गिरफ्तारी इस बात का द्योतक है कि उक्त सभी दस्तावेज सही हैं। **(अन्तर्बाधाएं)**

फायर स्टोन कम्पनी ने एक राजनीतिक दल को 80 लाख रुपये दिये हैं। मैं उस राजनीतिक दल का नाम यहां नहीं बताऊँगा। इस मामले की जाँच की जानी चाहिए। राजनीतिक दलों को 5 करोड़ रुपये दिये जाने से आयकर विभाग को 4 करोड़ रुपये का धोखा दिया गया है।

इससे राजकोष को हानि हुई है। यह न केवल राजनीतिक मांग है बल्कि यह कानूनी और वित्तीय मामला भी है।

कम्पनियों द्वारा दान देने पर रोक लगाने के बाद किये जाने वाले अपराधों की संख्या में हजार गुना वृद्धि हो गई है। समाजवाद का नारा केवल दिखावा मात्र है। इसके कोई परिणाम नहीं निकले हैं। मुझे आशा है कि राजनीतिज्ञ ईमानदारी से काम लेंगे।

श्री आर० के० सिंह (फैजाबाद) : श्री ज्योतिर्मय बसु सत्तारूढ़ दल की आलोचना करना ही जानते हैं। जब श्री प्रियरंजन दास मुन्शी ने तथ्य तथा आँकड़े प्रस्तुत किये तो श्री ज्योतिर्मय बसु संसद में उपस्थित नहीं थे। श्री बसु हिटलर के सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं। यदि एक बड़े झूठ को बार-बार दोहराया जाये तो क्या वह सच हो जायेगा ? (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री मिश्रा को चैक नम्बर और पत्र संख्या बताई गई है फिर भी वह यह तर्क देते हैं कि हमने पोस्टरों के लिए धनराशि का भुगतान नहीं किया है। (**अन्तर्बाधायें**)**

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं उन चार सदस्यों में से हूँ जिन्होंने विधेयक के विरुद्ध मत दिया और मुझे इसके लिए गर्व है। मैंने अपनी बुद्धि नहीं बेची है। **

श्री आर० के० सिंह : संगठन काँग्रेस और जनसंघ मिलकर भारतीय क्रान्ति को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। उनके मित्र ऐसा बंगला देश में कर रहे हैं। वे भारत में लोकतंत्र को असफल बनाना चाहते हैं। वे चुनाव में हार गये हैं और कल उन्होंने नागरवाला का मामला उठाया था और आज़ पोस्टर का मामला उठाया है। वे भारतीयों का मनोबल कम करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका केवल भारतीय लोकतन्त्र को नष्ट करने में विश्वास है। परन्तु भारत के लोगों ने यह बता दिया है कि उनका स्थान कहाँ है।

सुरेन्द्र नाथ महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : श्री गोयनका द्वारा मुद्रित पोस्टरों से ही काँग्रेस की विजय हुई है। प्रधान मंत्री ने कलकत्ते में अपने एक भाषण में यह विचार प्रकट किये थे कि पोस्टर की फोटो कापी असली नहीं है। क्या काँग्रेस दल इसकी प्रामाणिकता पर आपत्ति उठाने का साहस करता है ? यह सच है कि इन पोस्टरों को छापा गया है लेकिन यह सिद्ध नही हुआ है कि ये पोस्टर काँग्रेस दल के लिए छापे गये थे। प्रश्न यह उठता है कि क्या इससे कम्पनी कानून का उल्लंघन होता है अथवा नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा लगाया गया आरोप यह कह कर टाला नहीं जा सकता कि अन्य दल भी कम्पनियों से धन प्राप्त करते हैं।

यह दुःख की बात है कि जब सत्तारूढ़ दल ही इस प्रकार एकाधिकार गृहों से काला धन प्राप्त कर रहा है. तो काले धन की समस्या हल करना बहुत कठिन काम है।

यह कहा गया है कि यदि कम्पनी कानून का उल्लघन होता है तो सम्बद्ध दल मामला संसद में उठाने के स्थान पर उसे न्यायालय में ले जा सकता है। कम्पनी कानून से बचने के लिये 5 लाख रुपया नकद देने की बजाये पोस्टर छपवाकर ऐसा किया गया है।

**अध्यक्ष पीठ के आदशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the chair.

सरस्वती प्रेस द्वारा श्री गोयन्का को लिखे गये पत्र की फोटों कापी को भी झूठा सिद्ध नहीं किया जा सकता है। केवल यह ही कहा गया है कि उस प्रति पर हस्ताक्षर नहीं हैं। कार्यालय की प्रति पर सामान्यतया हस्ताक्षर नहीं होते हैं। मैं कांग्रेस दल से पूछता हूं कि सरस्वती प्रेस के कर्मचारियों को मुआत्तिल करने का क्या कारण था ?

चूँकि इन दोनों दस्तावेजो को झूठा सिद्ध नहीं किया गया है तो अब यह प्रश्न उठता है कि क्या इस मामले में जांच की जा सकती है। मेरा सुझाव है कि एक संसदीय समिति क यह जांच करनी चाहिए कि इस मामले में कम्पनी कानून का उल्लघन हुआ है अथवा नहीं। और क्या कम्पनी कानून से उल्लंघन से सत्तारुढ़ दल को कोई लाभ हुआ है अथवा नही ?

यह भी कहा गया है कि जो बिल सरस्वती प्रेस ने प्रस्तुत किया था उसका अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने चेक द्वारा भुगतान किया था। लेकिन यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है कि क्या उक्त क्रयादेश संख्या 1892/72 दिनाँक 7 फरवरी, 1972 का भुगतान अखिल भारतीय काँग्रेस समिति द्वारा चैक द्वारा किया गया था। तीन या चार चैकों का उल्लेख किया गया है। लेकिन वह चैक क्रयादेश संख्या 189/72 दिनाँक 7 फरवरी, 1972 से सम्बन्धित नहीं है, जो राशि श्री आर. पी. गोयन्का के नाम है। अतः उन चैकों के नम्बरों का उल्लेख करने का कोई महत्व नहीं रह जाता है।

यदि कांग्रेस दल ने चैकों द्वारा भुगतान किया हैं तो श्री गोयनका का नाम इस मामले में क्यों लाया गया है ?

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[Mr. Speaker in the Chair]

यदि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने चैक के द्वारा पोस्टरों के लिए अदायगी की तो र गोयनका का नाम इसमें क्यों और किस प्रकार से आ गया है। गोयनका का नाम इसमें आना यह सिद्ध करता है कि सत्तारुढ़ दल का एकाधिकार गृहों के साथ कोई गोपनीय सम्बन्ध है। जनता ने आपको महान समर्थन दिया परन्तु इसके बावजूद यदि आप का यही आचरण तो यह आपके नाश का द्योतक बनेगा। सत्तारूढ़ दल को मेरा सांशोधन स्वीकार करके इस प्रश्न की जाँच के लिए ससदीय समिति गठित करनी चाहिए इससे सत्तारूढ़ दल के प्रति उदय हुए सभी शय मिट जायेंगे।

Dr. Laxmi Narayan Pandeya (Mandsaur): I have a point of order. We are having an important and serious discussion which is likely to continue. But half-an-hour discussion about Bonus to workers is scheduled to be taken. I submit that either of these discussions should be postponed till tomarrow.

अध्यक्ष महोदय : हमने इस चर्चा के' लिए 3 घण्टे का समय नियत किया था। अब उससे भी 15 मिनट ऊपर हो चुके हैं। इसमें से अधिकतर समय विपक्ष को मिला है। मैं अब किसी भी सदस्य को पाँच-दस मिनट से अधिक समय नहीं दूंगा।

पाँच मिनट का समय प्रतिस्थापक प्रस्तावों के पेश करने वालों को दिया जायेगा और उसके पश्चात 10 मिनट का समय दूसरे पक्ष को दिया जायेगा। उसके पश्चात् मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री शमीम अहमद शमीम (श्रीनगर) : प्राय: यह देखा गया है कि बाद में बोलने वाले विपक्ष के सदस्यों को बहुत कम समय मिलता है ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : आपने कहा है कि सत्तारूढ़ दल तथा विपक्ष के कुछ सदस्यों ने अधिक समय ले लिया है । परन्तु इसके कारण दूसरों को समय से क्यों वंचित किया जाए । हम भी लोगों के मतों के बल पर यहाँ आए हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : इन्हें कल भी समय न मिल सका । अतः आज यह बात नहीं होनी चाहिए ।

श्री पी. के. देव (कालाहाण्डी) : कर्तव्य से बाध्य होते हुए मुझे इस प्रतिस्थापन प्रस्ताव के द्वारा यह कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार श्री प्रताप सिंह कैरो और श्री सिराजुद्दीन के मामलों में जाँच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत आयोग गठित किया गया था उसी के आधार पर इस मामले में भी आयोग गठित किया जाना चाहिए । इन मामलों का सम्बन्ध भ्रष्टाचार काले धन आदि से है । यह मामला सरकार द्वारा कुछ एकाधिकार गृहों को शरण और संरक्षण देने की बात पर से भी पर्दा हटाता है ।

डन्कन ब्रादर्स ने, जिसका मालिक गोयनका है, ने कांग्रेस दल के चुनाव प्रचार के लिए सरस्वती प्रेस को आठ लाख पोस्टर छापने का आदेश दिया था । प्रधान मन्त्री ने इसको मनगढ़न्त बताया और वित्त मंत्री ने इसे निराधार बताया । सरस्वती प्रेस और डन्कन ब्रदर्स ने इस बात का अभी तक कोई खण्डन नहीं किया है । प्रश्न यह उठता है कि इस कार्य के लिए अदायगी किस ने की । कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को धन देने की बात संसद में अनेक बार उठाई गई है । काले धन का परिचालन बढ़ रहा है इसके बारे में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की जा चुकी है ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा डन्कन ब्रादर्स के विरुद्ध किसी मामले की जांच की जा रही है ? क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा पी. बी. सी., एल्यूमिनियम तथा तांबे जैसी आयातित वस्तुओं की कालाबाजारी के मामलों का पता लगाया गया है ? गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित क्यों नहीं कराई है ? क्या यह सच नहीं है कि इस अदायगी के कारण डन्कन ब्रादर्स को यह आश्वासन दिया गया था कि उन्हें; 'बाम्बे डाइंग' का क्रय करने की अनुमति दी जायेगी ?

प्रो० मधु दण्डवते : इस मामले से पता चलता है कि औद्योगिक घरानों और काले धन का हमारे देश के राजनैतिक जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है । इस बारे में मैं यदि कुछ कह रहा हूं तो इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि यह कांग्रेस दल का विरोधी करने की बात है । यह तो अन्यथा ही दुख व शर्म की बात है । इस सब का आधार देश के लोकतंत्रीय ढांचे और लोकतन्त्रीय परम्पराओं के प्रति अनुराग के कारण है ।

इससे कई बातें पैदा होती है । राजनैतिक दल को धन देकर समवाय अधिनियम का उल्लंघन, राजनैतिक दल का औद्योगिक घरानों गठजोड़, यह बातें इससे उठती है । इसका अन्य महत्व यह है कि यदि इस प्रकार की बातों को रोका न गया तो देश के गरीब वर्ग अथवा साधारण दल के लिए संसदीय चुनाव लड़ना असम्भव हो जाएगा ।

जब भी इस प्रकार के मामले उठाये जाते हैं तो सत्तारूढ़ दल से एक ही उत्तर मिलता है कि जनता ने उस दल को महान समर्थन दिया है। यह महान समर्थन क्या है ? क्या जनता ने उनसे यह कहा है कि इस प्रकार के बड़े-बड़े कदाचार किए जा सकते हैं। अतः इस पर हमने केवल कानूनी पेचीदगी के केवल आधार पर ही विचार नहीं करना कि क्या समवाय नियमों का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं। इस मामले के राजनैतिक पक्ष पर भी हमें विचार करना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु का आरोप प्रथम दृष्टया ही सिद्ध हो जाता है। इसके साथ ही देश की प्रधान मंत्री के सम्मान का मामला भी जुड़ा हुआ है। पिछले चुनावों के समय औद्योगिक घरानों से 20-25 लाख रुपये एकत्र किए गए थे। यदि सत्तारूढ़ दल चुनावों के सम्बन्ध में सभी राजनैतिक दलों के वित्तीय स्रोतों के सम्बन्ध में न्यायिक जांच के लिए सहमत हो जाए तो मै इस प्रकार की अदायगियों के बारे में 'टेप-रिकार्ड' किए हुए सबूत सभा में पेश कर सकता हूं।

मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता परन्तु अभी एक मामला सामने आया है कि लोकसभा के पिछले चुनावों के समय बम्बई के एक औद्योगिक घराने ने 23 लाख रुपये की राशि की अदायगी सत्तारूढ़ दल को की। परन्तु जिसने यह धनराशि प्राप्त की थी उस व्यक्ति ने दल के कोष में केवल 8 लाख रुपये ही जमा कराए थे और शेष 15 लाख रुपये अपने पास रख लिये थे। धन प्राप्त करने वाला यह व्यक्ति केन्द्रीय मंत्री मंडल का एक सदस्य था प्रधान मंत्री को जब मामले के तथ्य पता चले तो उस मंत्री को देश के एक प्रमुख राज्य का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। क्या इस प्रकार की बातों की यही रोक है ?

एशियन केबल्स को 1000 मीट्रिक टन पोलिथीन के लिए लाइसेन्स दिया गया था। यह लाइसेन्स कालाबाजार में बेच दिया गया था। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जो जांच की जा रही थी वह पूरी होने में ही नहीं आ रही है। विज्ञापनों के नाम पर 3 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित की गई परन्तु जो पत्रिकाएं छपनी थीं वह आज तक नहीं छप पाई हैं।

अतः इस बारे में न्यायिक जांच होनी चाहिये जिससे कि सारा वातावरण स्पष्ट हो सके।

यदि भ्रष्टाचार और कदाचार को नहीं रोका गया तो प्रधान मंत्री की इतनी अधिक प्रतिष्ठा के बावजूद भी चीन में चांग-काई-शेक की सरकार और इंडोनेशिया में सुकार्णो की सरकार की भाँति श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में बनाई गई सरकार का भी अन्त हो जायेगा **(अन्तर्बाधाएं)**

Shri Atal Bihari Bajpayee : Sir, one member has shown chappal to another.

श्री पी० के० देव : उन्होंने चप्पल दिखाई है **(अन्तर्बाधा)** आपको उनकी भर्त्सना करनी चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे खेद है। मैं अभाप्रार्थी हूं।

श्री के० डी० मालवीय : आप कृपा करके श्री पीलू मोदी पर नियन्त्रण रखिये। हमने आपके कहने पर कल भी उनके व्यवहार को सहन किया था।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम् : मुझे खेद है कि मेरी पार्टी के एक सदस्य ने श्री मोदी को भड़काया। परन्तु श्री मोदी की लगातार बोलते रहने की आदत ने यह सब कुछ किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री मालवीया की बात से सहमत हूं मैंने कल भी उन्हें परामर्श दिया था। परन्तु सभी बातों की एक सीमा होती है। मुझे इस बात को समझना चाहिए।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : भारतीय संसद को लोगों की आशा पूरी करनी चाहिए। संसद को एक उच्चत्तम निकाय होने के नाते जो 55 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, अपनी गरिमा बनाये रखना चाहिये।

नियम 193 के अन्तर्गत सब सदस्यों को सुनने के बाद मंत्री महोदय को अवश्य उत्तर देना चाहिये।

यह आशा की जाती है कि सम्बन्धित सदस्य मंत्री महोदय का उत्तर ध्यान पूर्वक सुनेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से जब वित्त मंत्री उत्तर देते हैं तो विरोधी पक्ष के सदस्य बाहर चले जाते हैं। यह सब कहने से मेरा यह तात्पर्य है कि ऐसे प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह नहीं होता कि सच्चाई का पता लगाया जाये अथवा उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाये तथा दोषी व्यक्ति को दण्ड दिया जायेबल्कि प्रस्ताव का उद्देश्य पूर्णतया राजनीतिक होता है।

आज के प्रस्ताव के दो पहलू हैं। एक तो यह कि क्या डनकन ब्रादर्स लिमिटेड ने कानून का उल्लंघन किया है। मैं इसमें रूचि नहीं लेता। इसके लिए उचित प्रक्रिया पहले ही करदी गई है। यदि कानून का उल्लंघन किया गया है तो इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करनी होगी।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कुछ गलत कार्य किया है। राष्ट्रीय कांग्रेस के महामन्त्री ने इस बारे में आंकड़ें प्रस्तुत किये हैं। उन्होंने कागज पर खर्च हुई वास्तविक धनराशि का उल्लेख भी किया है और उस मिल का भी उल्लेख किया है जिससे कागज एकत्र किया गया। इसके बावजूद भी सदस्य वही बात दोहरा रहे हैं। अतः इस चर्चा से क्या लाभ होगा ?

कांग्रेस संगठन अथवा स्वतन्त्रता दल द्वारा की गई आलोचना की ओर मैं ध्यान नहीं देता क्योंकि ये दल कल रहें अथवा न रहें लेकिन मार्क्सवादी साम्यवादी दल द्वारा की जाने वाली आलोचना की ओर मुझे अवश्य ध्यान देना है। मैं इसे एक राजनीतिक दल के रूप में स्वीकार करता हूं। इससे देश के एक विशेष भाग का समर्थन प्राप्त है। भारतीय साम्यवादी दल एक राजनीतिक दल है जिसकी आलोचना पर मुझे विचार करना होगा।

इस विरोधी पक्ष के राजनीतिक दल को सन्तुष्ट करने में रुचि नहीं रखते। हम देश की जनता को सन्तुष्ट करने में रुचि रखते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने पोस्टरों के लिए पांच लाख रुपया कहां से दिया गया, इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया है। इस प्रयोजन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा चैक से भुगतान किया गया था। इस सम्बन्ध में उसके पास रिकार्ड एवं खाते हैं।

यह · च नहीं है कि हम धन एकत्र नहीं करते। हम अपने दल का संचालन एकत्रित धन से

करते हैं। इसमें कोई गोपनीयता नहीं है । इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो सरकार का संचालन करती है, विभिन्न देशों से धन एकत्र करती है। लेकिन धनराशि किसी शर्त पर नहीं ली जाती। जहां कहीं भी धनराशि के लिए शर्त लगाई जाती है हम धनराशि स्वीकार नहीं करते हैं। बिना शर्त हम अमरीका तथा अन्य यूरोपीय देशों से धनराशि स्वीकार करते हैं।

हमने बैंकों, बीमा कम्पनियों और खानों का राष्ट्रीयकरण किया है और हम एकाधिकार गृहों को अपने अधिकार में लेने और भूमि सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता हमारे कार्य से स्वयं निर्णय लेगी।

हमारे पर मत खरीदने के आरोप लगाये गये हैं। यह आरोप नया नहीं है। ऐसे आरोप संसद चुनावों से पूर्व भी लगाये जाते रहे हैं। हमने उन आरोपों का हमेशा सामना किया है।

श्री बसु ने यह आरोप लगाया कि डन्कन ब्रादर्स के प्रबन्ध निदेशक ने चुनावों के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी के पोस्टर पांच भाषाओं में मुद्रित करने का आर्डर सरस्वती प्रेस को दिया। आरोप यह नहीं है कि धनराशि दी गई बल्कि आरोप यह है कि डन्कन ब्रादर्स को आर्डर दिया गया।'इसी के परिणाम स्वरूप यह प्रस्ताव आया है, जिस पर चर्चा की जा रही है। मैं श्री बसु, श्री वाजपेयी और श्री मिश्रा जैसे माननीय सदस्यों से इस आरोप के समर्थन की आशा नहीं करता था।

कांग्रेस स्वीकार करती है कि उसने धन एकत्र किया और वह इस धनराशि से सभा में आई है जिससे समाजवाद की स्थापना की जा सके। लोगों की हममें पूर्ण आस्था है ।

अन्य दल कांग्रेस की विजय से चकित हो गये हैं। इसके लिए वे स्पष्टीकरण ढूंढ रहें हैं। उनका इस बारे में कथन यह नहीं है कि जनता कांग्रेस के साथ है अथवा जनता ने कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र स्वीकार किया है बल्कि उनका कथन है कि कांग्रेस की विजय काले धन के कारण हुई है।

क्या आप सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न भारत के लोगों के बारे में यही अनुमान लगाते हैं ? हमारी जनता इससे कहीं महान है। वैसे आप चाहे जो सोचते हों, परन्तु अपने वक्तव्य से आपने भारतीय जनता का अपमान किया है। अपने कथन से आपने स्पष्ट किया है कि चुनाव काले धन की सहायता से ही जीते जाते है। उन्होंने कहा है कि हमने बिड़ला बन्धुओं से सांठ गांठ कर रखी है और बिड़ला बन्धु अपने ओरियन्ट पेपर मिल्ज़ के लिए 6 रुपये प्रति टन की दर से बांस खरीद रहे हैं जबकि बाँस का बाजार मूल्य 200 से 300 रुपये प्रति टन है। इस प्रकार वह कांग्रेस को भ्रष्ट सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु क्या मैं ज्योतिर्मय बसु को दर्पण दिखाऊ ? केरल में मार्क्सवादी साम्यवादी दल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री राम शंकरन नम्बूदिरीपाद ने दक्षिण में 1957 में बिड़ला से साँठ-गाँठ करके उसे केवल एक रुपया प्रति टन की दर से वन सम्पति बेची थी। (व्यवधान)

इस प्रकार आप तो छः गुणा अधिक भ्रष्ट सिद्ध हुए। फिर केरल मंत्रिमण्डल के इसी दल के कुछ मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले में अदालती जाँच निश्चित की गई तो श्री नम्बूदिरीपाद ने कहा कि इस जाँच की बजाय तो वह मंत्रिमण्डल ही छोड़ देगें और फिर उन्होंने मत्रिमण्डल छोड़ा। परन्तु उच्च न्यायालय के जज ने उन्हें भ्रष्टाचार का दोषी पाया। यह सिद्ध हुआ कि

उन्होंने नियुक्तियों के मामले में भ्रष्टाचार से काम लिया तथा अपने निजी स्वार्थों के लिए भ्रष्ट तरीकों से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। इन मन्त्रियों के बारे में पृथक-पृथक निर्णय मौजूद हैं।

जब किसी बड़े दल के विरुद्ध कोई आरोप लगाया जाता है तो पहले यह देखा जाता है कि उसका कोई मूल आधार है भी कि नहीं। इस सम्बन्ध में तीन बातें देखी जाती हैं। :—

(1) किसने आरोप लगाया (2) किसके विरुद्ध लगाया तथा (3) क्या आरोप लगाया।

यह मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसने आरोप लगाया तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध लगाया परन्तु आरोप कितना क्षीण और कमजोर था।

इस चर्चा से यह सिद्ध और स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष कितना दुखी और परेशान है।

Shri S. A. Shamim (Srinagar): Let me admit that this debate has been quite interesting and as per the revelation and charges and counter charges made here both by the ruling party and the opposition members, it appears that on both the sides there are criminals except Shri S. A. Shamim because neither side has made any allegation against him.

* * * * * * * * *

Although allegations have been made against the Congress quite a number of times, but never had any of its members offered himself to face any enquiry. Actually, they are hardened criminals and in reply to any allegation they say "we have massive mandate".

* * * * * * * * *

श्री पी० के० देव : वह अपने शब्द वापस लें। वरना हम सभा की कार्यवाही नहीं चलने देंगे (अन्तर्बाधाएं)

श्री राजबहादुर : श्री शमीम अहमद शमीम को ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिये थे। अतः यदि वह अपने शब्द वापस ले लेंगे तो मैं यह दायित्व लेता हूँ कि मेरे दल का सदस्य भी अपने शब्द वापस ले लेगा।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : माननीय सदस्य द्वारा दिया गया तमाम भाषण सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए (**अन्तर्बाधाए**)

Mr. Speaker : Mr. Shamim, when you stand to speak, we give you special consideration for the reason that we all have greatest repect for the area you come from and whichI isa part and parcel of our country, lest you should think that you are in any way less than any one else here. But you too should remain in some limit. I would check up the records whether anything objectionable has been said.

Shri Atal Bihari Vajpayee : It will come out in the papers is you do not expunge them.

Mr. Speaker : Many members have spoken whatever they liked in this House. would check up the records and expunge the objectionable words.

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

* Expunged as Ordered by the Chair.

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur): Shri Shamim has used these words**..... (interruptions)

Shri Shyam Nandan Mishra (Begusarai) :**.....(interruptions)

Mr. Speaker: Whatever you say is correct and the rest is wrong.....(**interruptions**)

Shri Raj Bahadur :**—

श्री सतपाल कपूर (पटियाला) : उन्होंने कहा है कि "आपका लोकतंत्र, आपकी धर्म-निरपेक्षता, आपका देश;" ऐसे चीजें हैं जिनसे हमें आपत्ति है ... ...**(व्यवधान)**

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : श्रीमान् मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । ऐसी टिप्पणियां कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जानी चाहियें ... .. **(व्यवधान)**

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुझा) :— उन्होंने कहा है "आपका देश, आपका लोकतंत्र," इससे उनका क्या तात्पर्य है **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : आपको रिकार्ड देखना चाहिए । उसने श्री शमीम अथवा अन्य किसी की टिप्पणियां आपत्तिजनक हों तो उन्हें निकाल दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि मैं रिकार्ड देखूँगा । यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो वह कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जायेगा, प्रकाशित नहीं किया जायेगा ।

Shri Shashi Bhushan (South-Delhi): ** **(interruptions)** Shri Shamim has attered those words which as enemy of Indian democracy utters.

Shri S. A. Shamim : I submit, Sir, this allegation that** made against me **(interruptions)** let met complete my sentence. I regrest you not to expunge it. you may expunge any sentence like from my speech but let that be on record.

Jammu & Kashmir is the only state.

where police force, not the moneys plays dominant rule in elections. C. R. P. and B. S. F. is utilized there.

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, आप रिकार्ड देखें और, जो उचित समझें, कार्यवाही करें । परन्तु सीमा सुरक्षा दल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के विषय में उन्होंने जो यह कहा है कि इनका प्रयोग निर्वाचनों में किया जाता है, पाकिस्तान में हमारे शत्रु भी इसका प्रयोग करेंगे । क्या इससे वहाँ के लोग उत्तेजित नहीं होंगे ? उन्होंने बहुत गम्भीर अपराध किया है... ...**(व्यवधान)**

श्री ए० पी० शर्मा : श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । श्री शमीम के भाषण का अन्तिम भाग आपत्तिजनक है । भाषण के पहले भाग में उन्होंने व्यक्तियों तथा सदन के बारे में कहा है और अन्तिम भाग में जम्मू-कश्मीर तथा शेष भारत को भी उसी में ले आये । इसे कार्य-वाही वृतांत से निकाल दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामसहाय पांडे ।

Shri R. S. Panday [Rajnand gaon): Shri Vajpayee had asked about the publication of 21 lakh posters in Calcutta and the question has been replied in the affirmative. Inspite of

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।
*Expunged as ordered by the chair.

that the issues has been made into a political scandal. Shri Vajpayee. Very well knows about the matter and manner in which the posters are published.

If the matter published in these posters is objected to then I would like so submit that Jansangh Party got a poster published in which Shri Mati Indira Gandhi was shown slaughtering a cow. These posters were published to divert the public attention.

As regards donations to the party from the capitalists or say monopolists, May I ask whether Government have not appointed a Monopolies Commission ? Whether they have not conducted enquiries agaist these capitalists ?

Shri Jyotirmoy Basu has said that Duncan Brothers and Shri R. P. Goinka, donated Rs. 5 lakh each to the Congress Party. But I say that his party is receiving large amounts from China. Arms, money and books are being received therefrom. Before making allegations be should look at himself. I would like to ask as to who has looted Banks in the name of the people who is responsible for ghastly murders ? **(interruptions)**

As regards termination of 6 employees of Sarswati Press, I have been informed that the designs were stolen by paying Rs. 10,000 to each of these employees. I know you will object to it.....**(interruptions)**

Mr. Speaker, Sir, all these parties have been demoralized after their defeat in elections. They have got no principles of their own. As principles Jansangh, Communist and Congress (o) parties are poles apart but here they are collaborating. They are not discharging the honest duties of theoppositiion. The allegaton made against the Congress is baseless.

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमन्, कल प्रश्नकाल नहीं है । आज हम बहुत थक गये है । हम इसे कल जारी रख सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कल समय नहीं होगा । हमें इस चर्चा को आज ही समाप्त करना है । मंत्री महोदय !

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है । मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ । क्या मैं अनुरोध कर सकता हूँ ?

अध्यक्ष महोदय : सभा का काम जानने के लिये मैं इस विषय को सभा के समक्ष रख रहा हूं... ...

श्री ए० पी० शर्मा : यह चर्चा आज ही समाप्त होनी चाहिये ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : नियम के अनुसार यह चर्चा आज ही समाप्त होनी चाहिये ।

श्री श्याम नंदन मिश्र : क्या आज आधी रात तक बैठना होगा ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम कल 10 बजे म० पू० से इस चर्चा को ले सकते हैं । आपको सदैव सत्तारूढ़ दल की ही बात नहीं माननी चाहिये । कल प्रश्न काल नहीं हैं । हमें इस विषय पर चर्चा के लिये दो घण्टे मिल जायेंगे ।

अनेक माननीय सदस्य : हम आज 10 बजे रात्रि तक बैठने को तैयार हैं । यह चर्चा आज ही समाप्त होनी चाहिये ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं । नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य कल 10 बजे म० पू० पर चर्चा के लिए बैठने को तैयार हैं ?

बहुत से माननीय सदस्य : नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्यों से पूछा है वे आज रात्रि को बैठने के लिये तैयार हैं.. ...

श्री राजबहादुर : हम आज रात्रि को बैठने के लिए तैयार हैं परन्तु यह वाद-विवाद आज ही समाप्त होना चाहिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमारे साथ इस प्रकार से व्यवहार न कीजिये । आज आपने हमारे प्रति जितनी क्रूरता दिखाई है, उससे हमें बहुत अधिक दुःख हुआ है और यदि हमारे पास 14 दिन का समय होता तो हम आपके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव ले आते ।

श्री राजबहादुर : श्री ज्योतिर्मय बसु आपको धमकी दे रहे हैं, इसलिए उनके विरुद्ध नाम लेकर कार्यवाही की जानी चाहिए । जो बातें श्री बसु ने कहीं हैं, वे सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं की जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : सभा में यह निर्णय किया गया था कि वाद-विवाद आज रात तक समाप्त हो जायेगा । मैंने सभा से पूछा कि क्या यह वाद-विवाद कल भी जारी रखा जा सकता है । सदस्यों ने इसे स्वीकार नहीं किया ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वास्तव में निर्णय यह था कि सभा का समय 31 मई से बाद में नहीं बढ़ाया जायेगा । किन्तु अब सत्र एक जून तक बढ़ा दिया गया है । यह भी केवल इसलिये कि उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक इसी सत्र में पास करना था ।

अध्यक्ष महोदय : सभा की ऐसी ही इच्छा थी ।

समवाय कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : कुछ माननीय सदस्यों ने असंगत बातें कहीं हैं और निराशापूर्ण वक्तव्य दिये हैं । प्रस्ताव बिल्कुल सीधा है और वह यह है कि क्या डंकन ब्रादर्स के प्रबन्ध निदेशक ने कम्पनी विधि का उल्लंघन किया है । इस प्रस्ताव के समर्थन में एक क्रयादेश की फोटो-प्रति का भी उल्लेख किया गया है । प्रस्तुत प्रस्ताव का आधार वही है । यह फोटो-प्रति क्रयादेश संख्या 189/72 दिनांक 7-2-1972 की है । श्री श्यामनन्दन मिश्र आदि सदस्यो ने यह पूछा था कि कम्पनी कार्य विभाग ने इस मामले में अब तक जांच क्यों नहीं की । इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूँगा । उक्त फोटो-प्रति से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उससे कम्पनी विधि का उल्लंघन होता है । फिर भी सरकार ने कम्पनी कार्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को इस मामले में जाँच करने के लिए सरस्वती प्रेस में भेजा था और उसने क्रयादेश संख्या 189/72 से सम्बन्धित दस्तावेजों का निरीक्षण किया था । मैं यह बताना चाहता हूं कि इसका भुगतान क्रास चैक द्वारा कर दिया गया है । जो भी सदस्य इसकी जांच करना चाहें, उसे हम बैंक तक जाने की सुविधा देंगे ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : चैक किस तारीख का दिया गया था ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 1,95,592.50 रुपये का इलाहाबाद बैंक का एक चैक संख्या जे 821975 दिनांक 14-3-72 को सरस्वती प्रेस के नाम जारी किया था । अत: मेरा विनम्र निवेदन है कि श्री ज्योतिर्मय बसु के प्रस्ताव में कोई तत्त्व नहीं है । परिस्थितियों और तथ्यों से इस बात की पुष्टि होती है ।

जहां तक श्री गोयनका का पक्ष लेने का सम्बन्ध है, एशियन केबिल्स के मामले में श्री गोयनका के साथ कोई पक्षपात नहीं किया गया है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो भी इस मामले से अवगत है । श्री गोयनका ने बोम्बे डाईंग के शेयर खरीदने के लिए भी कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दे रखा है । ऐसा लगता है कि द्वेष-भाव ने श्री ज्योतिर्मय बसु की बुद्धि को ढक लिया है और उन्होंने मनमाने आरोप श्रीमती इंदिरा गांधी पर लगाये हैं । यह सर्वमान्य तथ्य है कि हमारी प्रधान मंत्री भारत की जनता और कांग्रेस दल को प्रिय हैं । वह इस युग के उच्चतम नेताओं में से एक हैं ।

इस मामले से सम्बद्ध कुछ दस्तावेजों को इस प्रकार से व्यवस्थित करके रखा गया है कि उनसे लोगों को गलत फहमी होती है । यदि दस्तावेजों को सही ढंग से व्यवस्थित किया गया होता तो शंका ही न होती । श्रीमती गांधी ने छात्र परिषद की बैठक में यही कहा था । प्रधान मत्री ने यह कभी नहीं कहा कि कम्पनियां राजनीतिक दलों को चन्दा देती हैं । प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि व्यक्तिगत हैसियत से निर्धन व्यक्ति उदारदिली से चन्दा नहीं दे सकते । इसका तात्पर्य है कि धनी लोग ही चन्दा देते हैं, न केवल कांग्रेस को बल्कि श्री ज्योतिर्मय बसु के दल को भी । अत: तथ्यों के आधार पर मैं इस प्रस्ताव और अन्य स्थानापन्न प्रस्ताओं का, जिनके नोटिस दिये जा चुके हैं, विरोध करता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : माननीय मंत्री ने अपने भाषण से सभा को गुमराह किया है । **(अन्तर्बाधाएं)** प्रधान मंत्री ने जो कुछ कलकत्ते में कहा था, वह 'स्टेट्समैन' में छपा था और उसका सरकार की ओर से अब तक भी खंडन नहीं किया है ।

टाइम्स आफ इंडिया ने यह समाचार छापा है कि कांग्रेस के विरुद्ध आरोप लगाने का कोई आधार नहीं है । पूंजीपति प्रत्येक दल के लिये धन की व्यवस्था करते हैं ।

आकाशवाणी से इस समाचार का दो या तीन बार प्रसारण किया गया ।

यदि सरकार अपने को ईमानदार समझती, तो वह इस आरोप का खंडन करती । लेकिन ऐसा नहीं किया गया । मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है वह सच नहीं है और उन्होंने जानबूझकर ऐसा कहा है ।

मैं इस बारे में दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा और धनराशि का भुगतान और चैक और कागजातों की सप्लाई सब मनघड़न्त बातें हैं । मंत्री महोदय ने सभी को गुमराह किया है । मैं यह चाहूंगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के गत वर्ष के खातों को सभा पटल पर रखा जाये जिससे संसद उनकी जांच करा सके... **(अन्तर्बाधाएं)** ।

मंत्री महोदय ने प्रस्ताव की भाषा का सहारा लिया है । मैं प्रधान मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री गणेश और वित्त मंत्री पर झूठ बोलने और एक असली दस्तावेज को झूठा दस्तावेज बताने का आरोप लगाता हूँ ।

यदि यह सिद्ध हो जाता है कि हमारे दल को किसी पूंजीपति द्वारा सहायता दी जाती है तो सदन जो भी सजा चाहे, वह हमें दे सकता है।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : साम्यवादी दल के सदस्य श्री कृष्णन् पर, जो उनके निकट बैठे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो चुका है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे कुछ और समय की आवश्यकता होगी।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य 5 या 10 मिनट में अपना भाषण समाप्त कर सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : लुधियाना, अमृतसर और जालंधर में अनेक व्यक्तियों के अनधिकृत बरघों को नियमित किया गया है। ऊन सफाई करने वालों को 30 लाख किलोग्राम ऊन साफ करने के लाइसेंस दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में पक्षपात किया गया है। क्या यह सच नहीं है कि इस माँग को पूरा करने के लिए ऊन का आयात कई करोड़ बढ़ गया है ?

एक प्राईवेट फर्म कर्नाटक कारपोरेशन आफ बंगलौर के श्री तुलसीयन को पटसन की एक लाख गांठें दी गईं। क्या इस फर्म को पटसन के निर्यात का कोई अनुभव है ? यह स्पष्टतया पटसन निर्यात सम्बन्धी नीति का उल्लंघन है।

इसी श्री तुलसीयन को स्टेनलैस स्टील के आयात का लाइसेंस दिया गया। सत्तारूढ़ दल द्वारा इन लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिये ऐसा किया जाता है।

हमारे कार्यालय के एक व्यक्ति रोबिन सेन को, जिसने दल के धन का दुर्विनियोजन किया था, पकड़ा गया था। यदि उसने कोई अपराध किया होता तो वह जेल जाता। हम यह नहीं कहते कि उसे सजा नहीं दी जानी चाहिए। यदि किसी दल का कोई व्यक्ति धन का दुर्विनियोजन करता है, तो उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए और उसको जेल भेजा जाना चाहिए।

दुर्गापुर और चित्तरंजन में बैंक नोटों के मामले में चार या पांच युवक अपराधी थे। उनको इसके लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता। गत 25 वर्षों से उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता रहा था। वे बेरोजगार थे। इन युवकों से क्या आशा की जा सकती थी ? आप उस मामले को पुलिस को भेज सकते हैं और सत्यता का पता लगा सकते हैं।

बड़े-बड़े व्यापार द्वारा धन एकत्र किया जाता है। इस धन का भुगतान लाइसेंस देकर, परमिट देकर, आर्थिक लाभ देकर किया जाता है।

यदि सरकार में जरा भी ईमानदारी बाकी है तो वह वांचू समिति का अन्तरिम प्रतिवेदन अवश्य प्रकाशित करती जिसमें विमुद्रीकरण की सिफारिश की गई है। इसका कारण यह है कि यदि आप विमुद्रीकरण करते हैं, तो आपको चुनाव के लिए चन्दा नहीं मिल पाता है। यहां के एक मंत्री के पास, मैं उनका पदनाम नहीं बताना चाहता कि वह कोषाध्यक्ष हैं, 4½ करोड़ रुपये पड़े थे। यह एक दिन एक मंत्री के घर में थे। मुझे विश्वस्त सूत्रों से यह जानकारी मिली है।

अध्यक्ष महोदय : आप यह जानकारी पहले मुझे दे दीजिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इसकी व्यवस्था कर सकता हूँ। वे पूंजीपतियों की बात करते हैं कि उन्होंने साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) को धन दिया है। क्या उन्होंने पश्चिम बंगाल में इसी

लिये साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) की सरकार गिराने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किये थे। क्या आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी नेताविहीन हो गई है ? क्या उन्हें 5 लाख रुपये के लिए भी गारंटी देने वाले व्यक्ति की आवश्यकता पड़ने लगी है ? गारंटी देने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि वह है श्री आर० पी० गोयनका। फिर शासक दल के नेता अपने प्रयोजन सिद्ध करने के लिए सरकारी कर्मचारियों आदि का उपयोग करता है। श्री विद्याचरण शुक्ल ने कहा था कि मैं न्यायालय में जाऊं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि विधि मंत्रालय और समवाय कार्य मंत्रालय किसलिये है ? मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सर्वदलीय संसदीय समिति के समक्ष यह सिद्ध कर दें कि उनको इस घटना की कोई जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सुरेन्द्र महन्ती का स्थानापन्न प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए ; अर्थात—

"कि इस सभा की, वित्त विधेयक पर वाद-विवाद के दौरान श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा फोटोस्टेट कापी के आधार पर लगाए गए इन आरोपों पर, कि डंकन ब्रदर्स लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध निदेशक ने कम्पनी विधि का स्पष्ट उल्लंघन करके भारी संख्या में इश्तहार छपवाये थे, विचार करने के उपरान्त, यह राय है कि इस मामले के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त की जायें।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided.

पक्ष में	33	विपक्ष में	84
Ayes	33	Noes.	84

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : अब श्री समरगुह का स्थानापन्न प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखा जाएगा। प्रश्न यह है :

"कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये ; अर्थात :—

"कि यह सभा, वित्त विधेयक पर वाद-विवाद के दौरान श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा फोटो-स्टेट कापी के आधार पर लगाए गए इन आरोपों पर, कि डंकन ब्रदर्स लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध निदेशक ने कम्पनी विधि का स्पष्ट उल्लंघन करके भारी संख्या में इश्तहार छपवाए थे, विचार करने के उपरान्त, सिफारिश करती है कि इन आरोपों के सभी पहलुओं की जांच करने के लिये उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक समिति नियुक्त की जाये।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में	33	विपक्ष में	85
Ayes	33	Noes.	85

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negattived

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री पी० के० देव का स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 3 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The substitute motion No. 3 moved by Shri P. K. Deo was put and negatived

इसके पश्चात लोक-सभा गुरुवार, 1 जून, 1972/11 ज्येष्ठ, 1894 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, June 1, 1972/ Jyaistha 11, 1894 (Saka)